ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

सितम्बर 2025
वर्ष : 07 | अंक : 09

dhyeyaias.com

25वाँ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन

परिणाम, भारत की भूमिका और भू-राजनीतिक निहितार्थ

» मुख्य विशेषताएं

पावर पैक्ड न्यूज | यूपीएससी प्री बेस्ड एमसीक्यूस | समाचार विश्लेषण

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

NEW BATCH
UPSC (IAS)

GENERAL STUDIES

17 SEPT

8:30 AM (Morning Batch)

5:30 PM (Evening Batch)

GOMTINAGAR

7570009003

19 SEPT

8:30 AM आ हिंदी माध्यम

6:00 PM A English medium

ALIGANJ

9506256789

LUCKNOW

ALIGANJ GOMTINAGAR

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
आवरण सज्जा	:	सोनल तिवारी

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-
+91 9369227134
perfect7magazine@gmail.com

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7
मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति 06-20

- ➢ **भारत में स्वच्छता कर्मियों का संकट: सोशल ऑडिट दृष्टिकोण**
- तमिलनाडु सरकार ने शुरू की ट्रांसजेंडर नीति
- भारत में मातृ स्वास्थ्य में सुधार
- भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेष
- यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के लिए सारनाथ का नामांकन
- धीरियो
- हुमायूँ का मकबरा
- व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा, 2025
- फोर्टिफाइड चावल योजना का विस्तार
- खुले में शौच पर डब्लूएचओ और यूनिसेफ की रिपोर्ट
- महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक (एनएआरआई) 2025
- यूडीआईएसई+ रिपोर्ट

2. राजव्यवस्था एवं शासन 21-42

- ➢ **भारत में कानूनी आधुनिकीकरण: अति-अपराधीकरण को कम करने में जन विश्वास 2.0 विधेयक की भूमिका**
- ➢ **राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून: भारत की वैज्ञानिक प्रगति और रणनीतिक अनिवार्यता**
- ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
- बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025
- मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025
- आयकर विधेयक, 2025
- राष्ट्रीय खेल प्रशासन और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक
- ओसीआई कार्डधारकों के लिए कड़े नियम
- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM VBRY)
- भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025
- मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की पहल
- कर्नाटक में गिग वर्कर्स के संरक्षण हेतु कानून
- खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2025 पारित
- संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025
- विदेशी नागरिकों को भी जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार

3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 43-64

- ➢ **25वाँ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन: परिणाम, भारत की भूमिका और भू-राजनीतिक निहितार्थ**
- ➢ **भारत-जापान संबंध: हिंद-प्रशांत में रणनीतिक संतुलन और उभरते आयाम**
- अज़रबैजान-आर्मेनिया शांति समझौता
- अलास्का शिखर सम्मेलन 2025
- रूस से तेल खरीद पर छूट
- भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी
- रूस आईएनएफ संधि से हटा
- भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन
- ताइवान के प्रति भारत का रुख
- लिपु-लेख दर्रे को लेकर भारत-नेपाल विवाद
- नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) में शामिल
- भारत-फ़िजी संबंध
- अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया
- भारत-जापान आर्थिक मंच
- भारत–भूटान कृषि संबंध

4. पर्यावरण 65-78

➢ **भारत में भूजल प्रदूषण: एक बढ़ता सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट**

- माइक्रोबायोम का पहला वैज्ञानिक मानचित्र
- नागालैंड में एशियाई विशालकाय कछुए का संरक्षण
- भारत-बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल
- रूस के कमचातका में भूकंप
- दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में प्लास्टिक प्रदूषण
- अकस्मात् बाढ़ (फ्लैश फ्लड)
- जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक
- 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट
- खारे पानी के मगरमच्छों का सर्वेक्षण
- डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में जंगली घोड़ों के अस्तित्व पर संकट

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 79-94

➢ **आत्मनिर्भर भारत 2.0: डीप-टेक युग के लिए शासन और नियमन में सुधार की आवश्यकता**

- हेपेटाइटिस डी वायरस कैंसरकारी घोषित
- AI-डिज़ाइन प्रोटीन के ज़रिए टी कोशिका निर्माण में वैज्ञानिक प्रगति
- कवच 4.0
- भारत में हीमोफीलिया का बढ़ता बोझ
- निसार उपग्रह
- केन्या: निद्रा रोग उन्मूलन में ऐतिहासिक उपलब्धि
- कोझिकोड में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस अलर्ट
- समुद्रयान मिशन
- डेंगू प्रतिरक्षा में विशेष एंटीबॉडी की पहचान
- न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म
- इसरो का सबसे भारी रॉकेट: एलएमएलवी
- गगनयान के लिए इसरो का एयर ड्रॉप परीक्षण

6. आर्थिकी 95-109

➢ **जुड़ता भारत, सशक्त भारत: नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा**

➢ **भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली: रोजगारोन्मुखी पुनर्निर्माण की आवश्यकता**

- भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में उन्नति
- आरबीआई ने रेपो दर को 5.5% पर स्थिर रखा
- भारत का निर्यात प्रदर्शन (अप्रैल-जुलाई 2025)
- दुग्ध उत्पादन में भारत अग्रणी देश
- आरबीआई ने जारी किया फ्री-एआई फ्रेमवर्क
- 2025 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारतीय जीडीपी में वृद्धि
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)
- जीएसटी में व्यापक बदलाव पर मंत्रिसमूह की रिपोर्ट

7. आंतरिक सुरक्षा 110-117

➢ **अपाचे गार्जियन: भारत की सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता की चुनौती**

- अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल
- भारतीय रक्षा में साइबरस्पेस एवं जल-थल अभियानों हेतु संयुक्त सिद्धांत
- एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण
- आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि

पावर पैक्ड न्यूज 118-129

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 130-138

1 भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

भारत में स्वच्छता कर्मियों का संकट: सोशल ऑडिट दृष्टिकोण

परिचय:

भारत में हाथ से मैला उठाने (manual scavenging) की प्रथा को समाप्त करने के लिए कई सरकारी नीतियाँ और घोषणाएँ की गई हैं, लेकिन हानिकारक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई आज भी लोगों की जान ले रही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कराए गए एक सोशल ऑडिट (सामाजिक लेखा परीक्षण) ने इस क्षेत्र में सुरक्षा, जवाबदेही और पुनर्वास की गंभीर कमी को उजागर किया है। जुलाई 2025 में लोकसभा में पेश इस रिपोर्ट से साफ होता है कि स्वच्छता कर्मियों को अब भी भारी जोखिम झेलने पड़ते हैं और मौजूदा नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2022 और 2023 में 150 स्वच्छता कर्मियों की मौत सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई। 1993 से अब तक कुल 1,035 लोगों की मौत ऐसे ही कारणों से हुई है। 2019 से 2023 के बीच ही 377 मौतें दर्ज की गईं, जो समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।

सोशल ऑडिट से प्रमुख निष्कर्ष-

- सितंबर 2023 में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने सीवर-सफाई से होने वाली मौतों की जांच के लिए यह अध्ययन कराया। इसने 8 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 17 जिलों में 54 मौतों की जांच की। मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:
  - **सुरक्षा उपकरणों की कमी:** 54 में से 49 मामलों में स्वच्छता कर्मियों ने कोई सुरक्षा उपकरण नहीं पहना था। 5 मामलों में केवल दस्ताने, और 1 में दस्ताने व बूट पहने गए थे।
  - **उपकरण और प्रशिक्षण की कमी:** 47 मामलों में न तो मशीनें थीं और न ही सुरक्षा किट। सिर्फ 2 मामलों में उपकरण उपलब्ध थे और केवल 1 में प्रशिक्षण दिया गया था।
  - **संस्थागत तैयारी का अभाव:** 54 में से 45 मामलों में संबंधित एजेंसियों के पास जरूरी संसाधन या तैयारी नहीं थी।
  - **जागरूकता अभियान की कमी:** सिर्फ 7 मामलों में किसी प्रकार का जागरूकता अभियान चला था, वह भी अधूरा। प्रमुख स्थान थे चेन्नई, कांचीपुरम (तमिलनाडु) और सतारा (महाराष्ट्र)।
  - **सहमति और जोखिम परामर्श का अभाव:** 27 मामलों में कोई सहमति नहीं ली गई। 18 मामलों में लिखित सहमति ली

गई, लेकिन जोखिम के बारे में जानकारी नहीं दी गई।

» **भर्ती का तरीका:** 38 मामलों में कर्मियों को व्यक्तिगत या ठेके पर रखा गया था। केवल 5 लोग सीधे सरकारी एजेंसियों से जुड़े थे और 3 सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से ठेके पर रखे गए थे।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2022 और 2023 में 150 स्वच्छता कर्मियों की मौत सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई। 1993 से अब तक कुल 1,035 लोगों की मौत ऐसे ही कारणों से हुई है। 2019 से 2023 के बीच ही 377 मौतें दर्ज की गईं, जो समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।

स्वच्छता कर्मियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति:

- इस सोशल ऑडिट और 3,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त आंकड़ों से यह तस्वीर सामने आती है:
  » **जातिगत संरचना:** 38,000 प्रोफाइल किए गए स्वच्छता कर्मियों में से 91.9% हाशिए पर पड़ी जातियों से आते हैं—68.9% अनुसूचित जाति (SC), 14.7% अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और 8.3% अनुसूचित जनजाति (ST) से।
  » **रोज़गार का स्वरूप:** अधिकांश कर्मचारी जोखिम भरे, निम्न स्तर के कार्यों में लगे हैं और बहुत कम आय पाते हैं, जो जाति आधारित आर्थिक असमानता को दर्शाता है।
- यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में स्वच्छता कर्मियों की स्थिति आज भी बेहद चिंताजनक है। नीति और ज़मीनी स्तर पर अंतर है, जिसे कम करने के लिए ठोस सुधारों और मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

सरकारी पहल और नमस्ते (NAMASTE) योजना:

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नमस्ते (National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem) योजना जुलाई 2023 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को सुरक्षित और मशीनों से करने योग्य बनाना है। यह योजना पहले की मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (SRMS) की जगह लाई गई है।
- **नमस्ते योजना के प्रमुख तथ्य:**
  » **कर्मियों की पहचान:** अब तक 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 84,902 स्वच्छता कर्मियों की पहचान की गई है। लेकिन 283 शहरी निकायों (ULBs) ने शून्य कर्मचारी बताए हैं, जिससे पता चलता है कि कहीं न कहीं जानकारी अधूरी दी गई है।
  » **पीपीई किट की व्यवस्था:** आधे से थोड़े ज्यादा कर्मियों को ही अब तक सुरक्षा उपकरण (PPE) मिले हैं। ओडिशा अकेला ऐसा राज्य है जहाँ सभी 1,295 कर्मियों को पूरी सुरक्षा किट दी गई है, जो राज्य की "गरिमा योजना" की सहायता से संभव हुआ।
  » **सहायता राशि:** अब तक 707 कर्मियों को सुरक्षित काम की ओर बढ़ने के लिए ₹20 करोड़ की पूंजी सहायता दी गई है।
  » **जागरूकता कार्यशालाएं:** लगभग 1,000 कार्यशालाएं खतरनाक सफाई से बचाव पर आयोजित की गईं।
  » **कचरा बीनने वालों को सहायता:** योजना में अब तक लगभग 37,800 कचरा बीनने वालों को शामिल किया गया

है।

राज्यों का प्रदर्शन:

- **ओडिशा:** पीपीई किट की पूरी कवरेज और मशीनों से कीचड़ सफाई की सुविधा में अग्रणी।
- **तमिलनाडु:** चेन्नई में सीवर सफाई के लिए रोबोट का प्रयोग शुरू किया गया, जिससे 5,000 से अधिक मैनहोल साफ किए गए हैं।

पुनर्वास के प्रयासों की प्रभावशीलता:

- नमस्ते योजना का उद्देश्य सफाई कार्य को पूरी तरह मशीनों से करवाना है, लेकिन पिछली स्वरोजगार योजना के आंकड़े मिश्रित परिणाम दिखाते हैं:
    - **स्वरोजगार योजना के निष्कर्ष:** योजना के तहत 58,098 मैला ढोने वाले व्यक्तियों की पहचान की गई, जिनमें 97.2% अनुसूचित जातियों (SC) से थे। ₹40,000 की एकमुश्त सहायता दी गई, लेकिन बहुत कम लोग ही प्रशिक्षण लेकर नई आजीविका की ओर बढ़ पाए।
    - **पुनर्वास की खामियाँ:** कई कर्मियों की पहचान ही नहीं हुई, जिससे वे किसी भी सहायता या प्रशिक्षण से वंचित रह गए। सभी कर्मियों को जोड़ने के लिए पहचान प्रक्रिया को मजबूत करना जरूरी है।

मुख्य चुनौतियाँ:

- **सामाजिक भेदभाव:** जाति आधारित भेदभाव के कारण इन कर्मियों को शिक्षा, रोजगार और सम्मान में बाधाएं आती हैं।
- **स्वास्थ्य जोखिम:** ज़हरीली गैसों और गंदगी के संपर्क में आने से गंभीर बीमारियाँ और मौतें होती हैं। सुरक्षा के उपाय बेहद सीमित हैं।
- **कानूनों का कमजोर पालन:** हाथ से मैला उठाने पर रोक और सुरक्षित काम की गारंटी वाले कानूनों का पालन कमजोर है। जिम्मेदारी और जवाबदेही की कमी बनी हुई है।
- **अधूरी कवरेज:** कई कर्मी खासकर ठेके पर या अनौपचारिक रूप से काम करने वाले सरकारी योजनाओं की पहुंच से बाहर हैं।

आगे की राह:

- **प्रशिक्षण और जागरूकता मजबूत करना:** नमस्ते योजना का विस्तार करना चाहिए ताकि सभी कर्मियों को सुरक्षा प्रशिक्षण और जोखिम की जानकारी दी जा सके, विशेषकर अनौपचारिक रूप से काम करने वालों को।
- **पूरी तरह से मशीनों का उपयोग:** सभी शहरी क्षेत्रों में मशीनों और रोबोट्स से सफाई को बढ़ावा देना चाहिए। हाथ से सफाई केवल आपात स्थिति में और कड़े सुरक्षा नियमों के तहत ही हो।
- **PPE किट की सार्वभौमिक व्यवस्था:** सभी कर्मियों को सुरक्षा किट दी जाए और उनके सही इस्तेमाल की निगरानी हो। कर्मियों को रखने वाली एजेंसियों को जवाबदेह बनाया जाए।
- **सम्मानजनक पुनर्वास:** केवल एक बार की नकद सहायता नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सहायता जैसे कौशल प्रशिक्षण, बच्चों की शिक्षा, और सामुदायिक पुनर्स्थापन की व्यवस्था हो।
- **सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान:** नीति के साथ-साथ जातीय पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

सरकार के दावे के बावजूद, हाथ से मैला उठाने और खतरनाक सफाई का काम अब भी भारत में जारी है। हाल की ऑडिट रिपोर्ट ने दिखाया कि स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा में गंभीर खामियाँ हैं। नमस्ते जैसी योजनाएँ उम्मीद तो जगाती हैं, लेकिन इनकी सफलता समावेशी क्रियान्वयन, कठोर कानूनों के पालन, और संपूर्ण मशीनीकरण पर निर्भर करेगी। यदि ये सुधार नहीं हुए, तो स्वच्छता कर्मी हमेशा खतरे और उपेक्षा के शिकार बने रहेंगे।

संक्षिप्त मुद्दे

तमिलनाडु सरकार ने शुरू की ट्रांसजेंडर नीति

संदर्भ:

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण के लिए ट्रांसजेंडर नीति शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा, आवास और सुरक्षा के क्षेत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना है।

नीति की मुख्य विशेषताएँ:

- **स्व-पहचान का अधिकार:** यह नीति ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों को बिना किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या प्रमाणपत्र के अपना लिंग – पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर – चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करती है।
- **कानूनी संशोधन:** राज्य सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने की दिशा में कदम उठाएगी।
- **अधिकारों का संरक्षण:** यह नीति ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, आवास और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समान अधिकार और संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति के बारे में:

- एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह होता है जिसकी लिंग पहचान जन्म के समय निर्धारित जैविक लिंग से भिन्न होती है। भारत में "ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019" के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को ट्रांसजेंडर माना जाता है जिसकी लिंग पहचान, निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती। इस परिभाषा में इंटरसेक्स (intersex variations), जेंडर-क्वियर (gender queer) और अन्य लिंग विविधताओं वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।
- 2014 में NALSA के फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तीसरे लिंग" के रूप में मान्यता दी और उनके मौलिक अधिकारों की पुष्टि की।
- भारत में, अनुमानित ट्रांसजेंडर आबादी लगभग 4.8 लाख है (2011 की जनगणना के आधार पर)।

ट्रांसजेंडर लोगों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

- **स्व-पहचान में कानूनी बाधाएँ:** ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत लिंग पहचान के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य है। यह प्रावधान आत्म-पहचान (self-identification) के अधिकार को सीमित करता है तथा आधिकारिक दस्तावेज़ों, सरकारी सेवाओं और विधिक अधिकारों की प्राप्ति में नौकरशाही बाधाएँ उत्पन्न करता है।
- **सामाजिक भेदभाव और हिंसा:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर अस्वीकृति, बहिष्कार और हिंसा का सामना करना पड़ता है। कई सांस्कृतिक परिवेशों में लैंगिक असमानता को एक विचलन के रूप में देखा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कलंक, शारीरिक और यौन शोषण, और व्यापक सामाजिक बहिष्कार होता है।
- **शिक्षा और रोज़गार में बाधाएँ:** विद्यालयों में ट्रांसजेंडर छात्रों को प्रायः बदमाशी, भेदभाव तथा पाठ्यक्रम की असमावेशी प्रकृति का सामना करना पड़ता है। इससे वे शिक्षा बीच में छोड़ने के लिए विवश होते हैं, जिससे उच्च शिक्षा तथा औपचारिक रोजगार तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है और उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ट्रांसजेंडर कल्याण योजनाएँ:

- सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - **स्माइल योजना:** ट्रांसजेंडरों के व्यापक कल्याण के लिए।
  - **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल:** पहचान का ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए।
  - **लैंगिक समावेशन निधि:** लड़कियों और ट्रांसजेंडरों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत।
  - **गरिमा गृह:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह।
  - **पीएम-दक्ष:** ट्रांसजेंडरों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए।

निष्कर्ष:

ट्रांसजेंडर लोगों के लिए तमिलनाडु सरकार की नीति समावेशिता को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वयं अपने लिंग की पहचान करने और उनके उत्तराधिकार के अधिकार को सुनिश्चित करने की अनुमति देकर, इस नीति का उद्देश्य इस समुदाय के सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है। यह नीति ट्रांसजेंडर लोगों के सामने आने वाले मुद्दों की अधिक सूक्ष्म समझ और एक सहायक एवं समावेशी वातावरण बनाने के

महत्व पर भी प्रकाश डालती है।

भारत में मातृ स्वास्थ्य में सुधार

सन्दर्भ:

भारत सरकार ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए कई पहलें शुरू की हैं। जिनमें मिशन पोषण 2.0 और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) दो ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्होंने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर यह जानकारी दी।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के बारे में:

- 2017 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृत्व लाभ योजना है, जिसका उद्देश्य प्रसव और शिशु देखभाल के दौरान होने वाले वेतन हानि (wage loss) की आंशिक भरपाई करना है। इस योजना ने अब तक 4.05 करोड़ से अधिक महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसवोत्तर देखभाल के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान कर सकारात्मक प्रभाव डाला है।
- **योजना के अंतर्गत:**
  - » पात्र गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को ₹5,000 की नकद प्रोत्साहन राशि तीन किस्तों में दी जाती है।
  - » यह गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण (early registration), गर्भावस्था पूर्व स्वास्थ्य जांच (antenatal check-ups) तथा संस्थागत प्रसव (institutional deliveries) को प्रोत्साहित करती है।

मिशन पोषण 2.0 के बारे में:

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया मिशन पोषण 2.0 कुपोषण की चुनौती को समग्र दृष्टिकोण (holistic manner) से संबोधित करने का प्रयास है। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरी बालिका योजना जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत (subsumed) कर एक समेकित ढांचा तैयार किया गया है।
- **जुलाई 2025 तक:**
  - » 72.22 लाख गर्भवती महिलाएं पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker) पर सक्रिय रूप से लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हैं।
  - » पूरक पोषण (Supplementary Nutrition) के रूप में 600 कैलोरी और 18–20 ग्राम प्रोटीन युक्त टेक-होम राशन (THR) वर्ष में अधिकतम 300 दिनों तक प्रदान किया जाता है।
- सेवाओं का विस्तार 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं और 14–18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं तक है, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में।

अन्य उपाय:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम):** मातृ स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने व्यापक योजनाएं लागू की हैं:
  - » सुमन कार्यक्रम प्रत्येक महिला के लिए सम्मानजनक, शून्य-लागत, गुणवत्तापूर्ण मातृ देखभाल सुनिश्चित करता है।
  - » जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) निःशुल्क प्रसव , निदान, दवाइयां, रक्त और परिवहन की सुविधा प्रदान करता

है।

- » प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क गर्भावस्था पूर्व स्वास्थ्य जांच (Antenatal Check-up) की सुविधा प्रदान की जाती है।
- » विस्तारित PMSMA के तहत उच्च-जोखिम वाली गर्भावस्थाओं (high-risk pregnancies) की ट्रैकिंग और आशा कार्यकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन।
- » आयरन एवं फोलिक एसिड (IFA) का पूरक सेवन तथा कृमिनाशक दवा से गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की दर कम होती है और जन्म के समय तथा गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं की संभावना घटती है।

- **पोषण ट्रैकर:**
  - » मार्च 2021 में प्रारंभ किया गया पोषण ट्रैकर एक डिजिटल सुशासन उपकरण है, जो आंगनवाड़ी सेवाओं की मॉनिटरिंग करता है। यह पोषण, वृद्धि निगरानी, टेक-होम राशन (THR) वितरण और उपस्थिति का रियल-टाइम डेटा एकत्र करता है।
  - » जुलाई 2025 से, टेक-होम राशन वितरण के लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) अनिवार्य कर दिया गया है।

निष्कर्ष :

भारत की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार के लिए एकीकृत प्रयास मिशन पोषण 2.0, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) जैसी पहलों के माध्यम से किए जा रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सेवा प्रदायगी को सशक्त बनाया जा रहा है और जवाबदेही बढ़ाई जा रही है।

भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेष

संदर्भ:

हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों को 127 वर्षों बाद हांगकांग से पुनः प्राप्त कर भारत वापस लाया गया। यह भारत सरकार और गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह के संयुक्त प्रयास का परिणाम है, जो भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

बुद्ध के पिपरहवा अवशेष:

- पिपरहवा अवशेष भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेषों से जुड़े माने जाते हैं। माना जाता है कि इन्हें तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उनके अनुयायियों ने प्रतिष्ठित किया था।
- इन अवशेषों में शामिल एक ताबूत पर अंकित ब्राह्मी लिपि का शिलालेख यह पुष्टि करता है कि ये भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेष हैं, जिन्हें शाक्य वंश द्वारा संरक्षित किया गया था।
- इनमें अस्थि-खंड, सोपस्टोन और क्रिस्टल के ताबूत, बलुआ पत्थर का संदूक, तथा सोने के आभूषण और रत्न जैसे चढ़ावे शामिल हैं।
- इन अवशेषों की खोज 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने उत्तर प्रदेश के पिपरहवा (लुम्बिनी के ठीक दक्षिण) में की।
- ब्रिटिश शासन ने 1878 के भारतीय खजाना अधिनियम के तहत इन पर दावा किया और अस्थियों व राख के कुछ हिस्सों को सियाम (वर्तमान थाईलैंड) के राजा चुलालोंगकोर्न को भेंट कर दिया।
- बौद्ध धर्म में इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है और इनका दुनिया भर में सम्मान किया जाता है। इनका भारत लौटना केवल एक सांस्कृतिक धरोहर की पुनर्प्राप्ति ही नहीं, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं और उनके जन्मभूमि के बीच आध्यात्मिक बंधन का नवीनीकरण भी है।
- इन अवशेषों का अधिकांश भाग 1899 में भारतीय संग्रहालय, कोलकाता में स्थानांतरित किया गया और भारतीय कानून के तहत इन्हें 'A.A. पुरावशेष' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे इनके हटाने या बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।

सांस्कृतिक कूटनीति का एक आदर्श:

- पिपरहवा अवशेषों की सफल वापसी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग की एक महत्वपूर्ण मिसाल है। यह उदाहरण दर्शाता है कि सार्वजनिक एवं निजी संस्थान किस प्रकार वैश्विक विरासत के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति के लिए एकजुट हो सकते हैं। सांस्कृतिक कूटनीति का यह प्रयास भारत सरकार की उस नीति के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत भारत अपनी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों को पुनः प्राप्त कर रहा है और शांति एवं विरासत के वैश्विक संरक्षक के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है।

निष्कर्ष:

पिपरहवा अवशेषों की भारत वापसी, देश द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्राप्त करने और संरक्षित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह प्राचीन सभ्यताओं की विरासत के संरक्षण में सांस्कृतिक कूटनीति, कॉर्पोरेट भागीदारी और सरकारी हस्तक्षेप के महत्व पर प्रकाश डालता

है। यह वापसी न केवल विरासत के वैश्विक संरक्षक के रूप में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करती है, बल्कि शांति, करुणा और आध्यात्मिक ज्ञान के उन शाश्वत मूल्यों की भी पुनः पुष्टि करती है, जिन्हें भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ निरंतर विश्व को प्रदान करती रही हैं।

यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के लिए सारनाथ का नामांकन

संदर्भ:

हाल ही में प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को 2025-26 चक्र के लिए भारत की ओर से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में औपचारिक रूप से नामांकित किया गया है। यह नामांकन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत किया गया।

सारनाथ के विषय में:

- उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास स्थित, सारनाथ ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है।
- सारनाथ वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जिससे यह बौद्ध जगत में एक केंद्रीय स्थान बन गया। यह लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर के साथ बौद्ध धर्म के चार सबसे पवित्र स्थलों में से एक है।
- सारनाथ की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
  - » लगभग 500 ईस्वी में निर्मित धमेख स्तूप, जो बुद्ध के प्रथम उपदेश से जुड़ा हुआ एक प्रमुख स्मारक है।
  - » सिंह-शीर्ष युक्त अशोक स्तंभ, जिसे भारत ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है।
  - » मौर्य से लेकर गुप्त काल तक निर्मित प्राचीन विहारों और मंदिरों के अवशेष, जो उस काल की स्थापत्य और धार्मिक परंपराओं का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।
- सारनाथ का यह नामांकन वैश्विक मंच पर भारत द्वारा अपनी समृद्ध मूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन हेतु किए जा रहे सतत प्रयासों को दर्शाता है।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के विषय में:

- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site - WHS) ऐसे स्थल होते हैं जिन्हें उनके 'उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य' (Outstanding Universal Value) के लिए मान्यता दी जाती है। ये स्थल मानवता के लिए सांस्कृतिक, प्राकृतिक या मिश्रित महत्व को दर्शाते हैं।
- इन्हें 1972 में अंगीकृत 'विश्व धरोहर सम्मेलन' (World Heritage Convention) के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है, जो 1975 से प्रभाव में आया। भारत ने इस सम्मेलन का अनुसमर्थन वर्ष 1977 में किया था।
- **विश्व धरोहर समिति (WHS) तीन श्रेणियों में आती है:**
  - » सांस्कृतिक - स्मारक, इमारतों के समूह, पुरातात्विक स्थल
  - » प्राकृतिक - प्राकृतिक विशेषताएँ, भूवैज्ञानिक संरचनाएँ, पारिस्थितिक तंत्र
  - » मिश्रित - सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों महत्व
- **चयन मानदंड:** योग्यता प्राप्त करने के लिए, किसी स्थल को दस मानदंडों में से कम से कम एक मानदंड पूरा करना होगा, जिनमें शामिल हैं:
  - » मानव रचनात्मक प्रतिभा का प्रतिनिधित्व
  - » ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व प्रदर्शित करना
  - » पारिस्थितिक या भूवैज्ञानिक महत्व प्रदर्शित करना
  - » असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य या जैव विविधता युक्त होना
  - » अन्य कारकों में प्रामाणिकता, संरक्षण, प्रबंधन और अखंडता शामिल हैं।

विश्व धरोहर समिति (WHC) के बारे में:

- विश्व धरोहर समिति (WHC), जिसमें सदस्य राष्ट्र (भारत सहित) शामिल हैं, इस सूची का प्रबंधन करती है। यह स्थलों को जोड़ने, संशोधित करने या सूची से हटाने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करती है और संकटग्रस्त स्थलों को विश्व धरोहर सूची में भी डाल सकती है।
- भारत ने नई दिल्ली (जुलाई 2024) में 46वें विश्व धरोहर स्थल सम्मेलन की मेजबानी की। इस अवसर पर, अहोम राजवंश के

'मोइदम' को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया।

- विश्व धरोहर कोष (स्था. 1977) सदस्य देशों और निजी दाताओं के योगदान के माध्यम से संरक्षण प्रयासों का समर्थन करता है।

निष्कर्ष:

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त होने से न केवल सारनाथ की वैश्विक पहचान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, बल्कि यह सांस्कृतिक कूटनीति एवं पर्यटन विकास को भी सशक्त बनाएगा। यह पहल भारत द्वारा अपने ऐतिहासिक, आध्यात्मिक एवं स्थापत्य महत्व वाले स्थलों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने एवं संरक्षित करने के सतत प्रयासों के अनुरूप है।

धीरियो

संदर्भ:

हाल ही में गोवा विधानसभा के सत्र में विभिन्न दलों के कई विधायकों ने गोवा में पारंपरिक बैल लड़ाई की प्रथा (धीरियो) को वैध बनाने की मांग की है।

धीरियो के विषय में:

- धीरी या धीरियो गोवा की एक पारंपरिक बैल-लड़ाई है, जिसमें दो बैल खुले मैदानों या धान के खेतों में आपस में भिड़ते हैं। स्पेनिश बैल-लड़ाई के विपरीत, इसमें मैटाडोर या बैल की हत्या शामिल नहीं होती।
- प्रतियोगिता तब समाप्त हो जाती है जब कोई एक बैल पीछे हट जाता है या मैदान छोड़ देता है।
- बैलों को इस प्रकार की लड़ाइयों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और तैयार किया जाता है। इन्हें अक्सर "टायसन" या "रैम्बो" जैसे नाम दिए जाते हैं और स्थानीय समुदाय उन्हें किसी सेलिब्रिटी की तरह सम्मान और श्रद्धा देता है।

सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व:

- ऐतिहासिक रूप से, धीरी का संबंध फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाले उत्सवों और चर्च के समारोहों से रहा है। इसे केवल एक खेल के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है, जो गाँव के गौरव और एकता को बढ़ावा देता है।
- इन आयोजनों के दौरान उत्सव भी मनाए जाते हैं, और इनके विषय में चर्चाएँ कई दिनों तक चलती रहती हैं।
- यह परंपरा गोवा के प्रवासी समुदाय को भी आकर्षित करती है, जिनमें से कई विदेशों से इन लड़ाइयों पर सट्टा लगाते हैं, जिससे यह एक सामाजिक-आर्थिक सूक्ष्म जगत बन जाता है, जिसकी सांस्कृतिक जड़ें गहरी और मज़बूत हैं।

कानूनी और नैतिक चिंताएँ:

- गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 1996 में एक घातक घटना के बाद, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के उल्लंघन के आधार पर धीरियो पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- यह अधिनियम जानवरों को लड़ाई के लिए उकसाने पर प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध के बावजूद, ये लड़ाइयाँ अवैध रूप से जारी रहती हैं, जिनमें अक्सर उच्च-दांव वाली सट्टेबाजी भी होती है।
- पशु अधिकार कार्यकर्ता इस प्रथा को वैध बनाने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि इसमें जानबूझकर जानवरों को उकसाया जाता है, जिससे उन्हें चोट पहुँचती है या उनकी मृत्यु हो जाती है।
- पेटा जैसे संगठन बैलों को होने वाले मनोवैज्ञानिक आघात और शारीरिक नुकसान पर प्रकाश डालते हैं, और उस समाज की नैतिक दिशा पर सवाल उठाते हैं जो पशु हिंसा के माध्यम से अपना मनोरंजन करता है।

वैधीकरण के पक्ष में तर्क:

- विधायक और सांस्कृतिक समर्थक कई तर्क प्रस्तुत करते हैं:
  - » **सांस्कृतिक निरंतरता:** धीरियो को गोवा की पहचान से जुड़ी एक सदियों पुरानी परंपरा माना जाता है।
  - » **विनियमित खेल:** मुक्केबाजी की तरह, बैल-लड़ाई को भी विनियमित किया जा सकता है, जिसमें गंभीर चोटों से बचाव के लिए सींगों पर ढक्कन लगाने जैसे सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
  - » **पर्यटन और राजस्व:** वैधीकरण धीरियो को एक पर्यटक आकर्षण में बदल सकता है, जिससे ग्रामीण आजीविका और कृषि-पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
  - » **तमिलनाडु का उदाहरण:** जल्लीकट्टू को राज्य-विशिष्ट संशोधन के जरिए कानूनी संरक्षण मिला है, जो एक सफल उदाहरण हो सकता है।

निष्कर्ष:

गोवा में बैल-लड़ाई को वैध बनाने की मांग संस्कृति, कानूनी वैधता, नैतिकता और सार्वजनिक नीति के एक संवेदनशील अंतर्संबंध को दर्शाती

है। परंपराओं को संवैधानिक नैतिकता के साथ संतुलित करते हुए, कानून निर्माण में संवेदनशीलता, समावेशन और दूरदर्शिता आवश्यक है।

हुमायूँ का मकबरा

संदर्भ:

हाल ही में दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में स्थित पट्टे शाह दरगाह (दरगाह मस्जिद पट्टावाली) में भारी वर्षा के कारण दीवार एवं छत का एक हिस्सा ढह गया, जिसके परिणामस्वरूप जानमाल की हानि भी हुई। यह संरचना हुमायूँ के मकबरे के विश्व धरोहर स्थल के समीप स्थित है, किंतु यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिसूचित संरक्षित स्मारकों की सूची में सम्मिलित नहीं है।

हुमायूँ के मकबरे के विषय में:

- 1570 में निर्मित हुमायूँ का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला प्रमुख उद्यान-मकबरा (Garden Tomb) है तथा ताजमहल का एक महत्त्वपूर्ण पूर्ववर्ती (Precursor) माना जाता है।
- इसे हुमायूँ की पहली पत्नी, महारानी बेगा बेगम (हाजी बेगम) ने बनवाया था, तथा फ़ारसी वास्तुकार मीराक मिर्ज़ा गयास और सैय्यद मुहम्मद ने डिज़ाइन किया था।
- इसकी संरचना में चारबाग (चार-चौथाई) उद्यान, संगमरमर से मढ़ा दोहरा गुंबद और ऊँचा चबूतरा शामिल है—ये सभी मुग़ल अंत्येष्टि वास्तुकला (Mughal Funerary Architecture) की प्रमुख विशेषताएँ हैं।
- इस मकबरे में 150 से अधिक मुग़ल शाही परिवार के सदस्यों के अवशेष विद्यमान हैं, जिस कारण इसे प्रायः "मुगलों का शयनागार" कहा जाता है।
- 1993 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और आगा खान ट्रस्ट फ़ॉर कल्चर द्वारा व्यापक जीर्णोद्धार किया गया, जो ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता हैं।

हुमायूँ के विषय में:

- **राज्यारोहण एवं प्रारंभिक चुनौतियाँ:**
  - 1530 ई. में बाबर की मृत्यु के पश्चात् उनके ज्येष्ठ पुत्र हुमायूँ ने मुग़ल शासन संभाला।
  - उनके शासनकाल की शुरुआत प्रशासनिक कमज़ोरी, वित्तीय संकट और सामंती विद्रोहों से घिरी रही।
  - 1532 में चुनार की घेराबंदी में विजय उनकी प्रारंभिक उपलब्धियों में गिनी जाती है।
- **पराजय और निर्वासन:**
  - **चौसा का युद्ध (1539):** शेरशाह सूरी से पराजित; जीवन बड़ी कठिनाई से बचा।
  - **कन्नौज/बिलग्राम का युद्ध (1540):** निर्णायक पराजय ने उन्हें 15 वर्षों के निर्वासन के लिए विवश किया।
  - फ़ारस से प्राप्त समर्थन के आधार पर 1545 में कंधार और काबुल पर पुनः अधिकार किया तथा 1555 में दिल्ली की पुनः प्राप्ति की।
- **फ़ारसी प्रभाव और प्रशासनिक सुधार:**
  - निर्वासन काल में फ़ारसी संस्कृति और प्रशासन से गहरा प्रभाव ग्रहण किया।
  - दरबारी शिष्टाचार, राजस्व प्रथाओं एवं संगठनात्मक ढाँचे में फ़ारसी परंपराओं को सम्मिलित किया।
  - कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी फ़ारसी शैली को भारतीय संदर्भ में ढाला।
  - दीनपनाह (शरण नगर) की स्थापना तथा जमाली मस्जिद का निर्माण उनके प्रशासनिक और धार्मिक संरक्षण को दर्शाता है।
- **स्थापत्य विरासत:**
  - **हुमायूँ का मकबरा (1570):** उनकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा निर्मित।
  - भारतीय उपमहाद्वीप का पहला भव्य उद्यान-मकबरा।
  - इसमें चारबाग योजना, ऊँचा चबूतरा, तथा संगमरमर से मढ़ा दोहरा गुंबद जैसे स्थापत्य तत्त्व शामिल हैं। बाद की मुग़ल वास्तुकला, विशेषकर ताजमहल, का प्रेरणास्रोत बना।
- **सांस्कृतिक योगदान:**
  - फ़ारसी चित्रकार मीर सैय्यद अली और अब्दल समद को संरक्षण प्रदान किया, इससे मुग़ल लघु चित्रकला की नींव पड़ी।
  - निगार खाना (चित्रकला का घर) की स्थापना की तथा हमज़ा-नामा चित्रण परियोजना शुरू की।
  - उनकी बहन गुलबदन बेगम की रचना हुमायूँ-नामा मुग़ल दरबार और समकालीन समाज पर महिला दृष्टिकोण से एक अद्वितीय ऐतिहासिक स्रोत है।

निष्कर्ष:

हुमायूँ का मकबरा एक महत्वपूर्ण मुग़ल वास्तुकला है, जिसमें फ़ारसी

और भारतीय शैलियों का सम्मिश्रण है और ताजमहल जैसे स्मारकों का मार्ग प्रशस्त हुआ। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में, यह सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक विरासत मूल्य दोनों का प्रतीक है। हाल ही में पास में हुआ विध्वंस ऐतिहासिक संरचनाओं की नाजुकता को उजागर करता है और भारत की स्थापत्य विरासत की रक्षा के लिए न केवल संरक्षित स्मारकों, बल्कि आसपास के विरासत स्थलों के भी सतर्क संरक्षण की आवश्यकता को पुष्ट करता है।

व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा, 2025

संदर्भ:

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा (CMS:E), 2025 जारी किया है। यह सर्वेक्षण भारत में स्कूली शिक्षा से जुड़ी पारिवारिक व्यय संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

मुख्य निष्कर्ष:

- **सरकारी स्कूलों की प्रधानता:** कुल नामांकनों में 55.9% छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात अधिक (66%) है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम (30.1%) है।
- **व्यय का पैटर्न:** सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च ₹2,863 है, जबकि निजी (गैर-सरकारी) स्कूलों में यह खर्च लगभग दस गुना अधिक ₹25,002 तक पहुँच जाता है।
- **निजी कोचिंग पर निर्भरता:** लगभग एक-तिहाई छात्र (27%) निजी कोचिंग का सहारा लेते हैं। इसमें शहरी छात्रों का प्रतिशत (30.7%) ग्रामीण छात्रों (25.5%) की तुलना में अधिक है।
- **शिक्षा के वित्तीय स्रोत:** 95% छात्रों की शिक्षा का प्रमुख खर्च परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा वहन किया जाता है, जबकि केवल 1.2% छात्रों को ही सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हुआ।

खर्च में असमानताएँ:

- **शहरी बनाम ग्रामीण खर्च:** शहरी परिवार कोर्स फीस पर औसतन ₹15,143 खर्च करते हैं, जबकि ग्रामीण परिवारों का यह खर्च मात्र ₹3,979 है।
- **प्राइवेट कोचिंग का खर्च:** शहरी परिवार कोचिंग पर लगभग दोगुना (₹3,988) खर्च करते हैं, जबकि ग्रामीण परिवार औसतन ₹1,793 खर्च करते हैं।

निहितार्थ:

- **नीतिगत प्रभाव:** सर्वेक्षण के निष्कर्ष शिक्षा नीति निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये विशेष रूप से इस बात को रेखांकित करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा पर होने वाले खर्च की असमानताओं को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
- **सरकारी पहल:** सरकार को ऐसी नीतियाँ और कार्यक्रम लागू करने होंगे जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा खर्च और गुणवत्ता के अंतर को कम करें तथा सभी बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराएँ।

THE RURAL-URBAN DIVIDE

Comprehensive Modular Survey: Education, 2025 (April – June, 2025)

Education Spending Snapshot: CMS Survey 2025

Indicator	Rural India	Urban India	All-India (Average)
Enrolment in govt schools	66.00%	30.10%	55.90%
Enrolment in private unaided schools	24.30%	51.40%	31.90%
Average annual course fee expenditure (per student)	₹3,979	₹15,143	₹7,111
Average annual household expenditure per student in govt schools	₹2,639	₹4,128	₹2,863
Average annual household expenditure per student in non-govt schools	₹19,554	₹31,782	₹25,002
Students paying course fees	25.3% (govt schools)	98% (urban unaided school)	26.7% (govt)/ 95.7% (non-govt)
Students taking private coaching	25.50%	30.70%	27.00%
Average annual coaching spend	₹1,793	₹3,988	₹2,409
Coaching spend at higher secondary	₹4,548	₹9,950	₹6,384
Funding source: household members	95.30%	94.40%	95.00%
Funding source: govt scholarships	1.40%	0.90%	1.20%

भारत में स्कूली शिक्षा से जुड़ी प्रमुख पहल और कार्यक्रम:

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020**
  - » स्कूल एवं उच्च शिक्षा सुधार की मूलभूत नीति।
  - » लचीलापन, दक्षता-आधारित शिक्षा और गुणवत्ता सुधार को प्रोत्साहित करती है।
- **पीएम-श्री स्कूल (Schools for Rising India)**
  - » केंद्र प्रायोजित योजना।
  - » 14,500 आदर्श विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य, ताकि NEP 2020 के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन प्रदर्शित किया जा सके।
- **निपुण भारत मिशन**
  - » समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शुरू की गई पहल।
  - » उद्देश्य: वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक दक्षता (Foundational Literacy and Numeracy – FLN) सुनिश्चित करना।
- **दीक्षा (DIKSHA – Digital Infrastructure for**

Knowledge Sharing)

» एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच, जिसके अंतर्गत:
   - शिक्षकों का प्रशिक्षण (जैसे निष्ठा कार्यक्रम)।
   - ई-कॉन्टेंट उपलब्धता, विशेष रूप से FLN से जुड़े मॉड्यूल पर जोर।

- **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF)**
  » पाठ्यक्रम का पुनर्निर्माण, जिसका उद्देश्य:
   - अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना।
   - दक्षता-आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करना।
   - NEP 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराना।
- **पीएम ई-विद्या**
  » डिजिटल एवं ऑनलाइन शिक्षा प्रयासों का एकीकृत मंच।
  » बहु-माध्यमिक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु:
   - डीटीएच टीवी चैनल,
   - रेडियो,
   - आईसीटी लैब तथा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग।
- **उल्लास (Understanding of Lifelong Learning for All in Society)**
  » नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित पहल।
  » उद्देश्य: जीवनभर सीखने की परंपरा को बढ़ावा देना और वयस्क साक्षरता सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

यह सर्वेक्षण भारत में स्कूली शिक्षा से जुड़े वित्तीय पहलुओं की एक स्पष्ट और व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों पर अधिक निर्भरता और वहाँ अपेक्षाकृत कम खर्च यह दर्शाता है कि समानता और शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने में सार्वजनिक शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं, निजी कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा पर अत्यधिक खर्च इस ओर संकेत करता है कि शिक्षा व्यवस्था में असमानता और निजीकरण की प्रवृत्ति लगातार गहराती जा रही है।

फोर्टिफाइड चावल योजना का विस्तार

संदर्भ:

हाल ही में भारत सरकार ने सार्वभौमिक फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है। इस विस्तार के लिए 17,082 करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है। यह योजना विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की व्यापक कमी, विशेषकर एनीमिया से निपटने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण पहल है। चावल फोर्टिफिकेशन पहल की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। मार्च 2024 तक, खाद्य सुरक्षा संबंधी सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत वितरित कस्टम-मिल्ड चावल को फोर्टिफाइड चावल से प्रतिस्थापित कर दिया गया।

उद्देश्य और लाभ:

- **पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना:** जनसंख्या में एनीमिया तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को प्रभावी रूप से कम करना।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार:** जनसंख्या के पोषण स्तर एवं समग्र स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाना।
- **कमजोर वर्गों का समर्थन:** वंचित वर्गों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

फोर्टिफाइड चावल के विषय में:

- फोर्टिफाइड चावल वह चावल होता है जिसे आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से संवर्धित किया गया होता है। यह उन लोगों के लिए, जिनका मुख्य आहार चावल है, आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान कर कुपोषण, विशेषकर एनीमिया, से निपटने की एक प्रभावी रणनीति है। फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में सामान्य चावल में फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स (FRK) को लगभग 1:100 के अनुपात में मिलाया जाता है।
- फोर्टिफाइड चावल का वितरण पीएम पोषण योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) तथा एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) जैसे प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है।

योजना के विस्तार के कारण:

- भारत में एनीमिया की दर विश्व में सबसे अधिक है, विशेषकर महिलाओं, किशोरियों और बच्चों में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5, 2019–21) के अनुसार, 57% से अधिक महिलाएं और पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 67% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जिसे "छिपी हुई भूख" (Hidden Hunger) कहा जाता है, के कारण संज्ञानात्मक विकास में बाधा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी तथा मातृत्व संबंधी जटिलताएं उत्पन्न

होती हैं। आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 से समृद्ध फोर्टिफाइड चावल इस कमी को बड़े पैमाने पर दूर करने में सहायक है।

- भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या, विशेषकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पर निर्भर परिवार, प्रतिदिन चावल का उपभोग करती है। पहले से मौजूद वितरण नेटवर्क—जैसे पीडीएस, पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन योजना) और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS)—के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल का वितरण इसकी व्यापक पहुँच और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है।
- यह पहल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 47 के अनुरूप है, जो नागरिकों के पोषण, जीवन स्तर और स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य को प्रयास करने का निर्देश देता है।

कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न योजनाएँ:

- भारत सरकार की कई योजनाएँ और पहल कुपोषण, खासकर बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में, को दूर करने पर केंद्रित हैं:
  - **पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) / मिशन पोषण 2.0:** 2018 में शुरू यह बहु-मंत्रालयी मिशन किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-6 वर्ष के बच्चों की पोषण स्थिति सुधारने का लक्ष्य रखता है। इसका उद्देश्य बौनापन, कम वजन, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना है।
  - **एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना:** यह योजना आंगनवाड़ी सेवाओं के माध्यम से बच्चों और माताओं को पूरक पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। इसके तहत किशोरियों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन भी दिया जाता है।
  - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013:** यह अधिनियम व्यापक स्तर पर रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराता है और पीएम पोषण तथा ICDS जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं व बच्चों को पोषण सहायता एवं मातृत्व लाभ प्रदान करता है।
  - **पीएम पोषण योजना:** पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जानी जाने वाली इस योजना का उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों की पोषण स्थिति और स्कूल उपस्थिति में सुधार लाना है।

निष्कर्ष:

सार्वभौमिक फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना का विस्तार भारत में कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपने व्यापक कवरेज और पोषण संबंधी लाभों के साथ, इस पहल में सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार लाने और कमजोर आबादी को सहायता प्रदान करने की क्षमता है।

खुले में शौच पर डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की रिपोर्ट

संदर्भ:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूनिसेफ (UNICEF) की संयुक्त निगरानी योजना (JMP) ने 24–28 अगस्त 2025 को आयोजित वर्ल्ड वॉटर वीक के दौरान "प्रोग्रेस ऑन हाउसहोल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनीटेशन 2000–2024: स्पेशल फोकस ऑन इनइक्वैलिटीज़" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि कम-आय वाले देशों में खुले में शौच की समस्या अभी भी वैश्विक औसत से कई गुना अधिक बनी हुई है। यह स्थिति 2030 तक सतत विकास लक्ष्य-6 (SDG-6) अर्थात "सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता" हासिल करने के प्रयासों के लिए गंभीर चुनौती बन रही है।

रिपोर्ट की प्रमुख बातें:

- **खुले में शौच:**
  - कम-आय वाले देशों में खुले में शौच की दर अब भी वैश्विक औसत से चार गुना अधिक है।
  - यही वह आय वर्ग है जो 2030 तक इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं है।
- **स्वच्छता में प्रगति:**
  - वैश्विक स्तर पर सुरक्षित शौचालयों तक पहुंच 2015 के 48% से बढ़कर 2024 में 58% हो गई।
  - इस अवधि में लगभग 1.2 अरब लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय की सुविधा प्राप्त हुई।
- **पेयजल तक पहुंच:**
  - 2015 से 2024 के बीच सुरक्षित पेयजल की वैश्विक पहुंच 68% से बढ़कर 74% हो गई।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में यह 50% से बढ़कर 60% हुई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 83% पर स्थिर रही।

- **असमानताएं:** पानी और स्वच्छता सेवाओं की उपलब्धता में गहरी असमानताएं अब भी मौजूद हैं:
  - » शहर और गाँव के बीच का अंतर
  - » विभिन्न आय वर्गों के बीच असमानता
  - » जातीय अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदायों की स्थिति
  - » विकलांग व्यक्तियों की चुनौतियाँ
  - » इसके अतिरिक्त, महिलाओं और लड़कियों पर पानी भरकर लाने का बोझ असमान रूप से अधिक पड़ता है।
- **मासिक धर्म स्वास्थ:**
  - » 70 देशों में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि सभी आय वर्गों की महिलाएँ अब भी मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं।
- **आवश्यक कदम:**
  - » कम-आय वाले देशों को पानी तक पहुंच में 7 गुना तेजी और स्वच्छता व स्वच्छता सेवाओं में 18 गुना अधिक प्रगति की आवश्यकता है।
  - » निम्न-मध्य आय वाले देशों को अपनी वर्तमान प्रगति की गति को कम-से-कम दोगुना करना होगा।

परिणाम:

- **जनस्वास्थ्य पर खतरे:**
  - » खुले में शौच से पानी प्रदूषित होता है, जिससे दस्त, डायरिया जैसी बीमारियां और बच्चों की मृत्यु बढ़ती है।
  - » यह पोषण और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डालता है।
- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:**
  - » संयुक्त राष्ट्र ने पानी और स्वच्छता तक पहुंच को मौलिक मानवाधिकार माना है।
  - » लगातार बनी असमानताएं सामाजिक बहिष्कार और अन्याय को और गहरा करती हैं।
- **लैंगिक और शैक्षिक असर:**
  - » शौचालय और मासिक धर्म स्वच्छता की कमी से लड़कियों की स्कूल उपस्थिति प्रभावित होती है।
  - » पानी लाने का बोझ महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार के अवसरों को सीमित करता है।
- **सतत विकास लक्ष्यों पर असर (SDG Setbacks):**
  - » खुले में शौच खत्म न कर पाना सिर्फ SDG 6 को ही नहीं, बल्कि SDG 1 (गरीबी खत्म करना), SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य), SDG 5 (लैंगिक समानता), और SDG 10 (असमानता घटाना) की प्रगति को प्रभावित करती है।

निष्कर्ष:

यह रिपोर्ट बताती है कि पानी और स्वच्छता के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन असमानता अब भी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। विशेषकर कम-आय और हाशिए पर रहने वाले क्षेत्रों में बदलाव की गति पर्याप्त नहीं है। 2030 तक सभी को पानी और स्वच्छता (WASH) उपलब्ध कराने के लिए देशों को चाहिए कि:

- सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाली आबादी को नीतियों और फंडिंग में प्राथमिकता दिया जाये।
- स्थानीय स्तर पर सटीक डेटा इकट्ठा करें ताकि उपेक्षित समुदायों की जरूरतें पहचानी जा सकें।
- स्वच्छता ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर), व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमों और कम्युनिटी-लेड टोटल सैनीटेशन (CLTS) जैसी पहलों में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाये।

महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक (एनएआरआई) 2025

संदर्भ:

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक (एनएआरआई) 2025 जारी किया है। यह रिपोर्ट पी-वैल्यू एनालिटिक्स द्वारा तैयार की गई तथा ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड अकैडेमिशियन्स (GIA) द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें देशभर के सभी राज्यों को शामिल करते हुए 31 शहरों की 12,770 महिलाओं के अनुभवों और धारणाओं के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- **सबसे सुरक्षित शहर:** कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई
- **सबसे असुरक्षित शहर:** पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची
- **राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर:** 65 प्रतिशत
- **महिलाओं की धारणा:** 60% महिलाओं ने स्वयं को सुरक्षित महसूस किया, जबकि 40% ने “कम सुरक्षित” या असुरक्षित बताया।

- **2024 में उत्पीड़न की घटनाएँ:** कुल 7% महिलाओं ने उत्पीड़न का सामना किया; 24 वर्ष से कम आयु की महिलाओं में यह प्रतिशत 14% रहा।
- **उत्पीड़न के प्रमुख स्थल:** आवासीय इलाक़े/मोहल्ले (38%) और सार्वजनिक परिवहन (29%) सबसे अधिक असुरक्षित पाए गए।
- **संस्थाओं पर विश्वास:** केवल 25% महिलाओं को विश्वास है कि शिकायत दर्ज होने पर प्रभावी समाधान मिलेगा।
- **शिकायत दर्ज करने की स्थिति:** हर 3 में से 1 महिला ने उत्पीड़न की शिकायत की, लेकिन दर्ज मामलों में केवल 16% पर ही ठोस कार्रवाई हुई।
- **कार्यस्थल पर सुरक्षा:** 91% महिलाओं ने कार्यालय को सुरक्षित माना, लेकिन लगभग आधी महिलाएँ यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) कानून के बारे में अनजान थीं।

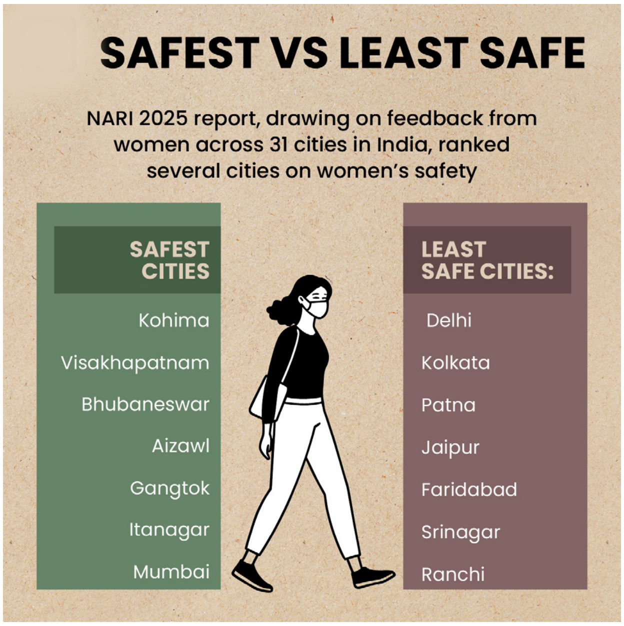

अन्य प्रमुख निष्कर्ष:

- **समय आधारित सुरक्षा:** दिन के समय शैक्षणिक संस्थानों (86%) और कार्यस्थलों (91%) को महिलाएँ सुरक्षित मानती हैं। लेकिन रात होते ही खराब सड़क लाइटिंग और अविश्वसनीय परिवहन के कारण सुरक्षा की भावना में भारी गिरावट आती है।
- **कार्यस्थल पर विरोधाभास:** कार्यालय को सामान्यतः सुरक्षित माना गया, फिर भी यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) कानून के बारे में जागरूकता बहुत सीमित रही। लगभग आधी महिलाएँ इसके बारे में अनभिज्ञ थीं, जो कानून और उसकी जानकारी के बीच गंभीर अंतर को दर्शाता है।
- **आयु-आधारित जोखिम:** युवा महिलाएँ (24 वर्ष से कम आयु) राष्ट्रीय औसत की तुलना में दोगुने उत्पीड़न का शिकार हुईं। उनके लिए कैंपस, हॉस्टल और मनोरंजन स्थल विशेष रूप से अधिक असुरक्षित पाए गए।
- **स्थान आधारित असुरक्षा:** सबसे अधिक असुरक्षित स्थल आवासीय मोहल्ले और आसपास के इलाके (38%) रहे, इसके बाद सार्वजनिक परिवहन (29%)। यह स्थिति शहरी ढाँचे, सड़क नियोजन और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर करती है।
- **विरोध न दर्ज कराने का दुष्चक्र:** तीन में से दो उत्पीड़न की घटनाएँ कभी रिपोर्ट ही नहीं की गईं। जिन मामलों में शिकायत की गई, उनमें केवल 22% औपचारिक रूप से दर्ज हुईं और महज़ 16% मामलों में कार्रवाई हुई। इस कारण महिलाओं का व्यवस्था पर भरोसा लगातार घट रहा है।

संस्थागत और ढाँचागत पहलू:

- रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि महिला सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह एक विकास से जुड़ा मुद्दा है, जो शिक्षा, रोज़गार, आवाजाही और डिजिटल भागीदारी को प्रभावित करता है।
- जिन शहरों में सुरक्षा का स्तर बेहतर रहा, वहाँ पाया गया कि:
  - » पुलिसिंग प्रभावी थी,
  - » शहरी ढाँचा महिलाओं के अनुकूल था
  - » नागरिक सहभागिता अधिक थी
  - » संस्थाएँ संवेदनशील और जवाबदेह थीं।
- वहीं, जिन शहरों का स्कोर कमजोर रहा, वहाँ कारण थे:
  - » पितृसत्तात्मक सोच
  - » खराब शहरी योजना
  - » शिकायत निवारण तंत्र पर अविश्वास।

निष्कर्ष:

महिलाओं की सुरक्षा सतत विकास लक्ष्य (SDG) 5: लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। असुरक्षित वातावरण न केवल महिलाओं की स्वतंत्र आवाजाही को बाधित करता है, बल्कि उनकी आर्थिक भागीदारी और अवसरों तक पहुँच को भी सीमित कर देता है। यह रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि नीति-निर्माण में केवल अपराध संबंधी आँकड़ों (NCRB) पर निर्भर रहने के बजाय महिलाओं के अनुभवों और धारणाओं को भी समान रूप से शामिल किया जाए, ताकि महिला सुरक्षा की एक

व्यापक, यथार्थपरक और समग्र तस्वीर सामने आ सके।

यूडीआईएसई+ रिपोर्ट

संदर्भ:

शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने 28 अगस्त 2025 को यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2024–25 की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में 3 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा नामांकन में लगभग 25 लाख की कमी दर्ज की गई है। यह गिरावट भारत की बुनियादी शिक्षा (Foundational Learning) की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता का विषय बन गई है।

मुख्य निष्कर्ष:

- **प्रारंभिक स्तर पर गिरावट:** आंगनवाड़ी, प्री-स्कूल और कक्षा 1–5 में नामांकन 2023–24 के 12.09 करोड़ से घटकर 2024–25 में 11.84 करोड़ हो गया। यानी लगभग 25 लाख बच्चों की कमी दर्ज हुई।
- **कुल नामांकन में कमी:** कक्षा 1–12 तक का कुल नामांकन 11 लाख घटकर अब 24.69 करोड़ रह गया है। यह 2018–19 के बाद का सबसे कम स्तर है।
- **जनसांख्यिकीय परिवर्तन:** जन्मदर में कमी (कुल प्रजनन दर – TFR अब 1.91) को इस गिरावट का प्रमुख कारण माना जा रहा है।
- **विपरीत प्रवृत्ति:** मध्य स्तर (कक्षा 6–8) में 6 लाख और माध्यमिक स्तर (कक्षा 9–12) में 8 लाख छात्रों की वृद्धि दर्ज हुई है।
- **ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER):** सभी स्तरों पर सुधार दिखा है, साथ ही ड्रॉपआउट दर में कमी आई है।
- **शिक्षक–छात्र अनुपात:** 2014–15 की तुलना में सभी स्तरों पर उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

नामांकन में गिरावट के कारण:

- रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की संख्या घटने का मुख्य कारण जन्मदर में कमी है। भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) वर्ष 2021 में घटकर प्रति महिला 1.91 हो गई, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) से नीचे है।
- साथ ही, बड़ी संख्या में बच्चे प्री-प्राइमरी की स्वतंत्र निजी संस्थाओं (standalone private institutions) में पढ़ रहे हैं। इस कारण सरकारी आँकड़ों और आधिकारिक रिपोर्ट में नामांकन कम दिखाई दे रहा है।

सकारात्मक पहलू:

- शिक्षक–छात्र अनुपात में सुधार हुआ है। प्रारंभिक स्तर पर हर 10 बच्चों पर 1 शिक्षक और मध्य स्तर पर हर 17 बच्चों पर 1 शिक्षक मौजूद है।
- ड्रॉपआउट दर सभी स्तरों पर कम हुई है। खासकर माध्यमिक स्तर पर यह 10.9% से घटकर 8.2% रह गई है।

UDISE+ रिपोर्ट के बारे में:

- यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट है, जो भारत की शिक्षा प्रणाली का विस्तृत, स्कूल-स्तरीय डेटा उपलब्ध कराती है।
- इसमें नामांकन, स्कूल का ढांचा, शिक्षक–छात्र अनुपात और छात्रों की सामाजिक–जनसांख्यिकीय जानकारी (जैसे लिंग, जाति: एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक) शामिल होती है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को ध्यान में रखते हुए इसमें अब डिजिटल लर्निंग, सहपाठी बातचीत (peer interaction) और इंटरनेट की उपलब्धता से जुड़े नए आंकड़े भी शामिल किए जाते हैं।
- भारतभर के स्कूल ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए स्वेच्छा से अपने आँकड़े अपलोड करते हैं।

निष्कर्ष:

UDISE+ 2024–25 रिपोर्ट एक मिश्रित तस्वीर पेश करती है। सकारात्मक पहलुओं में बच्चों की रुकावट (retention) में सुधार और शिक्षक–छात्र अनुपात में उल्लेखनीय प्रगति शामिल है। लेकिन इसके साथ ही प्रारंभिक कक्षाओं में नामांकन में आई गंभीर गिरावट चिंता का विषय है। ऐसे में नीति-निर्माताओं के लिए आवश्यक है कि वे दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का गहराई से अध्ययन करें, प्री-प्राइमरी शिक्षा में समान भागीदारी (inclusivity) सुनिश्चित करें और ऐसी ठोस रणनीतियाँ विकसित करें जिससे हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा उपलब्ध हो सके, विशेष रूप से उस समय, जब भारत 2026 की नई जनगणना की तैयारी कर रहा है।

2 राजव्यवस्था एवं शासन

भारत में कानूनी आधुनिकीकरणः अति-अपराधीकरण को कम करने में जन विश्वास 2.0 विधेयक की भूमिका

परिचयः

वर्षों से भारत की कानूनी और विनियामक प्रणाली में ऐसे अनेक नियम जुड़ते चले गए जो आपराधिक कानून के वास्तविक उद्देश्य से कहीं आगे बढ़कर भटक जाते हैं। इनमें से कई प्रावधान शतको पहले, एक बिल्कुल अलग सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य में लिखे गए थे। आज ये अक्सर पुराने, अत्यधिक कठोर या वास्तविक अपराध की तुलना में अनुपातहीन लगते हैं। ऐसे कानूनों की मौजूदगी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जिसमें व्यक्तियों और व्यवसायों को गंभीर सामाजिक हानि वाले कृत्यों के बजाय अनुपालन में त्रुटियों, छोटे डिफॉल्ट्स या प्रक्रियात्मक चूकों जैसी बातों पर भी कारावास का सामना करना पड़ सकता है।

इस "अति-अपराधीकरण" से कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। यह व्यवसायों के लिए वातावरण को अनिश्चित और जोखिमपूर्ण बनाता है, उद्यमिता को हतोत्साहित करता है और नियामकों पर भरोसा कमजोर करता है। प्रणालीगत स्तर पर, यह भारत की पहले से ही बोझिल न्यायपालिका पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जहाँ लाखों आपराधिक मामले लंबित हैं—जिनमें से कई मामूली अपराधों से जुड़े हैं, जिन्हें सुधारात्मक या वित्तीय दंडों से बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है।

- इस संदर्भ में भारत सरकार ने कानूनी ढाँचे को तार्किक और आधुनिक बनाने के लिए सुधार पहल शुरू की है। जन विश्वास विधेयक इस बदलाव के केंद्र में हैं। पहला विधेयक, 2023 में पारित हुआ, जिसने 42 केंद्रीय कानूनों के तहत 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 अगला बड़ा कदम है। यह 16 और केंद्रीय अधिनियमों में सुधार का विस्तार करता है और निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान लाता है:
  - » छोटी उल्लंघनों के लिए कारावास की जगह चेतावनी और सुधार नोटिस,
  - » दंडों का तार्किकीकरण
  - » कारावास के बजाय वित्तीय या सुधारात्मक कार्यवाही पर ध्यान।

जन विश्वास विधेयक लाने का कारण :

- भारत का कानूनी ढाँचा बड़ा और जटिल है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा तैयार किए गए डेटाबेस में 882 केंद्रीय कानून दर्ज हैं, जिनमें से 370 में आपराधिक प्रावधान शामिल हैं, जो कुल 7,305 अपराधों को परिभाषित करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से 75% से अधिक अपराध मुख्य आपराधिक न्याय क्षेत्रों के बाहर परिभाषित हैं, जैसे कराधान, शिपिंग, नगर शासन और वित्तीय संस्थान।
- अति-अपराधीकरण की लंबे समय से आलोचना की जाती रही है

क्योंकि:

» यह अपेक्षाकृत सामान्य या मामूली अपराधों के लिए अनुपातहीन रूप से कठोर दंड निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, भारत में कोई व्यक्ति सड़क पर गाय का दूध निकालने या पालतू कुत्ते को उचित व्यायाम न कराने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है।

» हालाँकि ऐसे प्रावधान शायद ही कभी लागू किए जाते हैं, लेकिन वे अधिकारियों को मनमाने ढंग से शक्ति प्रयोग का अवसर देते हैं।

» ये अपराध और दंड में समानुपातिकता के सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं।

» ऐसे कई कानून पुरानी नैतिक धारणाओं या राज्य की अभिभावक जैसी सोच को दर्शाते हैं।

व्यवसायों पर प्रभाव:

- ऑब्जर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन (ORF) की 2022 की एक रिपोर्ट ने भारत में अति-अपराधीकरण के व्यवसायों पर प्रभाव को उजागर किया। रिपोर्ट में पाया गया:
  » व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले 1,536 कानूनों में से आधे से अधिक में कारावास की धाराएँ हैं।
  » 69,233 अनुपालन आवश्यकताओं में से 37.8% में कारावास का प्रावधान है।
  » आधे से अधिक कारावास धाराओं में न्यूनतम एक वर्ष की सजा का प्रावधान है।
- रिपोर्ट ने तर्क दिया कि ऐसे प्रावधानों ने पूँजी, विचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन के सहज प्रवाह में बाधाएँ खड़ी की हैं, जिससे अंततः आर्थिक विकास धीमा हुआ है।

न्यायिक प्रणाली पर दबाव:

- अत्यधिक अपराधीकरण न्यायपालिका पर बोझ भी बढ़ाता है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, 24 अगस्त 2025 तक भारत की जिला अदालतों में:
  » 3.6 करोड़ से अधिक आपराधिक मामले लंबित थे।
  » इनमें से 2.3 करोड़ से अधिक मामले एक वर्ष से ज्यादा समय से लंबित थे।
- 2023 विधेयक की प्रस्तुति के दौरान वाणिज्य मंत्रालय ने उल्लेख किया था कि मामूली डिफॉल्ट्स पर आपराधिक परिणाम न्याय प्रणाली को जाम कर देते हैं और गंभीर मामलों को पीछे धकेल देते हैं, इसलिए अपराधमुक्तिकरण से लंबित मामलों में कमी, अदालतों पर दबाव घटाने और न्याय प्रणाली में सुधार की उम्मीद है।

2025 विधेयक क्या प्रस्तावित करता है?

- जन विश्वास विधेयक, 2025 कुल 16 कानूनों में 355 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित करता है। इनमें से:
  » 288 प्रावधानों को व्यवसाय सुगमता के लिए अपराधमुक्त किया गया है।
  » 67 प्रावधानों में जीवन की सुगमता बढ़ाने के लिए संशोधन किए गए हैं।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ:

- **चेतावनी और सुधार नोटिस:** विधेयक 10 अधिनियमों के तहत 76 अपराधों में पहली बार अपराध करने वालों के लिए "चेतावनी" और "सुधार नोटिस" का प्रावधान लाता है, जिनमें मोटर वाहन अधिनियम, अपरेंटिस अधिनियम और विधिक मापविज्ञान अधिनियम शामिल हैं।
  - » **उदाहरण:** विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत गैर-मानक भार और माप का प्रयोग वर्तमान में ₹1 लाख तक का दंडनीय अपराध है। विधेयक प्रस्तावित करता है कि पहली बार अपराध करने वाले को इसके बजाय सुधार नोटिस दिया जाएगा, जिसमें उसे निर्धारित समय सीमा में गलती सुधारनी होगी। यदि वह पालन करने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माना देना होगा।
- **कारावास धाराओं का हटाना:** विधेयक छोटे, प्रक्रियात्मक या तकनीकी डिफॉल्ट्स के लिए कारावास धाराएँ हटाता है। इन्हें जुर्माने या चेतावनी से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
  - » **उदाहरण:** विद्युत् अधिनियम, 2003 के तहत आदेशों का पालन न करने पर वर्तमान में तीन माह के कारावास का प्रावधान है। विधेयक प्रस्तावित करता है कि इसे ₹10,000 से ₹10 लाख तक के मौद्रिक जुर्माने से प्रतिस्थापित किया जाए।
- **दंडों का तार्किकीकरण:** विधेयक दंडों को अधिक समानुपातिक और पूर्वानुमेय बनाने के लिए तार्किकीकरण करता है। इसमें शामिल हैं:
  - » हर तीन साल में दंडों में स्वतः 10% वृद्धि, ताकि बिना नए विधायी संशोधन के निवारक शक्ति बनी रहे।
  - » दोहराए गए अपराधों पर अधिक जुर्माने, ताकि बार-बार उल्लंघन करने वालों को हतोत्साहित किया जा सके और कारावास से बचा जा सके।

जन विश्वास विधेयक के निहितार्थ:

- जन विश्वास विधेयक (2023 और 2025) सरकार के बड़े प्रयास का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य भारत की कानूनी संरचना को सरल बनाना और इसे व्यवसाय- और नागरिक-हितैषी बनाना है।
  - » **व्यवसाय सुगमता:** 288 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने से व्यवसायों के लिए अनुपालन जोखिम कम होंगे, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और निवेश बढ़ेगा।
  - » **जीवन सुगमता:** नागरिकों को छोटे उल्लंघनों पर कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे शासन में विश्वास बढ़ेगा।
  - » **न्यायिक राहत:** छोटे अपराधों का अपराधमुक्तिकरण जिला अदालतों पर बोझ कम करेगा और गंभीर अपराधों के लिए न्यायिक समय मुक्त करेगा।
  - » **नियामक सरलीकरण:** दंडों की स्वतः वृद्धि से पूर्वानुमेयता बनेगी और बार-बार संशोधन की आवश्यकता घटेगी।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

- **निवारण और भरोसे के बीच संतुलन:** अपराधमुक्तिकरण से उत्पीड़न कम होता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि अत्यधिक नरमी अनुपालन न करने को प्रोत्साहित कर सकती है।
- **कार्यान्वयन चुनौतियाँ:** सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नियामक प्राधिकरण कितनी समानता से इसे लागू करते हैं और व्यवसायों व नागरिकों में कितनी जागरूकता फैलाई जाती है।
- **अधिक सुधार की आवश्यकता:** अभी भी 370 केंद्रीय कानूनों में आपराधिक प्रावधान मौजूद हैं, इसलिए यह केवल एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत है।

निष्कर्ष:

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 भारत के कानूनी तंत्र को आधुनिक बनाने के प्रयास में एक और कदम है। यह 16 अलग-अलग कानूनों में 355 प्रावधानों में बदलाव करता है और महत्वपूर्ण सुधार लाता है, जैसे चेतावनी और सुधार नोटिस, कारावास के स्थान पर मौद्रिक जुर्माना तथा दंडों का तार्किकीकरण। इसका उद्देश्य एक ऐसी शासन प्रणाली का निर्माण करना है जो दंडात्मक होने के बजाय विश्वास-आधारित और नागरिक-हितैषी हो। यदि इन परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह सुधार व्यवसायिक विश्वास बढ़ा सकता है, नागरिकों के लिए दैनिक जीवन को आसान बना सकता है और भारत की पहले से भीड़भाड़ वाली न्यायपालिका पर बोझ घटा सकता है। साथ ही, इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार कितना संतुलन बना पाती है—नागरिकों पर विश्वास और उल्लंघनों को रोकने के लिए पर्याप्त निवारक शक्ति के बीच। यही भविष्य के सुधारों, जैसे जन विश्वास 3.0 और आगे की कुंजी बनी रहेगी।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून: भारत की वैज्ञानिक प्रगति और रणनीतिक अनिवार्यता

परिचय:

भारत 23 अगस्त को अपना द्वितीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता ने न केवल भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया बल्कि मानवता के सामूहिक ज्ञान-भंडार में भी नई उपलब्धि जोड़ी। आगामी गगनयान मिशन, चंद्रयान-4, और प्रस्तावित भारत अंतरिक्ष स्टेशन (Bharat Antariksh Station) इस यात्रा को और अधिक गौरवपूर्ण बनाने वाले हैं। इसके साथ ही निजी कंपनियों का बढ़ता योगदान इस बात का प्रमाण हैं कि भारत अब पारंपरिक अंतरिक्ष अन्वेषण से आगे बढ़कर वाणिज्यिक और रणनीतिक क्षितिज की ओर अग्रसर है। परंतु इन सभी सफलताओं के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून। अंतरिक्ष अन्वेषण, नवाचार और वाणिज्यीकरण की वैश्विक दौड़ में भारत की प्रगति को स्थायित्व और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुकी है।

वैश्विक अंतरिक्ष कानून: आधारभूत ढांचा

- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पाँच प्रमुख संधियाँ बनाई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आउटर स्पेस ट्रीटी (1967), जिसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि अंतरिक्ष सम्पूर्ण मानवता का धरोहर है, किसी भी राष्ट्र द्वारा इसका स्वामित्व ग्रहण नहीं किया जा सकता।
  - » यह संधि यह भी सुनिश्चित करती है कि अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगा।
  - » इसके साथ-साथ लायबिलिटी कन्वेंशन (1972), रजिस्ट्री कन्वेंशन (1976) आदि ने राज्यों को उनके राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों और निजी गतिविधियों की जिम्मेदारी सौंप दी।
- संयुक्त राष्ट्र की मूल संधियाँ अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए बुनियादी सिद्धांत प्रदान करती हैं—शांतिपूर्ण उपयोग से लेकर राज्यों की जिम्मेदारी और दायित्व तक। परंतु इन सिद्धांतों को वास्तविक रूप देने का काम राष्ट्रीय कानून करते हैं। दूसरे शब्दों में, संधियाँ मार्गदर्शन देती हैं, लेकिन उन्हें कार्यान्वित करना राष्ट्रीय क़ानूनों की जिम्मेदारी है।

भारत की स्थिति: नीति बनाम कानून

- भारत ने इन संधियों पर हस्ताक्षर किए और उन्हें अनुमोदित भी किया

है, लेकिन अभी तक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष विधेयक पारित नहीं हो पाया है।

- 2023 में लाए गए भारतीय अंतरिक्ष नीति और इन-स्पेस नॉर्म्स, गाइडलाइन्स ऐंड प्रोसीजर्स (NPG) ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है।
- इसी तरह, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अंतरिक्ष उद्योग के लिए भारतीय मानकों की सूची तैयार किया है, जिससे सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।
- फिर भी अभी दो मूलभूत घटकों में से केवल पहला, तकनीकी नियमन पर कार्य हुआ है। दूसरा घटक, अर्थात् एक व्यापक विधायी ढांचा (Textual Law), अभी शेष है। यही ढांचा वास्तव में भारत का स्पेस एक्ट होगा, जो अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रावधानों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेगा।

उद्योग का दृष्टिकोण: स्पष्टता और स्थायित्व की मांग

- निजी अंतरिक्ष कंपनियों की बढ़ती भूमिका ने भारत को नई ऊर्जा दी है, लेकिन वर्तमान में नियामकीय अस्पष्टता उनके लिए चुनौती बनी हुई है।
- प्रमुख निजी कंपनियां है स्कायरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace), अग्निकुल कॉसमॉस (Agnikul Cosmos), पिक्सेल (Pixxel)। ये कंपनियाँ उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण यान, डाटा सेवाओं और अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों में अग्रसर हैं।
  - » लेकिन निवेशकों के लिए कानूनी निश्चितता, लाइसेंसिंग प्रक्रिया, बीमा और जोखिम प्रबंधन का स्पष्ट ढांचा आवश्यक है।
  - » राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून इनके लिए सुरक्षा कवच और दिशा-निर्देश प्रदान करेगा।
- भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA) IN-SPACe को वैधानिक अधिकार देने की आवश्यकता पर बल देता है। वर्तमान में यह संस्था बिना पूर्ण कानूनी समर्थन के कार्य कर रही है। IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र), केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक स्वायत्त नोडल एजेंसी है जो अंतरिक्ष विभाग (DOS) के अंतर्गत आती है।
- यह इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) और भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करती है. IN-SPACe का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों में गैर-सरकारी संस्थाओं (NGPEs) की भागीदारी को बढ़ावा देना, सक्षम करना, अधिकृत करना और पर्यवेक्षण करना है।
- स्पष्ट लाइसेंसिंग प्रक्रिया, योग्यता मानदंड, आवेदन की समय-सीमा, शुल्क, तथा अस्वीकृति के कारण यदि क़ानून में निर्धारित होंगे तो निवेशकों और कंपनियों को भरोसा मिलेगा।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को लेकर भी कंपनियों की मांग है कि उपग्रह कंपोनेंट निर्माण में 100% FDI स्वतः मार्ग से अनुमति दी जाए। इससे भारतीय स्टार्टअप्स को पूंजी और तकनीक दोनों उपलब्ध होंगे।
- साथ ही, बीमा ढांचा अत्यंत आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को किसी भी नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, परंतु निजी कंपनियों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी बीमा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे उच्च मूल्य वाले अंतरिक्ष उपकरणों से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई संभव हो सके।
- इसके अतिरिक्त, बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की सुरक्षा, दुर्घटना जाँच प्रक्रिया, अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन के लिए बाध्यकारी प्रावधान, स्पेस डेटा और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए एकीकृत ढांचा तथा स्वतंत्र अपीलीय निकाय की स्थापना भी उद्योग की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

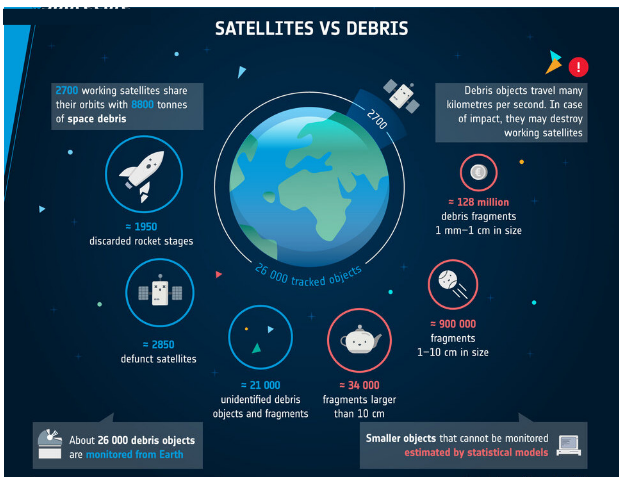

अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता और साख:

- अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने पहले ही अपने राष्ट्रीय स्पेस लॉ लागू कर दिए हैं।
  - » इनके माध्यम से वे न केवल अपने निजी उद्योग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।

» यदि भारत भी समय पर यह कदम उठाता है तो वह जिम्मेदार अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी साख और प्रभाव बढ़ा सकेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हित:

- भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्व केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है।
- उपग्रह आधारित संचार, नेविगेशन, निगरानी और मिसाइल गाइडेंस आधुनिक युद्धकला का अभिन्न हिस्सा हैं।
- अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने अपनी सैन्य रणनीति में स्पेस फोर्स और एंटी-सैटेलाइट हथियारों को स्थान दिया है।
- ऐसे परिदृश्य में भारत के लिए भी स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा और सैन्य–नागरिक संतुलन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

अंतरिक्ष मलबा और सतत विकास:

- आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है स्पेस डेब्रिस। अनुमान है कि कक्षा में 30,000 से अधिक बड़े मलबे के टुकड़े तैर रहे हैं।
- यदि भारत जल्द ही एक राष्ट्रीय क़ानून लागू करता है तो उसमें उपग्रहों के जीवन-चक्र प्रबंधन और मलबा निस्तारण की अनिवार्य शर्तें जोड़ी जा सकती हैं।
- इससे भारत जिम्मेदार अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी छवि मजबूत करेगा।

अवसर और चुनौतियाँ:

- **अवसर:**
  - » वैश्विक स्पेस इकॉनमी 2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने की संभावना है।
  - » भारत का लागत–प्रभावी अंतरिक्ष कार्यक्रम इसे विदेशी निवेश और साझेदारी के लिए आकर्षण का केंद्र बना सकता है।
  - » स्पष्ट कानून उद्योग, अकादमिक जगत और सरकार के बीच त्रिस्तरीय साझेदारी को प्रोत्साहन देगा।
- **चुनौतियाँ:**
  - » तकनीकी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए क़ानून का लचीला रहना आवश्यक है।
  - » सुरक्षा चिंताओं और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन के बीच संतुलन कठिन है।
  - » विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच अधिकार–क्षेत्र का टकराव भी एक बड़ी बाधा हो सकता है।

आगे की राह:

- विधेयक का शीघ्र पारित होना आवश्यक है। इसके साथ ही, IN-SPACe को पूर्ण वैधानिक दर्जा देकर केंद्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक केंद्रीकृत और सशक्त व्यवस्था उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त, लाइसेंसिंग, दायित्व साझाकरण और बीमा से संबंधित प्रावधान स्पष्ट और व्यावहारिक होने चाहिए, जिससे निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को सुरक्षित वातावरण मिल सके।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और नवाचार को प्रोत्साहन भी कानून का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, ताकि भारत से प्रतिभा और तकनीक का पलायन न हो। साथ ही, अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन और स्थिरता मानकों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे भारत जिम्मेदार अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी साख को और सुदृढ़ कर सके। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु पारदर्शी FDI नीति की आवश्यकता है, जो भारतीय स्टार्टअप्स को पूंजी और तकनीक तक सुगम पहुँच प्रदान कर सके। अंततः, एक स्वतंत्र अपीलीय निकाय और विवाद निवारण तंत्र भी स्थापित होना चाहिए, ताकि निर्णयों की निष्पक्ष समीक्षा हो सके और नियामकीय पारदर्शिता बनी रहे।

निष्कर्ष:

भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियाँ अभूतपूर्व हैं परंतु बिना मजबूत कानूनी ढांचे के यह प्रगति अधूरी रह सकती है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के लिए पूर्वानुमेयता, कानूनी स्पष्टता और स्थिर नियामकीय वातावरण प्रदान करता है। अतः भारत के लिए अब यह आवश्यक हो चुका है कि वह शीघ्र ही एक समग्र और दूरदर्शी राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून बनाए, जो विज्ञान, वाणिज्य और राष्ट्रीय सुरक्षा—तीनों आयामों को संतुलित करे। यह क़ानून न केवल भारत को अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप बनाएगा, बल्कि उसे 21वीं सदी के अंतरिक्ष युग में वैश्विक नेतृत्व दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम सिद्ध होगा।

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025

सन्दर्भ:

हाल ही में संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 का उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाकर एक संरचित नियामक ढाँचा स्थापित करना है। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स एवं सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित करते हुए, देश में तेज़ी से उभरते डिजिटल गेमिंग परिदृश्य को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करता है।

विधेयक का उद्देश्य:

- यह विधेयक एक सुरक्षित, जिम्मेदार और नवोन्मेषी ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य शोषणकारी मनी गेम्स पर रोक लगाना और ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेमिंग जैसी वैध गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। यह भारत को एक नियंत्रित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी डिजिटल गेमिंग क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध:**
  - यह विधेयक उन ऑनलाइन गेम्स पर सख्त प्रतिबंध लगाता है जिनमें उपयोगकर्ता पैसों या अन्य दांव (जैसे सिक्के, क्रेडिट या टोकन) के बदले खेलने के लिए भाग लेते हैं और जिनका उद्देश्य मौद्रिक लाभ प्राप्त करना होता है। यह प्रतिबंध इस बात की परवाह किए बिना लागू होता है कि गेम कौशल पर आधारित है, संयोग पर या दोनों पर।
  - यह विधेयक ऐसे गेम्स के विज्ञापन, वित्तीय लेन-देन और उन्हें संचालित करने वाली सेवाओं पर भी रोक लगाता है। केंद्र सरकार को इनसे जुड़ी सामग्री या सेवाओं की ऑनलाइन पहुँच को अवरुद्ध करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।
- **ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए समर्थन:**
  - इसके विपरीत, यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देता है।
  - ई-स्पोर्ट्स को ऐसे प्रतिस्पर्धी और कौशल-आधारित खेलों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो बहु-खेल आयोजनों का हिस्सा होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इन खेलों में सट्टेबाजी या दांव लगाने की कोई अनुमति नहीं होती।
  - ऑनलाइन सोशल गेम्स वे खेल हैं जो मनोरंजन, सामाजिक सहभागिता या कौशल विकास के उद्देश्य से खेले जाते हैं। इनमें सदस्यता शुल्क या एकमुश्त प्रवेश शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन इनमें जुए से जुड़े किसी भी प्रकार के तत्व शामिल नहीं होने चाहिए।
- **गेमिंग प्राधिकरण का गठन:** यह विधेयक केंद्र सरकार को ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। यह प्राधिकरण निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा:
  - यह तय करेगा कि कोई गेम ऑनलाइन मनी गेम की श्रेणी में आता है या नहीं।
  - ऑनलाइन गेम्स का पंजीकरण और वर्गीकरण करेगा।
  - निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा।

- **बिना वारंट के तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ़्तारी:**
  - विधेयक के तहत अधिकृत अधिकारियों को बिना वारंट के प्रवेश, तलाशी और गिरफ़्तारी की अनुमति दी गई है। यह अधिकार ईमेल और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल माध्यमों तक विस्तृत है।
  - इसके अलावा, यह शक्तियाँ इमारतों, वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक भी लागू होती हैं। इन सभी कार्यवाहियों में भारतीय

नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा।

कठोर अपराध और दंड:

- विधेयक के अंतर्गत उल्लंघन पर कठोर दंड निर्धारित किए गए हैं:
  - ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश करने पर अधिकतम 3 वर्ष की कारावास, ₹1 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
  - ऐसे गेम्स का विज्ञापन करने पर अधिकतम 2 वर्ष की कारावास, ₹50 लाख तक का जुर्माना, या दोनों।
  - लेन-देन की सुविधा प्रदान करने पर अधिकतम 3 वर्ष की कारावास, ₹1 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।
  - ये सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कोई संस्था या व्यक्ति सरकार या प्राधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं करता, तो उस पर नागरिक दंड, पंजीकरण निलंबन या संचालन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

उद्योग पर प्रभाव:

- **राजस्व हानि:** ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध से राजस्व में भारी नुकसान होने की आशंका है, अनुमान है कि इससे सालाना 20,000 करोड़ का नुकसान होगा।
- **नौकरी का नुकसान:** उद्योग जगत के नेताओं ने चेतावनी दी है कि इस प्रतिबंध से बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती और व्यवसाय बंद हो सकते हैं, जिससे 2 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ और 25,000 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) ख़तरे में पड़ सकता है।
- **विदेशी प्लेटफ़ॉर्म की ओर रुख़:** यह प्रतिबंध उपयोगकर्ताओं को विदेशी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म की ओर ले जा सकता है, जिससे सरकार को हर साल लगभग 20,000 करोड़ का राजस्व नुकसान हो सकता है।

निष्कर्ष:

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025, एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करना है। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, साथ ही ऑनलाइन मनी गेम्स के खिलाफ कड़ा रुख़ अपनाता है। इसका मुख्य फोकस जनकल्याण और सुरक्षा पर है। यह विधेयक भारत के गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल मनोरंजन एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को सशक्त करेगा।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए ₹6,520 करोड़ की कुल राशि को मंज़ूरी दी है। यह राशि 15वें वित्त आयोग चक्र (2021–22 से 2025–26) के लिए है। इसमें ₹1,920 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी शामिल है, जो योजना की मौजूदा पहलों को और मज़बूती देने के लिए दी गई है।

नई मंज़ूरी के मुख्य बिंदु:

- ₹1,000 करोड़ का उपयोग इन कार्यों के लिए किया जाएगा:
  - 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इर्रैडिएशन यूनिट्स की स्थापना, जो 'इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (ICCVAI)' घटक के तहत होंगी।
  - 100 NABL-प्रमाणित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जो 'फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (FSQAI)' घटक के अंतर्गत होंगी।
- ₹920 करोड़ की राशि विभिन्न उप-योजनाओं के तहत अतिरिक्त परियोजनाओं को सहायता देने के लिए दी जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) क्या है?

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2017 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य खेत से खुदरा बाज़ार तक आधुनिक ढांचागत सुविधाएं तैयार करना और एक प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला बनाना है।
- **PMKSY के उद्देश्य:**
  - खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना।
  - खेत से लेकर खुदरा विक्रेता तक एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला बनाना।
  - कृषि उत्पादों की बर्बादी और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना।
  - किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनके उत्पादों में मूल्य संवर्धन करना।
  - इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना।
  - खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना।

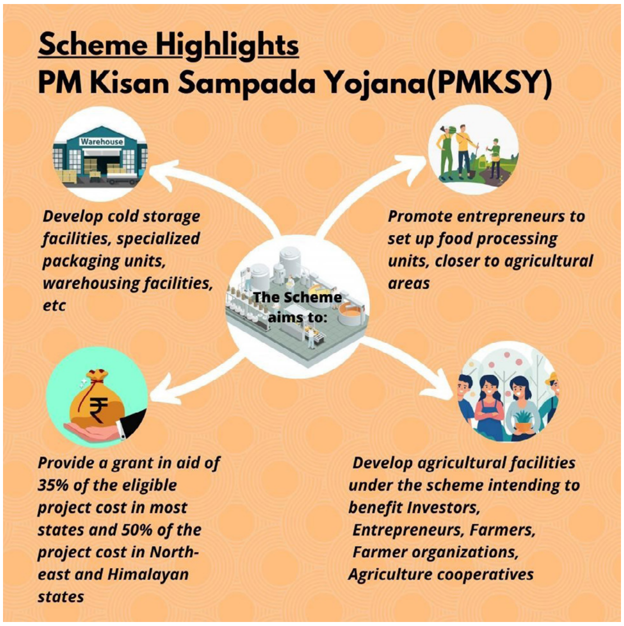

PMKSY के प्रमुख घटक:

- **इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (ICCVAI)**: कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट और वैल्यू एडिशन यूनिट्स का निर्माण किया जाता है ताकि खराबी कम हो।
- **खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण/विस्तार (CEFPPC):** नई इकाइयों की स्थापना या मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता।
- **फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (FSQAI):** खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करना।
- **ऑपरेशन ग्रीन्स:** पहले यह टमाटर, प्याज और आलू (TOP) फसलों तक सीमित था, अब यह 22 जल्दी खराब होने वाली फसलों को कवर करता है। इसका उद्देश्य मूल्य स्थिरता लाना और नुकसान कम करना है।
- **मेगा फूड पार्क्स:** क्लस्टर आधारित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बनाए जाते हैं जहां किसानों और उद्यमियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलती हैं।
- **बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस:** किसानों और प्रोसेसिंग इकाइयों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाई जाती है ताकि आय और दक्षता दोनों बढ़ें।
- **मानव संसाधन और संस्थान:** कौशल विकास, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया जाता है।

भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कैसे बढ़ रहा है?

- भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हाल के वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है। इसका सकल मूल्य वर्धन (GVA) वर्ष 2014–15 में ₹1.34 लाख करोड़ था, जो 2021–22 में ₹2.08 लाख करोड़ तक पहुँच गया है।
- यह क्षेत्र विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित कर रहा है – अप्रैल 2014 से मार्च 2023 के बीच USD 6.185 बिलियन की एफडीआई (FDI) आई है।
- निर्यात के क्षेत्र में, प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 2014–15 में कुल कृषि निर्यात का 13.7% था, जो 2022–23 में 25.6% हो गया। यह दिखाता है कि भारत के खाद्य उत्पादों में मूल्य संवर्धन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।
- यह क्षेत्र पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र की कुल नौकरियों में 12.22% का योगदान करता है, जिससे यह भारत की आर्थिक और रोजगार वृद्धि का अहम स्तंभ बन गया है।

निष्कर्ष:

₹6,520 करोड़ की यह नई मंज़ूरी यह दर्शाती है कि सरकार कृषि क्षेत्र को बुनियादी ढांचे, तकनीक और खाद्य सुरक्षा के ज़रिए आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भारतीय किसानों को अधिक आय, बेहतर मूल्य और वैश्विक बाज़ारों तक पहुंच प्रदान कर देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने का कार्य कर रही है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025

संदर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2025 को बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। इस अधिनियम को 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत कुल 19 संशोधन पाँच प्रमुख अधिनियमों "रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955; और बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 एवं 1980" में किए गए थे।

मुख्य प्रावधान और विशेषताएँ:

- इस अधिनियम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में शासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना, जमाकर्ताओं और निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में ऑडिट की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और सहकारी बैंकों को संवैधानिक मानकों के अनुरूप लाना है।
- **'महत्वपूर्ण हित' की परिभाषा में संशोधन:** अब किसी व्यक्ति के बैंक में "महत्वपूर्ण हित" की पहचान की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई है। यह सीमा 1968 से बिना किसी संशोधन के बनी हुई थी, जो मौजूदा आर्थिक परिवेश और बैंकिंग संचालन की बढ़ी हुई व्यापकता को नहीं दर्शाती थी। इस बदलाव से शासन प्रणाली अधिक व्यावहारिक और संतुलित बनेगी, जिससे छोटे हिस्सेदारों द्वारा अनावश्यक प्रभाव डालने की संभावना कम होगी।
- **सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल बढ़ा:** संविधान के 97वें संशोधन के अनुरूप, सहकारी बैंकों के निदेशकों (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर) के लिए अधिकतम कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। यह बदलाव सहकारी बैंकों में अधिक स्थायित्व, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
- **बिना दावे की गई संपत्ति का IEPF को स्थानांतरण:** अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी कंपनियों की तरह बिना दावे की गई राशि—जैसे शेयर, ब्याज और बॉन्ड रिडेम्पशन की रकम—को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में स्थानांतरित कर सकेंगे। इससे निष्क्रिय पड़ी वित्तीय संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।
- **सार्वजनिक बैंकों में ऑडिट सुधार:** संशोधन के तहत अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने वैधानिक ऑडिटरों को बेहतर पारिश्रमिक देने में सक्षम होंगे, जिससे वे अधिक योग्य और अनुभवी पेशेवरों को नियुक्त कर सकेंगे। इससे ऑडिट प्रक्रिया की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
- **वैधानिक रिपोर्टिंग प्रणाली में बदलाव:** अब बैंकों को हर शुक्रवार आरबीआई को रिपोर्ट भेजने की बाध्यता नहीं होगी। इसकी जगह रिपोर्टिंग की प्रणाली को आवश्यकता अनुसार पखवाड़े, मासिक या तिमाही आधार पर किया जाएगा। इससे बैंकों पर परिचालनिक बोझ घटेगा और रिपोर्टिंग अधिक प्रासंगिक व उपयोगी बन सकेगी।

संबंधित विधायिकाओं के बारे में जानकारी:

- **रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934:** मुद्रा, ऋण और मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949:** बैंकिंग कार्यों जैसे लाइसेंसिंग, ऑडिट, पूंजी मानदंड आदि को नियंत्रित करता है।
- **भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955:** एसबीआई की स्थापना और उसकी संरचना व कार्य तय करता है।
- **बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 व 1980:** वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 20 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया , तथा 'नव स्थापित बैंक' का निर्माण किया गया।

अधिनियम का महत्व:

- **नियमों का आधुनिकीकरण:** पाँच दशक पुराने प्रावधानों को अपडेट कर आधुनिक वित्तीय परिस्थितियों के अनुरूप लाया गया है।
- **सहकारी बैंकों पर बेहतर निगरानी:** निदेशकों का बढ़ा कार्यकाल बैंकिंग प्रणाली में स्थायित्व और जवाबदेही लाता है।
- **निवेशक और जमाकर्ता संरक्षण:** बिना दावे की गई संपत्ति का सुरक्षित उपयोग और उच्च गुणवत्ता के ऑडिट से भरोसा बढ़ेगा।
- **प्रभावी बैंकिंग संचालन:** रिपोर्टिंग नियमों में लचीलापन लाकर कामकाज को आसान और असरदार बनाया गया है।

निष्कर्ष:

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 एक समयानुकूल और आवश्यक सुधार है, जो भारत के बदलते वित्तीय माहौल की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह अधिनियम पुराने नियमों की खामियों को दूर करते हुए संवैधानिक और कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानकों के अनुरूप है, जिससे बैंकिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और मजबूत बन सकेगी।

मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय संसद ने मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के स्थान पर मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025 पारित किया है। यह विधेयक भारत के समुद्री शासन में एक महत्वपूर्ण सुधार है और देश के कानूनी ढाँचे को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के सम्मेलनों तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है।

पृष्ठभूमि:

- मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 अपने समय में एक ऐतिहासिक

कदम था, किंतु तकनीकी प्रगति तथा बदलते वैश्विक समुद्री मानदंडों के कारण अब अप्रासंगिक हो गया था। एक आधुनिक, कुशल और वैश्विक मानकों के अनुरूप कानूनी ढाँचे की आवश्यकता ने नए विधेयक के मसौदे को प्रेरित किया, जिसका उद्देश्य है:

- भारत में समुद्री व्यापार को सुगम बनाना।
- वैश्विक शिपिंग उद्योग में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना।
- समुद्री संचालन में स्थिरता एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करना।

मुख्य प्रावधान – मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025:

- **सभी जहाजों का अनिवार्य पंजीकरण:**
  - प्रणोदन के प्रकार या भार क्षमता की परवाह किए बिना, सभी जहाजों का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
  - पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में शामिल जहाजों के लिए अस्थायी पंजीकरण की व्यवस्था, जिससे सुरक्षा और जवाबदेही में वृद्धि होगी।
- **"जहाज" की विस्तारित परिभाषा:**
  - अब इसमें मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग इकाइयाँ, पनडुब्बियाँ, गैर-विस्थापन पोत और अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित इकाइयाँ भी शामिल होंगी।
- **स्वामित्व मानदंडों में लचीलापन:** जहाज का स्वामित्व रखने के पात्र:
  - भारतीय नागरिक
  - भारत में पंजीकृत कंपनियाँ और सहकारी समितियाँ
  - भारत के प्रवासी नागरिक (OCI)
  - इससे समुद्री क्षेत्र में निवेश और भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **संस्थागत तंत्र का सुदृढ़ीकरण:**
  - राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड और राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड की भूमिका को बनाए रखते हुए, सुरक्षा, कल्याण और नीति-समन्वय को बढ़ावा देना।
- **समुद्री प्राधिकरण का पुनर्गठन:**
  - "नौवहन महानिदेशक" का नाम बदलकर "समुद्री प्रशासन महानिदेशक" किया गया।
  - समुद्री शिक्षा, प्रशिक्षण एवं संस्थागत मानकों को विनियमित करने का अधिकार प्रदान।
- **व्यापक नाविक समझौते:**
  - समुद्री संचालन में शामिल सभी पक्षों को कवर करने वाले प्रावधान।
  - भारतीय नाविकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ एवं कल्याण सुनिश्चित करना।
- **पर्यावरण संरक्षण हेतु कठोर प्रावधान:**
  - आकार या टन भार की परवाह किए बिना सभी जहाजों के लिए प्रदूषण-निरोधी प्रमाणपत्र अनिवार्य।
  - समुद्री प्रदूषण रोकने और तटीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना।

महत्व:

- कठोर नियामक ढाँचे से सुविधाजनक एवं सक्षम नीति व्यवस्था की ओर आदर्श बदलाव।
- घरेलू नौवहन क्षेत्र के पुनर्जीवन और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन।
- भारत को एक अग्रणी समुद्री राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा को समर्थन।
- सागरमाला, पीएम गति शक्ति और ब्लू इकोनॉमी जैसी राष्ट्रीय समुद्री पहलों का पूरक।
- भारतीय समुद्री कानून का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के सम्मेलनों और वैश्विक मानकों के अनुरूप संरेखण।
- सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण और नाविक कल्याण संबंधी प्रावधानों को सुदृढ़ करना।

प्रभाव:

- वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि।
- रोजगार सृजन, लॉजिस्टिक दक्षता और GDP वृद्धि में योगदान।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मामलों में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करना।
- भारतीय जहाजों के पंजीकरण एवं संचालन को सरल बनाना, जिससे भारतीय ध्वज के अंतर्गत जहाजों की संख्या और राष्ट्रीय समुद्री उपस्थिति बढ़े।
- भारतीय शिपिंग कंपनियों की बैंकिंग क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय साख में सुधार।
- भारतीय समुद्री क्षेत्र में अधिक वैश्विक निवेश आकर्षित होना।

निष्कर्ष:

मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025 न केवल कानूनी सुधार का प्रतीक है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की रणनीतिक समुद्री पुनर्स्थापना का भी प्रतीक है। यह विधेयक, नियामक दक्षता में वृद्धि, स्थिरता को प्रोत्साहन और आर्थिक विकास को समर्थन प्रदान करके, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ सिद्ध हो सकता है।

आयकर विधेयक, 2025

संदर्भ:

हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में आयकर विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई, जोकि मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को सरल और युक्तिसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए कानून का उद्देश्य कर नियमों को करदाताओं के लिए अधिक स्पष्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

- **सरलीकृत ढाँचा:** विधेयक के तहत अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 और धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है, जिससे कानून को समझना और लागू करना अधिक सरल हो गया है।
- **अधिकारों का विस्तार:** आयकर अधिकारियों को अब तलाशी अभियान के दौरान व्यक्तिगत ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक की जानकारी लेने का अधिकार प्राप्त है।
- **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुँच:** यह विधेयक व्यक्तियों को अधिकृत अधिकारियों को डिजिटल लेखा-पुस्तकों सहित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों के लिए आवश्यक एक्सेस कोड प्रदान करने का आदेश देता है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो अधिकारी इन कोड को रद्द कर सकते हैं।
- **कर वर्ष की अवधारणा:** मूल्यांकन वर्ष और पूर्व वर्ष की जगह, यह विधेयक 'कर वर्ष' शब्द का प्रयोग करता है। इससे करदाताओं को उस अवधि को समझना आसान होता है, जिसके लिए कर की गणना और जमा किया जाता है और समय-सीमाओं को लेकर भ्रम कम होता है।
- **टीडीएस के लिए आसान वापसी प्रक्रिया:** नए प्रावधानों के तहत, करदाता स्रोत पर कर कटौती (TDS) पर रिफंड का दावा कर सकते हैं, भले ही वे मूल वैधानिक समय सीमा के बाद अपना रिटर्न जमा करें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वास्तविक करदाताओं को देरी से दाखिल करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा और वे अपना उचित रिफंड प्राप्त कर सकेंगे।

विधेयक से उत्पन्न मुख्य चिंताएँ:

- निजी डिजिटल डेटा तक पहुँचने की व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे निजता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, जैसा कि पुट्टस्वामी फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है।

सरकार का पक्ष:

- **औचित्य:** सरकार का तर्क है कि व्हाट्सएप और ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार में छिपे हुए सबूतों को उजागर करने के लिए ये शक्तियाँ आवश्यक हैं।
- **प्रवर समिति का समर्थन:** समिति की रिपोर्ट प्रभावी तलाशी और ज़ब्ती अभियानों को सक्षम बनाने में इन उपायों के महत्व को रेखांकित करती है।

आयकर अधिनियम, 1961 के विषय में:

- आयकर अधिनियम, 1961, भारत में आयकर के आरोपण, प्रशासन और संग्रहण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। यह व्यक्तियों और संस्थाओं पर उनकी आय के आधार पर कर लगाने की रूपरेखा निर्धारित करता है।
- **आयकर कानून के उद्देश्य:**
  - आयकर अधिनियम किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति के आधार पर उसकी कुल आय के दायरे को निर्धारित करता है। यह निवासियों पर वैश्विक आय और गैर-निवासियों पर केवल भारत में अर्जित आय पर कर लगाता है।
  - आय को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: वेतन, गृह संपत्ति, व्यवसाय/पेशा, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोत।

» अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं: राजस्व सृजन, समान धन वितरण, प्रोत्साहनों के माध्यम से आर्थिक विनियमन, और अनुपालन का प्रवर्तन।

निष्कर्ष:

आयकर विधेयक, 2025 भारत की कर व्यवस्था को सरल और करदाता-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्पष्ट परिभाषाओं, बेहतर रिफंड प्रक्रियाओं और कम अनुपालन भार के माध्यम से, यह विधेयक कर दाखिल करने की प्रक्रिया को कम जटिल और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक

संदर्भ:

हाल ही में संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किए, जिनका उद्देश्य भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार लाना है। अब ये विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

- **राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) की स्थापना:** यह विधेयक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सहित खेल महासंघों की देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) की स्थापना का प्रस्ताव करता है।
- **मान्यता और वित्त पोषण:** सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) को केंद्र सरकार से वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए NSB से मान्यता प्राप्त करनी होगी।
- **जवाबदेही और शासन:** NSB के पास किसी भी राष्ट्रीय निकाय की मान्यता रद्द करने का अधिकार होगा जो चुनाव कराने में विफल रहता है या चुनाव प्रक्रियाओं में घोर अनियमितताएँ करता है।
- **राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण:** यह विधेयक एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का प्रस्ताव करता है, जिसके पास खिलाड़ियों के चयन से लेकर महासंघ के चुनावों तक के विवादों का निपटारा करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

- **परिचालन स्वतंत्रता:** यह विधेयक विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के दिशानिर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) को अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- **वाडा की चिंताओं का समाधान:** यह संशोधन नाडा के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप के संबंध में वाडा की चिंताओं का समाधान करता है।
- **डोपिंग रोधी प्रयास:** इस विधेयक का उद्देश्य भारत में डोपिंग रोधी प्रयासों को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

प्रभाव और महत्व:

- **खेल पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव:** इन विधेयकों के पारित होने से भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आने और खेलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- **2036 ओलंपिक खेलों की दावेदारी:** इन विधेयकों को 2036 ओलंपिक खेलों के लिए भारत की दावेदारी में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो विश्व स्तरीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **वर्षों से लंबित सुधारों का क्रियान्वयन:** मजबूत खेल प्रशासन कानून बनाने के प्रयास 1975 से ही चल रहे थे, लेकिन राजनीतिक बाधाओं के कारण कई प्रयास विफल रहे। यह विधेयक दशकों से अधूरे सुधारों को पूरा करता है।
- **लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देना:** प्रावधान खेल संघों और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
- **प्रदर्शन में सुधार:** जवाबदेही लागू करके और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके, इन विधेयकों का उद्देश्य वैश्विक खेल आयोजनों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाना है।
- **खिलाड़ी कल्याण:** इन विधेयकों का उद्देश्य खिलाड़ी कल्याण को बढ़ावा देना, निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करना और खेल विवादों को सुलझाने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है।

निष्कर्ष:

दोनों विधेयक भारत में खेल प्रशासन सुधार और निष्पक्ष खेल को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि, सीमित बहस के कारण, विशेष रूप से स्वायत्तता और निगरानी से संबंधित मुद्दों पर आगे चर्चा की संभावना बनी है।

ओसीआई कार्डधारकों के लिए कड़े नियम

संदर्भ:

हाल ही में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड से संबंधित नियमों को सख्त करते हुए एक अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी।

नियमों को सख्त करने के पीछे कारण:

- ओसीआई मानदंडों का कठोर किया जाना, ओसीआई विशेषाधिकारों के दुरुपयोग तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के परिप्रेक्ष्य में उठाया गया कदम है।
- ओसीआई धारकों द्वारा कथित रूप से वित्तीय धोखाधड़ी, भारत-विरोधी गतिविधियों तथा आपराधिक कृत्यों में संलिप्तता के अनेक हालिया मामलों ने सरकार को कठोर कदम उठाने हेतु प्रेरित किया है।
- इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल भारतीय मूल के कानून-पालन करने वाले व्यक्ति ही ओसीआई योजना के लाभ के पात्र हों।

ओसीआई नियमों में प्रमुख बदलाव:

अधिसूचना के अनुसार, सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों का ओसीआई पंजीकरण रद्द कर सकती है:

- अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई ओसीआई धारक दो वर्ष या उससे अधिक की कारावास की सजा प्राप्त करता है, अथवा ऐसे अपराध में आरोपित है जिसमें सात वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D, उपखंड (DA) का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा एवं भारत में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। इस प्रावधान के तहत, सरकार को यह अधिकार है कि यदि कोई ओसीआई कार्डधारक अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून का उल्लंघन करता है, अथवा भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या सार्वजनिक हित के लिए खतरा उत्पन्न करता है, तो उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। यह प्रावधान नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से अधिनियमित किया गया था।

ओसीआई योजना के बारे में:

- ओसीआई योजना अगस्त 2005 में प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को बिना वीज़ा के भारत आने की अनुमति प्रदान की जाती है।
  - » **लाभ:** ओसीआई कार्डधारकों को कई विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा, आर्थिक एवं शैक्षिक लाभ, तथा भारत में निवास और रोजगार की सुविधा। हालांकि, वे न तो मतदान कर सकते हैं, न चुनाव लड़ सकते हैं, और न ही किसी संवैधानिक पद पर आसीन हो सकते हैं।
  - » **पात्रता:** यह योजना भारतीय मूल के उन व्यक्तियों के लिए है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे, या उस तिथि को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए अन्य देशों के नागरिक इसमें शामिल नहीं हैं।

निष्कर्ष:

नए नियमों के तहत, गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए या आरोपित ओसीआई कार्डधारकों का दर्जा रद्द किया जा सकता है, जिससे भारत के साथ उनके दीर्घकालिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। यह बदलाव विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों, विशेषकर कानूनी मामलों में शामिल लोगों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न करता है और यह संदेश स्पष्ट करता है कि भारत आपराधिक गतिविधियों को, चाहे वे सांस्कृतिक या पैतृक संबंध रखने वाले व्यक्तियों द्वारा ही क्यों न की गई हों, स्वीकार नहीं करेगा।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM VBRY)

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) की घोषणा की। यह योजना औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है, जिसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में पूरे भारत में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना है।

योजना के उद्देश्य और लक्ष्य:

- आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना।

- पहली बार औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना।
- स्थायी रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना।
- ईपीएफओ (EPFO) पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के माध्यम से कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना।

मुख्य विशेषताएँ:

- **भाग 'अ' – पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए सहायता**
  - » **पात्रता:** ऐसे कर्मचारी जो पहली बार ईपीएफओ में पंजीकृत हो रहे हैं, जिनकी मासिक आय 1 लाख तक है।
  - » **प्रोत्साहन:** पहली किश्त: 6 माह की निरंतर सेवा के बाद, दूसरी किश्त: 12 माह की सेवा पूर्ण करने और एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने के बाद, एक महीने के ईपीएफ वेतन के बराबर राशि (अधिकतम 15,000)
  - » दो किश्तों में वितरित किया जाएगा:
    - ➢ **बचत घटक:** प्रोत्साहन की एक निर्धारित राशि बचत खाते में जमा की जाएगी ताकि बचत की आदत को बढ़ावा दिया जा सके।

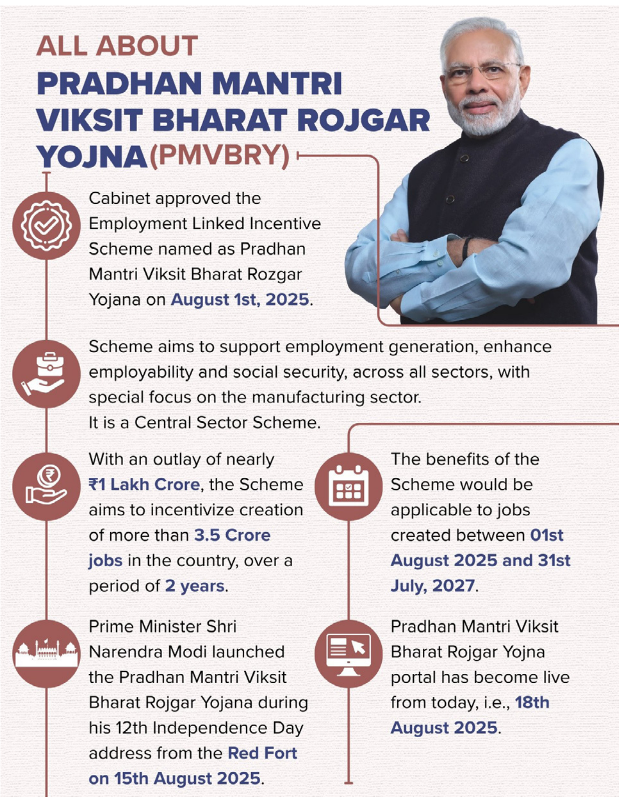

भाग ब: नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन:

- » 1 लाख/माह तक आय वाले नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना।
- » **प्रोत्साहन राशि:**
  - ➢ प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000 तक प्रति माह दिया जायेगा।
  - ➢ यह प्रोत्साहन 2 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा।
- » **विशेष प्रावधान:** विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन की अवधि को तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है।

प्रोत्साहन भुगतान प्रणाली:

- **कर्मचारियों के लिए (भाग A):** भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (ABPS) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) द्वारा किया जाएगा।
- **नियोक्ताओं के लिए (भाग B):** प्रोत्साहन की राशि सीधे पैन-लिंक्ड बैंक खातों में जमा की जाएगी।

योजना के लाभ:

- **युवाओं के लिए:**
  - » यह योजना युवाओं को औपचारिक नौकरी क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  - » इससे कर्मचारियों को EPF और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सहज पहुंच प्राप्त होती है।
  - » यह वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करती है तथा युवाओं में बचत की आदतों को विकसित करने में सहायक है।
- **नियोक्ताओं के लिए:**
  - » यह योजना नियोक्ताओं की नियुक्ति लागत को कम करके उन्हें अधिक रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करती है।
  - » यह कर्मचारियों को बनाए रखने हेतु दीर्घकालिक प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे श्रमिक स्थायित्व सुनिश्चित होता है।
  - » विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है, जिससे इस क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक दूरदर्शी और क्रांतिकारी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के रोजगार परिदृश्य में संरचनात्मक परिवर्तन लाना है। यह योजना कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को

प्रोत्साहित करके एक मजबूत, कुशल और वित्तीय रूप से सुरक्षित कार्यबल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी।

भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 को संसद द्वारा पारित किया गया है, जोकि पुराने भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 का स्थान लेता है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के समुद्री शासन को आधुनिक बनाना और बंदरगाहों के प्रबंधन को ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और सुव्यवस्थित करना है।

विधेयक के उद्देश्य:

- यह विधेयक व्यापार सुगमता बढ़ाने, एकीकृत बंदरगाह विकास को प्रोत्साहित करने और भारत की 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक समकालीन कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से राज्यों द्वारा प्रबंधित गैर-प्रमुख बंदरगाहों के विनियमन, योजना और विकास को सुव्यवस्थित करना है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

- भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 केंद्र और तटीय राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक वैधानिक परामर्शदात्री निकाय, समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC), की स्थापना करता है। MSDC एकीकृत बंदरगाह विकास सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करेगा।
- तटीय राज्यों को राज्य समुद्री बोर्ड स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिससे भारत के 12 प्रमुख और 200 से अधिक गैर-प्रमुख बंदरगाहों में समान और पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू होगी।
- विधेयक समयबद्ध तरीके से क्षेत्र-विशिष्ट समाधान प्रदान करने हेतु विवाद समाधान समितियों का गठन भी करता है।
- यह विधेयक MARPOL और बलास्ट जल प्रबंधन जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के अनुपालन को अनिवार्य बनाता है, साथ ही बंदरगाहों को आपातकालीन तैयारी प्रणालियाँ बनाए रखने की आवश्यकता भी बताता है।
- डिजिटलीकरण एक प्रमुख मुद्दा है, जिसमें समुद्री एकल खिड़की (Maritime Single Window) और उन्नत पोत यातायात प्रणालियाँ जैसे उपाय दक्षता बढ़ाएँगे, अड़चनें कम करेंगे और लागत में कमी लाएँगे।

भारत की बंदरगाह अर्थव्यवस्था के बारे में:

- भारत की बंदरगाह आधारित अर्थव्यवस्था उसके समग्र आर्थिक परिदृश्य की आधारशिला है, जो न केवल वैश्विक व्यापार को सुलभ बनाती है, बल्कि घरेलू आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करती है।
- 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 13 प्रमुख बंदरगाहों और 200 से अधिक छोटे बंदरगाहों के साथ, भारत का समुद्री नेटवर्क मात्रा के आधार पर लगभग 95% और मूल्य के आधार पर 70% अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने में सहायक है।
- बंदरगाह भारत को वैश्विक बाजारों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वे राष्ट्रीय विकास और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के एक अभिन्न अंग बन जाते हैं।

सरकारी पहल:

- अपनी विशाल तटरेखा की क्षमता का दोहन करने के लिए, सरकार ने बंदरगाह-आधारित विकास को बढ़ावा देने, रसद में सुधार और बहु-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सागरमाला परियोजना जैसी पहल शुरू की है।
- निवेश आकर्षित करने, बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण और कार्गो हैंडलिंग दक्षता में सुधार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर ज़ोर दिया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त, भारत बंदरगाह संचालन को और अधिक स्मार्ट और तेज़ बनाने के लिए एआई, आईओटी और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को अपना रहा है।

चुनौतियाँ:

- प्रगति के बावजूद, भारत का बंदरगाह क्षेत्र अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई बंदरगाह अपर्याप्त जलगहराई, पुराने बुनियादी ढांचे और रसद संबंधी बाधाओं से प्रभावित हैं, जिससे माल की आवाजाही और टर्नअराउंड समय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

उपाय:

- उभरती तकनीकों को अपनाने और प्रबंधित करने हेतु कुशल समुद्री कार्यबल की आवश्यकता है।
- विशेष रूप से ट्रांसशिपमेंट यातायात के संदर्भ में भारत के बंदरगाहों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना आवश्यक है, ताकि वे सिंगापुर और

कोलंबो जैसे वैश्विक समुद्री केंद्रों के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

निष्कर्ष:

भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 भारत के बंदरगाह क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से न केवल समुद्री क्षमता का विकास संभव होगा, बल्कि तटीय आर्थिक क्षेत्रों को भी मजबूती मिलेगी। यह विधेयक भारत को वैश्विक समुद्री परिदृश्य में एक अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की पहल

संदर्भ:

हाल ही में विपक्षी दलों के गठबंधन 'INDIA' ब्लॉक द्वारा संसद में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की गई है। यह मांग उनकी हालिया प्रेस वार्ता के संदर्भ में उठाई गई है, जिसमें उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के संदर्भ में विपक्ष पर 'भ्रामक जानकारी फैलाने' का आरोप लगाया था।

भारत के चुनाव आयुक्तों के विषय में:

- मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के प्रमुख होते हैं, जो एक के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष चुनावों के संचालन की देखरेख करते हैं: संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 324) है जो देश में चुनावों के संचालन के लिए ज़िम्मेदार है। मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित:
  - लोकसभा (लोकसभा)
  - राज्यसभा (राज्य परिषद)
  - राज्य विधानसभाएँ और परिषदें
  - भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार दिया गया है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त दो चुनाव आयुक्तों के साथ मिलकर एक बहु-सदस्यीय आयोग बनाते हैं (1993 से) और सभी निर्णय तीनों सदस्यों की बहुमत से लिए जाते हैं।

नियुक्ति और कार्यकाल:

- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की तीन-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर आधारित होती है। उनका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो।

मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि) अधिनियम, 2023 के बारे में:

- यह अधिनियम, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले 1991 के अधिनियम का स्थान लेता है।
- यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के अनूप बरनवाल मामले (2023) के फैसले के बाद आया, जिसमें नियुक्तियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की चयन समिति बनाने का निर्देश दिया गया था।
- हालांकि, 2023 के अधिनियम में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है, जिससे कानूनी और संवैधानिक विवाद उत्पन्न हुए हैं।

STEP-BY-STEP REMOVAL PROCESS

- **Motion introduced:** Needs backing from at least 100 Lok Sabha or 50 Rajya Sabha MPs.
- **Parliamentary Debate:** If accepted, *debated* in House.
- **Voting:** Must pass in both Lok Sabha and Rajya Sabha by a *2/3 majority* of present & voting plus over half the total strength.
- **Presidential Order:** Only then can the *President* formally remove the CEC.

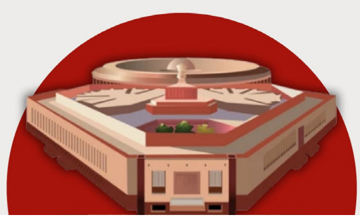

हटाने की प्रक्रिया:

» **आधार:** सिद्ध दुर्व्यवहार (जैसे भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग) या अक्षमता।

» **प्रस्ताव की शुरुआत:** राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों और लोकसभा में 100 सांसदों के समर्थन के साथ किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए।

» **जांच:** एक न्यायिक समिति आरोपों की जांच और सत्यापन करती है।

» **मतदान:** दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है।

» **राष्ट्रपति की कार्रवाई:** संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति को कार्रवाई करनी होती है; कोई विवेकाधिकार नहीं होता।

» **अन्य चुनाव आयुक्त:** केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित होती है।

- स्वतंत्रता के बाद से किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया नहीं गया है, जो आयोग की अखंडता और स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

यह विवाद लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं की पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास की आवश्यकता को उजागर करता है। चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को अपनी निष्पक्षता बनाए रखते हुए कार्य करना चाहिए, ताकि उनकी विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न न उठे। साथ ही, राजनीतिक दलों को भी आलोचना करते समय तथ्यों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। ऐसे संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी और मजबूत बनाते हैं।

कर्नाटक में गिग वर्कर्स के संरक्षण हेतु कानून

संदर्भ:

हाल ही में कर्नाटक विधानसभा ने "गिग वर्कर्स कल्याण विधेयक, 2025" पारित किया है, जिसका उद्देश्य डिलीवरी एजेंट, राइड-हेलिंग ड्राइवर जैसे प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स के लिए एक व्यापक और संरचित कल्याणकारी ढाँचा तैयार करना है। यह विधेयक गिग अर्थव्यवस्था के शहरी क्षेत्रों में हो रहे तेज़ विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य गिग वर्कर्स को बुनियादी अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, और बेहतर कार्य परिस्थितियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **कल्याण निधि का निर्माण:**

» विधेयक के अंतर्गत गिग वर्कर्स के लिए एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि स्थापित की जाएगी, जिसका उद्देश्य उनके सामाजिक और आर्थिक संरक्षण को सुनिश्चित करना है।

» इस निधि के प्रमुख स्रोतों में प्लेटफ़ॉर्म और वर्कर के बीच होने वाले प्रत्येक लेनदेन पर 1% से 5% तक का कल्याण शुल्क, गिग वर्कर्स द्वारा किया जाने वाला स्वैच्छिक योगदान तथा राज्य और केंद्र सरकारों से प्राप्त अनुदान शामिल होंगे। इस निधि के प्रशासनिक व्यय को कुल निधि के अधिकतम 5% तक सीमित रखा गया है, ताकि अधिकतम संसाधन सीधे वर्कर्स के कल्याण में उपयोग हो सकें।

ABOUT GIG WORKER

The Code on Social Security, 2020 defines a gig worker as someone engaged in income-generating activities outside the traditional employer-employee relationship.

Gig workers are broadly classified into:

- **Platform-based workers:** Those working through digital apps (e.g., Uber, Ola drivers, Swiggy or Zomato delivery agents).
- **Non-platform gig workers:** Casual or self-employed workers in conventional sectors (e.g., tailors, domestic helpers).

GOVERNMENT INITIATIVES FOR GIG WORKERS

1 **CODE ON SOCIAL SECURITY, 2020**

Enables registration of gig workers, creation of Social Security Funds, and formulation of insurance and welfare schemes by Central and State governments.

2 **NATIONAL SOCIAL SECURITY BOARD**

Will include gig worker and aggregator representatives to monitor welfare implementation.

3 **E-SHRAM PORTAL**

A centralized database to deliver targeted social security schemes to unorganized workers.

4 **BUDGET 2025**

Announced inclusion of gig workers under Ayushman Bharat (PMJAY) for health coverage.

- **गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड:**

» विधेयक के तहत एक समर्पित बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म का पंजीकरण,

कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, और अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने का कार्य करेगा।

- **विवाद समाधान:**
  - » गिग वर्कर्स और प्लेटफ़ॉर्म के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किए जाएंगे।
- **कार्य परिस्थितियाँ और आय सुरक्षा:**
  - » विधेयक गिग वर्कर्स के लिए उचित कार्य परिस्थितियों, स्वास्थ्य सुरक्षा और आय स्थिरता पर विशेष ज़ोर देता है, क्योंकि इनमें से कई श्रमिक प्रतिदिन 16 घंटे तक खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं।

गिग वर्कर के बारे में:

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग वर्कर को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से अलग होकर आय-सृजन वाली गतिविधियों में संलग्न होता है।
- गिग कार्य आमतौर पर लचीला, अंशकालिक या कार्य-आधारित होता है, जिसकी मध्यस्थता प्रायः डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से होती है।
- गिग वर्कर्स को मोटे तौर पर निम्न में वर्गीकृत किया जाता है:
  - » **प्लेटफ़ॉर्म-आधारित वर्कर:** वे श्रमिक जो डिजिटल ऐप्स जैसे उबर, ओला ड्राइवर, स्विगी या ज़ोमैटो डिलीवरी एजेंट के माध्यम से काम करते हैं।
  - » **गैर-प्लेटफ़ॉर्म गिग वर्कर:** पारंपरिक क्षेत्रों में आकस्मिक या स्व-नियोजित श्रमिक, जैसे दर्जी या घरेलू सहायक।
- नीति आयोग के अनुसार, भारत का गिग कार्यबल वर्तमान में लगभग 7.7 मिलियन है, जो 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है।

गिग वर्कर्स के लिए सरकारी पहल:

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** गिग वर्कर्स के पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा कोष के निर्माण, तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बीमा और कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण को सक्षम बनाती है।
  - » **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड:** कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर प्रतिनिधियों को शामिल करेगा।
  - » **ई-श्रम पोर्टल:** असंगठित श्रमिकों को लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ प्रदान करने हेतु एक केंद्रीकृत डेटाबेस है।
  - » **बजट 2025:** आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाई) के तहत गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य कवरेज में शामिल करने की घोषणा की गई है।

गिग वर्कर्स के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ:

- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** "स्वतंत्र ठेकेदार" के रूप में वर्गीकृत होने से वेतन, कार्य घंटे और सुरक्षा से वंचित रहते हैं।
- **स्वास्थ्य जोखिम:** लंबे समय तक काम और तेज़ डिलीवरी दबाव से दुर्घटना का खतरा बढ़ता है।
- **एल्गोरिथ्म नियंत्रण:** प्लेटफ़ॉर्म के अस्पष्ट एल्गोरिद्म से अक्सर अनुचित दंड होता है।
- **कम वेतन:** कई गिग वर्कर्स न्यूनतम आय कमाते हैं; जैसे ब्लिंकिट प्रति डिलीवरी ₹15 देता है, जो ईंधन खर्च भी पूरा नहीं करता।

निष्कर्ष:

गिग वर्कर्स वेलफेयर बिल, 2025 का कर्नाटक में पारित होना गिग वर्कर्स के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। यह कानून हजारों गिग वर्कर्स के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है और अन्य राज्यों के लिए भी गिग वर्कर्स के कल्याण को प्राथमिकता देने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे-जैसे गिग अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, यह जरूरी है कि गिग वर्कर्स को उनके बुनियादी अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2025 पारित

संदर्भ:

हाल ही में संसद ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया है, जिसका उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की भारत में उपलब्धता और पहुँच को बढ़ाना है। यह विधेयक मौजूदा पट्टाधारकों को अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान किए बिना इन महत्वपूर्ण खनिजों का खनन करने की अनुमति देता है, जिससे भारत निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बन जाता है और रणनीतिक संसाधनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करता है।

महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में:

- महत्वपूर्ण खनिज स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा अनुप्रयोगों सहित कई आधुनिक तकनीकों के लिए आवश्यक घटक हैं, जिनकी आपूर्ति श्रृंखलाएँ अक्सर व्यवधान के प्रति संवेदनशील होती हैं। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, अर्धचालकों, बैटरियों, नवीकरणीय ऊर्जा

और रक्षा निर्माण जैसे क्षेत्रों में अनिवार्य भूमिका निभाते हैं।

प्रमुख प्रावधान:

- यह विधेयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
  - पट्टाधारकों को अतिरिक्त रॉयल्टी के बिना अपने खनन पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण खनिजों को जोड़ने की अनुमति देना।
  - खनिज व्यापार में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए खनिज एक्सचेंज बनाने हेतु केंद्र सरकार को सशक्त बनाना।
  - महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण, निष्कर्षण और विकास को बढ़ावा देने की सरकार की क्षमता को सुदृढ़ बनाना।

सुधारों का महत्व:

- **संसाधन सुरक्षा:** भारत को विशेष रूप से चीन जैसे देशों से आयात पर निर्भरता कम करने में सहायता करता है।
- **स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा:** इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर पैनलों और बैटरी भंडारण के लिए घरेलू स्तर पर आवश्यक खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
- **रणनीतिक क्षेत्रों को समर्थन:** रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में भारत के विनिर्माण को सुदृढ़ बनाता है।
- **व्यापार सुगमता:** रॉयल्टी का भार कम कर और खनन प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निवेश को आकर्षित करता है।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के बारे में:

- सुधारों के पूरक के रूप में, सरकार ने ₹34,000 करोड़ के बजट के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
  - 24 चिन्हित महत्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण।
  - देश में और समुद्र के भीतर खनिज भंडारों का विकास।
  - खनन क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देना।
- औद्योगिक उपयोग और विकास पर बढ़ते फोकस को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नाम बदलकर अब राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट कर दिया गया है।

चुनौतियाँ:

- हालाँकि यह पहल महत्वाकांक्षी है, फिर भी इसके समक्ष कई चुनौतियाँ हैं:
  - पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन से जुड़े पर्यावरणीय जोखिम।
  - तकनीकी रूप से उन्नत देशों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा।
  - घरेलू स्तर पर शोधन और प्रसंस्करण क्षमताओं की कमी।
  - इन खनिजों की रणनीतिक प्रकृति के कारण उत्पन्न भू-राजनीतिक जटिलताएँ।

निष्कर्ष:

महत्वपूर्ण खनिज मिशन, यदि पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक मज़बूत स्थान दिला सकता है। यह न केवल आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और ऊर्जा संक्रमण जैसी प्रमुख राष्ट्रीय पहलों को गति देगा, बल्कि आर्थिक विकास और रणनीतिक सुरक्षा को भी सुदृढ़ बनाएगा।

संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025

संदर्भ:

हाल ही में सरकार ने लोकसभा में संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया, जिसका विपक्ष ने कड़ा विरोध किया। यह विधेयक अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन करते हुए गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखे

गए मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास करता है। वर्तमान में, इस विधेयक को अग्रिम परीक्षण हेतु संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया है।

संशोधन के प्रमुख प्रावधान:

- संशोधन के मूल में निम्न प्रस्ताव हैं:
  - प्रधानमंत्री सहित कोई भी केंद्रीय मंत्री, जिसे पाँच वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा वाले आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है, उसे या तो इस्तीफा देना होगा या वह स्वतः ही पद से हट जाएगा।
  - यदि प्रधानमंत्री 31वें दिन तक इस्तीफा नहीं देते, तो वे स्वतः पदमुक्त हो जाएंगे।
  - इसी तरह के प्रावधान राज्य के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होंगे, जहाँ पद से हटाने की सिफारिश मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेंगे (मुख्यमंत्री के मामले में स्वैच्छिक इस्तीफा आवश्यक होगा)।
  - दिल्ली सरकार के संदर्भ में, अनुच्छेद 239AA के तहत समान प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, जहाँ मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- महत्वपूर्ण यह है कि विधेयक हिरासत से रिहा होने के बाद और यदि व्यक्ति बरी हो जाता है या कानूनी रूप से योग्य होता है, तो पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है। इससे कानूनी अनिश्चितता के दौरान अस्थायी रूप से पद से हटाने की आवश्यकता और निष्पक्षता के बीच संतुलन बना रहता है।

KEY PROVISIONS OF THE BILL

AMENDMENT TO ARTICLE 75
- Relates to Council of Ministers at the Union level

GROUNDS FOR REMOVAL
- Any minister detained in custody for 30 days must be removed from office

PROCEDURE
- Removal within 31 days of detention by the President (Union level) or Governor (State level), based on PM/CM's advice
- Ministers can be re-appointed once released from custody

GROUNDS FOR REMOVAL
- Any minister detained in custody for 30 days must be removed from office

OBJECTIVE
- To strengthen good governance and ensure ministers uphold moral and constitutional integrity

GOVERNMENT'S STAND

Ensures that ministers facing prolonged detention on serious charges do not continue in office

Promotes trust, accountability and ethical governance

उद्देश्य:

- **संवैधानिक नैतिकता का संरक्षण:** यह सुनिश्चित करना कि गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति मंत्री पद पर बने न रहें, ताकि जनता का विश्वास प्रभावित न हो।
- **स्वच्छ शासन:** सुशासन के सिद्धांतों के अनुरूप, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को कार्यकारी पदों पर बने रहने से रोकना।

विवाद और चिंताएँ:

- **संभावित दुरुपयोग:** आलोचक यह मानते हैं कि इस विधेयक का उपयोग विपक्षी नेताओं को चुनिंदा गिरफ्तार या हिरासत में लेने के लिए किया जा सकता है, जिससे निर्दोषता की अवधारणा कमजोर हो सकती है।
- **संघवाद और शक्तियों के पृथक्करण:** यह विधेयक संघवाद तथा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकता है, जिससे इसकी संवैधानिकता पर विवाद उत्पन्न हो सकता है।

संयुक्त संसदीय समिति के बारे में:

- संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) लोकसभा के नियमों के तहत गठित एक तदर्थ, द्विदलीय समिति है, जो विशिष्ट विधेयकों या नीतिगत मामलों की गहन जाँच करती है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित यह समिति दोनों सदनों के सदस्यों (आमतौर पर लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10) से मिलकर बनती है और यह पार्टीगत अनुपात को दर्शाती है।
- जेपीसी दस्तावेज़, गवाहों और विशेषज्ञों को बुलाने का अधिकार रखती है। यद्यपि इसकी सिफ़ारिशें सलाहकार होती हैं, लेकिन ये कानून निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। आमतौर पर, समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 90 दिन का समय दिया जाता है, जिसे बाद में संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

आगे की राह:

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 ने सार्वजनिक पदों पर जवाबदेही और उचित प्रक्रिया व संघवाद के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने पर एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) अपनी समीक्षा शुरू कर रही है, ऐसे में लोकतांत्रिक मानदंडों को नुकसान पहुँचाए बिना सुधार सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित, आम सहमति से प्रेरित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा।

विदेशी नागरिकों को भी जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार

संदर्भ:

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक बांग्लादेशी महिला को ज़मानत प्रदान की, जो फरवरी 2025 से धोखाधड़ी, जालसाज़ी और भारत में अवैध प्रवास के आरोपों में हिरासत में थी। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की धरती पर मौजूद हर व्यक्ति को यह सुरक्षा प्राप्त है। न्यायालय ने यह भी कहा कि बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत "अपरिवर्तनीय अन्याय" के समान है।

शासन और कानून पर प्रभाव:

- **अनुच्छेद 21 का दायरा विदेशी नागरिकों तक:** यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की उस व्याख्या के अनुरूप है जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त शब्द "व्यक्ति" केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशी नागरिकों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह भारत की संवैधानिक नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों को मज़बूती प्रदान करता है।
- **ज़मानत अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं:** अदालत ने यह रेखांकित किया कि ट्रायल से पहले दी गई हिरासत हमेशा न्यायसंगत और संतुलित होनी चाहिए। विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए, जो हाशिये पर हैं या नागरिकता से वंचित हैं, ज़मानत उनके अधिकारों की सुरक्षा का अहम साधन है।
- **मानवीय दृष्टिकोण से न्याय:** अदालत ने यह स्वीकार किया कि विदेशी नागरिकों विशेषकर महिला नागरिक के लिए ज़मानत राशि और ज़मानतदार की शर्तें पूरी करना बेहद कठिन होता है। इसलिए महिला को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया गया।
- **विदेशी व शरणार्थी कानून पर प्रभाव:** यह मामला भारत में विदेशी नागरिकों और शरणार्थियों से जुड़े कानूनों के प्रति विकसित हो रही न्यायिक दृष्टि को आगे बढ़ाता है। साथ ही यह हिरासत, निर्वासन नीति और मानवाधिकार सुरक्षा में मौजूद खामियों और सुधार की आवश्यकता को भी उजागर करता है।

बीएनएसएस (BNSS) में ज़मानत के प्रावधान:

- ज़मानत वह प्रक्रिया है, जिसमें किसी अपराध के संदिग्ध या अभियुक्त व्यक्ति को अस्थायी रूप से इस भरोसे पर रिहा किया जाता है कि वह अदालत द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थित होगा।
- पहले ज़मानत की परिभाषा मुख्यतः न्यायिक व्याख्या से मिलती थी, लेकिन BNSS, 2023 की धारा 479 ने इसे वैधानिक रूप से परिभाषित कर दिया है।
- BNSS में यह भी प्रावधान है कि गिरफ़्तारी के समय अभियुक्त को गिरफ़्तारी के कारण बताए जाने चाहिए। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 में निहित है और CrPC की धारा 50 के अनुरूप है।
- **मुख्य बदलाव:**
    - » BNSS के तहत पहली बार अपराध करने वाले अभियुक्त को, यदि वह अधिकतम सज़ा की एक-तिहाई अवधि जेल में बिता चुका है, तो उसे ज़मानत मिल सकेगी।
    - » पहले CrPC में यह अवधि आधी सज़ा पूरी करने के बाद ही लागू होती थी।
    - » हालांकि, यह सुविधा उन अभियुक्तों को नहीं मिलेगी जिनके खिलाफ एक से अधिक मुकदमे या आरोप लंबित हैं।

विदेशी नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकार:

- भारत में विदेशी नागरिकों को भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं :
    - » **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता
    - » **अनुच्छेद 20:** अपराधों के लिए दोषसिद्धि से सुरक्षा
    - » **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण
    - » **अनुच्छेद 21A:** बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार
    - » **अनुच्छेद 23:** मानव तस्करी और बंधुआ मज़दूरी का निषेध
    - » **अनुच्छेद 24:** कारखानों में बाल मज़दूरी पर प्रतिबंध
    - » **अनुच्छेद 25-28:** धर्म की स्वतंत्रता और उससे जुड़े अधिकार

निष्कर्ष:

उच्च न्यायालय का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि भारत के संवैधानिक मूल्य केवल नागरिकों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश की सीमाओं के भीतर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता का हो, उनका लाभ उठा सकता है। यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद न्याय, समानता और मानवीय गरिमा पर टिकी है।

3 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

25वाँ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन
परिणाम, भारत की भूमिका और भू-राजनीतिक निहितार्थ

परिचयः

हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का 25वाँ शिखर सम्मेलन, चीन के तियानजिन में आयोजित हुआ, जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान सहित दस सदस्य देशों के नेताओं ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन एक ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुआ जब वैश्विक राजनीति तेजी से बहुध्रुवीय हो रही है। यूरेशिया महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का नया मोर्चा बन गया है और शंघाई सहयोग संगठन जैसी संस्थाओं की परीक्षा हो रही है कि वे प्रतीकात्मक घोषणाओं से आगे जाकर ठोस सहयोग देने में सक्षम हैं या नहीं।

भारत की भागीदारी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मलेन में महत्वपूर्ण रही। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सात वर्षों में पहली चीन यात्रा थी और 2020 की सीमा झड़पों के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी पहली द्विपक्षीय मुलाकात। इस संदर्भ में, यह शिखर सम्मेलन संस्थागत सहयोग जितना था उतना ही भू-राजनीति पर भी केंद्रित रहा।

2025 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामः

- **आतंकवाद-निरोध और सुरक्षा सहयोग**
  - तियानजिन घोषणा में तीन चुनौतियों—आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद—से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
  - सदस्य देशों ने RATS के माध्यम से समन्वय को गहन करने, अधिक संयुक्त अभ्यास और खुफिया साझाकरण करने पर सहमति जताई।
  - साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई, जिसमें साइबर आतंकवाद और ऑनलाइन कट्टरपंथ के खिलाफ क्षेत्रीय तंत्र बनाने पर चर्चा हुई।
  - भारत ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में "दोहरे मानदंडों" पर चिंता जताई, परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर सीमा-पार आतंकवाद और उसे राजनीतिक संरक्षण देने वालों की ओर इशारा किया।
- **संपर्क और व्यापार**
  - चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से अधिक तालमेल के लिए दबाव डाला। रूस और मध्य एशियाई देशों ने इसका समर्थन किया, जबकि भारत ने संप्रभुता उल्लंघन का हवाला देते हुए इसका विरोध किया, विशेषकर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) में।

- » ईरान ने चाबहार बंदरगाह और उसके अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) को BRI के तटस्थ विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया।
- » डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स और फिनटेक सहयोग पर एक कार्य समूह स्थापित किया गया, जो व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक कदम है।
- » सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में लेन-देन को बढ़ावा देने पर सहमति बनी।

- **ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन**
  - » रूस, कजाखस्तान और ईरान जैसे ऊर्जा-संपन्न सदस्य देशों ने दक्षिण एशिया और उससे आगे तक स्थिर ऊर्जा प्रवाह की आवश्यकता पर जोर दिया।
  - » सीमा-पार पाइपलाइनों, नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड्स के प्रस्ताव रखे गए।
  - » भारत ने स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा संक्रमण के लिए सस्ती वित्तपोषण पर बल दिया।
  - » शंघाई सहयोग संगठन ने एक संयुक्त जलवायु कार्य योजना अपनाई, जिसमें मरुस्थलीकरण नियंत्रण, जल सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- **संस्थागत विस्तार और सुधार**
  - » बेलारूस को नवीनतम पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जिससे SCO का विस्तार दस राज्यों तक हो गया।
  - » मंगोलिया, अफगानिस्तान और तुर्की जैसे प्रेक्षक राज्यों ने गहन भागीदारी में रुचि व्यक्त की।
  - » संस्थागत सुधारों पर चर्चा हुई, जिसमें भारत ने पारदर्शिता, सहमति-आधारित निर्णय और किसी एक सदस्य के प्रभुत्व में कमी पर जोर दिया।

तियानजिन में भारत की भूमिका:

भारत ने शिखर सम्मेलन में संतुलित व्यवहार अपनाया:

- **आतंकवाद को मुख्य मुद्दा बनाना:**
  - » प्रधानमंत्री मोदी ने दृढ़ता से दोहराया कि आतंकवाद क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है।
  - » भारत ने SCO का उपयोग पाकिस्तान की दोगली नीति को उजागर करने के लिए किया, लेकिन सीधा टकराव से बचा गया।
  - » शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के नेताओं ने एक संयुक्त घोषणा जारी की, जिसमें अन्य बातों के अलावा 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई।

- **सतर्कता के साथ संपर्क:**
  - » भारत ने भौतिक और डिजिटल संपर्क की अहमियत पर जोर दिया, लेकिन शर्त रखी कि यह संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता

का सम्मान करे।

- » चाबहार और INSTC को आगे बढ़ाकर, भारत ने एक वैकल्पिक संपर्क दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो चीन-प्रभुत्व वाले परियोजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता को कम करता है।

- **महाशक्तियों के बीच संतुलन:**
  - » चीन (सीमा तनाव) और रूस (बीजिंग के करीब झुकाव) के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, भारत ने सक्रिय भागीदारी चुनी ताकि यूरेशियाई भू-राजनीति से अलग-थलग न पड़े।
  - » यह भारत की व्यापक बहु-संरेखण (multi-alignment) रणनीति को दर्शाता है, जिसमें वह विभिन्न गुटों से जुड़ता है लेकिन किसी एक का पूरा सदस्य नहीं बनता।
- **आर्थिक और ऊर्जा हित:**
  - » भारत ने मध्य एशियाई ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच की आवश्यकता पर जोर दिया।
  - » दवा, आईटी और डिजिटल तकनीकों में निकट सहयोग का प्रस्ताव रखा, जिनमें भारत को तुलनात्मक लाभ है।

शंघाई सहयोग संगठन के बारे में

- **उत्पत्ति और सदस्यता:** 2001 में चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने इसे मुख्यतः सीमा विवादों के प्रबंधन और विश्वास निर्माण के लिए स्थापित किया। भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए, ईरान 2023 में और बेलारूस 2025 में।
- **संरचना:** शंघाई सहयोग संगठन (SCO) राज्य प्रमुखों की परिषद (शिखर स्तर), सरकार प्रमुखों की परिषद (आर्थिक सहयोग) और ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद-निरोधक संरचना (RATS) जैसी विशेष संस्थाओं के माध्यम से कार्य करता है।
- **परिधि:** प्रारंभ में सुरक्षा केंद्रित, यह अब व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, पर्यावरण और सांस्कृतिक संबंधों तक फैल गया है।
- **वैश्विक महत्व:** शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सदस्य देश विश्व की 40% से अधिक जनसंख्या, 30% वैश्विक जीडीपी और यूरेशिया के विस्तृत भूभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे यह भौगोलिक दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बनता है।

भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन का महत्व:

- **मध्य एशिया तक रणनीतिक पहुंच:** पाकिस्तान की बाधाओं के कारण भारत को मध्य एशिया से सीधा जमीनी संपर्क नहीं है। एससीओ भारत को इस क्षेत्र से जुड़ने का बहुपक्षीय मंच देता है।
- **चीन और पाकिस्तान का संतुलन:** भारत, यूरेशिया से संपर्क बनाकर चलना चाहता है, जिससे चीन-पाकिस्तान प्रभाव का विस्तार न हो। एससीओ भारत को उस मंच पर बनाए रखता है जहाँ रणनीतिक निर्णय आकार ले रहे हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों के बीच, भारत एससीओ को रूस, कजाखस्तान और ईरान से स्थिर ऊर्जा संबंध सुरक्षित करने का माध्यम मानता है।
- **धारणा-निर्माण का मंच:** भारत एससीओ का उपयोग आतंकवाद, संप्रभुता और पारदर्शिता पर जोर देने के लिए करता है, जो इसे एक जिम्मेदार भागीदार की वैश्विक छवि के अनुरूप बनाता है।
- **बहुध्रुवीय राजनीति में पुल:** भारत की मौजूदगी सुनिश्चित करती है कि वह रूस और चीन दोनों से जुड़ा रहे, जबकि अन्य समूहों जैसे क्वाड और जी20 के माध्यम से अमेरिका और यूरोप के साथ संतुलन बनाए रखे।

चुनौतियाँ और सीमाएँ:

- **चीन का प्रभुत्व:** एससीओ वित्तीय और संस्थागत दोनों स्तरों पर चीन की ओर झुका हुआ है।
- **भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता:** द्विपक्षीय विवाद अक्सर संगठन में घुस आते हैं, जिससे इसकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।
- **रूस-चीन समीकरण:** पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते मॉस्को का बीजिंग के करीब झुकाव, भारत की रणनीतिक जगह को सीमित करता है।
- **बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं का अभाव:** एससीओ घोषणाएँ अक्सर गैर-बाध्यकारी रहती हैं, जिससे उनका व्यावहारिक प्रभाव घट जाता है।
- **विरोधाभासी हित:** सदस्य देश सिद्धांत रूप में आतंकवाद विरोध पर सहमत हैं, लेकिन परिभाषाएँ भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, जिन समूहों को भारत आतंकवादी मानता है, पाकिस्तान या चीन उन्हें अलग नजरिए से देखते हैं।

व्यापक भू-राजनीतिक निहितार्थ:

- **यूरेशिया के लिए:** एससीओ अब यूरेशियाई भू-राजनीति को आकार देने का मुख्य मंच बनता जा रहा है, जो NATO और EU जैसे पश्चिमी संस्थानों को चुनौती देता है।
- **वैश्विक शासन के लिए**: यह गैर-पश्चिमी समूहों के प्रभाव जताने

की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसमें चीन और रूस एससीओ को पश्चिमी प्रभुत्व के प्रतिवाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

- **भारत के लिए:** SCO (चीन-रूस नेतृत्व) और क्वाड/IBSA (लोकतांत्रिक, इंडो-पैसिफिक केंद्रित) के बीच संतुलन भारत की कूटनीतिक जटिलता को दर्शाता है।
- **वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए:** स्थानीय मुद्रा लेन-देन और ऊर्जा गलियारों जैसी पहलों के साथ, SCO यूरेशियाई व्यापार में धीरे-धीरे डॉलर-विहीनता (de-dollarization) की ओर बढ़ रहा है।

निष्कर्ष:

तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 ने संगठन की प्रासंगिकता को एक यूरेशियाई मंच के रूप में पुन: पुष्टि की, लेकिन साथ ही इसकी अंतर्विरोधों को भी उजागर किया। भारत के लिए, इसमें भागीदारी चीन की दृष्टि का समर्थन करना नहीं, बल्कि अपने हितों की रक्षा करना, यूरेशिया में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बनाए रखना और आतंकवाद तथा एकतरफा संपर्क परियोजनाओं का विरोध करना है। भारत के सामने चुनौती है संतुलन बनाए रखना, संलग्न रहते हुए दबे न रहना और साथ ही इंडो-पैसिफिक और अन्य क्षेत्रों में अपनी साझेदारियों को गहरा करना। संक्षेप में, भारत के लिए एससीओ कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है— एक ऐसी आवश्यकता जो उसे उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी जगह सुनिश्चित करती है।

परिचय:

भारत और जापान आज एशिया की दो अग्रणी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ और प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो शांति, स्थिरता और विकास के साझा मूल्यों से जुड़े हुए हैं। पिछले दो दशकों में उनकी साझेदारी निरंतर मज़बूत हुई है जो प्रारंभ में मुख्यतः आर्थिक और विकासात्मक थी, अब रणनीतिक, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा आयामों तक विस्तृत हो गई है। जापान, भारत का सबसे बड़ा विकास सहयोगी बनकर उभरा है, जबकि भारत, जापान को विशाल बाज़ार, कुशल श्रमशक्ति और क्षेत्रीय स्थिरता के निर्माण में एक विश्वसनीय साझेदार प्रदान करता है।

29- 30 अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा और 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन एक महत्वपूर्ण समय पर हुआ। वैश्विक व्यवस्था संक्रमण के दौर से गुजर रही है, जिसमें आर्थिक अनिश्चितताएँ, व्यापार तनाव और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियाँ शामिल हैं। ऐसे में यह यात्रा केवल एक औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि उस साझेदारी को गहराने का संकेत थी, जो अब अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, रक्षा और यहाँ तक कि अंतरिक्ष तक फैली हुई है। मूलतः इस यात्रा ने यह मज़बूत किया कि भारत और जापान केवल आर्थिक साझेदार नहीं बल्कि साझा भविष्य दृष्टिकोण वाले रणनीतिक सहयोगी भी हैं।

भारत-जापान संबंध:

- भारत और जापान की मित्रता का एक लंबा इतिहास है, लेकिन पिछले दो दशकों में इस रिश्ते को अभूतपूर्व गहराई और रणनीतिक महत्व मिला है। यह प्रगति विभिन्न चरणों में साझेदारी के उन्नयन से स्पष्ट है:
  - » 2000 – वैश्विक साझेदारी

» 2006 – रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी
» 2014 – विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी

- आज दोनों राष्ट्र प्रमुख एशियाई लोकतंत्र हैं और शीर्ष पाँच वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। उनका सहयोग द्विपक्षीय संबंधों से परे है और क्षेत्रीय व वैश्विक मंचों पर फैला हुआ है, जैसे कि क्वाड, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)।
- जापान भारत का सबसे बड़ा विदेशी विकास सहयोगी भी है, जिसकी आधिकारिक विकास सहायता (ODA) ने भारत की सबसे महत्वाकांक्षी अवसंरचना परियोजनाओं को आकार दिया है, जैसे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन।

शिखर सम्मेलन के दौरान प्रमुख समझौते:

- शिखर सम्मेलन ने कई ऐतिहासिक समझौतों हुए, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहराते हैं:
  » **कार्बन-मुक्त प्रौद्योगिकी** – ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र की स्थापना।
  » **डिजिटल साझेदारी 2.0** – कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और डिजिटल अवसंरचना में सहयोग, ताकि तकनीकी परिवर्तन की अगली लहर के लिए तैयारी हो सके।
  » **अपशिष्ट जल प्रबंधन** – भारतीय शहरों के लिए विकेन्द्रीकृत और टिकाऊ समाधान अपनाना।
  » **कुशल श्रमिक समझौता** – जापान अगले पाँच वर्षों में 5 लाख भारतीय श्रमिकों को अवसर देगा, जिनमें 50,000 कुशल पेशेवर शामिल होंगे।
  » **खनिज संसाधन सहयोग** – खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) और क्वाड जैसी पहलों के तहत महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करना।
  » **सांस्कृतिक आदान-प्रदान** – दोनों देशों के विदेश सेवा संस्थानों के बीच नई पहलें, ताकि सांस्कृतिक समझ और जन-जन के रिश्ते मज़बूत हों।
- इसके अतिरिक्त, दोनों नेताओं ने संयुक्त दृष्टि वक्तव्य (Joint Vision Statement) अपनाया, जो अगले दशक में आठ प्रमुख क्षेत्रों अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, स्थिरता, नवाचार, प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय स्थिरता, संपर्क और जन-जन संबंधों, में सहयोग का खाका प्रस्तुत करता है।

अंतरिक्ष सहयोग: चंद्रयान-5 मिशन

- शिखर सम्मेलन में अंतरिक्ष सहयोग प्रमुख रहा। इसरो और जाक्सा (जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी) ने चंद्रयान-5 लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन (LUPEX) मिशन के लिए समझौता किया।
  » **उद्देश्य:** चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करना, विशेषकर पानी और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों का अध्ययन।
  » **प्रक्षेपण:** जापान का H3-24L रॉकेट इसरो का लैंडर लेकर जाएगा, जो एक जापानी रोवर तैनात करेगा।
  » **महत्व:** यह मिशन न केवल भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाता है, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्र में भारत-जापान सहयोग को और गहराता है।

भारत में जापान की बड़ी निवेश योजना:

- इस यात्रा की एक प्रमुख घोषणा थी कि जापान अगले दशक में भारत में ¥10 ट्रिलियन (लगभग ₹6 लाख करोड़) का निवेश करेगा।
  » **केंद्रित क्षेत्र:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, स्टार्टअप और चिकित्सा नवाचार।
  » सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में 80% जापानी कंपनियाँ अपने परिचालन का विस्तार करने की योजना बना रही हैं, जबकि 75% पहले से ही लाभ में हैं।
  » भारत की सकारात्मकता—राजनीतिक स्थिरता, सतत आर्थिक वृद्धि और बड़ी कुशल कार्यबल—उसे एक आकर्षक निवेश केंद्र बनाती हैं।
- यह निवेश प्रतिबद्धता भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अमेरिकी निर्यात शुल्कों का सामना कर रहा है और इस परिस्थिति में जापानी सहयोग उसकी आर्थिक लचीलापन को मज़बूती देगा।
- **सेमीकंडक्टर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ध्यान केंद्रित:** दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा सहयोग पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुरक्षित करना है:
  » एआई विकास और अनुप्रयोग
  » सेमीकंडक्टर निर्माण
  » दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला
  » डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
- प्रधानमंत्री मोदी ने सेंडाई सेमीकंडक्टर संयंत्र का दौरा किया, जो 12-इंच वेफ़र का उत्पादन करने और उन्नत 28 nm और 55 nm नोड तकनीकों तक विस्तार करने जा रहा है।

- **रक्षा और सुरक्षा समझौते:** सुरक्षा सहयोग शिखर सम्मेलन का एक और प्रमुख स्तंभ था। भारत और जापान ने सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शामिल है:
  - » दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) के बीच नियमित संस्थागत संवाद।
  - » थल, जल और वायु सेनाओं के बीच अधिक बार संयुक्त सैन्य अभ्यास।
  - » हिंद-प्रशांत में सुरक्षित समुद्री मार्गों, समुद्री डकैती-रोधी उपायों और नौवहन की स्वतंत्रता हेतु मज़बूत नौसैनिक सहयोग।
  - » आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा, आपदा राहत और रक्षा अनुसंधान एवं विकास में संयुक्त कार्य।
- **अवसंरचना और विकास परियोजनाएँ:** जापान भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है, जिसने 2023–24 में ही लगभग $4.5 बिलियन की मदद दी।
  - » मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत-जापान सहयोग का प्रतीक बनी हुई है।
  - » नई प्रतिबद्धताओं में व्यापक गतिशीलता साझेदारी (रेल, सड़क और पुल), नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ और हाइड्रोजन-आधारित ऊर्जा समाधान शामिल हैं।
  - » भारतीय अवसंरचना में जापानी निजी और सार्वजनिक निवेश के और अवसर।
- **जन-जन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** सांस्कृतिक और मानवीय संबंध इस साझेदारी का केंद्रीय तत्व बने हुए हैं।
  - » **शिक्षा:** भारतीय और जापानी विश्वविद्यालयों के बीच अब 665 से अधिक शैक्षणिक साझेदारियाँ हैं।
  - » **स्किल कनेक्ट:** 2023 में शुरू हुआ एक मंच, जो भारतीय युवाओं को जापानी नियोक्ताओं से जोड़ता है।
  - » **पर्यटन:** वर्ष 2023–24 को "पर्यटन आदान-प्रदान वर्ष – हिमालय से फूजी पर्वत तक" के रूप में मनाया गया।
  - » **प्रवासी भारतीय:** जापान में लगभग 54,000 भारतीय रहते हैं, जो मुख्यतः आईटी, इंजीनियरिंग और कुशल क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

दारुमा डॉल के बारे में

- दारुमा डॉल जापानी संस्कृति में धैर्य और लक्ष्य निर्धारण का प्रतीक है, जिसकी जड़ें भारतीय बौद्ध परंपराओं में भी पाई जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान यह साझा सभ्यतागत रिश्तों को उजागर करने वाला संकेत था।
- दारुमा डॉल को धैर्य, सौभाग्य और लक्ष्य निर्धारण का प्रतीक माना जाता है।
- पेपर-माशे से बनी यह डॉल झुकने पर हमेशा सीधी हो जाती है, जो दृढ़ता दर्शाती है। "सात बार गिरो, आठवीं बार उठो" कहावत इससे जुड़ी हुई है।
- परंपरागत रूप से, लक्ष्य निर्धारित करते समय एक आँख बनाई जाती है और जब वह पूरा होता है तो दूसरी आँख बनाई जाती है, जो एकाग्र और दृढ़ बने रहने की याद दिलाती है।

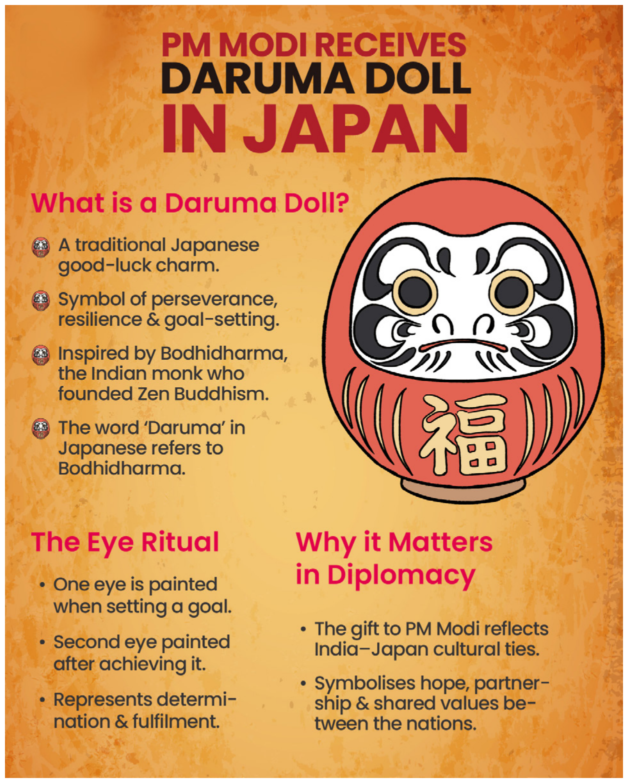

यात्रा का महत्व:

- ऐसे समय में जब भारत के अमेरिका से संबंध नए शुल्कों के कारण तनावपूर्ण हैं, जापान का आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग संतुलन प्रदान करता है।
- भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' और 'हिंद-प्रशांत महासागर पहल' जापान के 'मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत (FOIP)' दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।
- सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग आपूर्ति श्रृंखला की

लचीलापन को मज़बूत करता है, जो आज की वैश्विक चिंता है।

- विस्तारित रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग यह दर्शाते हैं कि भारत-जापान संबंध अब केवल आर्थिक दायरे से आगे बढ़कर रणनीतिक, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षेत्रों तक पहुँच चुके हैं।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय जापान यात्रा ठोस और प्रतीकात्मक दोनों थी। इसने प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रक्षा और अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति दिलाई, साथ ही सांस्कृतिक और जन-जन संबंधों की केंद्रीय भूमिका को भी मज़बूत किया। इस यात्रा ने यह पुनः पुष्टि की है कि जापान केवल एक विश्वसनीय आर्थिक सहयोगी नहीं, बल्कि उसके हिंद-प्रशांत रणनीतिक दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ है। नए निवेशों, उन्नत रक्षा संबंधों और आने वाले दशक के लिए स्पष्ट रोडमैप के साथ, इस यात्रा ने भारत-जापान साझेदारी को एक नए, भविष्य-उन्मुख चरण में पहुँचा दिया है।

संक्षिप्त मुद्दे

अज़रबैजान-आर्मेनिया शांति समझौता

संदर्भ:

हाल ही में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मध्यस्थता में अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता दशकों से चले आ रहे द्विपक्षीय संघर्ष को समाप्त कर क्षेत्र में स्थायी शांति एवं स्थिरता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास है।

समझौते के प्रमुख प्रावधान:

- **शत्रुता का स्थायी अंत**: दोनों देशों ने सभी प्रकार की शत्रुता को स्थायी रूप से समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा।
- **सीमापार परिवहन संपर्कों की बहाली:** आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच प्रमुख परिवहन मार्गों को पुनः खोलने का प्रावधान किया गया है, जिससे व्यापार और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **राजनयिक संबंधों की बहाली:** दोनों देश यात्रा, व्यापार और राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करेंगे, जिससे उनके द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।
- **अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि के लिए के लिए मार्ग:** अमेरिका एक प्रमुख पारगमन गलियारे के निर्माण में सहायता करेगा, जिसे "अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए ट्रम्प रूट" के रूप में जाना जाना जाएगा, जो मुख्य भूमि अज़रबैजान को अर्मेनियाई क्षेत्र के माध्यम से उसके नखचिवन एक्सक्लेव से जोड़ेगा।

सामरिक महत्व:

- **अमेरिकी भू-राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि:** यह समझौता काकेशस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सुदृढ़ करता है, रूस के प्रभुत्व को चुनौती देता है और अमेरिकी रणनीतिक हितों को प्रोत्साहित करता है।
- **क्षेत्रीय संपर्क में विस्तार:** "ट्रम्प रूट" ईरान और रूस को दरकिनार करते हुए तुर्की, अज़रबैजान और मध्य एशिया के बीच माल एवं जन-परिवहन को सुगम बनाएगा।
- **आर्थिक लाभ:** इस गलियारे से द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय समृद्धि में वृद्धि की संभावना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- नागोर्नो-काराबाख, मुस्लिम-बहुल अज़रबैजान के भीतर स्थित एक

प्रमुखतः अर्मेनियाई (ईसाई) आबादी वाला क्षेत्र, सोवियत काल में एक स्वायत्त क्षेत्र था। सोवियत संघ के विघटन (1991) से पूर्व ही जातीय तनाव तीव्र हो गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम नागोर्नो-काराबाख युद्ध (1988–1994) छिड़ा।

- इस युद्ध में आर्मेनिया ने नागोर्नो-काराबाख एवं आसपास के अज़रबैजानी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यद्यपि यह क्षेत्र जातीय अर्मेनियाई प्रशासन के अधीन रहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे अज़रबैजान का अभिन्न हिस्सा माना जाता रहा।

हालिया घटनाक्रम:

- द्वितीय नागोर्नो-काराबाख युद्ध (2020) में अज़रबैजान ने महत्वपूर्ण क्षेत्र पर पुनः कब्जा किया। 2023 में एक दिन के सैन्य अभियान के बाद उसने पूरे नागोर्नो-काराबाख पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और क्षेत्र को भंग कर दिया। इस कारण 1,00,000 से अधिक जातीय अर्मेनियाई आर्मेनिया पलायन कर गए, जिससे बड़ा मानवीय संकट उत्पन्न हुआ।

भारत की स्थिति और रणनीतिक हित:

- भारत की नीति तटस्थता की रही है। भारत OSCE मिन्स्क समूह के माध्यम से विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के सदस्य हैं, जो मध्य एशिया और उससे आगे भारत के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। इस कारण क्षेत्र में शांति भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है

आगे की चुनौतियाँ:

- **कार्यान्वयन:** समझौते की सफलता इसके कार्यान्वयन और दोनों पक्षों की साथ मिलकर काम करने की इच्छा पर निर्भर करती है।
- **शरणार्थियों का पुनर्वास:** नागोर्नो-काराबाख से विस्थापित अर्मेनियाई लोगों और युद्धबंदियों का भविष्य एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।
- **घरेलू विरोध:** दोनों देशों को घरेलू विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो समझौते की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष:

यह समझौता क्षेत्र में स्थायी शांति एवं स्थिरता स्थापित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यद्यपि भविष्य में कई चुनौतियाँ बनी रहेंगी, फिर भी इसमें आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने, तनाव कम करने और क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करने की उल्लेखनीय क्षमता है।

अलास्का शिखर सम्मेलन 2025

संदर्भ:

हाल ही में एंकोरेज में हुए अलास्का शिखर सम्मेलन 2025 में, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। वैश्विक सुरक्षा को लेकर बढ़ती चुनौतियों के बीच यह बैठक बिना किसी समझौते या युद्धविराम के समाप्त हुई, जिससे दोनों देशों के बीच मौजूद गहरे मतभेद सामने आए। हालांकि, इस सम्मेलन ने वाशिंगटन और मॉस्को के बीच संवाद के नए अवसर खोलने की उम्मीद भी जगाई है।

अलास्का शिखर सम्मेलन 2025 का महत्व:

- अलास्का शिखर सम्मेलन 2025, 1988 के बाद पहली बार अमेरिकी भूमि पर अमेरिकी और रूसी नेताओं के बीच हुई बैठक थी।
- इस बैठक का मुख्य विषय यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के संभावित मार्गों की खोज था।
- अमेरिकी पक्ष ने यूरोपीय सुरक्षा, नाटो की एकता और ट्रांसअटलांटिक संबंधों पर युद्ध के अस्थिर प्रभावों पर जोर दिया।
- रूसी पक्ष ने यूक्रेन में अपने क्षेत्रीय नियंत्रण को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने की मांग रखी।

परिणाम और व्यापक निहितार्थ:

- बैठक में कोई युद्धविराम या ठोस समझौता नहीं हो सका, जो दोनों पक्षों के दृढ़ रुख को दर्शाता है।
- हालांकि, इसके संभावित प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों में हो सकते हैं:
  - **वैश्विक भू-राजनीति:** अमेरिका-रूस संबंधों का पुनर्निर्धारण और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था से जुड़ी बहसों पर असर।
  - **ऊर्जा बाजार:** संघर्ष के चलते तेल और गैस की आपूर्ति में अस्थिरता बनी रह सकती है।
  - **व्यापार संबंध:** प्रतिबंध नीति में संभावित संशोधन, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकता है।
  - **नाटो एकजुटता:** गठबंधन रूस के विरुद्ध और अधिक मजबूत हो सकता है।

कूटनीतिक महत्व:

- वर्षों की शत्रुता के बाद वाशिंगटन और मॉस्को के बीच प्रत्यक्ष संचार माध्यमों की पुनःस्थापना हुई।
- दोनों नेता भविष्य में वार्ता के अवसर बनाए रखने और संवाद जारी रखने पर सहमत हुए।

रूस-यूक्रेन युद्धः

- **ऐतिहासिक संदर्भ:**
  - » इस संघर्ष की जड़ें 1991 में सोवियत संघ के पतन तक जाती हैं।
  - » एक पूर्व सोवियत गणराज्य के रूप में, यूक्रेन रूस और पश्चिमी यूरोप के बीच एक बफर राज्य के रूप में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है।
  - » स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यूक्रेन का नाटो और यूरोपीय संघ की ओर झुकाव रूस द्वारा लगातार अपने प्रभाव क्षेत्र में अतिक्रमण के रूप में देखा गया है।
- **2014 से वृद्धि:**
  - » 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे दोनों पक्षों के बीच संबंध काफी बिगड़ गए।
  - » पूर्वी यूक्रेन में जारी संघर्ष ने अविश्वास को और गहरा कर दिया।
  - » मिन्स्क समझौते सहित विभिन्न राजनयिक प्रयास स्थायी शांति स्थापित करने में असफल रहे हैं।

रूस –यूक्रेन युद्ध के कारण:

- **अंतर्निहित कारक:**
  - » रूस का यूक्रेन पर अपने ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र के रूप में दावा।
  - » पश्चिम और नाटो के साथ यूक्रेन के बढ़ते गठबंधन का कड़ा विरोध।
- **रूस का पक्ष :**
  - » मास्को ने आक्रमण को यूक्रेन की "सैन्यीकरण" और "नाज़ीवाद से मुक्त" करने के मिशन के रूप में प्रस्तुत किया।
- **संघर्ष के प्रमुख कारक:**
  - » नाटो विस्तार की आशंकाएँ और रूस की सुरक्षा चिंताएँ।
  - » यूक्रेन का पश्चिमी संस्थाओं के साथ घनिष्ठ संबंधों की ओर कदम।
  - » पूर्वी यूरोप में रूसी शक्ति और प्रभाव को पुनः स्थापित करने की पुतिन की रणनीतिक महत्वाकांक्षा।
  - » 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से तनाव का जारी रहना।

युद्ध के वैश्विक निहितार्थ:

- **प्रतिबंध और आर्थिक उपाय:**
  - » पश्चिमी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था, वित्तीय प्रणाली और राजनीतिक अभिजात वर्ग को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लगाए।
  - » साथ ही, यूक्रेन को बड़े पैमाने पर सैन्य एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- **उभरे वैश्विक संकट:**
  - » तेल और गैस आपूर्ति में बाधा के कारण गंभीर ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ।
  - » काला सागर क्षेत्र से अनाज निर्यात में गिरावट के चलते वैश्विक खाद्य असुरक्षा बढ़ी।
  - » व्यापक मानवीय संकट उत्पन्न हुआ, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए और बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए।
- **राजनयिक प्रयास:** संघर्ष को समाप्त करने हेतु कई मध्यस्थता प्रयास किए गए, जिनमें प्रमुख हैं:
  - » संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्धविराम और मानवीय गलियारों की अपील।
  - » काला सागर अनाज पहल जैसे सीमित समझौतों में तुर्की की मध्यस्थता।
  - » पूर्वी यूरोप में प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए नाटो की रणनीतियों का पुनर्निर्धारण।

निष्कर्ष:

अलास्का शिखर सम्मेलन भले ही शांति स्थापित करने में सफल न रहा

हो, लेकिन इसने कूटनीति के दोहरे स्वरूप—एक ओर संवाद और दूसरी ओर राजनीतिक मंचन—की वास्तविकता को रेखांकित किया। वैश्विक राजनीति में, असफल शिखर सम्मेलन भी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे जनमत, अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों और भविष्य की वार्ताओं की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।

रूस से तेल खरीद पर छूट

संदर्भ:

हाल ही में यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों के कारण बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच, रूस ने भारत को कच्चे तेल पर 5% की छूट की पेशकश की है। यह प्रस्ताव भारत-रूस के ऊर्जा सहयोग को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास है। यह घोषणा उस समय की गई जब भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर मास्को यात्रा पर थे और ऊर्जा, व्यापार तथा क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर रूसी नेतृत्व के साथ उच्च-स्तरीय में संलग्न थे।

पृष्ठभूमि:

- भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-TEC) के 26वें सत्र में भाग लेने के लिए मास्को का दौरा किया।
- यह यात्रा ऐसे समय पर हुई जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू किए हैं, जिसमें 25% पारस्परिक शुल्क और 25% अतिरिक्त शुल्क रूसी तेल के आयात से संबंधित हैं। इन वाणिज्यिक प्रतिबंधों ने 2025 में भारत-अमेरिका के बीच राजनयिक और व्यापारिक संकट को और गहरा कर दिया है।

यात्रा के निहितार्थ:

- भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर की हालिया मास्को यात्रा भारत-रूस संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है, जो दशकों से मजबूत और स्थिर रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग का लंबा इतिहास रहा है। वर्तमान में, भारत अपनी लगभग 35% कच्चे तेल की आपूर्ति रूस से करता है और रूस भारत के लिए सैन्य उपकरणों का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता भी है।

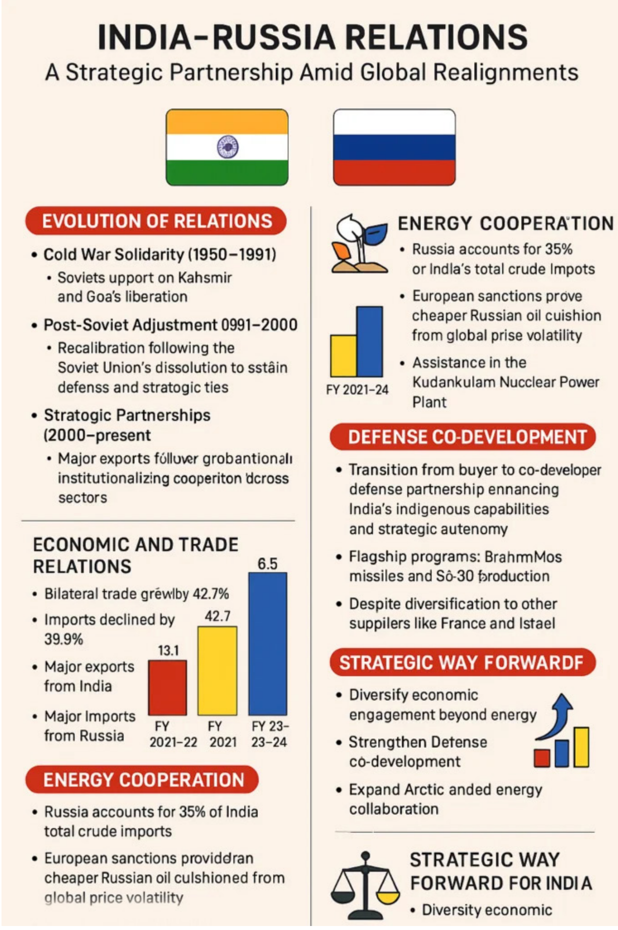

भारत-रूस संबंध के विषय में:

- भारत और रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) के बीच राजनयिक संबंध भारत की स्वतंत्रता से पहले ही, अप्रैल 1947 में स्थापित हो गए थे। भारत के औद्योगिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को उस समय सोवियत संघ में एक स्वाभाविक सहयोगी मिला।
- शीत युद्ध के दौर में भारत-सोवियत संबंध अत्यंत प्रगाढ़ हुए। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया तथा 1966 में ताशकंद शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर शांति स्थापना में भूमिका निभाई।
- विशेष रूप से 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय, जब अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, सोवियत संघ भारत के साथ मज़बूती से खड़ा रहा। इसी दौर में दोनों देशों के बीच 1971 की शांति, मैत्री और सहयोग संधि संपन्न हुई, जो द्विपक्षीय संबंधों का शिखर मानी जाती है।
- सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत का समर्थन किया और 1957 से 1971 के बीच कई बार वीटो का प्रयोग किया—

विशेषकर कश्मीर और गोवा से संबंधित मुद्दों पर।

- इस दौरान, भारतीय नीति-निर्माताओं के लिए मास्को एक विश्वसनीय रणनीतिक भागीदार के रूप में उभरा।

वर्तमान स्वरूप:

- सोवियत संघ के विघटन के बाद, वर्ष 2000 में भारत-रूस संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" में परिवर्तित किया गया, जिसे 2010 में "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" में उन्नत किया गया। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन (कुछ अपवादों को छोड़कर) एक नियमित अभ्यास बन चुका है, जो द्विपक्षीय राजनयिक निरंतरता को दर्शाता है।
- 2021 से, दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद भी शुरू हुआ है, जो रक्षा, ऊर्जा और कूटनीति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

विदेश मंत्री की मॉस्को यात्रा ने भारत-रूस के दीर्घकालिक और भरोसेमंद संबंधों को और सुदृढ़ किया है। रूस द्वारा रियायती तेल की पेशकश ऐसे समय पर आई है जब भारत वैश्विक अस्थिरता के बीच अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। यह यात्रा दर्शाती है कि भारत कूटनीतिक संतुलन और लचीलापन बनाए रखते हुए, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूती से स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।

भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी

संदर्भ:

हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की भारत यात्रा के दौरान भारत और फिलीपींस के बीच रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया। यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास रही, जिससे रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग को बढ़ावा मिला।

राष्ट्रपति मार्कोस की भारत यात्रा की मुख्य विशेषताएँ:

- **रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप**: दोनों देशों ने अपने संबंधों को औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक विकसित किया, जिससे रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग को बल मिला।
- **समुद्री सुरक्षा और रक्षा वार्ता:** रक्षा प्रौद्योगिकियों और सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित एक मंत्रिस्तरीय रक्षा वार्ता को संस्थागत रूप दिया गया।
- **ब्रह्मोस सौदे का विस्तार:** फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल सौदे के विस्तार में अपनी रुचि की पुष्टि की, जिसमें उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के संयुक्त उत्पादन और सह-विकास की संभावनाएँ शामिल हैं।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग:** भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचे में आसियान की केंद्रीय भूमिका का समर्थन दोहराया और भारत ने दक्षिण चीन सागर पर 2016 के मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले के प्रति भी अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया, जो फिलीपींस की क्षेत्रीय स्थिति के अनुरूप है।
- **व्यापार और आर्थिक प्रतिबद्धताएँ:** दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की प्रतिबद्धता जताई। कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल भुगतान और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में, जो आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेंगे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- भारत और फिलीपींस के बीच 1949 से राजनयिक संबंध रहे हैं। दशकों से, उनके संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, उपनिवेश-विरोधी विरासतों और समान भू-राजनीतिक चिंताओं से विकसित हुए हैं।

भारत की "पूर्व की ओर देखो" (Look East) और बाद में "पूर्व की ओर कार्य करो" (Act East) नीति ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ उसके जुड़ाव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है, और फिलीपींस इस दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा है।

व्यापार और आर्थिक संबंध:

- भारत और फिलीपींस के बीच लंबे समय से आर्थिक संबंध रहे हैं। उनके औपचारिक व्यापार समझौते पर 1979 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन 1990 के दशक के अंत में, भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के कारण, द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाने लगी।
- 2009 में हस्ताक्षरित भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते ने इस व्यापार संबंध को और गति दी।
- द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में पहली बार 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया, जो 2023-24 में 3.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। भारत वर्तमान में फिलीपींस के साथ व्यापार अधिशेष की स्थिति में है।

निष्कर्ष:

भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी का औपचारिक रूप उनके बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास है। दोनों देश विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग, व्यापार विस्तार और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रयासों से लाभ उठाने की दिशा में अग्रसर हैं। चीन की समुद्री आक्रामकता को लेकर साझा चिंताओं और एक स्वतंत्र, खुली तथा नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था की साझा प्रतिबद्धता के साथ, भारत-फिलीपींस संबंध दक्षिण-पूर्व एशिया और उससे आगे के सुरक्षा परिदृश्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

रूस आईएनएफ संधि से हटा

संदर्भ:

हाल ही में रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति (INF) संधि से हटने की घोषणा की है, जो 1987 में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक हथियार नियंत्रण समझौता था। यह निर्णय दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में लिया गया है, जो भू-राजनीतिक टकराव, प्रतिबंधों और परमाणु नीति में आक्रामक रुख से प्रेरित है।

आईएनएफ संधि के बारे में:

- अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित 'इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज' (INF) संधि एक महत्वपूर्ण हथियार नियंत्रण समझौता थी, जिसका उद्देश्य 500 से 5,500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली परमाणु मिसाइलों की तैनाती को रोकना था।
- शीत युद्ध के दौरान हथियार नियंत्रण व्यवस्था के संदर्भ में यह संधि एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य विशेष रूप से यूरोप में परमाणु संघर्ष के बढ़ते खतरे को कम करना था।
- इस संधि ने उन मिसाइलों को प्रभावी रूप से हटाया, जिन्हें कम समय में तैनात किया जा सकता था और जो कम दूरी पर भी अत्यधिक विनाशकारी हमले करने में सक्षम थीं।

रूस द्वारा आईएनएफ (INF) संधि छोड़ने के कारण:

- रूस का आईएनएफ संधि से बाहर निकलने का निर्णय अमेरिका की कार्रवाइयों—विशेष रूप से यूरोप और एशिया में मध्यम दूरी की मिसाइलों की तैनाती—के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।
- मास्को इन तैनातियों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और तर्क देता है कि ये संधि की मूल भावना को कमजोर करती हैं।
- एक अन्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूस पर लगाए गए व्यापक प्रतिबंध हैं, जिनके चलते दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया।
- इन प्रतिबंधों में भारत और चीन जैसे देशों पर दंडात्मक उपायों की चेतावनी शामिल थी, जो रूसी तेल खरीदना जारी रखे हुए थे। इसके अतिरिक्त, यूक्रेन संकट पर अमेरिकी मांगों का पालन न करने वाले देशों को दंडित करने की धमकियाँ भी दी गई थीं।

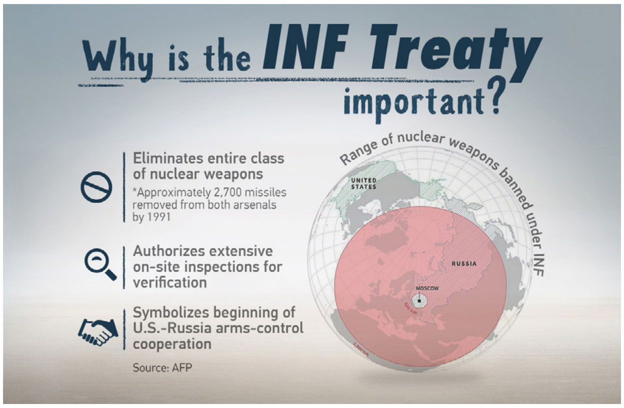

कौन से देश सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं?

- INF संधि के विघटन से सबसे तात्कालिक रूप से प्रभावित यूरोप के नाटो सदस्य देश और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देश हैं। रूस का संधि से हटना और मध्यम दूरी की मिसाइलों की पुनः तैनाती का उसका इरादा यूरोपीय देशों, विशेष रूप से रूस से सटे देशों के लिए प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न करता है। एस्टोनिया, पोलैंड और यूक्रेन जैसे नाटो सहयोगी अब रूसी मिसाइलों की नई तैनाती की सीमा में आ गए हैं।

वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव:

- INF संधि का विघटन एक अधिक अस्थिर और खतरनाक वैश्विक व्यवस्था की संभावना को दर्शाता है, जहाँ शांति और सुरक्षा का निर्धारण कूटनीति के बजाय तात्कालिक मिसाइल तैनाती पर आधारित हो सकता है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कोई स्पष्ट और विश्वसनीय व्यवस्था नहीं रही, तो गलतफहमी और टकराव की आशंका बढ़ सकती है।
- अमेरिका और रूस के बीच प्रत्यक्ष और प्रभावी संवाद की कमी इस अनिश्चितता और तनाव को और अधिक बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष:

रूस के INF संधि से हटने और उसकी नई मिसाइल संबंधी महत्वाकांक्षाओं ने यह आशंका बढ़ा दी है कि विश्व एक नए शीत युद्ध जैसे परिदृश्य की ओर बढ़ रहा है। परमाणु-सक्षम हथियारों की पारस्परिक तैनाती, क्षेत्रीय तनावों में वृद्धि और परस्पर प्रतिबंधों की नीति इस ओर संकेत करती है कि शीत युद्ध के बाद का रणनीतिक सहयोग का युग समाप्ति की ओर है।

भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन

संदर्भ:

हाल ही में भारत और सिंगापुर के मध्य मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन का तीसरा चरण नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करना था।

बैठक के प्रमुख फोकस क्षेत्र:

- गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत और सिंगापुर ने इंडिया-सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंडटेबल (ISMR) के अंतर्गत सहयोग के छह प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया। इनमें डिजिटलीकरण, कौशल विकास, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, उन्नत विनिर्माण तथा संपर्कता शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सहयोग का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक साझेदारी को व्यापक बनाना है।

भारत-सिंगापुर संबंध:

- **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध:**
  - » भारत और सिंगापुर के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। वर्ष 1819 में, सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने सिंगापुर को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था और उस समय इसका प्रशासनिक नियंत्रण कोलकाता से संचालित होता था।
  - » स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, भारत 1965 में सिंगापुर को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बना। वर्तमान में सिंगापुर में लगभग 9.1% जातीय भारतीय आबादी निवास करती है, जो इस ऐतिहासिक संबंध को और अधिक सुदृढ़ बनाती है।
  - » तमिल, सिंगापुर की चार आधिकारिक भाषाओं में से एक है, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होते हैं। इसके अतिरिक्त, सिंगापुर में लगभग पाँचवां हिस्सा विदेशी नागरिकों का है, जिनमें बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की है, जिससे लोगों के बीच आपसी संबंध और सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- **आर्थिक, सामरिक और रक्षा सहयोग:**
  - » सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति, इंडो-पैसिफिक विज़न तथा सागरीय सहयोग पहल (SAGAR) में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार बना हुआ है।
  - » यह आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और वैश्विक स्तर पर (2023–24) भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) के बाद द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
  - » भारत इस व्यापार संबंध में एक शुद्ध आयातक है। वर्ष 2016 में हस्ताक्षरित प्रत्यक्ष कर परिहार समझौता (DTAA) का उद्देश्य दोहरे कराधान से बचाव के साथ-साथ कर चोरी को कम करना भी है।
  - » रक्षा क्षेत्र में सहयोग लगातार सुदृढ़ हो रहा है। इसमें 'अग्नि योद्धा' (सेना), 'सिम्बेक्स' (नौसेना) और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण

(वायु सेना) जैसे त्रि-सेवा अभ्यास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, रुपे-यूपीआई और पेनाउ लिंकेज जैसे ऐतिहासिक कदमों के माध्यम से फिनटेक क्षेत्र में भी दोनों देश अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जिससे डिजिटल भुगतान प्रणाली और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियाँ:

- मज़बूत द्विपक्षीय संबंधों के बावजूद, कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।
- चीन में सिंगापुर की भारी निवेश उपस्थिति (BRI निवेश का 85%) और कर-मुक्त निवेश के रूप में इसकी प्रतिष्ठा, राउंडट्रिपिंग के बारे में चिंताएँ बढ़ाती है।
- दोनों देशो के व्यापार में सीमित सेवा निर्यात पहुँच और व्यावसायिक गतिशीलता में बाधाएँ भी आपसी आर्थिक सहयोग को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त, सोने की तस्करी और भारतीय कामगारों को निशाना बनाकर फैलाए गए भारत-विरोधी भावनात्मक माहौल जैसी घटनाएँ द्विपक्षीय संबंधों को और जटिल बना देती हैं।

निष्कर्ष:

भारत–सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन, रणनीतिक सहयोग और पारस्परिक समृद्धि को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक प्रभावी मंच के रूप में उभरा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी, हरित विकास और उन्नत विनिर्माण जैसे भविष्य-उन्मुख क्षेत्रों पर केंद्रित यह सहयोग, दोनों देशों द्वारा एक लचीले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति की गई प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सम्मेलन के परिणाम निकट भविष्य में गहन आर्थिक एकीकरण, क्षेत्रीय स्थिरता, तथा नवाचार-आधारित विकास की दिशा में एक साझा दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं।

ताइवान के प्रति भारत का रुख

संदर्भ:

हाल ही में चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत के दौरान "ताइवान को चीन का हिस्सा" बताया। इस बयान का खंडन करते हुए, भारत ने स्पष्ट किया है कि ताइवान को लेकर उसकी नीति अपरिवर्तित और स्थिर बनी हुई है।

कूटनीतिक स्थिति और भारत का दृष्टिकोण:

- मंदारिन तथा बाद में अंग्रेज़ी में जारी किए गए चीनी बयान में यह दावा किया गया कि भारत ने ताइवान को लेकर चीन के रुख को स्वीकार कर लिया है।
- हालांकि, भारत सरकार के सूत्रों ने इस दावे का स्पष्ट खंडन किया है और बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीन द्वारा प्रस्तुत उक्त विशिष्ट वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया।
- भारत ने यह भी रेखांकित किया कि यद्यपि वह ताइवान को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता, फिर भी ताइवान के साथ उसके आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंध मजबूत और व्यापक हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारत ने 2010 के बाद से 'एक चीन नीति' को दोहराने से बचा है, खासकर तब से जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के निवासियों को विवादित क्षेत्र मानते हुए उन्हें स्टेपल्ड वीज़ा जारी किए थे।

निहितार्थ:

- भारत ने 'एक चीन नीति' को दोहराने से इनकार कर चीन को उसकी संप्रभुता संबंधी चिंताओं, जैसे अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर, के प्रति एक संकेत दिया है।
- भारत बिना किसी औपचारिक कूटनीतिक नियमों का उल्लंघन किए, चीन और ताइवान दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित कर रहा है और अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता दिखा रहा है। यह स्थिति वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ताइवान के बढ़ते

महत्व को दर्शाती है।

- भारत ने स्पष्ट किया है कि वह ताइवान के साथ आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखेगा, विशेषकर अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का इरादा रखता है।

भारत-ताइवान संबंधों के विषय में:

- 1990 के दशक की शुरुआत में प्रतिनिधि कार्यालयों के उद्घाटन के साथ ही भारत-ताइवान संबंध प्रगाढ़ होने लगे। भारत-ताइपे एसोसिएशन (ITA) और ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र (TECC) वर्तमान में वास्तविक दूतावासों के समान कार्य कर रहे हैं। भारत की पूर्वोन्मुखी नीति और ताइवान की 2016 में अपनाई गई दक्षिणोन्मुखी नीति ने संबंधों के विस्तार के लिए मजबूत आधार प्रदान किया है।

आर्थिक और तकनीकी संबंध:

- 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 8.22 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें ताइवान का निवेश मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में है। फॉक्सकॉन और टीएसएमसी जैसी प्रमुख कंपनियाँ भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं, जबकि टाटा-पावरचिप जैसे संयुक्त उद्यम सेमीकंडक्टर सहयोग को प्रदर्शित करते हैं। चीन के दबाव के बावजूद, दोनों पक्ष तकनीकी और विनिर्माण क्षेत्र में पारस्परिक लाभकारी संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं।

निष्कर्ष:

यह असहमति भारत-चीन संबंधों में मौजूदा राजनयिक संपर्कों के बावजूद अंतर्निहित तनाव को दर्शाती है। भारत का सावधानीपूर्ण रुख चीन के साथ राजनयिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए बिना ताइवान के साथ संबंधों को संतुलित करने के उसके प्रयासों का संकेत देता है, साथ ही अपनी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भी मांग करता है। द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बना हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए चीन की प्रस्तावित यात्रा से पहले ये संबंध सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं।

लिपु-लेख दर्रे को लेकर भारत-नेपाल विवाद

संदर्भ:

हाल ही में भारत और चीन के बीच लिपु-लेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार पुनः शुरू करने के समझौते ने भारत और नेपाल के मध्य एक राजनयिक विवाद को जन्म दिया है। नेपाल का दावा है कि लिपु-लेख क्षेत्र उसकी संप्रभुता के अंतर्गत आता है, जबकि भारत का कहना है कि नेपाल के क्षेत्रीय दावे "न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों एवं प्रमाणों पर आधारित हैं।

कालापानी-लिपु-लेख-लिंपियाधुरा क्षेत्रीय विवाद:

- कालापानी-लिपु-लेख-लिंपियाधुरा क्षेत्र भारत, नेपाल और चीन के बीच स्थित एक त्रिसंधि (tri-junction) क्षेत्र है।
- नेपाल का दावा है कि यह क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और इसका आधार वह 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई सुगौली संधि को मानता है। संधि के अनुसार, महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का अंग माना गया है, और नेपाल का तर्क है कि लिपु-लेख इसी क्षेत्र में स्थित है।
- वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक नए राजनीतिक मानचित्र में इस क्षेत्र को उत्तराखंड राज्य का हिस्सा दर्शाया गया, जिसका नेपाल ने तीव्र विरोध किया।
- इसके जवाब में, नेपाल ने अपने संविधान और आधिकारिक मानचित्र में संशोधन करते हुए कालापानी, लिपु-लेख और लिंपियाधुरा को शामिल किया, जिससे यह विवाद और गहराया।

भारत-चीन सीमा व्यापार बहाली के विषय में:

- भारत और चीन ने सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने के उद्देश्य से तीन प्रमुख दर्रों — लिपु लेख (उत्तराखंड), शिपकी ला (हिमाचल प्रदेश) और नाथू ला (सिक्किम) के माध्यम से व्यापार को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया है। भारत का कहना है कि लिपु लेख दर्रे के माध्यम से व्यापार वर्ष 1954 में प्रारंभ हुआ था और इसका नेपाल से कोई संबंध नहीं है।

विवाद के मुख्य बिंदु:

- लिपुलेख क्षेत्र को लेकर भारत और नेपाल के दृष्टिकोण में स्पष्ट मतभेद हैं। भारत का मानना है कि लिपु लेख एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग है, जिसका उपयोग वर्ष 1954 से हो रहा है, और यह मार्ग भारत-चीन के बीच द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा रहा है। भारत नेपाल के दावों को ऐतिहासिक रूप से आधारहीन मानता है।
- वहीं, नेपाल का तर्क है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का अंग है और लिपु लेख उसी के अंतर्गत आता है। नेपाल का यह भी कहना है कि चूंकि यह क्षेत्र विवादित है, इसलिए भारत और चीन के बीच इस पर किसी भी प्रकार की गतिविधि या समझौता करने से पहले नेपाल से परामर्श किया जाना चाहिए।

लिपु लेख का महत्व:

- लिपु लेख दर्रा भारत, नेपाल और तिब्बत (चीन) के बीच एक त्रि-संधि बिंदु पर स्थित है, जो इसे भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। यह दर्रा न केवल भारत-चीन सीमा व्यापार के लिए, बल्कि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत-नेपाल संबंध:

- भारत और नेपाल के बीच संबंधों की नींव वर्ष 1950 की शांति और मैत्री संधि पर आधारित है, जो खुली सीमाएं, मुक्त आवाजाही और पारस्परिक विशेषाधिकारों की व्यवस्था प्रदान करती है। भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और विकास सहायता प्रदाता है, जो बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, हवाई अड्डे और स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने में योगदान देता है।
- नेपाल की भौगोलिक स्थिति उसे भारत के लिए एक रणनीतिक बफर बनाती है, लेकिन चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जैसे सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन और नेपाल-चीन के गहरे होते संबंध। साथ ही, नेपाल में 1950 की संधि पर पुनर्विचार की आंतरिक मांगें भी उभर रही हैं, जो क्षेत्रीय भू-राजनीतिक बदलावों को दर्शाती हैं।

निष्कर्ष:

लिपु लेख क्षेत्र को लेकर भारत और नेपाल के बीच राजनयिक विवाद सीमा विवादों की जटिलता और कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच पुराने और मजबूत संबंध हैं, और वे इसे बनाए रखने के इच्छुक हैं। इसलिए, क्षेत्रीय दावों को रचनात्मक संवाद और कूटनीति के माध्यम से सुलझाना आवश्यक है। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की आगामी भारत यात्रा इस मुद्दे पर बातचीत और साझा समाधान खोजने का अवसर प्रदान कर सकती है।

नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) में शामिल

संदर्भ:

हाल ही में नेपाल ने फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) में शामिल हो गया है। इससे नेपाल, भारत द्वारा प्रारंभ किए गए इस वैश्विक गठबंधन का हिस्सा बन गया है, जिसका उद्देश्य अपनी प्राकृतिक सीमाओं में बड़ी बिल्लियों की सात प्रजातियों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है।

नेपाल की सदस्यता क्यों महत्वपूर्ण है?

- नेपाल में सात बड़ी बिल्लियों में से तीन प्रजातियाँ पाई जाती हैं: बाघ, हिम तेंदुआ और सामान्य तेंदुआ।
- नेपाल का भूभाग, जो तराई से हिमालय तक फैला है, इन प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है।

- नेपाल को विशेष रूप से बाघों के लिए सफल सीमा पार संरक्षण पहलों के लिए जाना जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में की गई थी।
- इस पहल का मुख्य उद्देश्य सात प्रमुख बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों—बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा—का संरक्षण सुनिश्चित करना है।
- 29 फरवरी 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने भारत में मुख्यालय के साथ IBCA की स्थापना को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की। IBCA की स्थापना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा की गई है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अधीन एक नोडल संस्था है।
- इस गठबंधन का उद्देश्य संरक्षण प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना तथा बड़ी बिल्लियों के वैश्विक संरक्षण के लिए सफल प्रथाओं और विशेषज्ञता को समेकित करना है। IBCA की सदस्यता सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए खुली है, विशेष रूप से उन देशों के लिए जो इन प्रजातियों के प्राकृतिक आवास हैं, साथ ही उन गैर-आवासीय देशों के लिए भी जो बड़ी बिल्लियों के संरक्षण प्रयासों का समर्थन करते हैं।
- 25 अगस्त 2025 तक, नेपाल IBCA में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य देश बना है, जिससे गठबंधन के सदस्य देशों की संख्या 35 हो गई है, जिनमें से 12 ने फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

संरक्षणाधीन बिग कैट और उनके संरक्षण की स्थिति:

- **बाघ (वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा टाइग्रिस)**
  - IUCN स्थिति: संकटग्रस्त (Endangered)
  - CITES स्थिति: परिशिष्ट I (Appendix I)
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (भारत): अनुसूची 1
- **एशियाई शेर (वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा लियो पर्सिका)**
  - IUCN स्थिति: संकटग्रस्त (Endangered)
  - CITES स्थिति: परिशिष्ट I (Appendix I)
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (भारत): अनुसूची 1
- **तेंदुआ (वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा पार्डस)**
  - IUCN स्थिति: असुरक्षित (Vulnerable)
  - CITES स्थिति: परिशिष्ट I (Appendix I)
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (भारत): अनुसूची 1
- **हिम तेंदुआ (वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा उन्सिया)**
  - IUCN स्थिति: असुरक्षित (Vulnerable)
  - CITES स्थिति: परिशिष्ट I (Appendix I)
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (भारत): अनुसूची 1
- **चीता (वैज्ञानिक नाम: एसिनोनिक्स जुबेटस)**
  - IUCN स्थिति: असुरक्षित (Vulnerable)
  - CITES स्थिति: परिशिष्ट I (Appendix I)
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (भारत): अनुसूची 1
- **जगुआर (वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा ओन्का)**
  - IUCN स्थिति: निकट संकटग्रस्त (Near Threatened)
  - CITES स्थिति: परिशिष्ट I (Appendix I)
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (भारत): भारत में नहीं पाया जाता
- **प्यूमा (वैज्ञानिक नाम: प्यूमा कॉनकलर)**
  - IUCN स्थिति: कम चिंताजनक (Least Concern)
  - CITES स्थिति: परिशिष्ट I (Appendix I)
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (भारत): भारत में नहीं पाया जाता

निष्कर्ष:

नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल होना बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह साथ मिलकर काम करने की जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है और संकटग्रस्त शिकारियों की सुरक्षा में दक्षिण एशिया की भूमिका को बढ़ाता है। साझा पर्यावरण और प्रजातियों के कारण, भारत और नेपाल अब अपनी सीमाओं के पार संरक्षण के प्रयासों को और मजबूत कर सकते हैं, विशेषकर जलवायु परिवर्तन और आवास के नुकसान जैसे मुद्दों के संदर्भ में।

भारत-फ़िजी संबंध

संदर्भ:

हाल ही में फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत का दौरा किया और दोनों देशों के बीच गहरे द्विपक्षीय संबंधों की पुष्टि की। यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट और इंडो-पैसिफिक नीतियों के तहत प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक, विकासात्मक और समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है।

यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित प्रमुख समझौते:

- **स्वास्थ्य सेवा और औषधियाँ:**
  - » सुवा में 100 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, जो भारत की प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी विकास परियोजनाओं में से एक है।
  - » भारतीय औषधकोश की मान्यता से फिजी में भारतीय दवाइयाँ उपलब्ध होंगी, जिससे सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।
  - » भारत दूसरा जयपुर फुट कैंप आयोजित करेगा और 'हील इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत 10 फिजीवासियों को तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करेगा।
- **रक्षा और समुद्री सहयोग:**
  - » 2017 के रक्षा समझौता ज्ञापन के तहत संबंधों को मजबूत किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, सैन्य चिकित्सा, श्वेत नौवहन सूचना विनिमय और समुद्री क्षेत्र जागरूकता शामिल हैं। फिजी में एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।
  - » हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के पोत का फिजी बंदरगाह पर नियोजित प्रवास हुआ।
- **जलवायु, ऊर्जा और नीली अर्थव्यवस्था:**
  - » मिशन लाइफ और फ़िजी की 2050 की नीली प्रशांत रणनीति के प्रति नई प्रतिबद्धता।
  - » अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में फ़िजी की सक्रिय भागीदारी।
  - » फ़िजी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सौर तकनीक के लिए STAR केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- **क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक दक्षिण एकजुटता:**
  - » स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता।
  - » भारत के नेतृत्व वाले हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) में फिजी की भागीदारी का स्वागत।
  - » दोनों नेताओं द्वारा "शांति के महासागर" के साझा दृष्टिकोण का समर्थन।
  - » संयुक्त राष्ट्र सुधारों के संदर्भ में फिजी भारत की स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्यता और 2028-29 के लिए अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव का समर्थन करता है।

भारत-फिजी संबंध:

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** भारत-फिजी संबंध वर्ष 1879 से हैं, जब ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को फिजी लाया गया। भारत ने 1948 से फिजी में आयुक्त नियुक्त किया और 1970 में उसकी स्वतंत्रता को मान्यता दी। फिजी ने 2004 में नई दिल्ली में उच्चायोग स्थापित किया।
- **राजनीतिक संबंध:** भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (FIPIC) की शुरुआत 2014 में सुवा, फिजी में हुई। इसके बाद जयपुर (2015) और पापुआ न्यू गिनी (2023) में शिखर सम्मेलन हुए। फिजी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में सक्रिय है।
- **आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध:** 2023-25 के दौरान भारत का फिजी को निर्यात 76.28 से बढ़कर 84.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 1.19 से बढ़कर 1.54 मिलियन अमेरिकी डॉलर

हुआ। व्यापार अधिशेष बढ़कर 83.13 मिलियन डॉलर पहुंचा, जो भारत की बढ़ती बाजार उपस्थिति दर्शाता है।

भारत के लिए फिजी का महत्व:

- दक्षिण प्रशांत में फिजी की रणनीतिक स्थिति भारत के हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण, समुद्री सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण है। फिजी भारतीय फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और क्षमता निर्माण के लिए बढ़ता बाजार है, जहां भारत सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाएं चला रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, रक्षा सहयोग और नौसैनिक प्रशिक्षण से क्षेत्रीय संतुलन में मदद मिलती है।
- फिजी की लगभग एक-तिहाई आबादी भारतवंशी है, जहां फिजी-हिंदी आधिकारिक भाषा है। सांस्कृतिक संबंधों को गिरमिट दिवस और ICCR छात्रवृत्तियाँ मजबूत करती हैं।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री राबुका की यात्रा भारत-फिजी संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम है, जो 1987 के तख्तापलट के बाद उत्पन्न मनमुटाव को पीछे छोड़कर सुलह और रणनीतिक सहयोग की दिशा में बढ़त को दर्शाती है। साझा औपनिवेशिक इतिहास, सक्रिय प्रवासी समुदाय और वैश्विक मंचों पर बढ़ती नजदीकी के आधार पर, भारत और फिजी बहुध्रुवीय हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मजबूत और स्थायी साझेदारी के लिए तैयार हैं।

अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया

संदर्भ:

27 अगस्त 2025 को अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% आयात शुल्क (टैरिफ़) लगा दिया। इससे प्रमुख भारतीय निर्यातों पर कुल शुल्क बढ़कर 50% हो गया है। अमेरिका ने यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उठाया है, क्योंकि भारत लगातार रूसी कच्चा तेल बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। यह फैसला अमेरिका-भारत के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव को और गहरा करता है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन टैरिफ़ के चलते अमेरिका की जीडीपी वृद्धि दर में 40–50 बेसिस प्वाइंट्स (bps) यानी 0.40–0.50% की गिरावट आ सकती है और महंगाई (Inflation) का दबाव और भी बढ़ सकता है।

एसबीआई रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- **अमेरिकी जीडीपी वृद्धि आधी हुई:** 2024 की पहली छमाही में जहाँ अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2.5% की दर से बढ़ रही थी, वहीं 2025 की पहली छमाही में यह घटकर केवल 1.2% रह गई। यह वही समय है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के शुरुआती पाँच महीनों में टैरिफ़ में बड़ी बढ़ोतरी की गई।
- **महंगाई में तेज उछाल:** जुलाई 2025 में अमेरिकी महंगाई दर (इन्फ्लेशन) बढ़कर 2.7% तक पहुँच गई, जो जून की तुलना में 202 आधार अंक (bps) अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से टैरिफ़ से बढ़ी लागत और कमजोर अमेरिकी डॉलर की वजह से हुई।
- **2026 तक लक्ष्य से ऊपर महंगाई रहने की सम्भावना:** इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में दामों में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- **व्यापार पर असर:** अनुमान है कि लगभग 45 अरब डॉलर मूल्य का भारतीय निर्यात अब 50% शुल्क के दायरे में आ जाएगा।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर:

- **जीडीपी पर दबाव:**
  - टैरिफ़ से बढ़ी लागत के कारण अमेरिकी जीडीपी इस वित्त वर्ष में 40–50 आधार अंक घट सकती है।
  - जनवरी से जून 2025 के बीच आर्थिक वृद्धि पहले ही घटकर 1.2% रह गई है।
- **महंगाई में बढ़ोत्तरी:**
  - आयातित वस्तुएँ महंगी होने से उपभोक्ता कीमतें और ज्यादा बढ़ रही हैं।
  - खासकर फर्नीचर, कपड़े और प्रोसेस्ड सामान जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
  - उत्पादक मूल्य सूचकांक (Producer Price Index) में पिछले तीन सालों में सबसे तेज उछाल देखा गया।
- **रोज़गार और नीतिगत दुविधा:**
  - अमेरिकी केंद्रीय बैंक (Federal Reserve) के सामने कठिनाई है – महंगाई काबू करे या नौकरियों की सुरक्षा।
  - फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने माना है कि टैरिफ़ का असर अब साफ़ तौर पर दामों में दिखने लगा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर:

- **प्रमुख निर्यात क्षेत्र प्रभावित:**
  - **टेक्सटाइल और परिधान (Textiles & Apparel):** 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जीडीपी में 2.3% योगदान

करता है और अमेरिका को भारी मात्रा में निर्यात होता है। अब इसकी बढ़ती हिस्सेदारी पर खतरा है।

» **रत्न और आभूषण (Gems & Jewellery):** भारत हर वर्ष लगभग 28.5 अरब डॉलर के रत्न और आभूषण निर्यात करता है, जिसमें से एक-तिहाई अमेरिका जाता है। अब लगभग 10 अरब डॉलर के व्यापार पर जोखिम है।

» **सीफूड (झींगा):** भारत के झींगे का 50% से ज्यादा निर्यातन अमेरिका में होता है। ऊँचे टैरिफ़ से इसमें कमी हो सकती है और भारत की जगह इक्वाडोर जैसे प्रतिस्पर्धियों को बाज़ार में हिस्सेदारी मिल सकती है।

- **व्यापार अधिशेष पर खतरा:**
  » भारत का अमेरिका के साथ वित्त वर्ष 2025 में 41 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष था। लेकिन अब 45 अरब डॉलर के निर्यात पर भारी शुल्क लगने से यह अधिशेष घाटे में बदल सकता है, जब तक कि भारत नए बाजारों और व्यापारिक समझौतों की तलाश नहीं करता।

निष्कर्ष:

हालिया टैरिफ़ वृद्धि एक तरह का पारंपरिक व्यापार युद्ध है, जिसमें किसी भी पक्ष को तत्काल लाभ नहीं मिलेगा। अमेरिका भले ही भारत पर राजनीतिक और भू-रणनीतिक दबाव डालना चाहता हो, लेकिन इस कदम से उसकी अपनी अर्थव्यवस्था पर महंगाई, जीडीपी में गिरावट और नीतिगत अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ और गहरी हो गई हैं। भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों (जैसे वस्त्र, आभूषण) और एमएसएमई के लिए गंभीर झटका है। भविष्य में दोनों देशों को अपनी व्यापारिक रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। भारत के लिए आवश्यक है कि वह अपने निर्यात बाज़ारों का विविधीकरण करे, उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाए और वैकल्पिक अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को और मजबूत बनाए।

भारत-जापान आर्थिक मंच

सन्दर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2025 को टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ भारत-जापान आर्थिक मंच (India-Japan Economic Forum) में भाग लिया। यह मंच भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और केदानरेन (जापान बिज़नेस फेडरेशन) द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को सुदृढ़ करना था।

फोरम बैठक के दौरान प्रमुख घोषणा:

- 12वें भारत-जापान बिज़नेस लीडर्स फ़ोरम (IJBLF) की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें फोरम बैठक के दौरान नई साझेदारियों को रेखांकित किया गया। इस दौरान इस्पात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में कई बी2बी समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों का उद्देश्य भारतीय प्रतिभा और जापानी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर लचीली और भविष्य-उन्मुख आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है।

भविष्य में भारत-जापान सहयोग के लिए पहचाने गए प्रमुख क्षेत्र:

- प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान गहन सहयोग के लिए पाँच प्राथमिक क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की:
- **निर्माण (Manufacturing):** बैटरियाँ, सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स, शिप-बिल्डिंग और परमाणु ऊर्जा।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार (Technology & Innovation):** जिसमें AI, बायोटेक, अंतरिक्ष और क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल हैं।

- **हरित ऊर्जा संक्रमण (Green Energy Transition):** भारत के 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा और 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य का समर्थन।
- **अगली पीढ़ी का अवसंरचना (Next-Gen Infrastructure):** हाई-स्पीड रेल, मोबिलिटी समाधान और लॉजिस्टिक्स।
- **कौशल विकास और जन-से-जन संबंध (Skill Development & People-to-People Ties):** मानव संसाधन आदान-प्रदान और प्रतिभा सहयोग को बढ़ावा देना।

INDIA-JAPAN

Bilateral Treaties and Agreements

Treaty of Peace (1952)

Agreement for Air Service (1956)

Cultural Agreement (1957)

Agreement of Commerce (1958)

Convention for the Avoidance of Double Taxation (1960)

Agreement on Cooperation in the field of Science and Technology (1985)

Japan-India Comprehensive Economic Partnership Agreement (2011)

Agreement for Transfer of Defence Equipment and Technology (2015)

Agreement for Security Measures for the Protection of Classified Military Information (2015)

Agreement on Social Security (2016)

Agreement for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy (2017)

Agreement for Reciprocal Provision of Supplies and Services between the Self-Defense Forces of Japan and the Indian Armed Forces (2021)

भारत-जापान संबंधों के बारे में:

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** भारत-जापान संबंध 6वीं शताब्दी से हैं जब बौद्ध धर्म जापान पहुँचा और उसने जापानी संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इस ऐतिहासिक संबंध ने दोनों देशों के बीच निकटता की भावना को बढ़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भारत के लौह अयस्क ने जापान को तबाही से उबरने में मदद की और भविष्य के सहयोग की नींव रखी।
- **भारत-जापान संबंधों में प्रमुख विकास:** वर्षों में उनके द्विपक्षीय संबंध विकसित हुए — ग्लोबल पार्टनरशिप (2000) से लेकर विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी (2014) तक।
- **हिंद-प्रशांत और रक्षा सहयोग:** भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) जापान की फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) दृष्टि से मेल खाती है। रक्षा संबंध प्रमुख समझौतों, JIMEX और मलाबार जैसे संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों और UNICORN जैसे सह-विकास परियोजनाओं के माध्यम से मजबूत हुए हैं। दोनों देश अब क्षेत्रीय गतिशीलताओं को देखते हुए 2008 के सुरक्षा सहयोग ढाँचे को उन्नत करने पर विचार कर रहे हैं।
- **आर्थिक और अवसंरचना सहयोग:** 2023–24 में द्विपक्षीय व्यापार $22.8 अरब तक पहुँच गया, जिसमें जापान भारत के शीर्ष निवेशकों में से एक रहा। 2023–24 में जापान की 580 अरब येन आधिकारिक विकास सहायता (ODA) ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसी अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन किया। उभरते क्षेत्र सेमीकंडक्टर्स, AI और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन हैं, जिनके लिए नए आर्थिक सुरक्षा उपक्रम तैयार किए जा रहे हैं।
- **जन-से-जन और बहुपक्षीय सहयोग:** 665 से अधिक शैक्षणिक साझेदारियाँ, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और प्रवासी संबंध आपसी समझ को मजबूत करते हैं। भारत और जापान क्वाड, ISA, CDRI और SCRI जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग करते हैं, जिससे एक स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत के साझा लक्ष्यों को मजबूती मिलती है।

निष्कर्ष:

भारत-जापान आर्थिक मंच ने दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी को प्रदर्शित किया, जिसमें आर्थिक सहयोग, तकनीकी नवाचार और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत–भूटान कृषि संबंध

संदर्भ:

28 अगस्त 2025 को भूटान के थिम्फू में पहली संयुक्त तकनीकी कार्य समूह (JTWG) बैठक के दौरान भारत और भूटान ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और सतत् खेती के क्षेत्र में दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

सहयोग के मुख्य क्षेत्र:

- **कृषि अनुसंधान और नवाचार:** संयुक्त शोध कार्य और ज्ञान का आदान-प्रदान, जिससे फसल उत्पादन बढ़े और आधुनिक खेती के तरीकों में सुधार हो सके।
- **पशु स्वास्थ्य और उत्पादन:** पशुओं की सेहत, प्रजनन और पोषण पर सहयोग, ताकि पशुधन की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।
- **फसल कटाई उपरांत प्रबंधन:** कृषि उत्पादों के संभाल, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की बेहतर तकनीकों का विकास करना।
- **मूल्य श्रृंखला विकास:** कृषि मूल्य श्रृंखला को अधिक प्रभावी, टिकाऊ और लाभकारी बनाना।
- **क्षमता निर्माण:** किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण व कौशल विकास कार्यक्रम।

भारत–भूटान संबंध:

- भारत और भूटान के बीच संबंध भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक जुड़ाव और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित हैं। यह संबंध न केवल विशेष बल्कि दीर्घकालिक और विश्वासपूर्ण भी है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग से जुड़ा हालिया समझौता ज्ञापन इसी गहरे, समय-परीक्षित और परस्पर लाभकारी साझेदारी का सशक्त प्रमाण है।

द्विपक्षीय सहयोग की नींव:

- **संधि आधारित संबंध:** भारत–भूटान मैत्री और सहयोग संधि (1949), जिसे 2007 में संशोधित किया गया, दोनों देशों के रिश्तों की कानूनी और कूटनीतिक आधारशिला है। यह संधि एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान सुनिश्चित करते हुए शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है।
- **आर्थिक संबंध:** भारत, भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और प्रमुख निवेशक है। 2016 का व्यापार, वाणिज्य और पारगमन (Transit) समझौता भूटानी निर्यातों को भारत के रास्ते शुल्क-मुक्त पारगमन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे भूटान की आर्थिक स्थिरता और विकास को मजबूती मिलती है।
- **विकासात्मक सहयोग:** भूटान के समग्र विकास में भारत की भूमिका अहम है। भारत ने भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं के बड़े हिस्से को वित्तीय सहायता दी है। यह सहयोग बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल द्रुकयुल (Digital Drukyul) जैसी डिजिटल पहलों तक फैला हुआ है।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** भूटान के पास न तो वायुसेना है और न ही नौसेना, इसलिए वह सैन्य प्रशिक्षण, उपकरण और वायु सुरक्षा के लिए भारत पर निर्भर है। भारत भूटानी अधिकारियों को अपने सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण देकर उसकी सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है।
- **डिजिटल सहयोग और कनेक्टिविटी:** भारत, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और क्षमता निर्माण के माध्यम से भूटान की डिजिटल प्रगति का सहयोगी है। यह पहल डिजिटल द्रुकयुल मिशन (Digital Drukyul mission) के अंतर्गत आगे बढ़ाई जा रही है।
- **रणनीतिक भौगोलिक स्थिति:** भारत और चीन के बीच स्थित भूटान की भौगोलिक स्थिति अत्यंत रणनीतिक है। डोकलाम क्षेत्र, जो चुंबी घाटी के पास है, विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि यह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर (जिसे "चिकन नेक" कहा जाता है) के बेहद करीब है।

निष्कर्ष:

2025 का भारत–भूटान कृषि समझौता केवल तकनीकी सहयोग का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक रणनीतिक और विकासात्मक साझेदारी का हिस्सा है जो दोनों देशों के रिश्तों को निरंतर मजबूत बनाए रखती है। ऐसे समय में जब भूटान अन्य वैश्विक साझेदारों (जैसे चीन) के साथ भी संबंध बढ़ा रहा है, कृषि, डिजिटल अवसंरचना और रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में भारत का सक्रिय, संवेदनशील और भरोसेमंद सहयोग उसे भूटान का सबसे विश्वसनीय साथी सिद्ध करता है। यह समझौता भारत की क्षेत्रीय कूटनीति और दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

4 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

भारत में भूजल प्रदूषण
एक बढ़ता सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट

भारत को अक्सर नदियों और मानसून की धरती के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन इस छवि के पीछे एक सच्चाई छिपी है—देश की अधिकांश बुनियादी जरूरतें सतही जल नहीं बल्कि भूजल पूरा करता है। यह ग्रामीण पेयजल का 85% से अधिक और सिंचाई जल का लगभग 65% प्रदान करता है, जिससे यह घरेलू और कृषि दोनों के लिए जीवनरेखा बन जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, अत्यधिक और अक्सर अनियमित दोहन ने न केवल जलभृतों को खत्म कर दिया है बल्कि और अधिक खतरनाक खतरा पैदा कर दिया है व्यापक भूजल प्रदूषण के रूप में। एक समय प्रकृति के सबसे शुद्ध भंडारों में गिना जाने वाला भूजल अब कई क्षेत्रों में नाइट्रेट, भारी धातु, औद्योगिक रसायन, रेडियोधर्मी तत्व और रोगजनक जीवाणुओं से दूषित हो चुका है। यह प्रदूषण अक्सर अदृश्य होता है, धीरे-धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में समा जाता है, लेकिन यह लाखों लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

समस्या की गंभीरता:

- केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) की 2024 की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। देश के 440 जिलों से नमूने लेकर किए गए परीक्षण में पाया गया:
  - » 20% से अधिक नमूनों में नाइट्रेट प्रदूषण, जो मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और खराब सेप्टिक सिस्टम से रिसाव के कारण है।
  - » 9% से अधिक नमूनों में सुरक्षित सीमा से ऊपर फ्लोराइड स्तर, जिससे राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव देखे गए।
  - » पंजाब और बिहार के कुछ हिस्सों में डब्ल्यूएचओ की 10 μg/L सीमा से अधिक आर्सेनिक प्रदूषण, जो कैंसर और तंत्रिका संबंधी विकारों से जुड़ा है।
  - » पंजाब, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में 100 ppb से अधिक यूरेनियम की सांद्रता—जिसका कारण फॉस्फेट उर्वरक का उपयोग और अत्यधिक भूजल दोहन है।
  - » 13% से अधिक परीक्षण किए गए नमूनों में लोहे का प्रदूषण, जो जठरांत्र और विकास संबंधी समस्याओं में योगदान देता है।
- ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये लंबे समय से उपेक्षा, कमजोर नीतिगत प्रवर्तन और ठोस रोकथाम कार्रवाई की अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत में भूजल मृत्यु क्षेत्र:

- कुछ स्थानों पर, प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि इससे तात्कालिक और स्पष्ट त्रासदियां सामने आई हैं:
  - » बुधपुर, बागपत (उ.प्र.) में, दो सप्ताह के भीतर 13 लोगों की मौत किडनी फेलियर और संबंधित जटिलताओं से हुई—संभावना है कि यह पास की पेपर और शुगर मिलों से जहरीले औद्योगिक अपशिष्ट के कारण बोरवेल जल के प्रदूषण से जुड़ा है।
  - » जालौन (उ.प्र.) में, निवासियों ने हैंडपंप से पेट्रोलियम जैसी गंध वाले तरल निकलने की शिकायत की, जो संभवतः भूमिगत ईंधन रिसाव के कारण था।
  - » पैकारापुर, भुवनेश्वर में, एक खराब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ने गंदे पानी को भूजल में रिसने दिया, जिससे सैकड़ों लोगों में सामूहिक बीमारी फैल गई।
- ऐसी घटनाएं अलग नहीं हैं। ये कमजोर प्रवर्तन, अपर्याप्त निगरानी और मूलतः भूमिगत इस आपदा के प्रति सार्वजनिक जागरूकता की कमी के एक सतत पैटर्न को दर्शाती हैं।

स्वास्थ्य पर प्रभाव:

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और डब्ल्यूएचओ इंडिया के अध्ययनों से पुष्टि होती है कि दूषित भूजल एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है।

- **फ्लोराइड**
  - » 20 राज्यों के 230 जिलों में मौजूद, फ्लोराइड प्रदूषण लगभग 6.6 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है।
  - » स्केलेटल फ्लोरोसिस, एक दर्दनाक और अपंग करने वाली बीमारी है, जो जोड़ों में जकड़न, हड्डियों में विकृति और बच्चों में अवरुद्ध विकास का कारण बनती है।
  - » राजस्थान में 11,000 से अधिक गांव प्रभावित हैं।
  - » झाबुआ (म.प्र.) में फ्लोराइड 5 mg/L से अधिक है और 40% आदिवासी बच्चे प्रभावित हैं।
  - » उन्नाव (उ.प्र.) में, 3,000 से अधिक हड्डी विकृति के मामले दर्ज हुए हैं।
  - » 2024 की CGWB रिपोर्ट में 15,259 नमूनों में से 9.04% नमूने डब्ल्यूएचओ की 1.5 mg/L सीमा से ऊपर पाए गए, जिसमें सोनभद्र (उ.प्र.) में 52.3% की प्रचलन दर और शिवपुरी (म.प्र.) में 2.92 mg/L स्तर पाया गया।

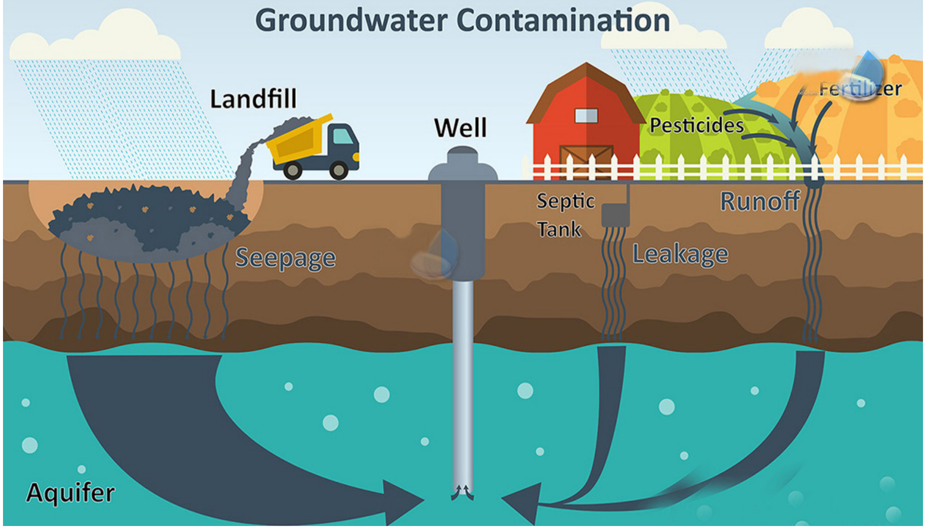

- **आर्सेनिक**
  - » गंगीय क्षेत्र में केंद्रित—पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम सहित।
  - » लंबे समय तक संपर्क से त्वचा पर घाव, गैंग्रीन, श्वसन रोग, और त्वचा, गुर्दा, यकृत, मूत्राशय और फेफड़ों के कैंसर होते हैं।
  - » 2021 में नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन ने पाया कि उच्च रक्त आर्सेनिक स्तर वाले प्रत्येक 100 में से 1 व्यक्ति को कैंसर का उच्च खतरा था।
  - » बलिया (उ.प्र.) में आर्सेनिक 200 μg/L तक पहुंच गया—डब्ल्यूएचओ सीमा से 20 गुना अधिक—जो 10,000 से अधिक कैंसर और बीमारी के मामलों से जुड़ा है।
  - » भोजपुर और बक्सर (बिहार) में भी इसी तरह के रुझान देखे गए।
  - » 2024 की CGWB रिपोर्ट ने उ.प्र. के 29 जिलों में असुरक्षित आर्सेनिक स्तर दर्ज किए, जिसमें बागपत में 40 mg/L की भयावह मात्रा पाई गई—जो सुरक्षित सीमा से 4,000 गुना अधिक है।
- **नाइट्रेट**

» विशेष रूप से उत्तरी भारत में आम, नाइट्रेट शिशुओं के लिए खतरनाक है।
» जब नाइट्रेट युक्त पानी से शिशु आहार तैयार किया जाता है, तो यह मेटहेमोग्लोबिनेमिया या "ब्लू बेबी सिंड्रोम" का कारण बन सकता है।
» 2023 के नेशनल हेल्थ प्रोफाइल ने पांच वर्षों में नाइट्रेट विषाक्तता के कारण अस्पताल में भर्ती मामलों में 28% वृद्धि दर्ज की, खासकर पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक में।
» अब भारत के 56% जिलों में नाइट्रेट सुरक्षित सीमा से अधिक है।

- **यूरेनियम**
  » पहले केवल चुनिंदा भूगर्भीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला यूरेनियम अब भूजल के अत्यधिक दोहन और उर्वरक उपयोग के कारण अधिक आम हो गया है।
  » पंजाब के मालवा क्षेत्र में, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में यूरेनियम स्तर डब्ल्यूएचओ की 30 μg/L सीमा से अधिक पाए गए।
  » 66% नमूनों ने बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा किया, और 44% वयस्कों के लिए भी खतरनाक थे।
- **भारी धातुएं**
  » सीसा, कैडमियम, क्रोमियम, पारा औद्योगिक अपशिष्ट से जलभृतों में प्रवेश करते हैं।
  » ये धातुएं मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकती हैं, एनीमिया पैदा कर सकती हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकती हैं, और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
  » ICMR–NIREH अध्ययनों में कानपुर (उ.प्र.) और वापी (गुजरात) के बच्चों में खतरनाक रूप से उच्च रक्त सीसा स्तर पाए गए।
- **सूक्ष्मजीव प्रदूषण**
  » रिसते हुए सेप्टिक टैंक और सीवेज के घुसपैठ से हैजा, पेचिश, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E के बार-बार प्रकोप होते हैं।
  » पैकारापुर, भुवनेश्वर में, हाल ही में सीवेज-प्रदूषित भूजल से 500 से अधिक लोग बीमार पड़ गए।

संरचनात्मक कारण:

- संकट की जड़ें नियामक खामियों, कमजोर प्रवर्तन और खराब डेटा पारदर्शिता में हैं:
  » जल अधिनियम (1974) भूजल प्रदूषण को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता।
  » CGWB के पास वैधानिक प्रवर्तन शक्तियां नहीं हैं।
  » राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पुरानी स्टाफ कमी और संसाधनों की कमी है।
  » प्रदूषकों के लिए दंड न्यूनतम हैं और शायद ही कभी लागू किए जाते हैं।
  » प्रदूषण डेटा तक सार्वजनिक पहुंच सीमित है।
  » भूजल का अत्यधिक दोहन आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे प्राकृतिक रूप से मौजूद विषाक्त पदार्थों को सक्रिय कर देता है।

नीतिगत खामियां:

- वर्तमान में, भारत के पास कोई राष्ट्रीय भूजल प्रदूषण नियंत्रण ढांचा नहीं है। जिम्मेदारियां पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक विनियमन संभालने वाली एजेंसियों में बंटी हुई हैं, और सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी तथा जल गुणवत्ता निगरानी प्रणालियों के बीच समन्वय कमजोर है।

आगे की राह:

- **नियामक सुधार**
  » CGWB को वैधानिक प्रवर्तन शक्तियां प्रदान करना।
  » राज्य और जिला स्तर पर स्पष्ट जवाबदेही स्थापित करना।
- **निगरानी और डेटा एकीकरण**
  » वास्तविक समय सेंसर और उपग्रह जलभृत मानचित्रण का उपयोग करना।
  » जल गुणवत्ता डेटा को HMIS जैसे स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियों से जोड़ना।
- **तात्कालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप**
  » पहचाने गए हॉटस्पॉट में आर्सेनिक और फ्लोराइड हटाने की इकाइयां लगाना।
  » सुरक्षित पाइप पेयजल तक पहुंच का विस्तार करना।
- **औद्योगिक और कृषि उपाय**
  » उद्योगों में ज़ीरो-लिक्विड-डिस्चार्ज सिस्टम अनिवार्य करना।
  » अपशिष्ट जल और लैंडफिल रिसाव की कड़ी निगरानी करना।
  » जैविक या कम-रसायन आधारित खेती को बढ़ावा दें और किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन पर प्रशिक्षण देना।
- **सामुदायिक भागीदारी**

» पंचायतों, स्कूलों और स्थानीय समूहों को जल परीक्षण में शामिल करना।
» सामुदायिक निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

भारत की भूजल चुनौती अब केवल कमी का सवाल नहीं, बल्कि सुरक्षा का भी है। 60 करोड़ से अधिक लोग इस पर निर्भर हैं और प्रदूषण एक पूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में उभरा है। जब तक इसे तात्कालिक कानूनी सुधारों, संस्थागत मजबूती और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के जरिए संबोधित नहीं किया जाता, तब तक मानव स्वास्थ्य और जल सुरक्षा को हुआ नुकसान अपरिवर्तनीय हो सकता है।

संक्षिप्त मुद्दे

माइक्रोबायोम का पहला वैज्ञानिक मानचित्र

संदर्भ:

हाल ही में एक महत्वपूर्ण अध्ययन में, स्पेन के पोम्पेउ फैबरा विश्वविद्यालय और इटली के ट्रेंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इंद्री लेमूर (Indri indri) की आंतों में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों (माइक्रोबायोम) का पहला विस्तृत मानचित्र तैयार किया है। यह अध्ययन आईएसएमई जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जिसमें 48 जीवाणु प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें से 47 प्रजातियाँ विज्ञान के लिए पूर्णतः नई हैं।

इंद्री लेमूर के बारे में:

- **सामान्य नाम:** इंद्री लेमूर (स्थानीय रूप से बाबाकोटो कहा जाता है)
- **वैज्ञानिक नाम:** इंद्री इंद्री
- **आकार:** सबसे बड़ी जीवित लेमूर प्रजाति; लंबाई 60–70 सेमी; अल्पविकसित पूँछ के साथ
- **आवास:** मेडागास्कर के सुदूर उत्तर-पूर्वी वर्षावन (स्थानिक); समुद्र तल से 1,800 मीटर की ऊँचाई तक
- **रूप-रंग:** काले और सफेद रेशमी फर, जो भौगोलिक रूप से भिन्न हो सकते हैं; नुकीले चेहरे वाला गोल सिर; बड़े हाथ और पैर
- **व्यवहार:** दिनचर और वृक्षचर (पेड़ों पर रहने वाला)
- **आहार:** पत्तियों, फलों, फूलों और अन्य वनस्पतियों पर निर्भर
- **जीवनकाल:** जंगल में लगभग 15–18 वर्ष
- **संरक्षण स्थिति:**
  - » आवास क्षरण के कारण यह प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) श्रेणी में सूचीबद्ध है (IUCN Red List)।
  - » इसे CITES परिशिष्ट-I में शामिल किया गया है, जिसके तहत वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर इसके किसी भी नमूने या अंग के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- **सामाजिक संरचना और व्यवहार:**
  - » इंद्री छोटे पारिवारिक समूहों में रहते हैं, जो सामान्यतः संतानों सहित (monogamous) जोड़े होते हैं। ये अपनी तेज़, विशिष्ट और भावनात्मक आवाज़ों के माध्यम से संचार के लिए प्रसिद्ध हैं।

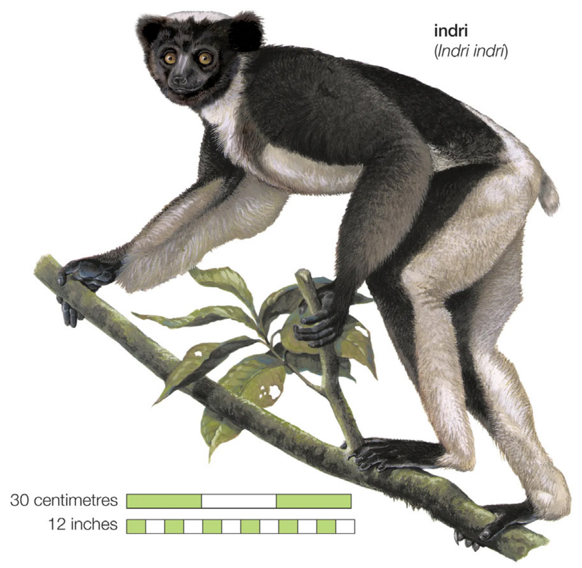

शोध का महत्व:

- इंद्री लेमूर छोटे, स्थिर परिवार समूहों में रहता है और कैद में जीवित नहीं रह सकता। एक पत्तेदार प्राइमेट के रूप में, यह वन पारिस्थितिकी में एक आवश्यक भूमिका निभाता है।

- अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि इंद्री लेमूर के आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया मिट्टी से नहीं आते, भले ही वह मिट्टी का सेवन करता हो। ये बैक्टीरिया परिवार के सदस्यों के बीच सामाजिक संपर्क के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं।
- प्रत्येक इंद्री समूह में विशिष्ट प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि आंत माइक्रोबायोम का विकास भौगोलिक दूरी और सामाजिक अलगाव के अनुसार होता है।

इंद्री लेमूर के लिए खतरे:

- » कटाई-और-जला कृषि (slash-and-burn agriculture) तथा लकड़ी की अवैध कटाई के कारण वनों का व्यापक क्षरण
- » वन क्षेत्रों में बढ़ता मानव अतिक्रमण
- » स्थानीय समुदायों द्वारा शिकार

- ये सभी कारक इंद्री लेमूर की "गंभीर रूप से संकटग्रस्त" (Critically Endangered) स्थिति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और उनके प्राकृतिक आवास एवं जंगल में दीर्घकालिक अस्तित्व को गंभीर रूप से खतरे में डालते हैं।

निष्कर्ष:

यह खोज इंद्री लेमूर और उसके माइक्रोबायोम के बीच सहजीवी (symbiotic) संबंध को उजागर करती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी प्रजाति के विलुप्त होने से उससे जुड़े अद्वितीय सूक्ष्मजीवों की जैव विविधता भी नष्ट हो सकती है। चूंकि अधिकांश पहचाने गए जीवाणु केवल इंद्री के लिए विशिष्ट हैं, इसलिए इस प्रजाति का संरक्षण एक अदृश्य सूक्ष्मजीव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। इस खोज के दूरगामी प्रभाव जैव विविधता संरक्षण, विकासात्मक जीवविज्ञान और भविष्य के जैव-चिकित्सा अनुसंधान पर देखे जा सकते हैं।

नागालैंड में एशियाई विशालकाय कछुए का संरक्षण

संदर्भ:

हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त एशियाई विशालकाय कछुए (मनौरिया एमिस) के 10 कछुओं को नागालैंड के पेरेन ज़िले में स्थित ज़ेलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य में उनके प्राकृतिक आवास में पुनः छोड़ा गया। यह पुनःस्थापन नागालैंड वन विभाग और भारतीय कछुआ संरक्षण कार्यक्रम (ITCP) के संयुक्त प्रयासों से संभव हुआ। इस संरक्षण प्रयास की एक विशेष विशेषता यह है कि इसमें स्थानीय युवाओं को 'कछुआ संरक्षक' के रूप में सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। ये संरक्षक न केवल पुनःस्थापित कछुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, बल्कि डेटा संग्रह एवं निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

एशियाई विशालकाय कछुए के बारे में:

- एशियाई विशालकाय कछुआ (मनौरिया एमिस) एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय कछुआ है, जो उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह धीमी गति से चलने वाला शाकाहारी कछुआ बीजों के प्रसार, मृदा पुनर्चक्रण तथा वन पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे 'जंगल का छोटा हाथी' कहा जाता है।
- **आवास और वितरण:**
  - » यह प्रजाति भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के नम उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। भारत में एशियाई विशालकाय कछुआ कभी पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में व्यापक रूप से पाया जाता था।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - » IUCN लाल सूची: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
  - » वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची IV प्रजाति

मुख्य विशेषताएँ:

- **आकार:** लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर तक और वजन 35 किलोग्राम से अधिक हो सकता है।
- **कवच:** गहरे रंग का, भारी गुंबदनुमा (domed) कवच, जिस पर स्पष्ट वृद्धि वलय (growth rings) दिखाई देते हैं।
- **अंग:** हाथी जैसे मोटे और शल्कदार (scaly) पैर, जो इसे "जंगल का छोटा हाथी" उपनाम दिलाते हैं।
- **जीवनकाल:** 80-100 वर्ष
- **आहार:** पत्ते, फल, मशरूम और सड़ते हुए पौधे
- **गतिविधि:** दिनचर और एकान्तवासी, आर्द्र जंगलों में पनपता है।

विशेष गुण:

- एशियाई विशालकाय कछुआ उन कुछ दुर्लभ कछुआ प्रजातियों में से एक है जो ज़मीन पर घोंसला बनाती है और अंडों की रक्षा के लिए मातृ देखभाल करती है — जो कछुओं में बहुत ही कम देखा जाने वाला व्यवहार है। इसके विलुप्त होने से जंगलों का पुनर्जनन (forest regeneration) प्रभावित हो सकता है, इसलिए

यह प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण 'कीस्टोन प्रजाति' मानी जाती है।

भारत कछुआ संरक्षण कार्यक्रम (आईटीसीपी) के बारे में:

- यह कार्यक्रम संकटग्रस्त कछुआ प्रजातियों के कैप्टिव ब्रीडिंग (बंदी प्रजनन) और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में पुनःस्थापित करने पर केंद्रित है।
- उदाहरणस्वरूप, गंभीर रूप से संकटग्रस्त एशियाई विशालकाय कछुआ (Manouria emys) को प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं की सहायता से जंगल में पुनःस्थापित किया जा रहा है। इन युवाओं को "पैराबायोलॉजिस्ट" के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।
- आईटीसीपी सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता पर ज़ोर देता है। स्थानीय समुदाय गश्त, डेटा संग्रह, निगरानी और कछुआ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में लगे हुए हैं।

सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों के बारे में:

- सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र निजी या सामुदायिक भूमि पर स्थापित क्षेत्र होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा स्थानीय समुदायों की सहमति से वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए नामित किया जाता है।
- इन आरक्षित क्षेत्रों का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना और वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय रीति-रिवाजों, संस्कृतियों और प्रथाओं की रक्षा करना है।
- इनका प्रबंधन एक सामुदायिक रिज़र्व प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WLPA), 1972 के दायरे में आते हैं।

निष्कर्ष:

यह संरक्षण यह पहल समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडलों की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। ज़ेलियांग सामुदायिक रिज़र्व—जहाँ इन कछुओं को पुनःस्थापित किया गया—नागालैंड के उन अनेक सामुदायिक एवं संरक्षण रिज़र्वों में से एक है, जो स्थानीय समुदायों और वन विभाग के साझे प्रयासों से वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण में सफल उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

भारत-बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल

संदर्भ:

हाल ही में रामसर कन्वेंशन के अनुबंधकारी पक्षों के 15वें सम्मेलन (COP15) के दौरान भारत-बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल (IBRRI) के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें IBRRI रणनीतिक योजना 2025–2030 का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। यह योजना भारत-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट में आर्द्रभूमियों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और सीमा-पार सहयोग के प्रति एक नई क्षेत्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भारत-बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल क्या है ?

- भारत-बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल (IBRRI) रामसर कन्वेंशन के तहत विकसित एक क्षेत्रीय सहयोग ढांचा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्द्रभूमि क्षरण को रोकना और संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करना है।
- यह पहल कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से संयुक्त रूप से शुरू की गई है तथा IUCN की ब्रिज परियोजना (Building River Dialogue and Governance) द्वारा समर्थित है।

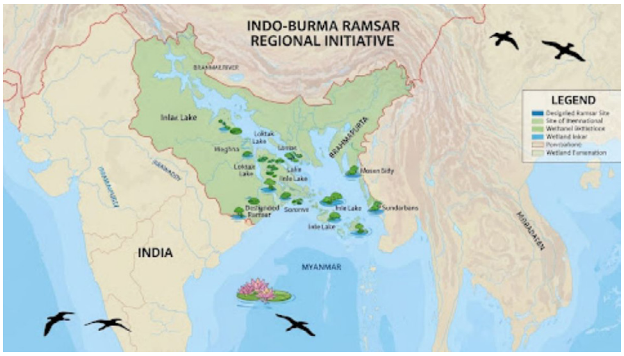

आईबीआरआरआई के उद्देश्य:

- रामसर कन्वेंशन की रणनीतिक योजना को समन्वित और सीमापार तरीके से लागू करना।
- विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट, भारत-बर्मा क्षेत्र में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा, पुनर्स्थापना और रखरखाव करना।
- सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संस्थाओं सहित बहु-हितधारक सहयोग को बढ़ावा देना।

रणनीतिक योजना 2025-2030 के बारे में:

- नई शुरू की गई योजना में निम्नलिखित की रूपरेखा दी गई है:

» क्षेत्र में आर्द्रभूमि के नुकसान को रोकने और उसे पुनर्स्थापित करने हेतु सहयोगात्मक ढाँचा।
» विज्ञान, पारंपरिक ज्ञान और क्षेत्रीय कूटनीति का एकीकरण।
» सतत विकास लक्ष्यों और 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढाँचे से संरेखण।

आईबीआरआरआई का महत्व:

- भारत-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट पर केंद्रित, जहाँ कई संकटग्रस्त प्रजातियाँ निवास करती हैं।
- आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का समर्थन करता है: बाढ़ नियंत्रण, कार्बन पृथक्करण, जल शोधन और आजीविका सृजन।
- क्षेत्रीय पर्यावरण कूटनीति और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है।
- सीमा पार जल प्रशासन और रामसर स्थल प्रबंधन के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।
- रामसर दलों के बीच ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित करता है।
- आर्द्रभूमि प्रबंधकों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों की क्षमता का निर्माण करता है।

रामसर कन्वेंशन के बारे में:

- रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस पर 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1975 में लागू हुआ। यह कन्वेंशन आर्द्रभूमि के "बुद्धिमानी से उपयोग" पर केंद्रित है और उनके पारिस्थितिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोरंजक मूल्य को मान्यता देता है। भारत 1 फ़रवरी, 1982 को इस सम्मेलन का सदस्य बना।
- जून 2025 तक, भारत में 91 रामसर स्थल हैं, जिन्हें रामसर सम्मेलन के तहत "अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि" के रूप में नामित किया गया है।

निष्कर्ष:

भारत-बर्मा क्षेत्र में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए IBRRI एक महत्वपूर्ण पहल है। सदस्य देश मिलकर साझा पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और संयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु ज्ञान, विशेषज्ञता और संसाधनों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। यद्यपि भारत IBRRI का सदस्य नहीं है, फिर भी यह पहल भारत के विस्तारित पड़ोस में क्षेत्रीय पर्यावरण सहयोग को सुदृढ़ करती है और उसकी 'एक्ट ईस्ट नीति' का समर्थन करती है।

रूस के कमचातका में भूकंप

संदर्भ:

हाल ही में 30 जुलाई को रूस के कमचातका प्रायद्वीप के तट पर रिक्टर पैमाने पर 8.8 तीव्रता का एक भीषण भूकंप आया, जिसके बाद जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई और हवाई में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। यह 2011 के जापान आपदा के बाद से विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली भूकंप है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर सुनामी आई थी और फुकुशिमा परमाणु संकट उत्पन्न हुआ था।

कमचातका एक भूकंपीय हॉटस्पॉट क्यों है?

- रूस के सुदूर पूर्व में 1,250 किलोमीटर लंबा भूभाग, कमचातका प्रायद्वीप, दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 2020, 2006, 1959, 1952 और 1923 में बड़े भूकंप आए हैं, जिनमें से कई के बाद सुनामी भी आई थी।
- यह गतिविधि ओखोटस्क माइक्रोप्लेट के नीचे प्रशांत प्लेट के अवतलन द्वारा संचालित होती है। प्लेट की सीमा कुरील-कमचातका ट्रेंच के साथ स्थित है, जो एक समुद्री खाई है जिसकी गहराई लगभग 10 किमी है।
- जैसे-जैसे प्रशांत प्लेट लगभग 86 मिमी प्रति वर्ष की दर से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ती है, मेगाथ्रस्ट सीमा पर दबाव बढ़ता है। जब यह तनाव एक सीमा से अधिक हो जाता है, तो यह अचानक भूकंप के रूप में जारी होता है।

प्रशांत 'रिंग ऑफ फायर' की भूमिका:

- कमचातका प्रशांत अग्नि वलय के साथ स्थित है - जो 40,000 किलोमीटर लंबा घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है जहाँ अक्सर भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती रहती हैं। यह प्रशांत प्लेट को घेरे हुए है और जापान, इंडोनेशिया, चिली, मेक्सिको और अमेरिका सहित 15 से ज़्यादा देशों से होकर जाता है।
- यह क्षेत्र सक्रिय विवर्तनिक सीमाओं से चिह्नित है जहाँ प्लेटें टकराती हैं, एक-दूसरे के ऊपर से खिसकती हैं, या अवतलन (सबडक्शन) से गुज़रती हैं। ज्वालामुखीय गतिविधि भी सबडक्शन के दौरान मैग्मा उत्पादन के कारण आम है।

सुनामी कैसे शुरू हुई?

- भूकंप के कारण समुद्र तल में अचानक ऊर्ध्वाधर विस्थापन हुआ।

जब समुद्र के नीचे की कोई दरार टूटती है और समुद्र तल को स्थानांतरित करती है, तो यह अपने ऊपर के पानी की बड़ी मात्रा को विस्थापित कर देती है। इससे लहरें उत्पन्न होती हैं जो समुद्र में तेज गति से बाहर की ओर जाती हैं और सुनामी का निर्माण करती हैं।

- इस मामले में, प्रशांत-ओखोत्स्क प्लेट सीमा के साथ अचानक हुई हलचल ने उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्र तल को अस्त-व्यस्त कर दिया, जिससे सुनामी लहरें उत्पन्न हुईं।
- जैसे-जैसे ये लहरें उथले तटीय जल के पास पहुंचीं, उनकी ऊंचाई बढ़ती गई, जिससे निकटवर्ती और दूरवर्ती तटीय क्षेत्रों में आपातकालीन चेतावनियां जारी की गईं।

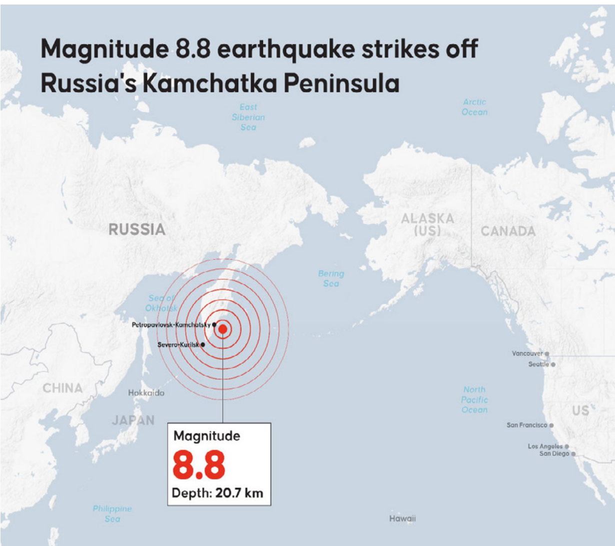

परिमाण बनाम तीव्रता:

- अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) 30 जुलाई के भूकंप को "महाभूकंप" (परिमाण ≥ 8) के रूप में वर्गीकृत करता है। ऐसी घटनाएँ आमतौर पर दुनिया भर में साल में एक बार होती हैं। यह अब तक दर्ज किया गया छठा सबसे बड़ा भूकंप है।
- परिमाण भूकंप के स्रोत पर उत्सर्जित ऊर्जा को मापता है और इसे सीस्मोग्राफ का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जाता है। परिमाण में प्रत्येक इकाई की वृद्धि ऊर्जा उत्सर्जन में 31.6 गुना वृद्धि दर्शाती है। उदाहरण के लिए, इस भूकंप ने मार्च 2025 में म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित की।
- परिमाण के विपरीत, तीव्रता किसी विशिष्ट स्थान पर महसूस किए गए कंपन के स्तर को संदर्भित करती है और यह भूकंप के केंद्र से दूरी के आधार पर भिन्न हो सकती है।

निष्कर्ष:

यह घटना सबडक्शन ज़ोन की भूकंपीय भेद्यता और मज़बूत सुनामी चेतावनी प्रणालियों, आपदा तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करती है—विशेषकर प्रशांत 'रिंग ऑफ फायर' के अंतर्गत के देशों के लिए।

दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में प्लास्टिक प्रदूषण

संदर्भ:

हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण संकट पर चिंता जताई है। यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब वैश्विक प्लास्टिक संधि पर संयुक्त राष्ट्र की वार्ता पुनः फेल हो गयी ।

वर्तमान स्थिति:

- आसियान प्लस थ्री (APT) क्षेत्र—जिसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ 10 आसियान देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) शामिल हैं जो प्लास्टिक उपयोग में अभूतपूर्व वृद्धि का सामना कर रहे है।
- OECD की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान नीतियों के तहत इस क्षेत्र में प्लास्टिक की खपत 2022 के 152 मिलियन टन से बढ़कर 2050 तक 280 मिलियन टन तक पहुँच जाएगी।
- यह वृद्धि मुख्य रूप से पैकेजिंग उत्पादों से हो रही है, जो प्लास्टिक उपभोग का सबसे बड़ा हिस्सा हैं।

वैश्विक प्रभाव:

- रिपोर्ट प्लास्टिक के जीवनचक्र से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के महत्वपूर्ण योगदान पर भी प्रकाश डालती है। अनुमान है कि आसियान प्लस थ्री क्षेत्र में प्लास्टिक उत्पादन और अपशिष्ट प्रबंधन से होने वाला उत्सर्जन 2022 के 0.6 गीगाटन CO_2e से लगभग दोगुना होकर 2050 तक 1 गीगाटन CO_2e से अधिक पहुँच जाएगा।

वैश्विक प्लास्टिक संधि के बारे में:

- वैश्विक प्लास्टिक संधि, जिसका आधिकारिक शीर्षक "प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें: एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी

साधन की ओर" है, प्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए बातचीत के अधीन एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।

- इसका उद्देश्य प्लास्टिक के पूरे जीवनचक्र—उत्पादन से लेकर निपटान तक—के प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उपाय लागू करना है, जिससे हमारे समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक का समाधान किया जा सके।

उद्देश्य:

- यह संधि वर्ष 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने और प्लास्टिक के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इसमें टिकाऊ प्रथाओं की ओर बदलाव शामिल हैं, जो प्लास्टिक के उपयोग के सभी चरणों—डिज़ाइन, उत्पादन, उपभोग और निपटान—में प्रबंधन पर जोर देते हैं। एक चक्रीय प्रणाली स्थापित करके, इस संधि का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को न्यूनतम करना और वैश्विक स्तर पर इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है।

वार्ता के मुख्य क्षेत्र:

- एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक (जैसे स्ट्रॉ, बैग और बोतलें) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना।
- पुनर्चक्रणीयता (Recycle) के लिए डिज़ाइन मानक तय करना ताकि प्लास्टिक उत्पादों का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग आसान हो सके।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक ढाँचा तैयार करना, विशेष रूप से प्लास्टिक प्रदूषण की सीमा पार प्रकृति को देखते हुए।

भारत का दृष्टिकोण:

- प्लास्टिक के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और उत्पादकों में से एक होने के कारण, भारत इस संधि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति है। यद्यपि भारत ने अब तक औपचारिक रूप से अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, किंतु संभावना है कि वह ऐसा संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगा जो पर्यावरण संरक्षण तथा विकासात्मक आवश्यकताओं—दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करे।
- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक पर्यावरणीय शासन में उसकी सुदृढ़ होती भूमिका इस संदर्भ में निर्णायक सिद्ध हो सकती है।

निष्कर्ष:

जब विश्व वैश्विक प्लास्टिक संधि पर संयुक्त राष्ट्र वार्ता के अंतिम चरण की तैयारी कर रहा है, OECD की रिपोर्ट यह संकेत देती है कि त्वरित और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया, जो वैश्विक प्लास्टिक रिसाव का एक-तिहाई से अधिक योगदान करते हैं, को प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण तथा पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु निर्णायक कदम उठाने होंगे।

अकस्मात् बाढ़ (फ्लैश फ्लड)

संदर्भ:

हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गाँव में आकस्मात बाढ़ और भूस्खलन से कम से कम चार लोगों की मृत्यु हो गई और इमारतों, दुकानों और होटलों को भारी नुकसान पहुँचा। हालाँकि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अचानक आई बाढ़ कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन इस विशेष आपदा का कारण इस क्षेत्र की अनूठी स्थलाकृति और भारी, निरंतर वर्षा का संयोजन है।

उत्तरकाशी जिले में अचानक आई बाढ़ का कारण:

- उत्तरकाशी में अचानक आई बाढ़ कई कारकों के संयोजन से हुई:
  - **भारी और लगातार वर्षा:** क्षेत्र में कई दिनों तक मूसलधार बारिश होती रही, जिससे मिट्टी की जलधारण क्षमता समाप्त हो गई और वर्षाजल का बहाव अत्यधिक बढ़ गया। यह स्थिति भले ही "बादल फटने" जैसी न रही हो, फिर भी अत्यधिक वर्षा ने बाढ़ की भूमिका निभाई।
  - **ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति:** उत्तरकाशी की खड़ी ढलानें, संकरी घाटियाँ और ऊबड़-खाबड़ जमीन वर्षाजल के तीव्र प्रवाह को बढ़ावा देती हैं। इस तेज़ जलधारा ने बाढ़ की तीव्रता और विनाशक क्षमता को और अधिक बढ़ा दिया।
  - **भूस्खलन:** वर्षा के कारण मिट्टी कमजोर हो गई, जिससे भूस्खलन की घटनाएँ हुईं। इसका परिणाम यह हुआ कि मिट्टी, चट्टानों और मलबे ने नदियों और जलधाराओं को अवरुद्ध किया और जल प्रवाह में अचानक वृद्धि हुई।
  - **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने से पहले से ही उफना ती नदियों में और पानी आ गया, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया।
  - **वनस्पति का अभाव:** पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई और वनस्पति की कमी से मिट्टी जल सोखने में अक्षम हो जाती है।

इसका परिणाम यह हुआ कि वर्षाजल सतह से तेज़ी से बहता हुआ निचले क्षेत्रों की ओर गया, जिससे बाढ़ की स्थिति बनी।

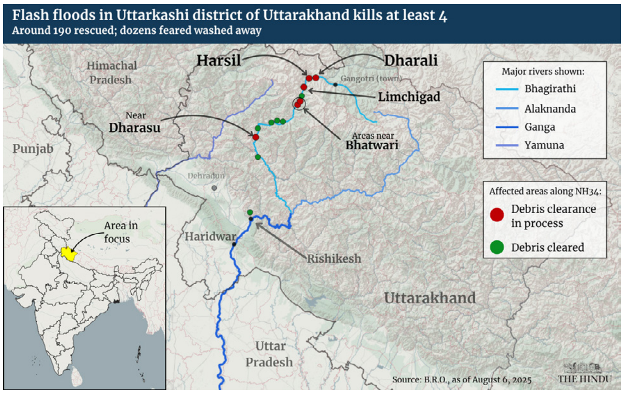

अकस्मात् बाढ़ (फ्लैश फ्लड) क्या है?

- अकस्मात् बाढ़ वह तेज़ और अचानक बाढ़ होती है जो सामान्यतः भारी वर्षा या जल संचयन की घटना के छह घंटे के भीतर उत्पन्न होती है। यह नदियों, नालों या शहरी क्षेत्रों में जल स्तर में तेजी से वृद्धि का कारण बनती है और अक्सर बिना पूर्व चेतावनी के आती है।

अकस्मात् बाढ़ के कारण:

- भारी बारिश, बांधों के टूटने, मलबे के जाम होने या हिमनद झीलों जैसे प्राकृतिक जलाशयों से पानी के अचानक निकलने के कारण अकस्मात् बाढ़ आ सकती है। भारत में, अकस्मात् बाढ़ अक्सर बादल फटने से जुड़ी होती है, जिसमें थोड़े समय के लिए भारी बारिश होती है। भूभाग की ढलान, मिट्टी का प्रकार और मानव निर्मित अवरोध जैसे कारक भी अचानक आने वाली बाढ़ में योगदान करते हैं।

अकस्मात् आने वाली बाढ़ की विशेषताएँ:

- आकस्मिक बाढ़ की विशेषता उनकी उच्च तीव्रता होती है, जो बड़ी मात्रा में पानी, मलबा और तलछट लेकर आती है।
- ये जल निकासी प्रणालियों को प्रभावित कर सकती हैं, नदियों को उफान पर ला सकती हैं और निचले इलाकों को जलमग्न कर सकती हैं।
- आकस्मिक बाढ़ की विशेषता उनकी उच्च तीव्रता होती है, जो बड़ी मात्रा में पानी, मलबा और तलछट लेकर आती है।

अकस्मात् बाढ़ और सामान्य बाढ़ के बीच अंतर:

- अकस्मात् बाढ़ तेज़ी से आती है, अक्सर कुछ घंटों के भीतर, जबकि सामान्य बाढ़ धीरे-धीरे कई दिनों या हफ्तों में विकसित होती है।
- अकस्मात् बाढ़ अधिक तीव्र लेकिन अल्पकालिक होती है, जबकि सामान्य बाढ़ दीर्घकालिक हो सकती है।
- अकस्मात् बाढ़ में चेतावनी का समय बहुत कम होता है, जबकि सामान्य बाढ़ आमतौर पर निकासी और तैयारी के लिए अधिक समय प्रदान करती है।

अकस्मात् आने वाली बाढ़ को कम करना:

- मौसम निगरानी, नदी गेजिंग प्रणाली और अन्य पूर्व चेतावनी तंत्र बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में, आईएमडी जैसी एजेंसियां अचानक आने वाली बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए डॉप्लर रडार का इस्तेमाल करती हैं, जबकि एनडीएमए बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में आवासों के नियमन की सलाह देता है।

निष्कर्ष:

5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी में आई अकस्मात् बाढ़ ने क्षेत्र की भौगोलिक संवेदनशीलता को उजागर किया। यहाँ की खड़ी ढलानें, मलबा प्रवाह और भूस्खलन की प्रवृत्ति, इसे बार-बार आपदाग्रस्त बनाती हैं। जलवायु परिवर्तन और लगातार भारी वर्षा ने ऐसी घटनाओं की संभावना को और बढ़ा दिया है। यह घटना बताती है कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रणाली, मजबूत बुनियादी ढाँचा और वनस्पति पुनर्स्थापन जैसे सक्रिय उपाय अत्यंत आवश्यक हैं।

जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक

संदर्भ:

हाल ही में आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने 'जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक' (District Flood Severity Index - DFSI) नामक सूचकांक विकसित किया है।

जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के विषय में :

- अधिकांश मौजूदा बाढ़ सूचकांक बाढ़ की भयावहता, जैसे कि जलमग्न क्षेत्र या बाढ़ की घटनाओं की संख्या, पर केंद्रित होते हैं।
- हालाँकि, ये सूचकांक बाढ़ से होने वाली मानवीय क्षति—जैसे मृत्यु, चोट और विस्थापन—को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते, जबकि ये तत्व आपदा प्रबंधन और नीतिगत योजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।
- भारत में जिला प्रशासन, शासन और राहत कार्यों की प्रमुख इकाई

है। ऐसे में, जिला-स्तरीय बाढ़ गंभीरता सूचकांक (DFSI) नीति-निर्माताओं को संसाधनों के प्रभावी आवंटन और प्राथमिकता निर्धारण में सहायक हो सकता है।

डीएफएसआई के घटक:

- डीएफएसआई में कई कारक शामिल होते हैं:
  - » बाढ़ की घटनाओं की औसत अवधि (दिनों में)
  - » ऐतिहासिक रूप से बाढ़ग्रस्त ज़िले के क्षेत्र का प्रतिशत
  - » बाढ़ से हुई मौतों और चोटों की कुल संख्या
  - » प्रभावित लोगों के सापेक्ष प्रभाव के पैमाने का आकलन करने के लिए ज़िले की जनसंख्या
- यह समग्र दृष्टिकोण बाढ़ की गंभीरता की एक अधिक समग्र समझ प्रदान करता है, जो बाढ़ के भौतिक और सामाजिक दोनों आयामों को दर्शाता है।

निहितार्थ:

- विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि केवल बाढ़ की घटनाओं की संख्या, किसी क्षेत्र में बाढ़ की गंभीरता का सटीक आकलन नहीं कर सकती।
- उदाहरणस्वरूप, केरल का तिरुवनंतपुरम ज़िला यद्यपि बार-बार बाढ़ का सामना करता है, फिर भी वहाँ मृत्यु दर कम होने के कारण गंभीरता के पैमाने पर यह अपेक्षाकृत नीचे आता है।
- इसके विपरीत, पटना जैसे ज़िले, जहाँ बाढ़ की घटनाएँ अपेक्षाकृत कम हैं, अधिक मानवीय क्षति के कारण गंभीरता के उच्च स्तर पर आंके जाते हैं।
- यह स्थिति इस बात को रेखांकित करती है कि बाढ़ आकलन में मानवीय कारकों—जैसे मृत्यु, चोट और विस्थापन—को शामिल करना नीतिगत और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।

भविष्य का दायरा:

- हालांकि डीएफएसआई एक महत्वपूर्ण प्रगति है, शोधकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान में इसमें बाढ़ग्रस्त कृषि भूमि की सीमा जैसे कुछ डेटा शामिल नहीं हैं। भविष्य में इसमें और अधिक विस्तृत स्थानिक डेटा और शहरी-ग्रामीण अंतर शामिल किए जाएँगे।
- डीएफएसआई बाढ़ शमन रणनीतियों का मार्गदर्शन कर सकता है, पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार कर सकता है और बाढ़-बहुल क्षेत्रों में आपदा-रोधी योजना को सशक्त बनाने में भी सहायक हो सकता है।

भारत में बाढ़ स्थिति :

- बाढ़ भारत की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, जो लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर (भूमि का 10%) क्षेत्र प्रभावित करती है। सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र के मैदान सबसे अधिक बाढ़ में वृद्धि हैं, जिनमें असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य अत्यधिक संवेदनशील हैं।
- खराब जल निकासी और अनियोजित विकास के कारण शहरी बाढ़ में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के परिणामस्वरूप वर्षा की तीव्रता में वृद्धि हो रही है, जिससे बाढ़ की आवृत्ति और उसकी गंभीरता दोनों में वृद्धि देखी जा रही है।
- अचानक बाढ़, आवास विनाश और विस्थापन बाढ़ के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को और बढ़ा देते हैं।

निष्कर्ष:

डीएफएसआई भारत की बाढ़ प्रबंधन रणनीति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें केवल बाढ़ के पानी पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर लोगों और प्रभाव को भी शामिल किया जाएगा। यह बढ़ती चरम मौसम की घटनाओं के युग में जलवायु-रोधी योजना बनाने और संवेदनशील आबादी की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट (2025) के अनुसार, भारत में एशियाई शेरों की संख्या 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है, जो 32.2% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। यह संरक्षण सफलता गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में आवास प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है, जो विश्व में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **जनसंख्या वृद्धि**: पिछले एक दशक में एशियाई शेरों की आबादी में 70.36% की वृद्धि हुई है, जो 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है।
- **क्षेत्र विस्तार:** इसी अवधि के दौरान क्षेत्र में 59.09% की वृद्धि हुई है।
- **वयस्क मादाओं की संख्या में वृद्धि:** वयस्क मादाओं की संख्या 260 से बढ़कर 330 हो गई है, जो 26.9% की वृद्धि है, जिससे इस प्रजाति की प्रजनन क्षमता में वृद्धि हुई है।

क्षेत्रीय वितरण:

- **अमरेली ज़िला:** वर्तमान में यहाँ शेरों की संख्या सबसे अधिक है, जिसमें 82 वयस्क नर, 117 वयस्क मादा और 79 शावक हैं।
- **मिटियाला वन्यजीव अभयारण्य:** शेरों की आबादी में 100% की वृद्धि के साथ सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज की गई।
- **भावनगर मुख्यभूमि:** 84% की वृद्धि देखी गई, जबकि दक्षिण-पूर्वी तट पर 40% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **गिरावट वाले क्षेत्र:** गिरनार वन्यजीव अभयारण्य (-4%) और भावनगर तट (-12%) में मामूली गिरावट देखी गई है, जो मानव-वन्यजीव संपर्कों से उत्पन्न संभावित तनाव को दर्शाती है।

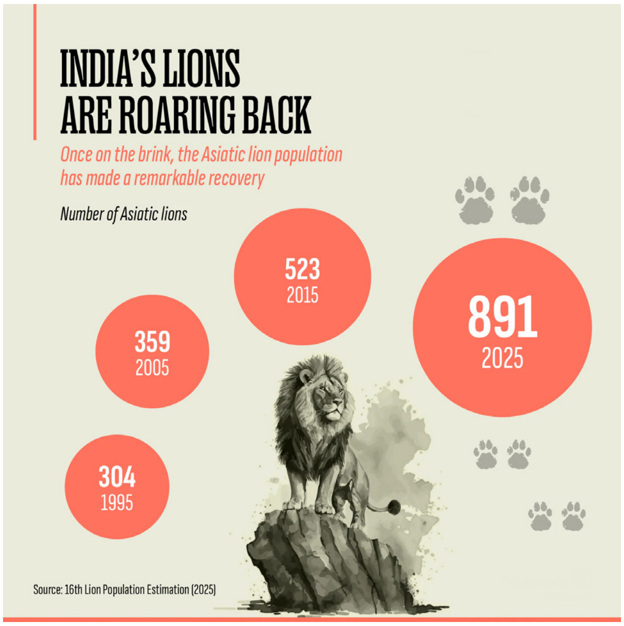

चुनौतियाँ:

- इस वृद्धि के बावजूद, विशेषज्ञ मानव बस्तियों से बढ़ती निकटता के कारण शेरों के व्यवहार में बदलाव पर चिंता व्यक्त करते हैं। गिर के 258 वर्ग किलोमीटर के मुख्य क्षेत्र में अब केवल 20% शेर ही रहते हैं, जबकि अधिकांश बफ़र ज़ोन और आसपास के इलाकों में रहते हैं, जहाँ वे पशुओं का शिकार करते हैं या विघटित शवों को खाते हैं।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान, गुजरात वन विभाग और उनके सहयोगियों द्वारा 2025 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि पशुओं पर शेरों के हमले प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़े हैं, और प्रति गाँव पशुधन की हानि में प्रति वर्ष 15% की वृद्धि हुई है।

एशियाई शेर के बारे में:

- एशियाई शेर एक विशिष्ट उप-प्रजाति है, जो विशेष रूप से गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अफ्रीकी शेर की तुलना में आकार में छोटा, यह अपने विशिष्ट पेट की तह और कम उभरे अयाल के लिए जाना जाता है। यह विश्व में इस प्रजाति की एकमात्र जंगली आबादी है, जिससे इसका संरक्षण वैश्विक प्राथमिकता बन गया है।
- **संरक्षण स्थिति और कानूनी संरक्षण:** एशियाई शेर IUCN की लाल सूची में 'संकटग्रस्त' श्रेणी में वर्गीकृत हैं, CITES परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध हैं और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के अंतर्गत संरक्षित हैं। ये सभी वर्गीकरण उनकी संवेदनशीलता और सख्त संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- **संरक्षण प्रयास और आवास विस्तार:** प्रोजेक्ट लायन एवं एशियाई शेर संरक्षण परियोजना के तहत भारत सरकार के केंद्रित प्रयासों का मुख्य उद्देश्य आवास का सुदृढ़ीकरण, रोगों की रोकथाम एवं जनसंख्या के विस्तार को सुनिश्चित करना है। शेर अब गिर राष्ट्रीय उद्यान से बाहर निकलकर बर्दा वन्यजीव अभयारण्य एवं आसपास के क्षेत्रों में फैल चुके हैं, जहाँ उनकी जनसंख्या की नियमित जनगणना एवं निगरानी की जाती है।

निष्कर्ष:

भारत में एशियाई शेरों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि वन्यजीव संरक्षण के प्रति देश की प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। प्रोजेक्ट लायन एवं गुजरात सरकार के नेतृत्व में निरंतर प्रयासों से इस राजसी प्रजाति का भविष्य आशाजनक दिखाई देता है। हालांकि, मानव-शेर संघर्ष जैसी चुनौतियों का प्रभावी समाधान और इनके साथ स्थायी सह-अस्तित्व स्थापित करना एशियाई शेरों के दीर्घकालिक अस्तित्व और समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होगा।

खारे पानी के मगरमच्छों का सर्वेक्षण

संदर्भ:

हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में खारे पानी के मगरमच्छों (क्रोकोडाइलस पोरोसस) की आबादी में 2024 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस सकारात्मक रुझान का श्रेय भगबतपुर मगरमच्छ परियोजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दशकों से किए जा रहे निरंतर प्रयासों को दिया जा रहा है।

मुख्य निष्कर्ष:

- जनसंख्या अनुमान (2025) के अनुसार, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या 220 से 242 के बीच मानी गई है, जबकि प्रत्यक्ष दृश्य के दौरान कुल 213 मगरमच्छ देखे गए। इनमें से 125 वयस्क, 88 किशोर और 23 नवजात थे। 2024 की तुलना में 2025 में सभी जनसांख्यिकीय श्रेणियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें वयस्कों की संख्या 71 से बढ़कर 125, किशोरों की संख्या 41 से 88 और नवजात की संख्या 2 से 23 हो गई है।

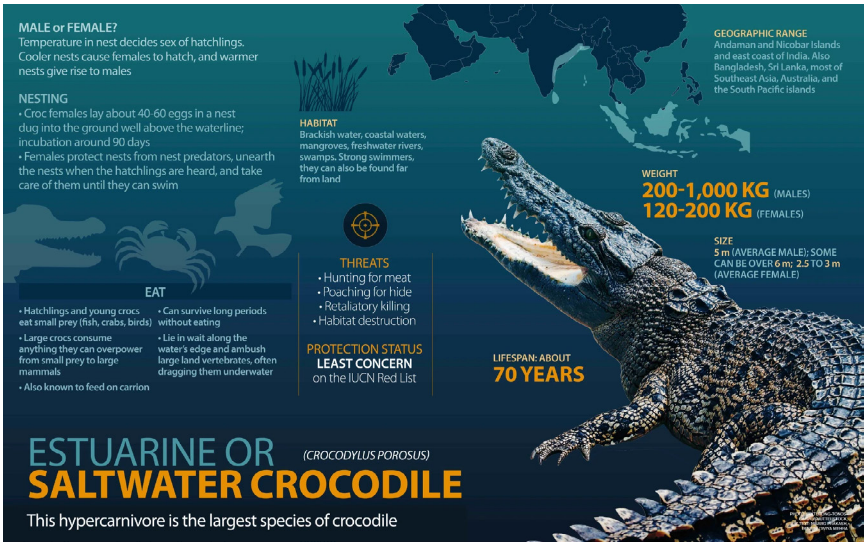

खारे पानी के मगरमच्छ के बारे में:

- खारे पानी का मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पोरोसस) सभी मगरमच्छों में सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप है, जिसकी लंबाई अक्सर 6 मीटर से अधिक होती है। यह मगरमच्छ तटीय भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके प्रमुख आवास मुहाना, नदियाँ, मैंग्रोव और तटीय आर्द्रभूमि हैं। भारत में इसके मुख्य आवास भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान (ओडिशा), सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं।
  - » **पारिस्थितिक महत्व और खतरे:** खारे पानी का मगरमच्छ एक ऐसा शिकारी है जो जल स्रोतों में शिकार की संख्या को संतुलित रखता है और मृत जानवरों को साफ करके पानी को साफ़ बनाए रखता है। इसके सामने प्रमुख खतरे हैं – आवास का नुकसान, अवैध शिकार और बढ़ता मानव-वन्यजीव संघर्ष, विशेषकर मैंग्रोव के पास मछुआरा समुदायों के मध्य।
  - » **संरक्षण हेतु उपाय:** आईयूसीएन द्वारा 'सबसे कम चिंताजनक' श्रेणी में सूचीबद्ध, भारत में मगरमच्छ संरक्षण के प्रयास जारी हैं। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना (1975) और पश्चिम बंगाल की भगबतपुर मगरमच्छ परियोजना ने जनसंख्या सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में:

- सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 1989 में स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा बने विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का हिस्सा है। यह दुनिया के सबसे बड़े ज्वारीय लवणभक्षी मैंग्रोव वन का भी घर है। इसकी सीमा मुरीगंगा नदी (पश्चिम) और हरिनभंगा तथा रायमंगल नदियों (पूर्व) से लगी हुई है।

पारिस्थितिक महत्व:

- सुंदरवन एकमात्र मैंग्रोव वन है जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और रामसर साइट है, जो इसकी वैश्विक पारिस्थितिक महत्ता को दर्शाता है। यह क्षेत्र विविध वन्यजीवों का घर है, जिनमें खारे पानी के मगरमच्छ, डॉल्फ़िन, कछुए और कई पक्षी प्रजातियाँ शामिल हैं।
- सुंदरवन चक्रवात और तटीय कटाव के खिलाफ एक प्राकृतिक अवरोध का काम करता है और कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष:

सुंदरवन में खारे पानी के मगरमच्छों की बढ़ती आबादी संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। हालांकि, इस महत्वपूर्ण प्रजाति की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए उनके आवास की निरंतर निगरानी और संरक्षण आवश्यक है।

डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में जंगली घोड़ों के अस्तित्व पर संकट

संदर्भ:

हाल ही में एक अध्ययन ने असम के डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान (DSNP) में घास के मैदानों के लगातार घटते क्षेत्र पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह उद्यान भारत में जंगली घोड़ों का एकमात्र ज्ञात आवास है। उद्यान का पारिस्थितिकी तंत्र आक्रामक तथा देशी वनस्पतियों के फैलाव से संकट में है, जिससे आवासीय ह्रास और जैव विविधता के क्षरण की संभावना बढ़ रही है।

देशी और आक्रामक पौधे:

- आक्रामक पौधे वे गैर-देशी प्रजातियाँ होती हैं जो नए पर्यावरण में तेजी से फैलती हैं और स्थानीय, देशी पौधों की जगह ले लेती हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ता है, जैव विविधता घटती है और पर्यावरण एवं आर्थिक नुकसान हो सकता है।
- हाल के अध्ययन में असम के डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में दो देशी प्रजातियाँ — बॉम्बैक्स सीबा (सिमालु) और लेगरस्ट्रोमिया स्पेशोसा (अजार) — भी पाए गए हैं, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र के बदलाव में योगदान दे रही हैं।
- ये देशी प्रजातियाँ आक्रामक पौधों जैसे क्रोमोलेना ओडोराटा, एगेरेटम कोनीज़ोइड्स, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस और मिकानिया माइक्रांथा के साथ मिलकर घास के मैदानों के प्राकृतिक परिदृश्य को बदल रही हैं, जिससे जंगली घोड़ों के आवास में गिरावट हो रही है।

जैव विविधता पर प्रभाव:

- अध्ययन में पाया गया कि डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के परिदृश्य में बदलाव घास के मैदानों में रहने वाली कई प्रजातियों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। ये प्रजातियाँ, जो पहले से ही आवासीय ह्रास के कारण वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त हैं, इस पर्यावरणीय दबाव से और अधिक प्रभावित हो रही हैं।
- उल्लेखनीय घटती प्रजातियों में बंगाल फ्लोरिकन, हॉग डियर और स्वैम्प ग्रास बैबलर प्रमुख हैं।

जंगली घोड़ों के बारे में:

- डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत में जंगली घोड़ों की एकमात्र ज्ञात आबादी का घर है। इन घोड़ों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कानूनी सुरक्षा नहीं प्राप्त है, जिससे ये आवासीय क्षरण, बाढ़, पशुधन से प्रतिस्पर्धा और अवैध कब्जे जैसी चुनौतियों के प्रति संवेदनशील हैं।

डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के विषय में :

- असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 765 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें मुख्य क्षेत्रफल 340 वर्ग किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र, लोहित और डिब्रू नदियों से घिरा यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला भारत का सबसे बड़ा सैलिक्स दलदली वन है।
- 1890 में आरक्षित वन घोषित, इसे 1995 में वन्यजीव अभयारण्य, 1997 में बायोस्फीयर रिज़र्व और 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
- यहाँ बंगाल टाइगर, हाथी, जंगली घोड़े सहित 36 से अधिक स्तनधारी प्रजातियाँ और 500 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ, जैसे सफेद पंखों वाला वुड डक और बंगाल फ्लोरिकन, पाई जाती हैं।
- उद्यान में अर्ध-सदाबहार वन, घास के मैदान, आर्द्रभूमि, समृद्ध आर्किड वनस्पतियाँ तथा विविध मछली और सरीसृप भी मौजूद हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण जैव विविधता केंद्र बनाते हैं।

निष्कर्ष:

शोधकर्ताओं ने लक्षित घास के मैदानों के पुनरुद्धार, आक्रामक प्रजातियों पर प्रभावी नियंत्रण, तथा समुदाय-आधारित संरक्षण पहलों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की है। उनका मानना है कि यदि शीघ्र हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो डिब्रू-सैखोवा के जंगली घोड़े अपना एकमात्र सुरक्षित आवास भी खो सकते हैं।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

आत्मनिर्भर भारत 2.0: डीप-टेक युग के लिए शासन और नियमन में सुधार की आवश्यकता

परिचय:

79वें स्वतंत्रता दिवस पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप-टेक क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोइंजीनियरिंग में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए एक भविष्योन्मुख दृष्टि प्रस्तुत की। हालांकि, इस दृष्टि के लिए केवल तकनीकी नवप्रवर्तन ही आवश्यक नहीं है, बल्कि शासन में संरचनात्मक सुधार भी आवश्यक हैं।

डीप-टेक के बारे में:

- डीप-टेक से तात्पर्य ऐसी अभिनव तकनीकों से है जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों या जटिल इंजीनियरिंग पर आधारित हैं और बड़े सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करने का लक्ष्य रखती हैं। शैलो टेक के विपरीत, जिसमें क्रमिक डिजिटल उन्नयन शामिल हैं, डीप-टेक स्टार्टअप AI, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत सामग्री जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी नवप्रवर्तन पर केंद्रित होते हैं। इन उद्यमों के लिए शोध एवं विकास में दीर्घकालिक और पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है और ये बाजार में परिपक्व होने में दशकों लग सकते हैं।

भारत के लिए डीप-टेक क्यों महत्वपूर्ण है?

- डीप-टेक भारत को एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए आवश्यक है। यह AI, बायोटेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसे उन्नत क्षेत्रों में नवप्रवर्तन को गति देता है, नए बाजार बनाता है और औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाता है। यह परिवर्तन न केवल आर्थिक दक्षता बढ़ाता है, बल्कि भविष्य के उद्योगों की नींव भी रखता है, जिससे भारत पारंपरिक विनिर्माण-प्रधान विकास से आगे बढ़ सके।
- डीप-टेक स्टार्टअप्स को दीर्घकालिक, उच्च-प्रभाव वाले नवप्रवर्तनों का अनुसरण करने के लिए सक्षम बनाकर उद्यमिता को बढ़ावा देता है, वैश्विक प्रतिभा और निवेश को आकर्षित करता है। ये उद्यम निर्यात, रोजगार सृजन और एक मजबूत नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देते हैं।
- डीप-टेक जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा पहुंच, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, और साइबर सुरक्षा जैसे बड़े सामाजिक मुद्दों के समाधान प्रदान

करता है। यह रक्षा, नेविगेशन और महत्वपूर्ण अवसंरचना में स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकें शासन और विकास के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को भी बेहतर बनाती हैं।

भारत के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र की वर्तमान स्थिति:

- भारत ने डिजिटल तकनीक, विशेषकर सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यूपीआई, आधार (Aadhaar), कोविन (CoWIN) और डिजीलाकर (DigiLocker) जैसे प्लेटफ़ॉर्मों ने सेवा वितरण, वित्तीय समावेशन और डिजिटल शासन में क्रांति ला दी है। भारत अब प्रति व्यक्ति मोबाइल डेटा खपत में विश्व में सबसे आगे है, और बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर तकनीकी हब के रूप में उभरे हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारत की कुशल कार्यबल वैश्विक नवप्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे Nvidia और IBM के प्रमुख अनुसंधान और विकास (R&D) केंद्र देश में संचालित हैं।
- हालांकि, ये उपलब्धियाँ मुख्य रूप से निचले और मध्यम तकनीकी क्षेत्रों, जैसे IT सेवाएं, फिनटेक, और सोशल मीडिया तक सीमित हैं। इसके विपरीत, भारत का डीप-टेक पारिस्थितिकी तंत्र—जिसमें AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर शामिल हैं—अभी भी विकसित नहीं हुआ है और आयात पर निर्भर है। अकादमी, उद्योग और सरकार के बीच सीमित समन्वय भी शोध और नवप्रवर्तन के पैमाने को बाधित करता है।

डीपटेक के लिए औपनिवेशिक नौकरशाही की समस्याएं:

- भारत की नौकरशाही संरचना ब्रिटिश भारत की भारतीय सिविल सेवा (ICS) की विरासत है, जिसे मूलतः नियंत्रण के लिए बनाया गया था, नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए नहीं। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने पश्चिममिंस्टर मॉडल को न्यूनतम संरचनात्मक बदलाव के साथ बनाए रखा।
- आज, इससे कई शासन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं:
  - » सामान्यज्ञों का प्रभुत्व बना हुआ है, IAS अधिकारी अक्सर अत्यधिक विशेषज्ञता वाले विभागों (जैसे AI या बायोटेक्नोलॉजी) का नेतृत्व करते हैं।
  - » वरिष्ठ स्तरों पर विषय विशेषज्ञता और लैटरल एंट्री सीमित है।
  - » लालफीताशाही, जोखिम-हीन संस्कृति और आंतरिक पदोन्नति जवाबदेही और नवप्रवर्तन में बाधक हैं।
- वीरप्पा मोइली प्रशासनिक सुधार आयोग (2005) ने इन मुद्दों को उजागर किया और सुझाव दिए:
  - » विशेषज्ञों की लैटरल एंट्री
  - » प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन
  - » आचार संहिता और जवाबदेही तंत्र
- हालांकि, कार्यान्वयन अधूरा रहा। इस पुरानी प्रणाली को सुधारने के बिना, भारत की डीप-टेक में नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा सीमित रहेगी।

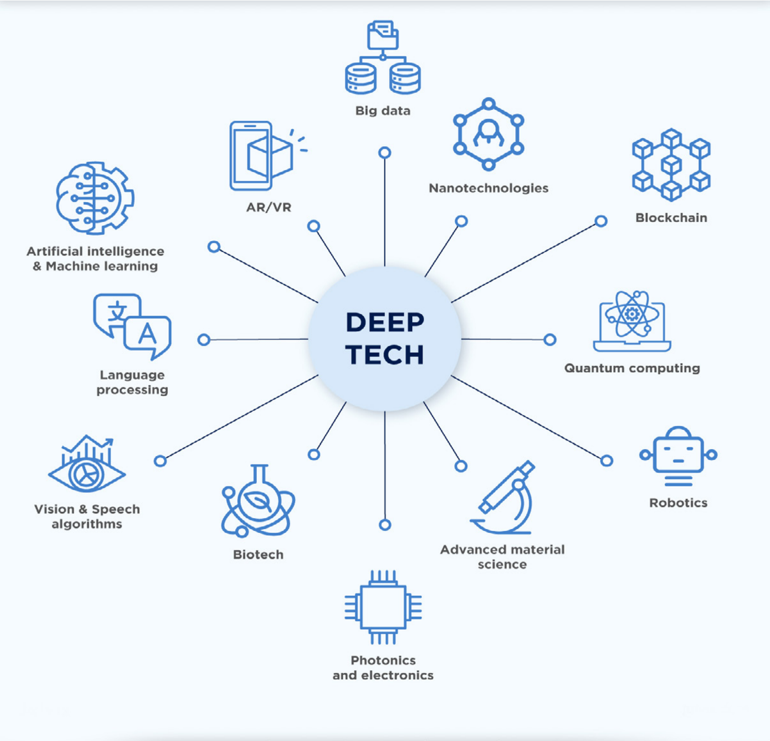

डीपटेक के लिए नियामकीय अड़चनें:

- भारत का नियामकीय माहौल डीप-टेक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी बाधा बना हुआ है। सार्वजनिक हित और स्थिरता के लिए नियमन आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक और पुरानी नियमावली नवप्रवर्तन और निवेश को रोक सकती है।
- **समस्या क्षेत्र:**

» **कई और ओवरलैपिंग नियामक:** कई क्षेत्रों जैसे डिजिटल वित्त, डेटा संरक्षण और बायोटेक को कई प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे भ्रम, देरी और अकार्यक्षमता होती है।

» **नियामकीय अत्यधिक नियंत्रण:** क्रिप्टोकरेंसी, बायोटेक, और AI जैसे उभरते क्षेत्रों में अस्पष्ट या प्रतिबंधात्मक नियमन अनिश्चितता पैदा करता है, जो स्टार्टअप और निवेशकों को हतोत्साहित करता है।

» **नवप्रवर्तन सैंडबॉक्स की अनुपस्थिति:** नियंत्रित परीक्षण और नई तकनीकों के पायलटिंग के लिए पर्याप्त नियामक सैंडबॉक्स या नवप्रवर्तन क्षेत्र नहीं हैं।

» **औपनिवेशिक काल के अनुपालन बोझ:** कई व्यावसायिक नियम अभी भी पुराने औपनिवेशिक कानूनों पर आधारित हैं, जिससे कागजी कार्रवाई और प्रक्रियात्मक देरी होती है।

अंतरराष्ट्रीय तुलना:

भारत अपने डीप-टेक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए वैश्विक नेताओं से महत्वपूर्ण सबक ले सकता है:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:**
  - » स्वतंत्र नियामक निकाय (जैसे FTC, FCC) पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और नवप्रवर्तन सुनिश्चित करते हैं।
  - » DARPA और CHIPS अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से बड़े सार्वजनिक R&D वित्तपोषण उभरती तकनीकों में मूलभूत अनुसंधान का समर्थन करते हैं।
  - » लचीली नौकरशाही डोमेन विशेषज्ञों को प्रमुख संस्थानों का नेतृत्व करने देती है, जिससे अधिक विशेषज्ञ और प्रतिक्रियाशील शासन संभव होता है।
- **चीन:**
  - » केंद्रीकृत योजना और डीप-टेक प्रभुत्व के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय दृष्टि।
  - » मजबूत राज्य-उद्योग सहयोग नवप्रवर्तन पाइपलाइन को तेज किया है।
  - » दीर्घकालिक R&D निवेश और तेज निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे चीन ने AI, 5G और सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों में छलांग लगाई।

सुधार का रोडमैप:

भारत की डीप-टेक क्षमता को पूरा करने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए संस्थागत परिवर्तन उतना ही आवश्यक है जितना कि तकनीकी प्रगति।

- **तत्काल प्राथमिकताएं:**
  - » संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सुधार कर डोमेन विशेषज्ञों के लिए फास्ट-ट्रैक भर्ती रास्ते बनाना।
  - » लैटरल एंट्री को बढ़ावा दें और नौकरशाही, अकादमी और उद्योग के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।
  - » नवप्रवर्तन के लिए नियामक सैंडबॉक्स जैसे लचीले नियामक तंत्र विकसित करना।
  - » न्यायपालिका को डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी विशेषज्ञ फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से आधुनिक बनाना।
  - » नौकरशाही में प्रदर्शन आधारित जवाबदेही लागू करें ताकि इसे राष्ट्रीय नवप्रवर्तन लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जा सके।
- **दीर्घकालिक लक्ष्य:**
  - » महत्वपूर्ण डीप-टेक क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमता का विकास करें ताकि आयात निर्भरता कम हो।
  - » सहयोगात्मक शासन की संस्कृति विकसित करें, संस्थानों के बीच आपसी मतभेद कम करना।
  - » संस्थागत संरचनाओं को तकनीकी-चालित अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक पैमाने और गति के अनुरूप पुनः डिज़ाइन करना।

निष्कर्ष:

भारत की डीप-टेक महत्वाकांक्षाएं एक साहसिक राष्ट्रीय दृष्टि दर्शाती हैं, लेकिन उनकी सफलता केवल तकनीक विकास पर नहीं बल्कि गहरे संस्थागत सुधारों पर निर्भर करती है। आत्मनिर्भरता केवल व्यापार संतुलन के बारे में नहीं है, बल्कि क्षमता के बारे में है। वह क्षमता बनाने के लिए, भारत को केवल डिजिटल इंडिया से आगे बढ़कर एक संस्थागत रूप से आधुनिक भारत में निवेश करना होगा—जहां शासन तंत्र लचीला, जवाबदेह और नवप्रवर्तन के लिए तैयार हो। तब ही भारत केवल तकनीक के उपयोग में ही नहीं, बल्कि नवीनतम तकनीकों के निर्माण में भी नेतृत्व कर सकता है और 2047 तक एक वैश्विक डीप-टेक शक्ति के रूप में उभर सकता है।

संक्षिप्त मुद्दे

हेपेटाइटिस डी वायरस कैंसरकारी घोषित

संदर्भः

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हेपेटाइटिस डी वायरस (HDV) को कैंसरकारी (Carcinogenic) के रूप में वर्गीकृत किया है, अर्थात् इसमें विशेष रूप से यकृत कैंसर (Liver Cancer) उत्पन्न करने की क्षमता पाई गई है। यह घोषणा इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) द्वारा HDV को कैंसरकारी घोषित किए जाने के बाद की गई है। इस वर्गीकरण की पुष्टि 'द लैंसेट ऑन्कोलॉजी' में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन के आंकड़ों से होती है।

हेपेटाइटिस डी के विषय में :

हेपेटाइटिस डी एक गंभीर यकृत संक्रमण है, जो हेपेटाइटिस डी वायरस (HDV) के कारण होता है। यह वायरस अकेले संक्रमण नहीं फैला सकता, क्योंकि इसे सक्रिय होने और बढ़ने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस (HBV) की आवश्यकता होती है। इस कारण, हेपेटाइटिस डी केवल उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है, जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होते हैं।

यह कितना खतरनाक हैं?

- हेपेटाइटिस डी और बी का सह-संक्रमण अत्यधिक खतरनाक माना जाता है।
- HDV का संचरण हेपेटाइटिस बी और सी की तरह ही होता है—जैसे कि संक्रमित रक्त आधान, असुरक्षित इंजेक्शन, यौन संपर्क, और माँ से शिशु में प्रसव के दौरान संचरण के माध्यम से।
- HDV का निदान एचडीवी-आरएनए रक्त परीक्षणों द्वारा किया जाता है, जो वायरस के विरुद्ध बनी विशिष्ट एंटीबॉडी का पता लगाते हैं।
- अध्ययनों के अनुसार, HBV और HDV दोनों से संक्रमित रोगियों में यकृत कैंसर होने की संभावना, केवल HBV से संक्रमित रोगियों की तुलना में 2 से 6 गुना अधिक होती है।
- इसके अतिरिक्त, HDV से संक्रमित लगभग 75% रोगियों में 15 वर्षों के भीतर यकृत सिरोसिस (लिवर स्कारिंग) विकसित हो सकता है।

हेपेटाइटिस बी का टीका क्यों महत्वपूर्ण है:

- चूँकि एचडीवी (HDV) को प्रतिकृति के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस (HBV) की आवश्यकता होती है, इसलिए HBV के खिलाफ टीकाकरण एचडीवी संक्रमण से परोक्ष रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हेपेटाइटिस बी का टीका इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- हालाँकि, देश में टीकाकरण कवरेज अभी भी लगभग 50% के आसपास है, जिससे बड़ी आबादी अब भी असंरक्षित बनी हुई है। यह टीका तीन खुराकों में दिया जाता है—जन्म के समय, 1 माह की आयु में और 6 माह की आयु में।
- इसके अतिरिक्त, वयस्कों, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों (जैसे स्वास्थ्यकर्मी, संक्रमित रोगियों के परिजन आदि) के लिए कैच-अप टीकाकरण भी संभव है।

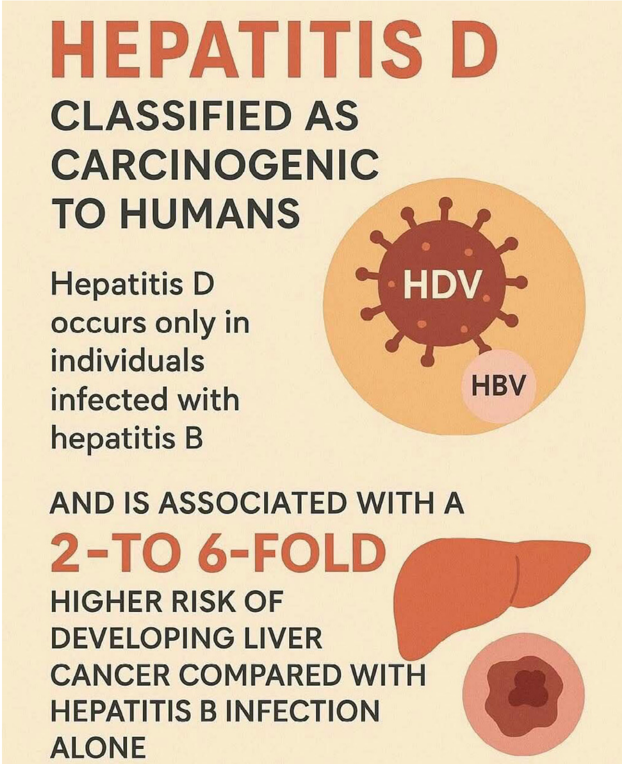

वायरल हेपेटाइटिस के बारे में:

- वायरल हेपेटाइटिस एक संक्रामक यकृत रोग है, जो विभिन्न प्रकार के वायरसों के कारण यकृत में सूजन उत्पन्न करता है। इसके पाँच प्रमुख प्रकार हैं—हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई।
- हेपेटाइटिस ए और ई, मौखिक मार्ग से, आमतौर पर दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलते हैं, और आमतौर पर तीव्र संक्रमणीय होते हैं।
- हेपेटाइटिस बी और सी का संचरण संक्रमित रक्त, सुई, या शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से होता है। ये संक्रमण जीर्ण (chronic) रूप ले सकते हैं, जिससे यकृत सिरोसिस या यकृत कैंसर जैसी गंभीर स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- हेपेटाइटिस ए और बी के लिए टीके उपलब्ध हैं और बी का टीकाकरण हेपेटाइटिस डी से भी बचाव करता है। हेपेटाइटिस सी

का कोई टीका नहीं है, लेकिन इसके प्रभावी उपचार हैं। हेपेटाइटिस ई की रोकथाम स्वच्छता पर निर्भर करती है।

निष्कर्ष:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हेपेटाइटिस डी वायरस (HDV) को कैंसरकारी (Carcinogenic) के रूप में वर्गीकृत किया जाना, विशेष रूप से संवेदनशील आबादी में हेपेटाइटिस बी (HBV) के टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह निर्णय संभवतः वैश्विक निगरानी, अनुसंधान निधि, और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा, जिनका उद्देश्य रोकथाम, शीघ्र पहचान और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं के माध्यम से HBV-HDV सह-संक्रमण से होने वाले यकृत कैंसर के मामलों को प्रभावी ढंग से कम करना है।

AI-डिज़ाइन प्रोटीन के ज़रिए टी कोशिका निर्माण में वैज्ञानिक प्रगति

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय मूल की शोधकर्ता डॉ. रुबुल माउट और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्रतिरक्षा प्रणाली की मुख्य कोशिकाओं – टी कोशिकाओं (T-cells) – के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से बनाए गए एक विशेष प्रोटीन का सफल प्रयोग किया है। यह शोध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका सेल में प्रकाशित हुआ है और यह नॉच सिग्नलिंग नामक प्रक्रिया को सक्रिय करने पर आधारित है, जो शरीर की प्रारंभिक कोशिकाओं (precursor cells) को टी कोशिकाओं में बदलने में मदद करती है।

एआई आधारित प्रोटीन तकनीक का वैज्ञानिक आधार:

- शोधकर्ताओं ने ऐसे कृत्रिम प्रोटीन एक्टिवेटर्स विकसित किए हैं, जो मानव शरीर में सुरक्षित और प्रभावी साबित हुए हैं। ये प्रोटीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से डिज़ाइन किए गए हैं और शरीर में नॉच सिग्नलिंग नामक एक विशेष प्रणाली को सक्रिय करते हैं। यह प्रणाली कोशिकाओं के बीच संवाद स्थापित करती है और उनके विकास को दिशा देती है।
- नॉच सिग्नलिंग मार्ग विशेष रूप से टी कोशिकाओं (T-cells) के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। ये टी कोशिकाएं शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, जो संक्रमणों और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ती हैं।
- एआई तकनीक के ज़रिये वैज्ञानिक अब ऐसे प्रोटीन भी डिज़ाइन कर पा रहे हैं जो बहुत सटीक तरीके से काम करते हैं। ये प्रोटीन संभावित रोग-संकेतों को पहचानते हैं और लक्षित कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करते हैं, जिससे बीमारियों के अधिक प्रभावी उपचार संभव हो सकते हैं।

एआई-डिज़ाइन किए गए प्रोटीन के प्रमुख लाभ:

- **बड़े पैमाने पर टी कोशिका उत्पादन:** यह तकनीक सीएआर टी-सेल थेरेपी जैसी उन्नत चिकित्सा पद्धतियों के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में टी कोशिकाओं के उत्पादन को संभव बनाती है, जो कैंसर के इलाज में उपयोगी हैं।
- **टीका प्रभावशीलता में वृद्धि:** ये प्रोटीन मेमोरी टी कोशिकाओं (Memory T-cells) को सक्रिय करते हैं, जिससे लंबे समय तक बनी रहने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता और वैक्सीन की प्रभावशीलता बेहतर होती है।
- **कैंसर उपचार में उपयोग:** ये प्रोटीन ट्यूमर के प्रतिरक्षा-दमनकारी वातावरण को लक्षित करते हैं, जिससे टी कोशिकाएं कैंसर से अधिक प्रभावी ढंग से लड़ सकती हैं।
- **स्केलेबल और व्यावहारिक:** ये सिर्फ प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि मानव शरीर में भी प्रभावी रूप से कार्य करते हैं, जिससे ये इम्यूनोथेरेपी के लिए एक व्यवहार्य और आशाजनक समाधान बन जाते हैं।

टी कोशिकाओं के विषय में:

- टी कोशिकाएं (T-cells), जिन्हें टी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली की प्रमुख श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के दौरान संक्रमण या कैंसरग्रस्त कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें नष्ट करती हैं।
- **टी कोशिकाओं के प्रकार:**
  - » **सहायक टी कोशिकाएं:** अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करती हैं।
  - » **साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं:** संक्रमित या कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करती हैं।
  - » **नियामक टी कोशिकाएं:** शरीर को आत्म-प्रतिरक्षा (autoimmunity) से बचाती हैं।
- टी कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं और थाइमस ग्रंथि (thymus) में परिपक्व होती हैं, जहाँ वे सीखती हैं कि अपने और बाहरी (foreign) रोगाणुओं के बीच कैसे अंतर करना है।

निष्कर्ष:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा विकसित प्रोटीन, इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। यदि इस दिशा में आगे भी अनुसंधान और विकास जारी रहा, तो यह तकनीक कैंसर और वायरल संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के नए विकल्प प्रदान कर सकती है।

कवच 4.0

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय रेलवे ने दिल्ली-मुंबई उच्च घनत्व रेलमार्ग के मथुरा-कोटा खंड पर स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणाली कवच 4.0 को सफलतापूर्वक शुरू किया है।

कवच क्या है?

- कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित कैब-सिग्नलिंग आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें टक्कर-रोधी (एंटी-कोलिजन) तकनीक शामिल है। इसे रेलवे अनुसंधान, डिज़ाइन और मानक संगठन (RDSO) ने तीन भारतीय कंपनियों के सहयोग से विकसित किया है।
- इसे भारत का राष्ट्रीय ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम घोषित किया गया है और यह सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल-4 (SIL-4) मानकों पर आधारित है, जो रेलवे प्रणालियों के लिए सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा मान्यता है।
- इस प्रणाली का विकास वर्ष 2015 में शुरू हुआ था और इसे पहली बार 2018 में दक्षिण मध्य रेलवे पर लागू किया गया।
- कवच 4.0, जिसे 2025 में स्वीकृति मिली, अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति को सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर सकता है और यह पूरी तरह भारत में ही निर्मित है।

कवच रेलवे सुरक्षा को कैसे बेहतर बनाता है?

- यह मौजूदा सिग्नलिंग सिस्टम पर एक सतर्क परत की तरह काम करता है, और जब ट्रेन किसी खतरे वाले सिग्नल (जैसे लाल सिग्नल) के पास पहुँचती है तो लोको पायलट को अलर्ट करता है।
- यदि ड्राइवर समय पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तो यह सिस्टम स्वतः ब्रेक लगाकर सिग्नल के पार जाने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकता है।
- यह कम दृश्यता वाले मौसम (जैसे कोहरा) में भी रियल टाइम में ट्रेन की सुरक्षित गति बनाए रखता है।
- नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के ज़रिए ट्रेन की केंद्रीकृत लाइव निगरानी से देखा जा सकता है। किसी आपात स्थिति में पूरे सिस्टम में आपात (SOS) संदेश प्रसारित करता है।
- यह सिस्टम ट्रेन की संचार, निगरानी और नियंत्रण प्रणालियों को जोड़कर मानवीय त्रुटियों की संभावना को प्रभावित तरीके से कम करता है और दुर्घटनाओं की रोकथाम को मजबूत बनाता है।

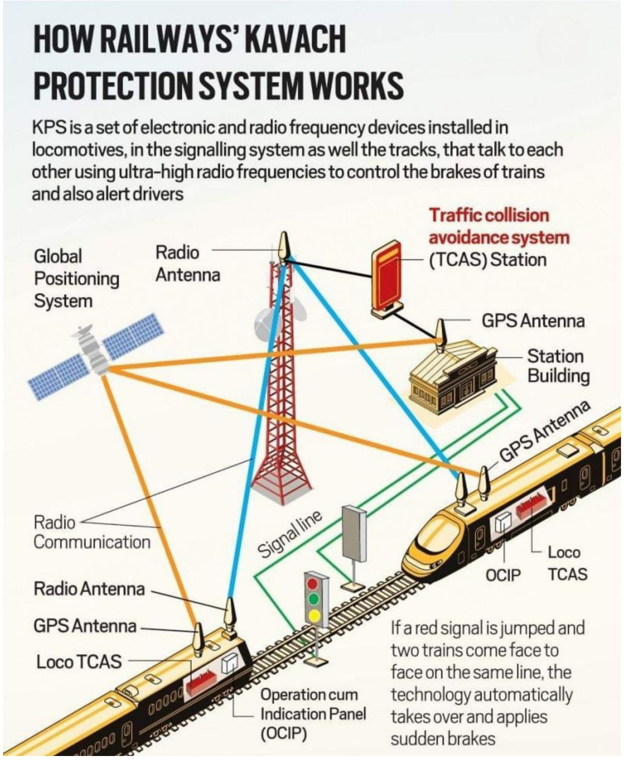

कवच में शामिल तकनीक:

- कवच का ढांचा एक टेलीकॉम नेटवर्क जैसी जटिलता रखता है। इसमें शामिल हैं:
  - » रेलवे पटरियों पर हर एक किलोमीटर की दूरी पर लगे RFID टैग, जो ट्रेन की लोकेशन बताते हैं।
  - » रियल-टाइम डेटा ट्रांसफर के लिए टेलीकॉम टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क।
  - » लोको कवच और स्टेशन कवच यूनिट, जो ब्रेकिंग को नियंत्रित करते हैं और सिग्नल के अनुसार ट्रेन को रोकते हैं।
  - » सिग्नल प्रणाली का ऐसा एकीकरण जिससे लोको पायलट को कैब के अंदर सीधे लाइव सिग्नल की जानकारी मिलती है – खासकर कोहरे जैसे परिस्थिति में।

कवच के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- हालाँकि कवच की प्रभावशीलता और सुरक्षा लाभ स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने में कई महत्वपूर्ण

चुनौतियाँ सामने आती हैं:

» **उच्च लागत:** कवच की अनुमानित लागत लगभग ₹50 लाख प्रति किलोमीटर है। चूँकि भारतीय रेलवे नेटवर्क 68,000 किलोमीटर से अधिक विस्तृत है, इसलिए इसे संपूर्ण नेटवर्क पर लागू करने के लिए अत्यधिक वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी।

» **जटिल अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर):** कवच की स्थापना एक लघु टेलीकॉम नेटवर्क तैयार करने के समान है। इसमें RFID (Radio Frequency Identification) टैग, रेडियो टावर, ऑप्टिकल फाइबर केबल तथा स्टेशन और लोकोमोटिव यूनिट्स जैसे कई तकनीकी उपकरणों की स्थापना शामिल है, वह भी रेलवे की नियमित सेवाओं को प्रभावित किए बिना। यह कार्य तकनीकी रूप से जटिल है।

» **प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता:** कवच की संचालन और रखरखाव प्रणाली विशेषज्ञ ज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण की माँग करती है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान (IRISET) जैसे प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से प्रयास प्रारंभ किए हैं, परंतु देशभर में आवश्यक संख्या में कुशल कर्मियों को तैयार करना अब भी एक बड़ी प्रशासनिक और लॉजिस्टिक चुनौती है।

निष्कर्ष:

भारतीय रेलवे ने अगले छह वर्षों में कवच 4.0 को पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जो भारत की यात्री सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत में हीमोफीलिया का बढ़ता बोझ

सन्दर्भ:

हीमोफीलिया भारत में लंबे समय से गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का कारण रहा है, जिसका मुख्य कारण सही समय पर निदान न हो पाना, उपचार तक सीमित पहुँच और प्रतिक्रियात्मक देखभाल पर निर्भरता है। नियमित क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट और नई नॉन-फैक्टर थेरैपीज़ सहित उपचार में हालिया प्रगति ने रक्तस्राव को पूरी तरह रोकना संभव बना दिया है, जिससे मरीज़ों के स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

हीमोफीलिया के बारे में :

- हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रक्तस्राव विकार है, जिसमें रक्त सही तरीके से नहीं जम पाता।
- थक्का बनाने वाले कारकों (Clotting Factors) की कमी के कारण लंबे समय तक या स्वतः रक्तस्राव हो सकता है।
- यह मुख्यतः पुरुषों को प्रभावित करता है, जबकि महिलाएँ प्रायः इसकी वाहक (Carrier) होती हैं।
- अधिकांश मामले वंशानुगत होते हैं, हालांकि कुछ नए आनुवंशिक उत्परिवर्तनों (Genetic Mutations) से भी उत्पन्न हो सकते हैं।
- थक्का बनाने वाले कारक की कमी: शरीर में थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन का अभाव।

हीमोफीलिया के प्रकार:

» **हीमोफीलिया A:** फैक्टर VIII की कमी (सबसे सामान्य)।

» **हीमोफीलिया B:** फैक्टर IX की कमी।

» **हीमोफीलिया C:** फैक्टर XI की कमी; दुर्लभ, तथा दोनों लिंगों को प्रभावित करता है।

- जोड़ों, मांसपेशियों या मस्तिष्क में रक्तस्राव हो सकता है, जिसके लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है।

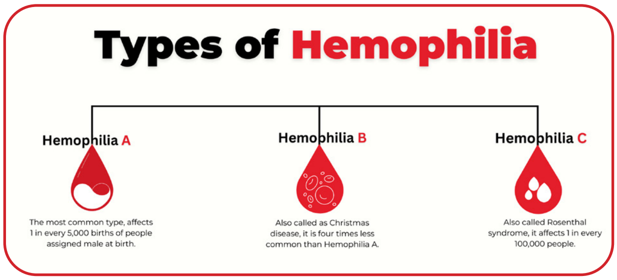

प्रतिक्रियात्मक से निवारक देखभाल की ओर बदलाव:

- परंपरागत रूप से भारत में हीमोफीलिया का प्रबंधन ऑन-डिमांड थेरेपी पर आधारित रहा है, जिसमें रक्तस्राव होने के बाद ही उपचार दिया जाता है। यह तरीका अक्सर दीर्घकालिक जोड़ों की क्षति और विकलांगता को रोकने में विफल रहता है।
- हाल के वर्षों में ध्यान प्रोफिलैक्सिस यानी नियमित प्रतिस्थापन चिकित्सा पर केंद्रित हुआ है, जिसका उद्देश्य रक्तस्राव को होने से पहले ही रोकना है।
- यह बदलाव "शून्य रक्तस्राव" (Zero Bleeds) के भविष्य की ओर एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। नई चिकित्सा पद्धतियाँ अब साधारण प्रतिस्थापन से आगे बढ़कर, शरीर की थक्का जमाने की प्रणाली को पूरी तरह संतुलित या पुनर्स्थापित करने पर केंद्रित हैं, जिससे रोगियों को लगभग सामान्य जीवन जीने का अवसर मिल

सके।

वर्तमान स्थिति:

- भारत में हीमोफीलिया के अनुमानित 1–1.5 लाख मामलों में से केवल लगभग 29,000 रोगियों का ही आधिकारिक निदान हुआ है। यह आँकड़ा जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में गंभीर अंतर को दर्शाता है।
- **रोगनिरोधी (प्रोफिलैक्सिस) उपचार के लाभ:**
  - **जोड़ों की क्षति की रोकथाम:** नियमित प्रतिस्थापन से थक्का कारक का स्तर स्थिर रहता है, जिससे स्वतःस्फूर्त रक्तस्राव और दीर्घकालिक विकृतियों की संभावना कम हो जाती है।
  - **जीवन की गुणवत्ता में सुधार:** बच्चे बिना बाधा के स्कूल और खेल-कूद में भाग ले सकते हैं, वयस्क कामकाज व सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रह सकते हैं। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर होते हैं।
  - **स्वास्थ्य देखभाल का बोझ कम होना:** आपातकालीन अस्पताल दौरों की संख्या घटती है और दीर्घकालिक जटिलताओं से समग्र उपचार लागत कम हो जाती है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव:

- विकसित देशों में लगभग 90% हीमोफीलिया रोगी प्रोफिलैक्सिस ले रहे हैं, और उनकी जीवन प्रत्याशा लगभग सामान्य हो गई है।
- भारत में इसे अपनाने की दर अभी भी कम है, हालाँकि कुछ राज्यों ने 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम लागू करना शुरू कर दिया है।

आगे की राह:

- प्रोफिलैक्सिस के लाभ पूरी तरह पाने के लिए भारत को निम्नलिखित बिंदुओ पर ध्यान देना होगा:
  - जमीनी स्तर पर निदान सुविधाओं का विस्तार करना।
  - थक्का कारक उपचार तक किफ़ायती और निरंतर पहुँच सुनिश्चित करना।
  - नीति समर्थन और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना।

निसार उपग्रह

संदर्भ:

हाल ही में नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह का 30 जुलाई, 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। उपग्रह को जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी)-एफ16 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया।

निसार उपग्रह के बारे में:

- निसार उपग्रह, जो नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह का संक्षिप्त रूप है, एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। 2,392 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह को सूर्य-समकालिक कक्षा में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका मिशन जीवनकाल 5 वर्ष है।
- यह इसरो और अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पहला उपग्रह है।
- इसके अलावा यह दुनिया का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो दोहरी आवृत्ति एसएआर से सुसज्जित है, जिसमें नासा का एल-बैंड और इसरो का एस-बैंड रडार शामिल है। इससे उपग्रह को मौसम की स्थिति या दिन में पृथ्वी की सतह के उच्च-रिज़ॉल्यूशन चित्र लेने में मदद मिलती है।
- इसके अतिरिक्त, इसमें 12-मीटर लंबा अनफ़र्लेबल मेश रिफ्लेक्टर एंटीना है, जो उपग्रह को उच्च-गुणवत्ता वाला रडार डेटा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह एंटीना नासा द्वारा निर्मित है और एक बहु-चरणीय बूम का उपयोग करके तैनात किया गया है।
- इसका उपयोग पृथ्वी की विभिन्न घटनाओं, जैसे टेक्टोनिक हलचलों, ग्लेशियर की गतिशीलता और पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा।

उद्देश्य और उपयोग:

- निसार हर 12 दिन में एक बार, 242 किलोमीटर की चौड़ाई में, दिन-रात और किसी भी मौसम में धरती की तस्वीरें ले सकेगा। यह स्वीपएसएआर (SweepSAR) तकनीक पर आधारित है।
- **मुख्य उपयोग:**
  - **आपदा प्रबंधन:** भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसे आपदाओं की निगरानी।
  - **पर्यावरण निगरानी:** वनस्पति, मिट्टी की नमी, बर्फ की चादरों और जमीन के बदलाव पर नजर।
  - **जलवायु अध्ययन:** समुद्री बर्फ, तूफानों और तटीय बदलावों की जानकारी।
  - **कृषि:** खेतों की मैपिंग करके फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद।
  - **बुनियादी ढांचा निगरानी:** अहम संरचनाओं की निगरानी व चेतावनी।

योगदान:

- **नासा:** L-बैंड रडार, बूम, रिफ्लेक्टर एंटीना, GPS, रिकॉर्डर और टेलीकॉम सिस्टम।
- **इसरो:** S-बैंड रडार, उपग्रह ढांचा (I-3K बस), लॉन्च वाहन (GSLV-F16), सौर पैनल, डेटा सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल।
- **मिशन प्रबंधन:** नासा का JPL और इसरो के SAC, URSC, VSSC, NRSC मिलकर संचालन कर रहे हैं।

भारत के लिए निसार का महत्व:

- **रणनीतिक लाभ:** भारत की पृथ्वी अवलोकन और आपदा प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि।
- **वैज्ञानिक कूटनीति:** भारत-अमेरिका की विज्ञान एवं तकनीक साझेदारी को मजबूती।
- **आत्मनिर्भर भारत:** अत्याधुनिक उपग्रह निर्माण और प्रक्षेपण में भारत की बढ़ती क्षमता का प्रतीक।

निष्कर्ष:

निसार की लॉन्चिंग सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि रणनीतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से एक बड़ी छलांग है। यह विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है, जो सतत विकास, जलवायु लचीलापन और शासन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका को रेखांकित करता है।

केन्या: निद्रा रोग उन्मूलन में ऐतिहासिक उपलब्धि

संदर्भ:

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने केन्या को मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस (HAT), जिसे आमतौर पर 'निद्रा रोग' कहा जाता है, को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने हेतु आधिकारिक प्रमाणन प्रदान किया। यह उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (NTDs) के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पृष्ठभूमि:

- इस घोषणा के साथ, केन्या दुनिया का दसवाँ देश और अफ्रीका के चुनिंदा देशों में से एक बन गया है जिसने 'निद्रा रोग' को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया है। अन्य देशों में टोगो, कोट डी आइवर और युगांडा शामिल हैं।
- इससे पहले, 2018 में, केन्या को गिनी कृमि रोग से मुक्त होने का प्रमाणन मिला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 2030 NTD रोडमैप का लक्ष्य 2030 तक 100 देशों में कम से कम एक NTD को समाप्त करना है।

निद्रा रोग के बारे में:

- निद्रा रोग, या मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस, ट्रिपैनोसोमा वंश के प्रोटोजोआ से होने वाला एक परजीवी रोग है। यह संक्रमित त्सेत्से मक्खी के काटने से मनुष्यों में फैलता है, जो उप-सहारा अफ्रीका में पाई जाती है।
- **लक्षण और प्रभाव:**
  - » **प्रारंभिक चरण:** बुखार, सिरदर्द, जोड़ों में दर्द और खुजली।
  - » **अंतिम चरण:** तंत्रिका संबंधी लक्षण जैसे भ्रम, नींद के चक्र में बदलाव और व्यवहार में बदलाव।
  - » उपचार के बिना, यह रोग हमेशा घातक होता है।
- **इस रोग के दो रूप हैं:**
  - » **ट्रिपैनोसोमा ब्रुसेई गैम्बिएन्स:** पश्चिम और मध्य अफ्रीका में पाया जाने वाला दीर्घकालिक (Chronic) रूप
  - » **ट्रिपैनोसोमा ब्रुसेई रोडेसिएन्स:** पूर्व और दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाने वाला तीव्र (Acute) रूप

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (NTDs) के बारे में:

- उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTDs) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहचाने गए 21 संक्रामक रोगों का एक समूह है। ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाली गरीब आबादी को प्रभावित करते हैं, जहाँ स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सीमित होती है।
- वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक और विषाक्त पदार्थ जैसे विभिन्न रोगजनकों से उत्पन्न ये रोग दीर्घकालिक पीड़ा, विकलांगता और मृत्यु का कारण बनते हैं, जिससे गरीबी का चक्र और भी गहरा हो जाता है।
- **सामान्य एनटीडी:**
  - » कुछ प्रमुख और व्यापक NTDs में चागास रोग, डेंगू, कुष्ठ रोग, लसीका फाइलेरियासिस, ओंकोसेरसियासिस, रेबीज, सिस्टोसोमियासिस, मृदा-संचारित कृमिरोग, ट्रेकोमा और यॉ शामिल हैं।
  - » ये रोग अपर्याप्त स्वच्छता और सीमित स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता वाले वातावरण में पनपते हैं तथा हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं।

नियंत्रण और उन्मूलन रणनीतियाँ:

- NTD नियंत्रण, वैश्विक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में से सबसे अधिक लागत-प्रभावी उपायों में एक है। इसके अंतर्गत व्यापक औषधि वितरण, बेहतर स्वच्छता, वेक्टर नियंत्रण और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कदम शामिल हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य 2030 तक 100 देशों में कम से कम एक NTD को समाप्त करना है, और मई 2025 तक 56 देश यह लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं।

चुनौतियाँ:

- मुख्य बाधाओं में वित्त पोषण में कटौती, विशेष रूप से आधिकारिक विकास सहायता (ODA) में कमी, और कई NTDs के जटिल संचरण चक्र शामिल हैं। गरीबी, कमजोर बुनियादी ढाँचा और पर्यावरणीय कारक उन्मूलन प्रयासों में अतिरिक्त चुनौतियाँ पैदा करते हैं, जिससे बहु-क्षेत्रीय और सतत कार्रवाई अनिवार्य हो जाती है।

निष्कर्ष:

केन्या में निद्रा रोग (Sleeping Sickness) का उन्मूलन एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य उपलब्धि है, जो निरंतर प्रयास, सामुदायिक सहभागिता और वैश्विक सहयोग की शक्ति को दर्शाता है। यह इस तथ्य को पुष्ट करता है कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, जिन्हें लंबे समय से अफ्रीका के कई हिस्सों में स्थानिक माना जाता रहा है, सही रणनीतियों के माध्यम से समाप्त किए जा सकते हैं।

कोझिकोड में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस अलर्ट

संदर्भ:

हाल ही में केरल के कोझिकोड में स्वास्थ्य विभाग ने प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) के लिए अलर्ट जारी किया है। यह संक्रमण नेग्लेरिया फाउलेरी नामक अमीबा के कारण होता है, जो एक दुर्लभ किंतु अत्यंत घातक मस्तिष्क संक्रमण है।

पीएएम क्या है?

- प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (पीएएम) एक दुर्लभ, लेकिन घातक मस्तिष्क संक्रमण है, जो नेग्लेरिया फाउलेरी नामक अमीबा के कारण होता है। इसे आमतौर पर "ब्रेन-ईटिंग अमीबा" कहा जाता है। यह संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, विशेष रूप से मस्तिष्क और उसकी सुरक्षात्मक झिल्लियों को प्रभावित करता है।

संक्रमण का कारण और तरीका:

- नेग्लेरिया फाउलेरी एक मुक्त-जीवित अमीबा है, जो झीलों, तालाबों, नदियों और गर्म झरनों जैसे गर्म मीठे जल स्रोतों में पाया जाता है।
- संक्रमण तब होता है जब यह अमीबा युक्त पानी तैराकी या स्नान के दौरान नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है।
- अमीबा नासिका मार्ग से घ्राण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है, जहाँ यह तीव्र गति से मस्तिष्क ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है।

लक्षण और जोखिम कारक:

- लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 5 से 10 दिनों के भीतर प्रकट होते हैं, जिनमें सिरदर्द, बुखार, मतली, उल्टी, गर्दन में अकड़न तथा प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता शामिल हो सकते हैं।
- जैसे-जैसे संक्रमण बढ़ता है, मरीज़ को मिर्गी के दौरे, बेहोशी और स्मृति हानि का अनुभव हो सकता है।
- बच्चों में व्यवहार संबंधी परिवर्तन जैसे भोजन से इनकार या अत्यधिक निष्क्रियता देखी जा सकती है।

उपचार और रोकथाम:

- एम्फोटेरिसिन बी और अन्य अमीबिक-रोधी दवाओं का उपयोग किया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत कम मरीज ही इससे बच पाए हैं।
- रोकथाम अत्यंत महत्वपूर्ण है: विशेष रूप से गर्मियों के दौरान, गर्म

और स्थिर पानी में तैरने से बचें। यदि ऐसे पानी से संपर्क अपरिहार्य हो, तो नोज क्लिप का उपयोग अवश्य करें।

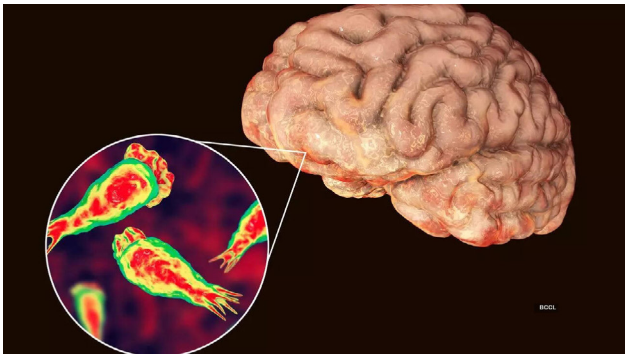

मस्तिष्क संक्रमण के बारे में:

- मस्तिष्क संक्रमण, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (सीएनएस) संक्रमण, तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी जैसे रोगजनक मस्तिष्क या उसकी सुरक्षात्मक झिल्लियों पर आक्रमण करते हैं। ऐसे संक्रमण सूजन और क्षति का कारण बनते हैं, जिससे मस्तिष्क का कार्य और संपूर्ण स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

मस्तिष्क संक्रमण के प्रकार:

- **मेनिन्जाइटिस**
  - » मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियों (मेनिन्जेस) की सूजन।
  - » कारण: वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवी।
- **एन्सेफलाइटिस**
  - » मस्तिष्क के ऊतकों की सूजन।
  - » कारण: वायरस या कभी-कभी शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली (ऑटोइम्यून)।
- **ब्रेन एब्सेस**
  - » मस्तिष्क में मवाद से भरी एक थैली ।
  - » कारण: बैक्टीरिया या कवक।
- **सबड्यूरल एम्पाइमा**
  - » मस्तिष्क और उसकी बाहरी झिल्ली (ड्यूरा) के बीच मवाद भर जाना।
- **ट्यूबरकुलोमा**
  - » मस्तिष्क में टीबी के कारण बनने वाला कठोर गाँठ जैसा ग्रंथी (ग्रैनुलोमा)।
- **स्थानीयकृत संक्रमण (Cystic Infections)**
  - » मस्तिष्क में परजीवियों, प्रोटोजोआ या कवकों के कारण बनने वाली सिस्ट (गाँठ)।
- **ऑटोइम्यून एन्सेफलाइटिस**
  - » जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से मस्तिष्क की कोशिकाओं पर हमला करती है।
  - » अन्य: वेंट्रिकुलिटिस, सेरेब्राइटिस, एनएमओएसडी, प्रियन रोग (टीएसई), टोक्सोप्लाज़मोसिज़।

निष्कर्ष:

कोझिकोड में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के मामले यह स्पष्ट करते हैं कि जल सुरक्षा और स्वच्छता न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ-साथ नागरिकों की जागरूकता और जिम्मेदाराना व्यवहार ही स्थायी समाधान सुनिश्चित कर सकता है।

समुद्रयान मिशन

संदर्भ:

हाल ही में भारत के दो जलयात्रियों — कमांडर (सेवानिवृत्त) जतिंदर पाल सिंह और आर. रमेश — ने अटलांटिक महासागर में क्रमशः 5,002 मीटर और 4,025 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर अब तक के सबसे गहरे मानवयुक्त समुद्री अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह प्रयास भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन 'समुद्रयान' के प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसे फ्रांसीसी गहरे समुद्र पनडुब्बी नॉटाइल (Nautile) की सहायता से संचालित किया गया।

समुद्रयान मिशन के बारे में:

- समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र का अभियान है, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत प्रारंभ किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य एक ऐसी स्व-चालित पनडुब्बी विकसित करना है, जो तीन वैज्ञानिकों को समुद्र की सतह से 6,000 मीटर की गहराई तक सुरक्षित रूप से ले जाने में सक्षम हो।
- इस पहल का लक्ष्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किए बिना गहरे समुद्र में स्थित संसाधनों का अन्वेषण करना और जैव विविधता का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना है।
- यह मिशन भारत की नीली अर्थव्यवस्था नीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों के सतत और समावेशी उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

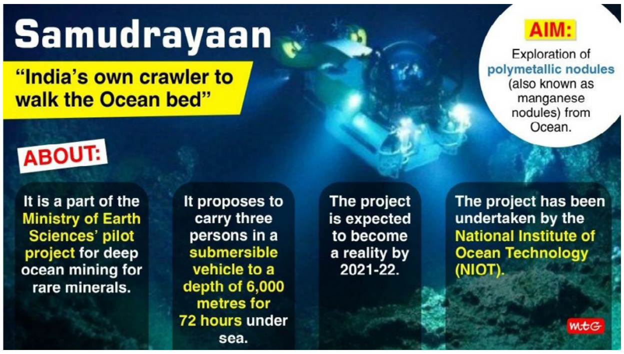

मत्स्य 6000:

- समुद्रयान मिशन के तहत विकसित की जा रही मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम 'मत्स्य 6000' है, जिसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है।
- यह वैज्ञानिकों को महासागर के गहरे, अब तक अनछुए क्षेत्रों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने में सक्षम बनाएगी।
- मत्स्य 6000 की संचालन क्षमता 12 घंटे है, जिसे आपातकालीन परिस्थितियों में 96 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।
- इसके प्रक्षेपण के बाद, संभावित रूप से 2027 तक, भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के बाद मानवयुक्त गहरे समुद्र अभियान पूरा करने वाला छठा देश बन जाएगा।

गहरे समुद्र मिशन (Deep Ocean Mission):

- समुद्रयान, भारत सरकार के गहरे समुद्र मिशन (Deep Ocean Mission) का एक प्रमुख घटक है। यह मिशन भारत की नीली अर्थव्यवस्था नीति को समर्थन देने वाली एक बहु-मंत्रालयी, बहु-विषयक पहल है।
- इसका कुल बजट ₹4,077 करोड़ है, जिसे 2021 से 2026 की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है।
- यह मिशन छह प्रमुख घटकों पर केंद्रित है:
  - » गहरे समुद्र में खनन और रोबोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकियाँ
  - » महासागरीय जलवायु सलाहकार सेवाएँ
  - » जैव विविधता का अन्वेषण और संरक्षण
  - » गहरे समुद्र का सर्वेक्षण और अन्वेषण
  - » महासागर-आधारित ऊर्जा और पेयजल उत्पादन
  - » उन्नत समुद्री जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना

राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) के बारे में:

- 1993 में स्थापित, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) एक स्वायत्त संस्थान है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन कार्य करता है।
- संस्थान का प्रमुख उद्देश्य भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में समुद्री संसाधनों के सतत अन्वेषण हेतु स्वदेशी समुद्री प्रौद्योगिकियों का विकास करना है।
- समुद्रयान परियोजना के तहत गहरे समुद्र के अन्वेषण में भारत की प्रगति को साकार करने में NIOT की केंद्रीय भूमिका है।

निष्कर्ष:

हाल ही में हुए गहरे समुद्र गोताखोरी अभियान ने भारतीय जलयात्रियों की क्षमताओं और गहरे समुद्र में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को उजागर किया है। समुद्रयान मिशन की सफलता न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान को सशक्त बनाएगी, बल्कि यह समुद्री संसाधनों के अन्वेषण और सतत दोहन के नए द्वार भी खोलेगी। यह पहल भारत को नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रदान करती है।

डेंगू प्रतिरक्षा में विशेष एंटीबॉडी की पहचान

संदर्भ:

हाल ही में साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी की पहचान की, जिसे "एनवेलप डाइमर एपिटोप" (EDE) एंटीबॉडी कहा जाता है। यह एंटीबॉडी डेंगू वायरस के खिलाफ शरीर में मजबूत और प्रभावी प्रतिरक्षा विकसित करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- एक अध्ययन में 2,996 फिलीपींस के बच्चों को शामिल किया गया, जिनमें से कुछ को डेंगू का टीका लगाया गया था, जबकि कुछ को नहीं। डेंगू प्रकोप के दौरान, शोधकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी—EDE-जैसे, न्यूट्रलाइजिंग और बाइंडिंग एंटीबॉडी—का मापन किया। अध्ययन में पाया गया कि:
- EDE-जैसे एंटीबॉडी उन लोगों में बहुत अधिक (80% से ज्यादा) पाए गए, जिनमें द्वितीयक प्रतिरक्षा थी, यानी जो कम से कम दो डेंगू सीरोटाइप के संपर्क में आ चुके थे।
- ये एंटीबॉडी डेंगू वायरस के विभिन्न सीरोटाइप्स के विरुद्ध व्यापक सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित पाए गए।
- हालाँकि ये संक्रमण को नहीं रोकते थे, लेकिन इनसे लक्षणात्मक और गंभीर डेंगू के जोखिम में उल्लेखनीय कमी आई।
- सांख्यिकीय विश्लेषण में पाया गया कि EDE-समान एंटीबॉडी डेंगू से

सुरक्षा में लगभग 40% से 70% तक योगदान करती हैं, जो पहले मुख्य रूप से अन्य प्रकार के एंटीबॉडी को माना जाता था।

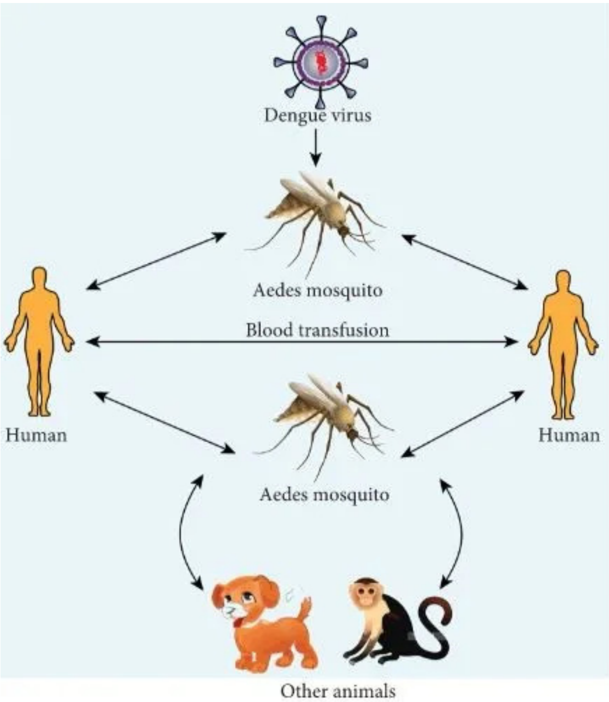

निष्कर्षों के निहितार्थ:

- यह खोज डेंगू के टीका विकास में अहम बदलाव ला सकती है। यदि टीका EDE-जैसे एंटीबॉडी को लक्षित करे, तो वह एंटीबॉडी-डिपेंडेंट एन्हांसमेंट (ADE) को सक्रिय किए बिना, डेंगू के सभी प्रमुख प्रकारों के खिलाफ व्यापक सुरक्षा दे सकता है। ऐसा टीका उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगा, जिन्हें पहले कभी डेंगू नहीं हुआ।
- साथ ही, यह खोज सीरोलॉजिकल निगरानी, टीका मूल्यांकन और जनस्वास्थ्य तैयारी के वैश्विक प्रयासों को मजबूत कर सकती है—खासकर भारत जैसे देशों में, जहाँ डेंगू व्यापक रूप से फैलता है।

डेंगू के वर्तमान उपचार:

- वर्तमान में दो प्राथमिक डेंगू टीके—डेंगवैक्सिया (Dengvaxia) और क्यूडेन्गा (Qdenga)—को लाइसेंस प्राप्त है। ये टीके उन व्यक्तियों में सर्वाधिक प्रभावी पाए गए हैं, जो टीकाकरण से पूर्व कम से कम एक बार डेंगू संक्रमण का सामना कर चुके हों।
- डेंगवैक्सिया के उपयोग के लिए पूर्व डेंगू संक्रमण की प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि आवश्यक है। इसके विपरीत, EDE-लक्षित टीके डेंगू से पूर्व अनजान (पूर्व संक्रमण रहित) व्यक्तियों में भी संभावित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं।

डेंगू वायरस के बारे में:

- डेंगू एक मच्छर-जनित वायरल रोग है, जो डेंगू वायरस के चार अलग-अलग सीरोटाइप—DENV-1 से DENV-4—से होता है। यह विश्व की लगभग आधी आबादी को प्रभावित करता है, विशेषकर भारत जैसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में।
- डेंगू के प्रतिरक्षा विज्ञान (Immunology) में एक प्रमुख चुनौती एंटीबॉडी-आश्रित संवर्द्धन (Antibody-Dependent Enhancement – ADE) है। इसमें पिछले संक्रमण से बने एंटीबॉडी, दूसरे सीरोटाइप के संक्रमण को रोकने के बजाय उसे और गंभीर बना सकते हैं, जिससे गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना बढ़ जाती है।

निष्कर्ष:

यह अध्ययन डेंगू प्रतिरक्षा की समझ में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है और इससे अधिक प्रभावी उपचारों के विकास में सहायता मिल सकती है। डेंगू टीके के विकास में EDE-जैसे एंटीबॉडी की क्षमता को स्पष्ट करने तथा डेंगू संक्रमण में शामिल जटिल प्रतिरक्षा तंत्र की हमारी समझ को और गहन बनाने के लिए अतिरिक्त शोध आवश्यक है।

न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म

संदर्भ:

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म संक्रमण से संक्रमित होने वाले पहले मानव मामले की पुष्टि की है।

न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म के बारे में:

- न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म (कोक्लिओमिया होमिनिवोरैक्स- Cochliomyia hominivorax) एक परजीवी मक्खी है, जो ब्लोफ्लाई प्रजाति से संबंधित है। यह मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में पाई जाती है।
- यह जीव मांस खाने वाले लार्वा (कीड़े के बच्चे) के लिए प्रसिद्ध है, जो गर्म खून वाले जीवों और कभी-कभी इंसानों के शरीर के ऊतकों में भी हो सकते हैं।
- इसे "स्क्रूवर्म" इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लार्वा जीवित मांस के भीतर पेंच की तरह घूमते हुए अंदर की ओर बढ़ते हैं।
- मादा स्क्रूवर्म मक्खी विशेष रूप से खतरनाक होती है, क्योंकि यह अपने अंडे खुले घावों या शरीर के प्राकृतिक छिद्रों (जैसे नाक, मुंह,

कान) में देती है।

- एक अकेली मादा मक्खी एक बार में लगभग 300 अंडे दे सकती है और अपने 10 से 30 दिन के जीवनकाल में करीब 3,000 अंडे तक देती है।

संक्रमण के लक्षण:

- न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म का संक्रमण बेहद दर्दनाक और अगर समय पर इलाज न हो तो जानलेवा भी हो सकता है। मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं:
  - ऐसे घाव जो लगातार बने रहे या जो लंबे समय तक न भरे
  - प्रभावित हिस्से से खून आना
  - घाव के भीतर कुछ हलचल का एहसास होना
  - उस जगह से दुर्गंधयुक्त स्राव (फाउल-स्मेलिंग डिस्चार्ज) आना
- अगर समय पर इलाज न किया जाए तो संक्रमण शरीर के महत्वपूर्ण ऊतकों तक फैल सकता है, जिससे सेप्सिस (खून में संक्रमण) या यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए शुरुआती पहचान और लार्वा को हटाना आवश्यक होता है।

आम परजीवी रोग:

- **लसीका फाइलेरियासिस / हाथीपाँव रोग:** यह रोग वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और ब्रुगिया मलेई नामक मच्छरों द्वारा फैलता है। इसमें हाथ-पाँव या शरीर में असामान्य सूजन आ जाती है, जिससे विकलांगता हो सकती है।
- **मलेरिया:** यह रोग प्लास्मोडियम परजीवी से होता है, जो मादा एनोफिलीज़ मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, कंपकंपी, पसीना और गंभीर स्थिति में दौरे शामिल हैं।
- **टॉक्सोप्लाज़मोसिस:** यह रोग टॉक्सोप्लाज़मा गोंडी परजीवी से होता है। यह अधिकतर घाव वाले मांस के माध्यम से फैलता है। यह बीमारी कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक होती है।
- **अमीबायसिस:** यह रोग एंटामोइबा हिस्टोलिटिका परजीवी से होता है। यह दूषित पानी या भोजन के सेवन से फैलता है। इससे दस्त, पेट दर्द और कभी-कभी जानलेवा जटिलताएँ हो सकती हैं।
- **जिआर्डियासिस:** यह रोग जिआर्डिया लैम्ब्लिया परजीवी से होता है। यह आंत्र संक्रमण है, जो अधिकतर दूषित पानी पीने से फैलता है। इसके लक्षणों में दस्त, पेट फूलना और कमजोरी शामिल हैं।
- **शिस्टोसोमायसिस:** यह रोग शिस्टोसोमा नामक रक्त-परजीवी से होता है। यह संक्रमण तब होता है जब व्यक्ति दूषित ताजे पानी के संपर्क में आता है। यह आंत, मूत्राशय और यकृत को प्रभावित करता है।
- **लीशमैनियासिस:** सैंडफ्लाई के काटने से फैलता है, जो त्वचा या आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है।

इसरो का सबसे भारी रॉकेट: एलएमएलवी

संदर्भ:

हाल ही में इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन ने घोषणा की कि एजेंसी अपने अब तक के सबसे भारी प्रक्षेपण यान — लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल (LMLV) — का विकास कर रही है।

लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल (एलएमएलवी) के बारे में:

- लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल (LMLV) इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण यान है, जिसे वर्ष 2035 तक परिचालन में लाया जाना प्रस्तावित है।
- इसका उद्देश्य 2040 तक प्रस्तावित मानवयुक्त चंद्र अभियानों तथा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) के भारी घटकों को कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होना है।
- पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) में 80 टन और चंद्रमा पर 27 टन की पेलोड क्षमता के साथ, एलएमएलवी इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा, जो मौजूदा एलवीएम3 से कहीं आगे निकल जाएगा।

डिज़ाइन और क्षमताएँ:

- पहले दो चरण द्रव ईंधन आधारित होंगे।
- तीसरे चरण में उन्नत क्रायोजेनिक इंजन होगा।
- पहले चरण में एक कोर में 27 इंजन और दो स्ट्रैप-ऑन बूस्टर होंगे।
- रॉकेट की ऊँचाई लगभग 40 मंज़िला इमारत जितनी होगी, और इसके स्ट्रैप-ऑन बूस्टर मौजूदा LVM3 से भी बड़े होंगे।
- इसे मूल रूप से नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) परियोजना

के तहत परिकल्पित किया गया था, लेकिन अब एलएमएलवी, NGLV की विशेषताओं को समेकित करते हुए उसे पूरी तरह प्रतिस्थापित करेगा।

सामरिक और वैज्ञानिक महत्व:

- एलएमएलवी जीवनरक्षक प्रणालियों से लैस भारी, मानवयुक्त अंतरिक्षयान को लेकर चालक दल के साथ चंद्रमा पर उतरने में सक्षम होगा। यह चंद्रमा से परे भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- यह परियोजना भारत की क्रायोजेनिक, मानवयुक्त और उच्च-प्रणोदन तकनीकों को विकसित करेगी, जिससे इसरो अंतरिक्ष यात्रा में सक्षम विशिष्ट देशों की सूची में शामिल हो जाएगा

LVM के साथ तुलना:

- LVM3 वर्तमान में 10 टन पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) और 4 टन चंद्रमा तक पेलोड ले जा सकता है। इसके विपरीत, विकासाधीन LMLV 80 टन LEO और 27 टन चंद्र पेलोड क्षमता वाला होगा। जहां LVM3 गगनयान जैसे निकट-पृथ्वी मिशनों के लिए उपयुक्त है, वहीं LMLV मानवयुक्त चंद्र मिशनों और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए डिज़ाइन किया गया है।

भारतीय प्रक्षेपण यानों का विकास:

- **LV-3 (1980):** डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत का पहला स्वदेशी विकसित रॉकेट, जिसने रोहिणी उपग्रह के सफल प्रक्षेपण से भारत को अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों की सूची में शामिल किया।
- **PSLV (1994):** इसरो का प्रमुख लॉन्च वाहन, जिसने चंद्रयान-1 और मंगलयान मिशनों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। विभिन्न कक्षाओं में उपग्रह प्रक्षेपित करने में अपनी उच्च विश्वसनीयता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है।
- **GSLV और GSLV Mk-III (LVM-3):** भूस्थिर कक्षा (GTO) में प्रक्षेपण सक्षम बनाने वाला वाहन, जिसने चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 जैसे भारी पेलोड को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।
- **एलएमएलवी:** सुपर हेवी-लिफ्ट रॉकेट, जो इसरो को लंबी दूरी के मानवयुक्त मिशनों और चंद्र मिशनों के लिए सक्षम बनाएगा।

आगे की चुनौतियाँ:

- **तकनीकी जटिलता:** इस पैमाने के वाहन के विकास के लिए उन्नत प्रणोदन प्रणाली, तापीय परिरक्षण और नेविगेशन तकनीकों की आवश्यकता होती है।
- **मानव-रेटिंग प्रमाणन:** यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि रॉकेट और उसकी तकनीक मानव चालक दल को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में भेजने के लिए पूरी तरह भरोसेमंद और सुरक्षित हैं।
- **बजट और समय की सीमाएँ:** एक लंबी गर्भावधि (10+ वर्ष) और निरंतर वित्त पोषण आवश्यक होगा।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** स्पेसएक्स का स्टारशिप, नासा का एसएलएस और चीन का लॉन्ग मार्च 9 इस क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं।

निष्कर्ष:

एलएमएलवी न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा, रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भरता का भी परिचायक है। चूंकि इसरो चंद्रमा और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, एलएमएलवी भारत को 21वीं सदी की एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

गगनयान के लिए इसरो का एयर ड्रॉप परीक्षण

संदर्भ:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 24 अगस्त 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मिशन हेतु इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप परीक्षण (IADT-01) सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह उपलब्धि गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए पैराशूट आधारित गति-नियंत्रण (डिसेलरेशन) प्रणाली के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

परीक्षण की मुख्य विशेषताएं:

- **सिम्युलेटेड क्रू मॉड्यूल:** 4.8 टन वजनी नकली क्रू मॉड्यूल को भारतीय वायुसेना के चिनूक (Chinook) हेलिकॉप्टर से 3 किलोमीटर की ऊँचाई से गिराया गया।
- **पैराशूट प्रणाली:** मॉड्यूल में कुल 10 पैराशूट लगाए गए थे, जिसमें 2 एपेक्स कवर सेपरेशन (ACS) पैराशूट, 2 ड्रोग पैराशूट, 3 पायलट पैराशूट और 3 मुख्य पैराशूट शामिल थे। प्रत्येक मुख्य पैराशूट का व्यास 25 मीटर था।
- **गति नियंत्रण प्रक्रिया:** पैराशूट निर्धारित क्रम में खुले और मॉड्यूल की गति को धीरे-धीरे कम करते हुए अंततः लगभग 8 मीटर प्रति सेकंड तक ला दिया गया, जिससे यह सुरक्षित रूप से जल सतह पर उतरा।
- **पुनर्प्राप्ति (रिकवरी):** पानी में गिरने (स्प्लैशडाउन) के बाद क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक निकाला गया और नौसेना के जहाज़ आईएनएस अन्वेषा द्वारा चेन्नई बंदरगाह तक पहुँचाया गया।

परीक्षण का महत्व:

- इस सफल एयर ड्रॉप परीक्षण ने यह सिद्ध कर दिया कि गगनयान मिशन की पैराशूट आधारित गति-नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह से प्रभावी और भरोसेमंद है।
- यही प्रणाली अंतरिक्ष से वापसी के दौरान क्रू मॉड्यूल की गति को नियंत्रित करेगी और समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगी।
- इस परीक्षण में लॉन्च पैड पर आपातकालीन स्थिति (Abort Scenario) का भी सफल अनुकरण किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि आपातकाल में भी यह प्रणाली सुचारु रूप से कार्य कर सकती है।

गगनयान मिशन के बारे में:

- गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य यह साबित करना है कि भारत अपनी स्वदेशी क्षमताओं के बल पर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में भेजने और वापस लाने में सक्षम है।
- इस मिशन का मुख्य लक्ष्य "तीन अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में 400 किलोमीटर की ऊँचाई पर तीन दिनों तक स्थापित करना और तत्पश्चात उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर समुद्र में उतारना है।
- यह मिशन न केवल भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, बल्कि उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है।

प्रक्षेपण यान: LVM-3

- गगनयान मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (LVM-3) का उपयोग होगा। इसे पहले जीएसएलवी मार्क-3 कहा जाता था और यह इसरो का भरोसेमंद भारी-भरकम रॉकेट है। इसमें तीन चरण हैं:
  - » पहला चरण: दो ठोस ईंधन वाले बूस्टर।
  - » दूसरा चरण: दो तरल ईंधन वाले विकस-2 इंजन।
  - » तीसरा चरण: तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर चलने वाला स्वदेशी सी-20 क्रायोजेनिक इंजन।

ऑर्बिटल मॉड्यूल:

- यह 8.2 टन वजनी होगा और दो हिस्सों में बंटा है:
  - » **क्रू मॉड्यूल:** इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। इसमें पैराशूट सिस्टम, जीवन-समर्थन प्रणाली (ECLSS) और आपातकालीन स्थिति के लिए क्रू एस्केप सिस्टम होगा।
  - » **सर्विस मॉड्यूल:** यह अंतरिक्ष में आगे बढ़ने के लिए प्रणोदन (propulsion) देगा और सुरक्षित वापसी के लिए डिऑर्बिट बर्न करेगा।

निष्कर्ष:

यह एयर ड्रॉप परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ष 2027 में प्रस्तावित पहले मानवयुक्त गगनयान मिशन की तैयारी में ऐसे परीक्षण यह प्रमाणित करते हैं कि सभी रिकवरी प्रणालियाँ पूर्णतः भरोसेमंद और सक्षम हैं। इसरो, मानव उड़ान से पूर्व बिना चालक वाले मिशन (G-1, G-2, G-3) तथा आवश्यक आधारभूत ढाँचे के विकास पर लगातार कार्यरत है, ताकि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को समयबद्ध और सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

6 आर्थिक मुद्दे

जुड़ता भारत, सशक्त भारतः नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा

विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी (WATS) 2024 में, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) ने कुल हवाई यात्रियों के संदर्भ में भारत को विश्व स्तर पर पाँचवाँ स्थान दिया है, जिसमें 211 मिलियन यात्री शामिल थे। इसके साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ने भारत की बेहतर वायु सुरक्षा और नियामक प्रदर्शन को मान्यता दी और 85.65% का प्रभावी कार्यान्वयन (EI) स्कोर प्रदान किया, जो 2018 के 69.95% से तेज़ी से बढ़ा है। भारत का नागर विमानन क्षेत्र तीव्र और व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। 2024 में, देश ने 350 मिलियन से अधिक हवाई यात्रियों को सेवा दी, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाज़ार बन गया। यह पहल जो दूरदराज़ क्षेत्रों को जोड़ने और हवाई यात्रा को जनसुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू हुई थी, अब कानूनी सुधारों, बुनियादी ढांचे के बड़े विस्तार और सुरक्षा व प्रौद्योगिकी में रणनीतिक निवेश द्वारा समर्थित एक मजबूत विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में बदल गई है।

- अंतरराष्ट्रीय विमानन निकाय जैसे कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) ने भारत के बढ़ते महत्व को मान्यता दी है। जहां IATA की विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी (WATS) 2024 ने भारत को कुल यात्रियों की दृष्टि से विश्व में पाँचवाँ स्थान दिया (211 मिलियन), वहीं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने भारत के नियामक प्रदर्शन में सुधार को 85.65% के प्रभावी कार्यान्वयन स्कोर के साथ मान्यता दी जो 2018 के 69.95% से एक बड़ी छलांग है।

भारत के विमानन उद्योग का महत्व:

- **तेजी से बढ़ता बाज़ार**: भारत का 2030 तक अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए यात्री मात्रा के लिहाज़ से तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाज़ार बनने का अनुमान है। इससे वैश्विक एयरलाइंस, विमान निर्माता कंपनियों और सेवा प्रदाताओं का ध्यान भारत की ओर केंद्रित हो गया है।
- **संतुलित आर्थिक विकास:** हवाई संपर्क एक भौगोलिक समानता साधक की तरह कार्य करता है। विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में, बेहतर एयरलाइन संपर्क के कारण राष्ट्रीय आर्थिक नेटवर्क से मजबूत एकीकरण देखा गया है।

- **पर्यटन और अवसंरचना को बढ़ावा:** बेहतर हवाई पहुंच ने पर्यटन और उससे जुड़े क्षेत्रों जैसे कि आतिथ्य और परिवहन को प्रोत्साहित किया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार उत्पन्न हुआ है।
- **उत्पादन और एमआरओ में वृद्धि:** भारत का विमानन विस्तार घरेलू मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) सेवाओं तथा एयरोस्पेस निर्माण की मांग को बढ़ावा दे रहा है जो विमानन तकनीक में आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक है।
- **एफडीआई आधारित बुनियादी ढांचा विस्तार:** करीब $3 बिलियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के साथ, भारत प्रमुख हवाई अड्डों (दिल्ली, बेंगलुरु) को उन्नत कर रहा है और नवी मुंबई व जेवर (नोएडा) में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण कर रहा है।
- **रोज़गार सृजन:** अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 30 तक भारतीय एयरलाइनों को 10,900 से अधिक नए पायलटों की आवश्यकता होगी, इसके अलावा हजारों केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ और इंजीनियरों की भी ज़रूरत होगी।

विमानन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून

भारत ने वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप अपने विमानन लक्ष्यों को समर्थन देने हेतु दो प्रमुख विधायी सुधार किए हैं:

- **एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स में हितों की सुरक्षा विधेयक, 2025**
  - भारत को केप टाउन कन्वेंशन, 2001 के अनुरूप बनाता है।
  - विमान पट्टे और वित्तपोषण लागत को कम करने का लक्ष्य।
  - लीज प्रीमियम को घटाता है, जो पहले वैश्विक मानकों से 8–10% अधिक थे।
  - विमान पट्टे हब को आकर्षित करने के लिए कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है।
- **भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024**
  - उपनिवेशकालीन एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 को प्रतिस्थापित करता है। भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024, 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ।
  - ICAO और शिकागो कन्वेंशन के अनुरूप नियमों का आधुनिकीकरण करता है।
  - 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करता है—लाइसेंसिंग को सरल बनाकर और पारदर्शिता बढ़ाकर।

भारत के विमानन क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ:

- **संचालन और सुरक्षा में कमियाँ**
  - **मानव संसाधन की कमी:** प्रशिक्षित पायलटों, विमान इंजीनियरों, ग्राउंड क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की गंभीर कमी। लंबे ड्यूटी घंटे और थकान से सुरक्षा जोखिम बढ़ते हैं। Aon 2025 APAC रिपोर्ट में प्रमुख कार्यबल अंतर को चिह्नित किया गया है।
  - **मेंटेनेंस में लापरवाही:** DGCA निरीक्षणों ने ऑनबोर्ड सिस्टम के खराब होने और आपातकालीन उपकरणों के गायब होने जैसी गंभीर सुरक्षा उल्लंघनों का खुलासा किया है। कई क्षेत्रीय हवाई अड्डों में आधुनिक अवसंरचना और आपात प्रतिक्रिया की पर्याप्त क्षमता नहीं है।
  - **ग्राउंडेड विमान:** वित्तीय तनाव और मेंटेनेंस में देरी के कारण 160 से अधिक विमान खड़े हैं—जिससे संचालन क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। गो फर्स्ट और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइनों में दिवालियापन की स्थिति ने समस्या को और बढ़ा दिया है।
- **आपूर्ति श्रृंखला और अवसंरचना की बाधाएँ**
  - **आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट:** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) की देरी ने यात्री मांग में वृद्धि के बावजूद बेड़े के विस्तार को बाधित किया है।
  - **ग्रामीण संपर्क में कमी:** उडान (UDAN) योजना का वादा अब भी अधूरा है क्योंकि कई टियर-2 और टियर-3 शहरों में उपयुक्त हवाई अड्डे की अवसंरचना नहीं है, जिससे क्षेत्रीय मार्ग व्यावसायिक रूप से असंभव हो जाते हैं।
- **बाज़ार संरचना और वित्तीय व्यवहार्यता**
  - **बाजार में एकाधिकार:** इंडिगो और टाटा ग्रुप की एयरलाइनों के पास 80% बाजार हिस्सेदारी है जो किराया प्रतिस्पर्धा, नवाचार और सेवा गुणवत्ता पर चिंता बढ़ाता है।
  - **लगातार वित्तीय घाटे:** भारतीय एयरलाइनों को वित्तीय वर्ष 24 में $1.6 से $1.8 बिलियन का सामूहिक नुकसान होने की संभावना है, जिसका कारण खराब लागत प्रबंधन, उच्च ईंधन लागत और अतिरिक्त क्षमता पर कम रिटर्न है।
  - **अधिक अनुमानित विकास योजनाएँ:** किंगफिशर, जेट एयरवेज और गो फर्स्ट का पतन इस बात को दर्शाता है कि अव्यवहारिक विस्तार योजनाएं जो वित्तीय और

अवसंरचनात्मक तत्परता से मेल नहीं खातीं—प्रणालीगत अस्थिरता का कारण बनती हैं।

- **नियामक और कानूनी अड़चनें**
  - » **नियामक खामियाँ:** DGCA 53% स्टाफ रिक्तियों के साथ काम कर रहा है, जिससे प्रभावी निगरानी सीमित होती है। इसका नियमन अक्सर प्रतिक्रियात्मक होता है, न कि निवारक।
  - » **जटिल और बोझिल अनुपालन:** एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर उच्च कर, हवाई अड्डा स्लॉट आवंटन में पारदर्शिता की कमी और अनुपालन की जटिलताएं नए खिलाड़ियों को हतोत्साहित करती हैं। राज्य संचालित हवाई अड्डा एकाधिकार संचालन कुशलता में बाधा डालते हैं।
  - » **पुरानी कानूनी व्यवस्था:** एयरक्राफ्ट एक्ट (1934) और एयरक्राफ्ट रूल्स (1937) आधुनिक तकनीकों या व्यापार मॉडलों के अनुकूल नहीं हैं जिससे कानूनी अस्पष्टता और संचालन की जटिलता बढ़ती है।
- **स्थिरता और पर्यावरणीय अनुपालन**
  - » **हरित अनुपालन लागत में वृद्धि:** भारत वैश्विक ढांचों जैसे कि कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA) का हस्ताक्षरकर्ता है, जो उत्सर्जन में कमी अनिवार्य करता है। यद्यपि आवश्यक है, यह पहले से ही दबाव में चल रही एयरलाइनों पर अतिरिक्त वित्तीय और योजना संबंधी बोझ डालता है।

विमानन के लिए रूपरेखा और शासन प्रणाली:

- **नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA):** सुरक्षा, लाइसेंसिंग और उड़ान संचालन को नियंत्रित करता है। ICAO के साथ समन्वय करता है और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करता है।
- **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI):** भारत भर में हवाई अड्डों के विकास और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का प्रबंधन करता है।
- **विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB):** ICAO नियमों के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय। विशेष रूप से एयर इंडिया फ्लाइट 171 केस में ब्लैक बॉक्स डेटा को डिकोड किया।
- **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS):** विमानन सुरक्षा और ICAO प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी।

विकास, सुधार और भविष्य की दृष्टि:

- **अवसंरचना विकास और पूंजी निवेश**
  - » हवाई अड्डा विस्तार
  - » वाराणसी, आगरा, दरभंगा और बागडोगरा में नए टर्मिनल की आधारशिला रखी गई।
  - » 2014 से अब तक स्वीकृत 21 में से 12 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे चालू हो चुके हैं (जैसे मोपा, कुशीनगर, शिवमोग्गा)।
  - » जेवर और नवी मुंबई हवाई अड्डों को वित्तीय वर्ष 2025–26 तक चालू किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)**
  - » ₹91,000 करोड़ आवंटित (FY20–FY25), नवंबर 2024 तक ₹82,600 करोड़ खर्च।
  - » लक्ष्य: पाँच वर्षों में 50 नए हवाई अड्डे और 2035 तक 120 नए गंतव्य।

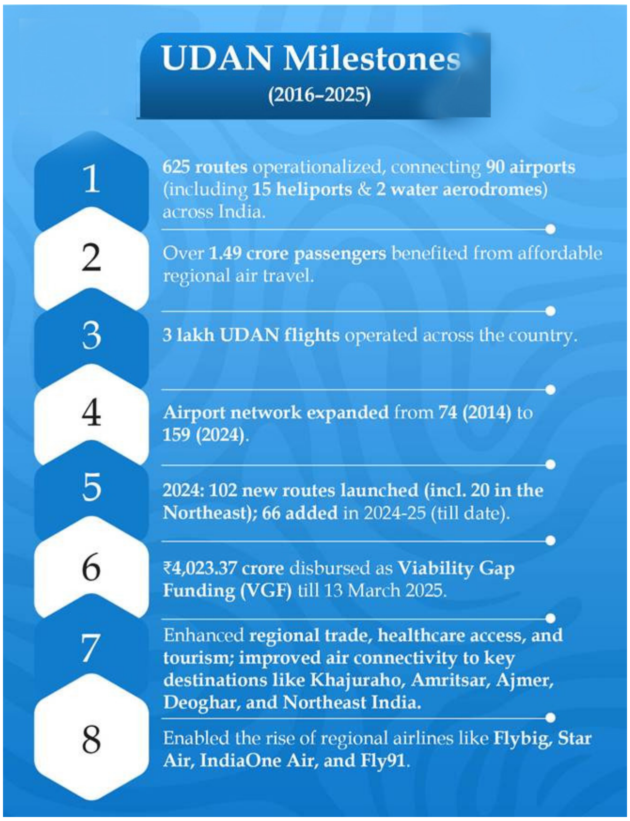

उड़ान योजना और क्षेत्रीय संपर्क-

- **अब तक की उपलब्धियाँ**
  - » 2016 से 619 मार्ग और 88 हवाई अड्डे चालू किए गए।
  - » केवल 2024 में 102 नए उड़ान मार्ग जोड़े गए—20 पूर्वोत्तर में।

- » अब तक 1.5 करोड़ यात्री सेवा प्राप्त कर चुके; अगले दशक में 4 करोड़ का लक्ष्य।
- » फोकस: आदिवासी, पहाड़ी और आकांक्षी ज़िलों पर।

- **उड़ान यात्री कैफे**
  - » हवाई अड्डों पर किफायती भोजन: चाय ₹10, समोसा ₹20 में उपलब्ध।
  - » कोलकाता और चेन्नई में सफल रोलआउट के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार।

सुरक्षा, डिजिटल अवसंरचना और सीप्लेन

- **उड्डयन सुरक्षा में सुधार**
  - » नई डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) लैब AAIB, नई दिल्ली में लॉन्च।
  - » HAL के साथ ₹9 करोड़ की लागत से विकसित।
- **डिजी यात्रा द्वारा निर्बाध यात्रा**
  - » 24 हवाई अड्डों पर सक्षम।
  - » 80 लाख+ डाउनलोड; 4 करोड़+ यात्राएँ पूरी।
  - » संपर्करहित, सुरक्षित बोर्डिंग और यात्रा की सुविधा।
- **सीप्लेन संचालन**
  - » अगस्त 2024 में नए दिशा-निर्देश जारी।
  - » उड़ान 5.5 में 50+ जल निकायों को सीप्लेन कनेक्टिविटी के लिए शामिल किया गया।

रणनीतिक सुधार और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता:

- **MRO प्रोत्साहन:** विमान पुर्जों पर 5% IGST लागू किया गया ताकि स्थानीय मेंटेनेंस हब को बढ़ावा मिल सके।
- **लैंगिक समावेशन:** महिला पायलटों की संख्या 13–18%—दुनिया में सर्वाधिक में से एक। DGCA का लक्ष्य 2025 तक महिला विमानन कार्यबल को 25% तक पहुँचाना।
- **एयर कार्गो विस्तार:** वित्तीय वर्ष 24 में 8 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो प्रबंधन; 10% वार्षिक वृद्धि; वेयरहाउसिंग और कस्टम सुधार जारी।
- **राजनयिक पहल:** दूसरी एशिया-प्रशांत मंत्री स्तरीय नागर विमानन सम्मेलन की मेज़बानी; दिल्ली घोषणा-पत्र पारित।

निष्कर्ष:

नागर विमानन मंत्रालय के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत का विमानन क्षेत्र राष्ट्र की विकास गाथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वैश्विक संपर्क और क्षेत्रीय पहुंच के विस्तार से लेकर डिजिटल परिवर्तन और स्थिरता को बढ़ावा देने तक, भारत एक विश्व-स्तरीय विमानन पारिस्थितिकी तंत्र की नींव मज़बूती से रख रहा है। ये पहल केवल शहरों को नहीं जोड़तीं—ये रोज़गार सृजित करती हैं, पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, आर्थिक वृद्धि को मज़बूत करती हैं और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करती हैं। स्पष्ट नीतिगत दिशा और सशक्त क्रियान्वयन के साथ, भारत का विमानन क्षेत्र विकसित भारत @2047 की यात्रा पर उड़ान भरने को तैयार है।

भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली: रोजगारोन्मुखी पुनर्निर्माण की आवश्यकता

परिचय:

भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। आने वाले वर्षों में यह कार्यबल भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब यह युवा वर्ग न केवल शिक्षित बल्कि रोजगारोन्मुखी कौशल में निपुण हो। वर्तमान में भारत की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) प्रणाली गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है।

हाल ही में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जिन आर्थिक सुधारों की घोषणा की, उनका उद्देश्य घरेलू खपत और निवेश को बढ़ावा देना है। इसी संदर्भ में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच यह असंतुलन भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

पृष्ठभूमि:

- भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण की जड़ें स्वतंत्रता पूर्व काल तक

जाती हैं, परंतु इसे संस्थागत स्वरूप 1950 के दशक में आईटीआई (Industrial Training Institutes) और पॉलिटेक्निक संस्थानों के रूप में मिला। बाद में 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की स्थापना और 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत ने कौशल विकास को नीति का केंद्रबिंदु बनाया।

- फिर भी, विश्व आर्थिक मंच (WEF) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौशल अंतर (skill gap) 60–70% तक है। अर्थात्, उद्योग में जो कौशल चाहिए और प्रशिक्षण संस्थान जो उपलब्ध करा रहे हैं, उनमें काफ़ी असमानता है। यही कारण है कि स्नातक और डिप्लोमा धारक युवाओं में भी बेरोज़गारी दर अत्यधिक है।
- भारत की कार्यशील आयु वर्ग की आबादी 65% से अधिक है। फिर भी केवल 4% भारतीय कार्यबल ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है, जबकि जर्मनी, सिंगापुर और कनाडा जैसे देशों में यह आँकड़ा 70–90% के बीच है।
- भारत में 14,000 से अधिक आईटीआई (ITIs) और लगभग 25 लाख स्वीकृत सीटें हैं, किंतु 2022 में केवल 12 लाख छात्रों ने नामांकन किया अर्थात् 48% सीट का उपयोग हो पाया।
- 2018 में आईटीआई स्नातकों का रोजगार दर 63% था, जबकि जर्मनी और सिंगापुर में यह 80–90% तक है जो भारत की रोजगार परिणाम की कमजोरी को बताता हैं।
- ये आँकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि भारत की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली युवाओं के लिए न तो आकर्षक है और न ही प्रभावी।

भारत की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली की प्रमुख चुनौतियाँ:

- **शिक्षा प्रणाली में विलंबित एकीकरण**
  - » जर्मनी जैसे देशों में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) को उच्च माध्यमिक स्तर पर ही शिक्षा के साथ जोड़ा जाता है।
  - » भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केवल हाई स्कूल के बाद विकल्प के रूप में उपलब्ध है, जिससे व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि कम हो जाती है।
- **उच्च शिक्षा तक मार्ग का अभाव**
  - » सिंगापुर और जर्मनी में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से पारंपरिक विश्वविद्यालयों तक स्पष्ट शैक्षणिक प्रगति के रास्ते हैं।
  - » भारत में न तो क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली है और न ही व्यावसायिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक औपचारिक मार्ग।
- **गुणवत्ता और धारणा की समस्या**
  - » भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को "द्वितीय श्रेणी शिक्षा" समझा जाता है।
  - » एक-तिहाई से अधिक आईटीआई प्रशिक्षक पद रिक्त हैं।
  - » पाठ्यक्रम पुराने और उद्योग की ज़रूरतों से असंगत हैं।

RECENT GOVERNMENT POLICIES IN INDIA'S VOCATIONAL TRAINING SYSTEM

1. Employment Linked Incentive (ELI) Scheme
- Incentives for newly EPFO-registered employees.
- **Part A:** Up to ₹15,000 for workers.
- **Part B:** ₹3,000 per month for employers per new hire.
- **Limitation:** Encourages formal employment but lacks a skill component.

2. PM Internship Scheme
- One-year internships for youth in top companies.
- **Limitation:** No guarantee of permanent employment.

3. ITI Upgradation Initiative
- Modernization of 1,000 government ITIs in partnership with industry.
- **Limitation:** No concrete plan to improve training quality.

4. National Education Policy (NEP) 2020
- Provision for integration of vocational education at school level.
- **Limitation:** Progress is slow, and implementation across states is uneven.

  - » गुणवत्ता मॉनिटरिंग व प्रशिक्षु प्रतिक्रिया (trainee feedback) की व्यवस्था कमजोर है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी का अभाव**
  - » जर्मनी, सिंगापुर और कनाडा में नियोक्ता न केवल प्रशिक्षुओं को वेतन देते हैं, बल्कि पाठ्यक्रम डिज़ाइन में भी भाग लेते हैं।
  - » भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम है और ITIs प्रायः सरकारी फंड पर निर्भर रहते हैं।

- **वित्तीय आवंटन में कमी**
  - भारत शिक्षा व्यय का मात्र 3% व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर खर्च करता है, जबकि जर्मनी, सिंगापुर और कनाडा 10–13% तक निवेश करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीख:

- **जर्मनी का द्वैध प्रणाली (Dual System):** स्कूली शिक्षा और पेड अप्रेंटिसशिप का एकीकृत मॉडल।
- **सिंगापुर का कौशल–भविष्य कार्यक्रम (SkillsFuture Programme):** जीवनपर्यंत कौशल उन्नयन के लिए सरकारी सब्सिडी और उद्योग-नेतृत्व पाठ्यक्रम डिज़ाइन।
- **कनाडा का प्रशिक्षण मॉडल (Apprenticeship Model):** सरकार और नियोक्ताओं के बीच साझेदारी, जिसमें उद्योग लागत साझा करते हैं।

- ये उदाहरण बताते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का एकीकरण, उद्योग–शिक्षा साझेदारी, और आजीवन कौशल उन्नयन रोजगार परिणामों को बेहतर बनाते हैं।

भारत में हालिया नीतिगत प्रयास:

- **रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive Scheme)**
  - नए EPFO पंजीकृत कर्मचारियों को प्रोत्साहन।
  - **भाग A:** श्रमिकों को ₹15,000 तक।
  - **भाग B:** नियोक्ताओं को प्रति नए भर्ती ₹3,000/माह।
  - **सीमाएँ:** औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देता है, पर इसमें कौशल घटक शामिल नहीं है।
- **प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PM Internship Scheme)**
  - युवाओं को शीर्ष कंपनियों में एक वर्ष की इंटर्नशिप।
  - **सीमाएँ:** स्थायी रोजगार की कोई गारंटी नहीं।
  - आईटीआई उन्नयन पहल (ITI Upgradation Initiative)
  - 1,000 सरकारी आईटीआई का उद्योग साझेदारी के साथ आधुनिकीकरण।
  - सीमाएँ: प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने की कोई ठोस योजना नहीं।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020**
  - स्कूली स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण का प्रावधान।
  - सीमाएँ: प्रगति धीमी और राज्यों में कार्यान्वयन असमान।
  - स्पष्ट है कि अब तक की नीतियाँ हाशिए पर सुधार करती रही हैं, न कि बुनियादी संरचना को बदलने का प्रयास।

आगे की राह : सुधार के प्रमुख आयाम

- **प्रारंभिक एकीकरण**
  - NEP 2020 के प्रावधानों को तेज़ी से लागू कर उच्च माध्यमिक स्तर से ही VET को शिक्षा का हिस्सा बनाना।
- **क्रेडिट और प्रगति पथ**
  - राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा (National Credit Framework) को शीघ्र लागू करना, जिससे व्यावसायिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक औपचारिक मार्ग मिले।
- **गुणवत्ता सुधार और प्रशिक्षक भर्ती**
  - राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTIs) का विस्तार और रिक्त प्रशिक्षक पदों की शीघ्र भर्ती।
  - नियमित आईटीआई ग्रेडिंग में प्रशिक्षु प्रतिक्रिया (trainee feedback) को शामिल करना।
- **उद्योग–शिक्षा साझेदारी**
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) को सक्रिय रूप से जोड़ना, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंडिंग का उपयोग करना।
  - क्षेत्रीय कौशल परिषद (Sector Skill Councils) को राज्य स्तर पर सशक्त करना।
- **डिजिटल और आजीवन शिक्षा**
  - AR/VR आधारित प्रशिक्षण और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म।
  - रोज़गार में 'रीस्किलिंग' और 'अपस्किलिंग' को प्रक्रिया बनाना।
- **वित्तीय निवेश में वृद्धि**
  - व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) पर शिक्षा व्यय को कम-से-कम 8–10% तक बढ़ाना।
  - ITIs को स्वायत्तता देकर स्वयं की आय अर्जित करने का अवसर।
  - प्रदर्शन आधारित फंडिंग।
- **सामाजिक धारणा परिवर्तन**
  - मीडिया और नीति स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण (vocational training) को "कैरियर–उन्मुख शिक्षा" के रूप में प्रस्तुत करना।

निष्कर्ष:

भारत की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली इस समय जिस स्थिति में है, वह न तो युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करती है और न ही उद्योग की आवश्यकताओं को। यदि इसे वर्तमान ढाँचे में ही संचालित किया जाता रहा तो "जनसांख्यिकीय लाभांश" शीघ्र ही "जनसांख्यिकीय भार" में बदल सकता है। अतः ज़रूरी है कि भारत अपनी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली का पुनर्निर्माण करे, शिक्षा प्रणाली के शुरुआती स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का एकीकरण, उद्योग की सक्रिय भागीदारी, पर्याप्त वित्तीय निवेश और गुणवत्ता सुधार ही वह मार्ग है जिससे युवाओं की रोजगार योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। यह सुधार केवल कौशल विकास तक सीमित नहीं है; यह विकसित भारत की आधारशिला है।

संक्षिप्त मुद्दे

भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में उन्नति

संदर्भ:

हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी) ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'BBB-' से 'BBB' और अल्पकालिक रेटिंग को 'A-3' से 'A-2' में सुधार किया है। यह 18 वर्षों में भारत का पहला सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड है; पिछला अपग्रेड 2007 में हुआ था, जब भारत की रेटिंग 'BBB-' निवेश ग्रेड में बढ़ाई गई थी। यह अपग्रेड भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन के प्रति वैश्विक भरोसे को दर्शाता है।

रेटिंग सुधार के पीछे मुख्य कारण:

- **राजकोषीय अनुशासन:** राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (2003) के तहत लंबे समय तक सुधार के बाद, सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद से वित्तीय समेकन को तेज़ी से लागू किया है। 2020-21 में जीडीपी के 9.2% तक पहुंचा राजकोषीय घाटा अब 2025-26 में लगभग 4.4% रहने का अनुमान है। दीर्घकालिक लक्ष्य 2030-31 तक ऋण-से-जीडीपी अनुपात को 57.1% से घटाकर 49-51% के बीच लाना है।
- **आर्थिक विकास:** 2024-25 में 6.5% की अपेक्षित वृद्धि के साथ भी, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मजबूत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि घटते ऋण बोझ को संभाल रही है, जिससे वित्तीय स्थिरता मजबूत हो रही है।
- **मुद्रास्फीति प्रबंधन:** एसएंडपी ने भारत की मुद्रास्फीति नियंत्रण की क्षमता को सराहा है। जुलाई 2025 में मुद्रास्फीति 1.55% तक गिर गई, जो 2017 के बाद सबसे कम है। स्थिर और कम मुद्रास्फीति निवेशकों का भरोसा बढ़ाती है, मुद्रा स्थिरता बनाए रखती है और सामाजिक जोखिमों को कम करती है।
- **समग्र मूल्यांकन:** राजकोषीय समेकन, मजबूत आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति नियंत्रण के ये संयोजन भारत की आर्थिक मजबूती को दर्शाते हैं। ये कारक भारत की आर्थिक विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं और दीर्घकालिक सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड के लिए आधार प्रदान करते हैं।

सुधारों का प्रभाव:

- **कम उधारी लागत:** इस रेटिंग उन्नयन से भारतीय कंपनियों की वित्तपोषण लागत में कमी आ सकती है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच आसान होगी।
- **बढ़ा हुआ विदेशी निवेश:** इस उन्नयन के परिणामस्वरूप बॉन्ड बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बढ़ने की संभावना है, जिससे निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा।
- **बेहतर वैश्विक स्थिति:** वैश्विक उभरते बाजारों के निवेश परिदृश्य में भारत की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है, जो बेहतर जोखिम-समायोजित प्रतिफल और निश्चित आय वाले निवेशकों के लिए नए अवसर प्रदान करेगा।

सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स (SCR) के बारे में:

- सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स (SCR) किसी देश की साख का स्वतंत्र मूल्यांकन होती हैं, जो उसके ऋण दायित्वों को समय पर पूरा करने की क्षमता का आकलन करती हैं। प्रमुख रेटिंग एजेंसियों में स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P), फिच और मूडीज़ शामिल हैं।
- SCR के माध्यम से देशों को मुख्यतः निवेश श्रेणी और निवेश-अयोग्य श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जहाँ निवेश-अयोग्य श्रेणी में ऋण चूक की संभावना अधिक होती है।
- निवेश-श्रेणी रेटिंग एसएंडपी और फिच के लिए BBB- से AAA तक तथा मूडीज़ के लिए Baa3 से Aaa तक होती है।
    - » **महत्व:** अनुकूल रेटिंग देशों के लिए वैश्विक पूंजी बाजारों और विदेशी निवेश तक पहुँच को आसान बनाती है तथा उधारी की लागत को घटाती है।
    - » **चुनौतियाँ:** रेटिंग प्रक्रियाओं में पूर्वाग्रह, हितों के टकराव और रेटिंग सीमा के मुद्दे समय-समय पर उठाए जाते रहे हैं।

निष्कर्ष:

एसएंडपी द्वारा भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'BBB' तक उन्नत करना एक महत्वपूर्ण विकास है, जो भारत के स्थिर और लचीले आर्थिक विकास, मजबूत राजकोषीय अनुशासन तथा व्यापक आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है। यह मान्यता न केवल वैश्विक बाजारों में भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाती है, बल्कि आने वाले वर्षों में सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हुए विदेशी निवेश में वृद्धि और उधारी की लागत में कमी के मार्ग भी खोलती है।

आरबीआई ने रेपो दर को 5.5% पर स्थिर रखा

संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी हालिया बैठक में सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.5% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। मौद्रिक नीति का रुख तटस्थ (Neutral) बना रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत में मूल्य स्थिरता (Price Stability) बनाए रखना और साथ ही आर्थिक विकास (Economic Growth) को प्रोत्साहित करना है।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- **रेपो दर:** 5.5% पर स्थिर रखी गई है।
- **जीडीपी वृद्धि अनुमान:** मजबूत घरेलू मांग और सरकारी व्यय में वृद्धि के आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.5% पर स्थिर।
- **सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान:** खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट और कृषि उत्पादन में सुधार को देखते हुए 3.7% से घटाकर 3.1% किया गया।
- **मौद्रिक नीति का रुख:** तटस्थ (Neutral) रखा गया है, जो बदलती व्यापक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार समायोजन की लचीलापन प्रदान करता है।

REPO RATE PAUSE: HOW BORROWERS HAVE GAINED SINCE FEB 2025

Previous rate cuts have slashed borrowers' interest outgo

	Jan 2025 (Original position)	March 2025 (Post Feb repo rate cut)	May 2025 (Post April repo rate cut)	August 2025 (Post June repo rate cut)
Rate of interest	8.50%	8.25%	8.00%	7.50%
Tenure (months)	240	230	221	206
Loan amount (Rs)	50 lakh	50 lakh	50 lakh	50 lakh
EMI (Rs)	43,391	43,391	43,391	43,391
Overall interest payable (Rs)	54.14 lakh	49.61 lakh	45.73 lakh	39.36 lakh
Tenure reduced by...	N.A.	10 months	19 months	34 months
Overall interest saved (Rs)		4.53 lakh	8.41 lakh	14.78 lakh

Assumptions: *The borrower is servicing a Rs 50 lakh floating rate home loan with a 20 year tenure taken in Jan-2025, Keeping EMIs constant to reduce interest outgo and tenure.*
Source: Zenith Finserve

निर्णय के पीछे तर्क:

- **सौम्य मुद्रास्फीति दृष्टिकोण:** अच्छे मानसून और आपूर्ति-पक्ष उपायों के समर्थन से, जून 2025 में सीपीआई मुद्रास्फीति 77 महीने के निचले स्तर 2.1% पर आ गई।
- **स्थिर कोर मुद्रास्फीति:** कोर मुद्रास्फीति 4.4% के आसपास मध्यम बनी हुई है, जिसके लिए तत्काल सख्ती की आवश्यकता नहीं है।
- **वैश्विक अनिश्चितता:** चल रहे भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार नीति में बदलाव और वित्तीय बाजार में अस्थिरता भारत की बाहरी अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम पैदा करती है।
- **घरेलू लचीलापन:** इन बाहरी जोखिमों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू खपत, निवेश और सरकारी व्यय के

कारण स्थिरता और लचीलापन प्रदर्शित कर रही है।

आर्थिक निहितार्थ:

- **ऋण एवं उपभोग:** स्थिर ब्याज दरें, विशेष रूप से त्योहारी सीज़न के दौरान, उधार लेने को प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिससे उपभोग और व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- **आवास क्षेत्र:** गृह ऋण की दरें किफायती रहने की संभावना है, जिससे रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्रों को मदद मिलेगी।
- **निवेशकों का विश्वास:** सतर्क और डेटा-आधारित मौद्रिक नीति बाजारों में विश्वास बनाए रखती है और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करती है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के बारे में:

- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) एक छह सदस्यीय निकाय है जो भारत की ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए ज़िम्मेदार है। इसमें आरबीआई के तीन अधिकारी और सरकार द्वारा नामित तीन बाहरी सदस्य शामिल हैं। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में, निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, जिसमें गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है।
- संशोधित आरबीआई अधिनियम के तहत 2016 में स्थापित, एमपीसी मौद्रिक नीति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इसका वर्तमान अधिदेश मार्च 2026 तक 4% मुद्रास्फीति (±2%) बनाए रखना है।
- कम से कम तिमाही बैठक करने वाली इस एमपीसी को आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग का समर्थन प्राप्त है और यह प्रत्येक बैठक के बाद अपने नीतिगत निर्णय प्रकाशित करती है। इसने पहले के सलाहकार मॉडल का स्थान लिया है।

निष्कर्ष:

रेपो दर को 5.5% पर बनाए रखने का निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक की एक सतर्क किंतु संतुलित नीति का संकेतक है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को लक्षित दायरे में रखते हुए आर्थिक विकास को समर्थन देना है। वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू अर्थव्यवस्था की लचीलापन के बीच, मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने स्थिरता को प्राथमिकता दी है, जो भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद में विश्वास को दर्शाता है। साथ ही, यह भविष्य में आँकड़ों पर आधारित लचीले समायोजन की संभावनाओं को भी दर्शाता है।

भारत का निर्यात प्रदर्शन (अप्रैल-जुलाई 2025)

संदर्भ:

अप्रैल से जुलाई 2025 के दौरान भारत ने वस्तुओं और सेवाओं का कुल 277.63 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। यह 2024 की इसी अवधि की तुलना में 5.23% अधिक है, जो निर्यात में हो रही निरंतर प्रगति और भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है।

भारत का निर्यात और आयात प्रदर्शन (अप्रैल-जुलाई 2025):

- **वस्तु निर्यात:** भारत के वस्तु निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों ने विशेष योगदान दिया। इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में 13.75% की वृद्धि हुई, जो 10.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात 33.89% की तीव्र वृद्धि के साथ 3.77 बिलियन डॉलर रहा, जो भारत की उच्च-प्रौद्योगिकी निर्यात क्षमता को दर्शाता है। इसी प्रकार, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में भी 28.95% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे इस क्षेत्र का कुल निर्यात 2.39 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।
- **सेवा निर्यात:** अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच भारत का कुल सेवा निर्यात 128.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 7.86% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि में सेवा व्यापार का अधिशेष 63.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 54.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर से उल्लेखनीय रूप से अधिक है।
- **समग्र प्रदर्शन (अप्रैल-जुलाई 2025):** जुलाई 2025 में भारत के गैर-पेट्रोलियम निर्यात में 7.70% की वृद्धि हुई, जो कुल 127.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा। इसके अतिरिक्त, गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात का आंकड़ा 118.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो भारत के निर्यात आधार में विविधता की स्पष्ट पुष्टि करता है।

सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य (अप्रैल-जुलाई 2025):

- अप्रैल से जुलाई 2025 के दौरान भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्य अमेरिका (21.64%), चीन (19.97%) और संयुक्त अरब अमीरात (4.62%) रहे। केन्या में निर्यात में 64.05% की उल्लेखनीय वृद्धि

दर्ज की गई, जबकि जर्मनी में निर्यात में 14.37% की बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़े भारत के निर्यात में क्षेत्रीय विविधता और नए बाजारों के विकास का संकेत देते हैं।

वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 5 आयात स्रोत (अप्रैल-जुलाई 2025):

- इस अवधि में भारत के प्रमुख आयात स्रोतों में चीन (13.06%), यूएई (17.67%) और अमेरिका (12.33%) शामिल हैं। खासतौर पर, आयरलैंड से आयात में 302.8% की असाधारण वृद्धि हुई है, जबकि हांगकांग से 36.87% की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

व्यापार घाटा:

- निर्यात वृद्धि के बावजूद, भारत का व्यापार घाटा उल्लेखनीय बना हुआ है। अप्रैल-जुलाई 2025 के दौरान कुल आयात 308.91 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो 4.25% की वृद्धि दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा 31.28 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। जहाँ सेवा निर्यात ने एक बफर प्रदान किया, वहीं व्यापारिक आयात—विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम और सोने—ने असंतुलन को बढ़ाया। हालाँकि, दालों (-51.62%) और कोयले (-20.93%) जैसी कुछ आयात वस्तुओं में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जो घरेलू माँग और उत्पादन के बदलते रुझानों का संकेत है।

आगे की राह:

- भारत का निर्यात प्रदर्शन पीएलआई योजनाओं, एफटीए वार्ताओं और 'मेक इन इंडिया' जैसी हालिया नीतिगत पहलों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि, निर्यात में सतत वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार आवश्यक हैं:
  - » बेहतर लॉजिस्टिक्स और बंदरगाह अवसंरचना का विकास
  - » उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों सहित निर्यात क्षेत्र का विविधीकरण
  - » आयात प्रतिस्थापन और घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि के माध्यम से व्यापार घाटे में कमी
- निर्यात की गति और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने हेतु आवश्यक है कि भारत आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन सुनिश्चित करे, नए निर्यात बाजारों की खोज करे, और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को रणनीतिक रूप से अपनाए।

निष्कर्ष:

2025 में भारत की निर्यात वृद्धि क्षेत्रीय उत्कृष्टता, सेवाओं के क्षेत्र की मजबूती और बाजार विविधीकरण जैसे कारकों से प्रेरित होगी। ये रुझान पीएलआई योजनाओं, विदेश व्यापार नीति 2023 तथा व्यापार सुगमता एवं निर्यात अवसंरचना पर केंद्रित नीतियों की सफलता को रेखांकित करते हैं। हालांकि, निरंतर व्यापार घाटा और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएँ चुनौती बने हुए हैं। अतः निर्यात वृद्धि को बनाए रखने के लिए सतत नीतिगत समर्थन, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार और बाजार विविधीकरण पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक होगा।

दुग्ध उत्पादन में भारत अग्रणी देश

संदर्भ:

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। वर्ष 2023-24 में देश का कुल दुग्ध उत्पादन 239.30 मिलियन टन रहा। यह जानकारी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में दी।

दुग्ध उत्पादन से संबंधित प्रमुख आँकड़े:

- भारत का दुग्ध उत्पादन 239.30 मिलियन टन तक पहुँच गया है, जिसमें गायों का योगदान 53.12% (127.11 मिलियन टन) और भैंसों का योगदान 43.62% (104.39 मिलियन टन) है।
- **शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य हैं:**
  - » **उत्तर प्रदेश:** 37.46 मिलियन टन (13.11 मिलियन टन गाय का दुग्ध और 24.35 मिलियन टन भैंस का दुग्ध)
  - » **राजस्थान:** 31.60 मिलियन टन (14.81 मिलियन टन गाय का दुग्ध और 16.79 मिलियन टन भैंस का दुग्ध)
  - » **मध्य प्रदेश:** 20.28 मिलियन टन (10.09 मिलियन टन गाय का दुग्ध और 10.20 मिलियन टन भैंस का दुग्ध)
- **क्षेत्रीय वितरण:**
  - » उत्तरी और पश्चिमी भारत—जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश—भैंस के दुग्ध पर अधिक निर्भर रहते हैं, जो अपनी उच्च वसा सामग्री के कारण घी, पनीर और खोया जैसे पारंपरिक दुग्ध उत्पादों के लिए उपयुक्त माना जाता है।
- दक्षिणी राज्य, नस्लीय विविधता और उपभोग पैटर्न में अंतर के चलते, अपेक्षाकृत गाय-प्रधान डेयरी मॉडल अपनाते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र:

- **प्रमुख आर्थिक योगदानकर्ता:** डेयरी क्षेत्र भारत की सबसे बड़ी कृषि-वस्तु है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 4–5% तथा कृषि सकल घरेलू उत्पाद (Agri-GDP) में लगभग

25% का योगदान देता है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है, जो 8 करोड़ से अधिक किसानों—मुख्यतः लघु और सीमान्त—को स्थिर आय का स्रोत प्रदान करता है। साथ ही, यह क्षेत्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आय सृजन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- **रोज़गार और महिला सशक्तिकरण:** डेयरी क्षेत्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से एक महत्त्वपूर्ण रोज़गार-सृजनकर्ता है। यह पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण एवं वितरण की संपूर्ण शृंखला में लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। विशेष उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ इस कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता सुदृढ़ होती है और घरेलू आर्थिक स्थिरता में योगदान मिलता है।

दुग्ध उत्पादन, विकास और सरकारी सहायता:

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक उत्पादन में 24% योगदान है। पिछले एक दशक में दुग्ध उत्पादन में 6% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ, यह क्षेत्र निरंतर विकास दर्शा रहा है।
- भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता वैश्विक औसत से अधिक है। ऑपरेशन फ्लड, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) और एलएचडीसीपी जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने आनुवंशिक सुधार, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से इस क्षेत्र को मज़बूत किया है।

निष्कर्ष:

भारत का डेयरी क्षेत्र, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। नेशनल डेयरी मिशन (NDM) जैसी योजनाओं और क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों के माध्यम से निरंतर समर्थन के साथ, यह क्षेत्र लाखों किसानों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है और भारत को वैश्विक डेयरी बाजार में नेतृत्व बनाए रखने की स्थिति में रखता है।

आरबीआई ने जारी किया फ्री-एआई फ्रेमवर्क

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए FREE-AI फ्रेमवर्क पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट एक विशेष समिति द्वारा तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य AI के प्रयोग में निष्पक्षता , पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस ढाँचे का लक्ष्य ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए, नई तकनीकों और नवाचारों को प्रोत्साहित करना है।

FREE-AI रिपोर्ट के विषय में:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उत्तरदायी और नैतिक उपयोग हेतु एक व्यापक ढाँचा तैयार करने हेतु एक समर्पित समिति का गठन किया था। समिति का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देने और ग्राहक हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाना था।

वित्तीय क्षेत्र में AI क्यों महत्वपूर्ण है?

- आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) अपनी दक्षता (Efficiency) और स्वचालन (Automation) को बढ़ाने की क्षमता के कारण वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है। यह लेन-देन, ऋण प्रबंधन, धोखाधड़ी का पता लगाने और अनुपालन निगरानी की गति और सटीकता दोनों को बेहतर बनाता है।
  - » डेटा-आधारित निर्णय लेने के माध्यम से AI, क्रेडिट स्कोरिंग, निवेश योजना और जोखिम आकलन में सुधार करता है।
  - » AI, विसंगतियों का शीघ्र पता लगाकर धोखाधड़ी की रोकथाम में अहम योगदान देता है।
  - » यह, RBI और SEBI के मानकों के अनुरूप, स्वचालित निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग के माध्यम से अनुपालन

(Compliance) सुनिश्चित करने में भी सहायता करता है।

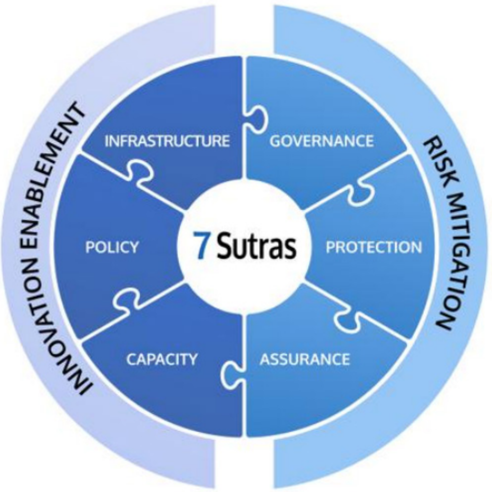

AI के नैतिक उपयोग के लिए RBI के 7 सूत्र:

- AI को जिम्मेदारी से अपनाने के मार्गदर्शन के लिए, आरबीआई समिति ने सात प्रमुख सिद्धांतों को रेखांकित किया:
  - **विश्वास ही आधार है (Trust as the Foundation):** हितधारकों का विश्वास बनाने के लिए AI प्रणालियों को पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देना चाहिए।
  - **लोग पहले (People First):** ग्राहकों के हितों को केंद्र में रखते हुए, AI को मानवीय निर्णय लेने में वृद्धि करनी चाहिए।
  - **संयम के साथ नवाचार (Innovation with Restraint):** अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नियमों से बचते हुए जिम्मेदार नवाचार को प्रोत्साहित करना।
  - **निष्पक्षता और समानता (Fairness and Equity):** सुनिश्चित करें कि AI के परिणाम पूर्वाग्रह से मुक्त हों और सभी के लिए समान व्यवहार को बढ़ावा देना।
  - **जवाबदेही (Accountability):** वित्तीय संस्थानों को AI निर्णयों के परिणामों और प्रभावों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होना चाहिए।
  - **समझने योग्य डिज़ाइन (Explainable by Design):** AI सिस्टम व्याख्या योग्य और उपयोगकर्ता के अनुकूल होने चाहिए, जटिल "ब्लैक बॉक्स" मॉडल से बचना चाहिए।
  - **सुरक्षा, लचीलापन और स्थिरता (Security, Resilience and Sustainability):** AI अनुप्रयोग सुरक्षित, व्यवधानों का सामना करने में सक्षम और पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से टिकाऊ होने चाहिए।

चुनौतियाँ:

- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम
- एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और भेदभाव
- उच्च बुनियादी ढाँचे और प्रतिभा लागत
- स्पष्ट नियामक ढाँचे का अभाव
- साइबर सुरक्षा कमज़ोरियाँ
- जटिल मॉडलों की सीमित व्याख्या

निष्कर्ष:

फ्री-एआई ढाँचा भारत के वित्तीय संस्थानों को नैतिक, समावेशी और नवीन AI अपनाने की दिशा में मार्गदर्शन करने में एक परिवर्तनकारी कदम है। हालाँकि AI में वित्त में क्रांति लाने की अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन इसे निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर लागू किया जाना चाहिए।

2025 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारतीय जीडीपी में वृद्धि

संदर्भ

वित्त वर्ष 2025–26 की पहली तिमाही (अप्रैल–जून) में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। यह दर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुमान और बाज़ार की उम्मीदों से भी अधिक रही। यह आँकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी किए गए।

क्षेत्रवार प्रदर्शन:

- **सेवा क्षेत्र:** वित्त वर्ष 2025–26 की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि का नेतृत्व सेवा क्षेत्र ने किया। इसमें 9.3% की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो पिछले दो वर्षों में सबसे अधिक है। इसके अंतर्गत व्यापार, होटल, परिवहन और संचार में 8.6% की वृद्धि हुई, वित्तीय, अचल संपत्ति और पेशेवर सेवाओं में 9.5% की वृद्धि रही, जबकि लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में 9.8% की वृद्धि दर्ज की गई। इस क्षेत्र की मजबूत गति को एचएसबीसी सर्विसेज़ PMI से और बल मिला, जो अगस्त 2025 में 65.6 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा जो निरंतर आशावाद को दर्शाता है।
- **विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र:** विनिर्माण और निर्माण ने भी वृद्धि में अहम योगदान दिया। विनिर्माण में 7.7% और निर्माण में 7.6% की

वृद्धि दर्ज हुई।

- **कृषि क्षेत्र:** कृषि क्षेत्र में 3.7% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह दर केवल 1.5% थी। हालाँकि, मानसून की अनिश्चितता भविष्य के उत्पादन के लिए अब भी संभावित जोखिम बनी हुई है।

अन्य क्षेत्र और व्यय रुझान:

- व्यय पक्ष पर, निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में 7% की वृद्धि हुई। यह पिछले वर्ष के 8.3% से थोड़ा कम है, लेकिन जनवरी–मार्च की 6% की वृद्धि की तुलना में बेहतर है।
- सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो निवेश गतिविधियों की मजबूती को दर्शाता है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) में 7.4% की बढ़त हुई, जो पिछली तिमाही में 1.8% की गिरावट से उठकर आई।
- हालाँकि, भारी वर्षा के कारण खनन क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई और माँग में कमी से विद्युत, गैस और जल आपूर्ति क्षेत्र की वृद्धि केवल 0.5% रही।

इस वृद्धि का महत्व:

- भारत की 7.8% जीडीपी वृद्धि दर वैश्विक चुनौतियों, विशेषकर अमेरिकी टैरिफ, के बावजूद मजबूत लचीलापन और व्यापक आर्थिक स्थिरता को दर्शाती है। यह वृद्धि विनिर्माण, सेवाओं और कृषि में अच्छे प्रदर्शन, मज़बूत घरेलू माँग और पूंजी निर्माण से प्रेरित रही।
- इस तेज़ी से घरेलू और विदेशी बाज़ारों में निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और यह भारत के लिए सुधारों में तेजी लाने, निर्यात में विविधता लाने तथा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करने का एक उपयुक्त अवसर प्रस्तुत करता है।

उच्च जीडीपी वृद्धि के बावजूद चुनौतियाँ:

- **अमेरिकी टैरिफ (50%):** इससे भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है और व्यापार संतुलन बिगड़ने की संभावना है।
- **भूराजनीतिक तनाव:** रूस जैसे देशों के साथ भारत के रणनीतिक संबंध वैश्विक व्यापारिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं।
- **अनियमित मानसून:** कृषि अब भी मानसून पर निर्भर है, बारिश में गड़बड़ी से ग्रामीण आय और खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
- **पर्यावरणीय जोखिम:** अत्यधिक मौसम की घटनाएँ खनन, निर्माण और बिजली–पानी जैसे क्षेत्रों को नुकसान पहुँचा सकती हैं।
- **सिर्फ 8.8% नाममात्र वृद्धि:** यह दर्शाता है कि महँगाई दर कम है, जिससे सरकारी राजस्व और कंपनियों की कमाई पर दबाव पड़ सकता है।
- **खनन और उपयोगिता क्षेत्र की कमजोरी:** इन क्षेत्रों न्यूनतम वृद्धि देखी गई, जिससे समग्र औद्योगिक प्रदर्शन कमजोर हो रहा है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियाँ:** बड़ी संख्या में लोग अब भी कम उत्पादकता वाली नौकरियों पर निर्भर हैं।
- **रोज़गार और कौशल असंतुलन:** नए रोज़गार अवसरों और कामगारों के कौशल के बीच तालमेल की कमी बनी हुई है।

निष्कर्ष:

भारत को तेज़ आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के लिए सुधारों की गति को निरंतर जारी रखना होगा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और घरेलू खपत को मज़बूत बनाए रखना इसकी प्राथमिक ज़रूरत है। साथ ही, अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता घटाकर भारत को आसियान, ईएफटीए और अफ्रीकी देशों जैसे नए बाज़ारों के साथ व्यापारिक संबंधों का विस्तार करना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक को भी सतर्क रहना होगा ताकि विकास और महँगाई के बीच संतुलन बना रहे और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता सुरक्षित रह सके।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या उन व्यक्तियों की है जो पहली बार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हैं। यह उपलब्धि भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में एक संरचनात्मक और परिवर्तनकारी पहल को दर्शाती है।

प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **व्यापक पहुँच:**
  - अगस्त 2025 तक 55 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके हैं।
  - यह पहल विशेष रूप से उन लोगों को लक्षित करती है जो अब तक औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से वंचित थे, जिससे वित्तीय समावेशन को गहरी गति मिली।

» जुलाई 2025 में शुरू हुए केवाईसी आउटरीच अभियान के अंतर्गत लगभग 1 लाख ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया।

- **महिला सशक्तिकरण:**
  » RBI के अनुसार, पीएमजेडीवाई के 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं।
  » यह लैंगिक-संवेदनशील वित्तीय समावेशन ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करता है।
- **भौगोलिक पहुँच:**
  » कुल खातों में लगभग 66.6% ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से हैं, जो दूरदराज के इलाकों में वित्तीय सेवाओं की सुलभता को दर्शाता है।
  » वर्तमान में, 99.95% बसे हुए गाँवों में 5 किमी के भीतर बैंकिंग सुविधाएँ विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध हैं।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:**
  » 21 मई 2025 तक पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा राशि 2.5 लाख करोड़ के पार पहुँच चुकी है।
  » औसत खाता शेष 1,065 (मार्च 2015) से बढ़कर 4,352 हो गया है, जो उपयोग में वृद्धि और विश्वास का संकेत है।
  » लगभग 80% खाते सक्रिय हैं, जो इसके व्यापक उपयोग और प्रभाव को दर्शाते हैं।
- **कल्याणकारी योजनाओं में भूमिका:** पीएमजेडीवाई खाते विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) को सक्षम बनाते हैं:
  » मनरेगा मज़दूरी
  » उज्ज्वला योजना सब्सिडी
  » COVID-19 राहत सहायता

प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में:

- 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई, पीएमजेडीवाई सरकार की उस प्रमुख पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना है। इसकी शुरुआत शून्य बैलेंस खाते की सुविधा के साथ की गई, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बैंकिंग सुलभ हुई। इसे एक सप्ताह में सर्वाधिक बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (23–29 अगस्त 2014 के दौरान 1.8 करोड़+ खाते) से सम्मानित किया गया।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  » शून्य शेष राशि खाता (न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं)
  » RuPay डेबिट कार्ड की सुविधा
  » दुर्घटना बीमा कवर और शर्तों के साथ जीवन बीमा
  » ओवरड्राफ्ट सुविधा (6 महीने के संतोषजनक संचालन के बाद)
  » प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के तहत सरकारी सब्सिडी की पात्रता
  » कोई भी भारतीय नागरिक, जिसमें 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के नाबालिग (अभिभावक के माध्यम से) शामिल हैं, खाता खोल सकते हैं।

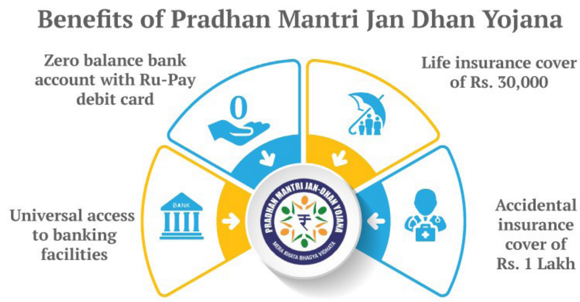

निष्कर्ष:

PMJDY देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और बड़ी संख्या में नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसकी निरंतर प्रगति यह दर्शाती है कि यह योजना सरकार के समावेशी विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक प्रभावी माध्यम बनी हुई है।

जीएसटी में व्यापक बदलाव पर मंत्रिसमूह की रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने भारत के जीएसटी दर ढांचे में व्यापक बदलाव से संबंधित केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें 12% और 28% के स्लैब को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। यह प्रस्ताव अब अंतिम अनुमोदन के लिए जीएसटी परिषद के पास भेजा जाएगा।

प्रमुख सिफारिशें:

- **दो-स्लैब संरचना:** केवल 5% (योग्यता श्रेणी) और 18% (मानक श्रेणी) की दरें बरकरार रखी जाएंगी।
- **विशेष 40% स्लैब:** तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग जैसी विलासिता की वस्तुओं पर लागू होगा।
- **स्लैब युक्तिकरण:** 12% दर वाले ब्रैकेट की 99% वस्तुओं को 5% पर और 90% वस्तुओं को 28% से घटाकर 18% पर स्थानांतरित करने की सिफारिश।

रणनीतिक निहितार्थ:

- **उपभोक्ता राहत:** पैकेज्ड खाद्य पदार्थों और घरेलू सामान जैसी दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर कर का बोझ कम होगा।
- **आर्थिक प्रोत्साहन:** दिवाली से पहले मांग में वृद्धि और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलने की सम्भावना है।
- **सरलीकृत कराधान:** अनुपालन लागत और वर्गीकरण संबंधी विवादों में कमी लाता है, तथा प्रशासनिक दक्षता में सुधार करता है।

मंत्रिसमूह की भूमिका और कार्यप्रणाली:

- मंत्रिसमूह (जीओएम), जीएसटी परिषद द्वारा विशेष रूप से गठित एक पैनल है, जिसका उद्देश्य जटिल विषयों का विश्लेषण करना, संबंधित हितधारकों से परामर्श करना तथा नीतिगत सुझाव प्रदान करना होता है।
- बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में दरों के युक्तिकरण पर गठित जीओएम में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गोवा जैसे राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
- हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापक जीएसटी सुधारों के केंद्र के प्रस्ताव पर पैनल को जानकारी दी।

जीएसटी के विषय में:

- जीएसटी एक व्यापक, बहु-चरणीय, और गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है, जो पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है।
- 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ जीएसटी भारत के कर ढांचे को सरल बनाने के उद्देश्य से लाया गया था। इसने कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया और एक मूल्य वर्धित कर प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो दोहरे मॉडल (CGST + SGST / IGST) पर आधारित है। इसकी दरों का निर्धारण GST परिषद द्वारा किया जाता है।
- जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, VAT और सेवा कर जैसे विभिन्न करों को एकीकृत कर, एक एकल कर प्रणाली प्रदान की, जिससे 'एक राष्ट्र, एक कर' की अवधारणा को सुदृढ़ किया गया।
- **संवैधानिक समर्थन:**
  - » **संविधान संशोधन:** 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016
  - » **लागू तिथि:** 1 जुलाई 2017
  - » **प्रावधान:** केंद्र और राज्य दोनों को GST लगाने का अधिकार

प्रमुख उपलब्धियाँ:

- वित्त वर्ष 2024–25 में जीएसटी ने ₹22.08 लाख करोड़ का अब तक का सर्वाधिक संग्रह दर्ज किया। 1.51 करोड़ से अधिक सक्रिय करदाता, बढ़ती औपचारिकता को दर्शाते हैं।
- ई-वे बिल, ई-इनवॉइसिंग और ICEGATE एकीकरण जैसे डिजिटल उपकरणों ने अनुपालन और रिफंड प्रक्रियाओं में सुधार किया है।
- व्यवसायों के लिए जीएसटी ने बहुविध करों को समाप्त किया, रसद लागत को कम किया और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित किया।

चुनौतियाँ:

- लाभों के बावजूद, जीएसटी को जटिल कर स्लैब, उलटे शुल्क ढांचे और पेट्रोलियम एवं अल्कोहल को कर दायरे से बाहर रखने जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) कई राज्यों में निष्क्रिय बना हुआ है, जिससे विवाद समाधान में देरी हो रही है।
- प्रक्रियात्मक अस्पष्टताएं और नियमों में बार-बार होने वाले परिवर्तन अनुपालन को प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष:

मंत्रिसमूह की रिपोर्ट "जीएसटी 2.0" की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें एक सरल और विकासोन्मुख कर प्रणाली का प्रस्ताव है। यदि जीएसटी परिषद इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो ये सुधार व्यापार में आसानी बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के तहत उपभोग-आधारित आर्थिक पुनरुद्धार में योगदान देंगे।

7 आंतरिक सुरक्षा

अपाचे गार्जियन

भारत की सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता की चुनौती

परिचय:

हाल ही में 22 जुलाई, 2025 को भारतीय थलसेना के एविएशन कॉर्प्स को अमेरिका से एएच-64ई अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई। यह घटना भारत की दीर्घकालीन सैन्य आधुनिकीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। अपाचे का शामिल होना भारत की रोटरी-विंग (हेलीकॉप्टर आधारित) युद्ध क्षमता को मजबूत करता है और थलसेना को प्रिसीजन स्ट्राइक और निगरानी के लिए अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म देता है। लेकिन इसके साथ ही एक गंभीर प्रश्न भी उठता है: क्या भारत आत्मनिर्भर भारत के रक्षा उत्पादन अभियान के दौर में विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर रहना जारी रख सकता है?

यह ऐसे समय में आया है जब भारत का पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने चीनी ज़ेड-10एमई अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किए हैं, जबकि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर विभिन्न उन्नत हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। ऐसे परिदृश्य में भारत द्वारा अपाचे का अधिग्रहण उसके वायु युद्ध और निगरानी क्षमता की मौजूदा खाइयों को भरने की तात्कालिक आवश्यकता को दर्शाता है।

अपाचे क्यों महत्वपूर्ण है?

एएच-64 अपाचे दुनिया के सबसे उन्नत और युद्ध-प्रमाणित अटैक हेलीकॉप्टरों में से एक है। इसे 17 देश संचालित करते हैं और इसका लंबा युद्ध इतिहास है।

- **भारत की रक्षा खरीद कहानी**
  - 2020 में भारत ने बोइंग के साथ 5,691 करोड़ रुपये (लगभग 681 मिलियन डॉलर) का सौदा किया था, जिसके तहत थलसेना के लिए छह अपाचे खरीदे गए।
  - इससे पहले, 2015 में, भारत ने 2.5 बिलियन डॉलर का समझौता किया था जिसके अंतर्गत वायुसेना के लिए 22 अपाचे और 15 चिनूक हेवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टर खरीदे गए।
  - आज भारतीय वायुसेना सभी 22 अपाचे संचालित कर रही है, जबकि थलसेना ने तीन को शामिल किया है। शेष तीन नवंबर 2025 तक आ जाएंगे।
- **युद्ध इतिहास:** अपाचे केवल एक और उन्नत प्लेटफॉर्म नहीं है; यह युद्ध में परखा गया है:
  - पहली बार 1989 में पनामा में ऑपरेशन जस्ट कॉज़ के दौरान

रात में फायर सपोर्ट के लिए इसका उपयोग हुआ।

- » बाद में इसे आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया, खासकर अफगानिस्तान और इराक में। कठिन इलाकों में ऑपरेट करने, प्रिसीजन स्ट्राइक करने और नजदीकी वायु समर्थन प्रदान करने की क्षमता ने इसे अनिवार्य बना दिया।

अपाचे की अत्याधुनिक विशेषताएँ:

- एएच-64ई अपाचे गार्जियन दुनिया के सबसे उन्नत सिस्टम्स से लैस है:
  - » **एएन/एपीजी-78 लॉन्गबो फायर-कंट्रोल राडार:** रोटर के ऊपर लगा होता है और एक साथ 256 लक्ष्यों का पता लगा सकता है, वर्गीकृत कर सकता है और प्राथमिकता दे सकता है।
  - » **गति और रेंज:** अधिकतम गति 293 किमी/घंटा और 480 किमी से अधिक की संचालन रेंज।
  - » **सर्वाइवेबिलिटी:** उन्नत एवियोनिक्स और काउंटर-मेजर्स से लैस, जो इसे शत्रुतापूर्ण परिस्थितियों में जीवित रहने योग्य बनाते हैं।
  - » **सभी मौसम संचालन:** दिन-रात, रेगिस्तान, मैदान या उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों (लद्दाख, कश्मीर) में भी ऑपरेट कर सकता है।
  - » **मल्टी-रोल क्षमता:** नजदीकी वायु समर्थन, दुश्मन की वायु रक्षा को दबाना (SEAD), आईएसआर (खुफिया, निगरानी, टोही) और एस्कॉर्ट मिशनों में दक्ष।
- एडीजी पीआई–भारतीय थलसेना ने यह भी बताया कि अपाचे केवल फायरपावर ही नहीं बढ़ाता बल्कि कॉम्बैट इंटेलिजेंस साइकिल को भी मजबूत करता है, जिससे यह संयुक्त अभियानों में फोर्स मल्टीप्लायर साबित होता है।

भारत के लिए सैद्धांतिक महत्व:

- थलसेना द्वारा अपाचे को शामिल करना भारत की सैन्य सोच में एक सैद्धांतिक बदलाव को दर्शाता है।
  - » थलसेना अपने अटैक हेलीकॉप्टर चाहती थी ताकि वायुसेना पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े।
  - » यह एकीकृत बैटल ग्रुप्स (IBGs) की अवधारणा के अनुरूप है, जिनमें थलसेना इकाइयों को स्वतंत्र कॉम्बैट सपोर्ट चाहिए।
  - » अपाचे भारत की विकसित होती इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स (ITC) रणनीति में फिट बैठता है, जिसका जोर गति, गतिशीलता और प्रिसीजन पर है।
- **ऐसी संरचना में अपाचे:**
  - » सीमा संघर्षों के दौरान तेज़ एस्केलेशन डॉमिनेंस देगा।
  - » एयरबोर्न असॉल्ट ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगा।
  - » पारंपरिक युद्ध में दुश्मन की वायु रक्षा को निष्क्रिय करेगा।

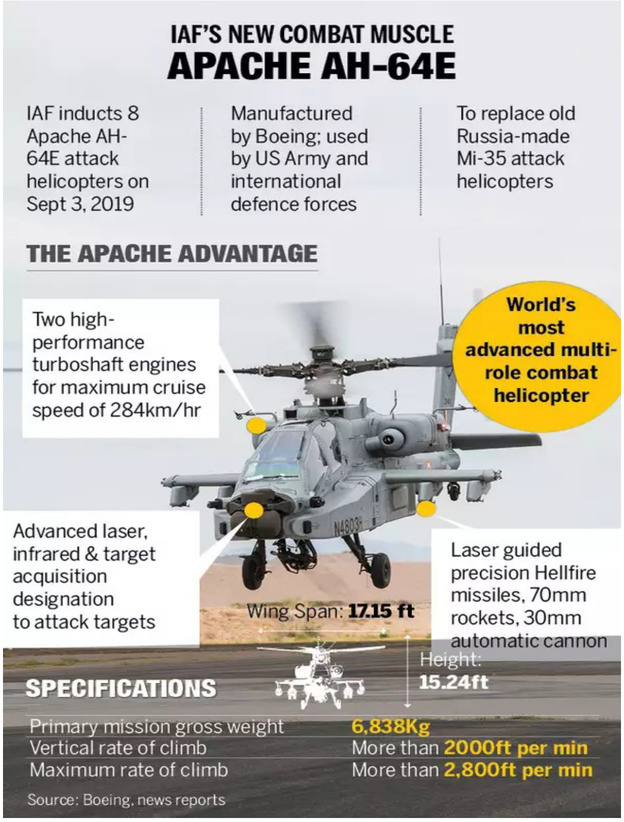

स्वदेशी विकल्प: रुद्र और प्रचंड

- भारत ने स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर विकसित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
  - » **एचएएल रुद्र:** ध्रुव हेलीकॉप्टर का शस्त्रयुक्त संस्करण, सीमित सेवा में।
  - » **एलसीएच प्रचंड:** विशेष रूप से उच्च ऊंचाई युद्ध के लिए डिजाइन, अब वायुसेना और थलसेना में शामिल।
  - » **एएलएच ध्रुव:** यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म, कई अनुप्रयोगों के साथ।
- **चुनौतियाँ:**
  - » **इंजन निर्भरता:** भारत अब भी शक्ति (टर्बोमेका) जैसे आयातित इंजनों पर निर्भर है।
  - » **आरएंडडी में देरी:** प्रोजेक्ट अक्सर नौकरशाही और तकनीकी

देरी से ग्रस्त होते हैं।

- » **युद्ध इतिहास की कमी:** स्वदेशी हेलीकॉप्टरों के पास वह युद्ध अनुभव नहीं है जो विदेशी प्लेटफॉर्म को आकर्षक बनाता है।

क्षेत्रीय रोटर दौड़: पाकिस्तान और चीन

- अपाचे का महत्व क्षेत्रीय घटनाक्रमों को देखते हुए और स्पष्ट हो जाता है।
  - » पाकिस्तान ने ज़ेड-10एमई, एक उन्नत चीनी अटैक हेलीकॉप्टर, शामिल किया है। 2021 में शुरुआती ट्रायल बहुत सफल नहीं रहे, फिर भी पाकिस्तान ने नया संस्करण शामिल किया। लेकिन इसका युद्ध रिकॉर्ड अपाचे जैसा नहीं है।
  - » चीन ने एलएसी पर ज़ेड-19, ज़ेड-10 और ज़ेड-20 जैसे हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इन्हें तिब्बत और शिनजियांग में तेज़ अवसंरचना निर्माण का समर्थन मिला है, जिससे पीएलए को उच्च ऊंचाई वाली गतिशीलता में बढ़त मिलती है।
- भारत दो मोर्चे की चुनौती का सामना करता है और अपाचे एक सिद्ध, उच्च-प्रदर्शन क्षमता देकर निवारण शक्ति को मजबूत करता है।

बजटीय और रणनीतिक चिंताएँ:

- 2025–26 के लिए भारत का रक्षा बजट 6.81 ट्रिलियन रुपये है, जिसमें से 1.49 ट्रिलियन रुपये अधिग्रहण के लिए रखे गए हैं। लेकिन रक्षा बलों की प्रतिस्पर्धी मांगें हैं:
  - » पैदल सेना का आधुनिकीकरण।
  - » पनडुब्बी और नौसेना की खरीद।
  - » लड़ाकू विमान खरीद (एमआरएफए सौदा लंबित)।
- अपाचे जैसे बड़े सौदे बजट पर दबाव डालते हैं, जिससे कभी-कभी स्वदेशी खरीद में देरी होती है।
- एसआईपीआरआई (2024) के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक आयात को कुल अधिग्रहण का 30% से कम किया जाए। इसलिए रणनीतिक स्वायत्तता और परिचालन तत्परता के बीच खिंचाव बना हुआ है।

आगे की राह:

- विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 3–4 वर्षों में थलसेना को 11 और अपाचे और चिनूक की आवश्यकता होगी। लेकिन भविष्य की योजना दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता पर केंद्रित होनी चाहिए।
  - » स्वदेशी हेलीकॉप्टर नवाचार में तेजी लाना।
  - » विदेशी निर्भरता घटाने के लिए भारतीय इंजन विकसित करना।
  - » विदेशी निर्माताओं के साथ सार्वजनिक–निजी भागीदारी और संयुक्त उपक्रम।
  - » अनुसंधान एवं विकास चक्र को तेज और सुचारु बनाने के लिए खरीद सुधार।
  - » युद्ध भूमिकाओं में स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को साबित कर निर्यात क्षमता बनाना।

निष्कर्ष:

एएच-64ई अपाचे गार्जियन का शामिल होना भारत की वायु युद्ध शक्ति को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखाता है। यह हेलीकॉप्टर उच्च ऊंचाई और बहु-क्षेत्रीय अभियानों में सिद्ध क्षमताएँ लाता है और क्षेत्रीय अस्थिरता के समय भारत को युद्धक बढ़त देता है। साथ ही यह भारत की स्वदेशी रक्षा पारिस्थितिकी में अंतराल को भी उजागर करता है। प्रचंड और रुद्र जैसे प्लेटफॉर्म आशाजनक हैं, लेकिन अभी वैश्विक मानकों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरते। यही कारण है कि अल्पावधि में चुनिंदा आयात आवश्यक बने रहते हैं। भारत की चुनौती इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने की है—वर्तमान की तैयारियों को अपाचे जैसे प्लेटफॉर्म्स से सुनिश्चित करना और साथ ही आत्मनिर्भर भारत की यात्रा को तेज़ करना। जब तक स्वदेशी पारिस्थितिकी पूरी तरह परिपक्व नहीं हो जाती, समझदारी से किए गए आयात राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम स्तंभ बने रहेंगे।

संक्षिप्त मुद्दे

अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल

संदर्भ:

हाल ही में भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि-5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तहत किया गया और इसमें सभी आवश्यक तकनीकी एवं परिचालन मानकों का पालन किया गया अग्नि-5 मिसाइल, जो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है, भारत के अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) कार्यक्रम का हिस्सा है और

इसकी मारक क्षमता लगभग 5,000 किलोमीटर तक है।

अग्नि-5 मिसाइल के विषय में:

- अग्नि-5 भारत की सबसे उन्नत अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है, जिसे देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा निर्मित यह मिसाइल भारत की मिसाइल तकनीक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - **प्रकार:** सतह से सतह मार करने वाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल
  - **प्रणोदन:** तीन-चरणीय ठोस ईंधन रॉकेट इंजन
  - **श्रेणी:** लगभग 5,000 से 5,500 किलोमीटर की मारक क्षमता
  - **पेलोड क्षमता:** 1.5 टन तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम
  - **तकनीक:** 'दागो और भूल जाओ' प्रणाली, जिसका अर्थ है प्रक्षेपण के बाद पुन: मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं
  - **गतिशीलता:** मोबाइल प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित, जिससे इसकी सुरक्षा और उत्तरजीविता बढ़ती है
  - **नेविगेशन:** उच्च-सटीकता वाले रिंग लेज़र जाइरोस्कोप एवं जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली से लैस
- 11 मार्च 2024 को, भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम से अग्नि-5 का पहला "मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रिएन्ट्री व्हीकल" (MIRV) परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जिससे इसकी एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने और छोड़ने की क्षमता प्रमाणित हुई। यह मिसाइल एक बार में तीन परमाणु हथियारों को अलग-अलग लक्ष्यों पर प्रक्षेपित कर सकती है।

अग्नि-5 मिसाइल परीक्षण के निहितार्थ :

- यह सफल परीक्षण भारत की विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु निवारक क्षमता की पुष्टि करता है, खासकर इसकी नो फर्स्ट यूज (कोई पहला परमाणु हमले का उपयोग नहीं) नीति के संदर्भ में। लगभग 5,500 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ, अग्नि-5 मिसाइल पूरे चीन, यूरोप के कुछ हिस्सों और एशिया के बड़े क्षेत्र को कवर करती है, जिससे भारत की निवारक शक्ति मजबूत होती है।
- यह परीक्षण उन्नत तीन-चरणीय ठोस ईंधन वाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के रखरखाव और संचालन में भारत की क्षमता को दर्शाता है। लगातार किए जा रहे परीक्षण तकनीकी परिपक्वता, बेहतर लक्ष्य सटीकता और भविष्य में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिइंट्री व्हीकल (MIRV) जैसे उन्नत हथियार प्रणालियों के समावेश को प्रमाणित करते हैं।
- यह प्रक्षेपण क्षेत्रीय सुरक्षा तनावों, खासकर चीन के साथ, के बीच भारत का सशक्त संदेश है। साथ ही, यह भारत को एक ज़िम्मेदार परमाणु शक्ति तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा गतिशीलता का महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

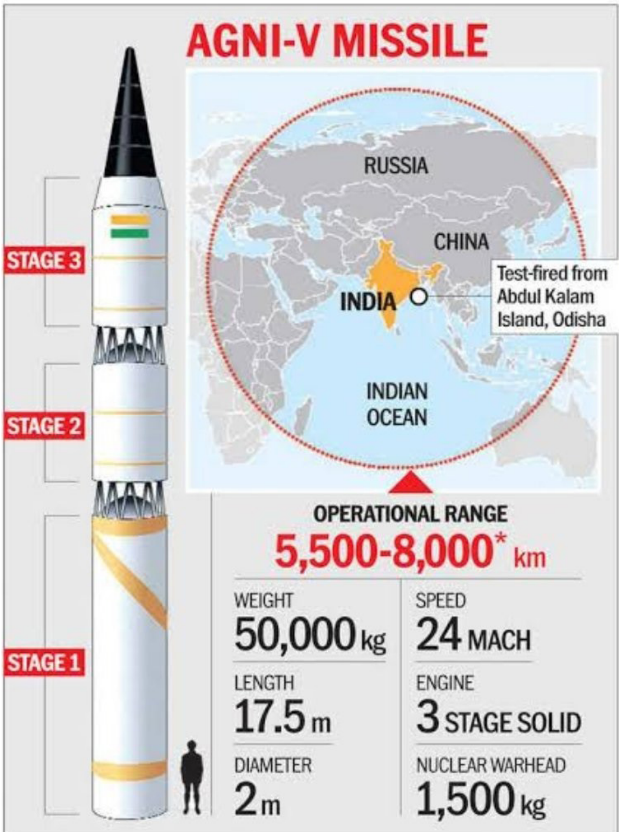

TESTS CONDUCTED	AGNI-I APR 19, 2012	AGNI-II SEP 15, 2013	AGNI-III JAN 31, 2015	AGNI-IV NOV 9, 2015
RANGE	700 km	2,000 km	3,500 km	4,000 km

अग्नि मिसाइलों का विकास:

- अग्नि मिसाइल श्रृंखला रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है, जो दशकों से विकसित होकर देश के सामरिक मिसाइल बलों की रीढ़ बन गई है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा 1983 में शुरू किए गए एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के तहत शुरू हुआ।
- पिछले एक दशक में, भारत ने अग्नि मिसाइल के विभिन्न संस्करण विकसित किए हैं, जिनमें कम दूरी की अग्नि-I से लेकर

अंतरमहाद्वीपीय अग्नि-V तक शामिल हैं, और अग्नि-VI पर काम पहले से ही चल रहा है।

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के बारे में:

- डीआरडीओ की एक दूरदर्शी पहल, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (Integrated Guided Missile Development Programme - IGMDP) का उद्देश्य मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इस कार्यक्रम में पाँच प्रमुख मिसाइल प्रणालियाँ शामिल थीं:
  - » अग्नि (सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल)
  - » पृथ्वी (कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल)
  - » आकाश (सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल)
  - » नाग (टैंक रोधी मिसाइल)
  - » त्रिशूल (कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल)
- अग्नि मिसाइल की शुरुआत एक तकनीकी प्रदर्शक (Technical Demonstrator) के रूप में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पुनः प्रवेश वाहन (Re-entry Vehicle - RV) तकनीक का परीक्षण करना था, जो लंबी दूरी तक परमाणु हथियार पहुँचाने के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष:

अग्नि-5 का सफल परीक्षण भारत की सामरिक सुरक्षा और न्यूनतम परमाणु निवारक क्षमता को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसे-जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियाँ बदल रही हैं, इस प्रकार के परीक्षण भारत के मिसाइल कार्यक्रम की तकनीकी मजबूती और राष्ट्रीय रक्षा तैयारियों को बढ़ाने में उसके प्रयासों को उजागर करते हैं।

भारतीय रक्षा में साइबरस्पेस एवं जल-थल अभियानों हेतु संयुक्त सिद्धांत

सन्दर्भ:

हाल ही में 7 अगस्त 2025 को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) एवं सैन्य मामलों के विभाग के सचिव जनरल अनिल चौहान ने साइबरस्पेस ऑपरेशंस के लिए संयुक्त सिद्धांत को सार्वजनिक किया। साथ ही, नई दिल्ली में आयोजित चीफ्स ऑफ स्टाफ़ कमेटी की बैठक के दौरान जल-थल अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत पर भी हस्ताक्षर किए गए। यह पहल भारत की रक्षा योजना में संयुक्त युद्ध-कौशल, पारदर्शिता और एकीकरण पर बढ़ते ज़ोर को रेखांकित करती है।

साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत की विशेषताएं:

- यह सिद्धांत भारत के साइबरस्पेस हितों की रक्षा के लिए एक समेकित राष्ट्रीय रणनीति प्रदान करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
  - » सेना, नौसेना और वायु सेना में आक्रामक और रक्षात्मक साइबर क्षमताओं का एकीकरण।
  - » डिजिटल बुनियादी ढांचे में लचीलेपन पर जोर।
  - » सेवाओं के बीच वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करना।
  - » तीव्र एवं अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए एकीकृत साइबर ऑपरेशन का संचालन।

संयुक्त सिद्धांतों की आवश्यकता:

- आधुनिक युद्ध में सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। बहु-क्षेत्रीय युद्धक्षेत्रों , ग्रे-ज़ोन खतरों और साइबरस्पेस में लगातार चुनौतियों की ओर बढ़ते बदलाव ने एक एकीकृत परिचालन दृष्टिकोण को आवश्यक बना दिया है।
- **संयुक्त सिद्धांत:**
  - » एकीकृत परिचालन के लिए एक सामान्य ढांचा, भाषा और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करना।
  - » अंतर-संचालनीयता को बढ़ाना और अनावश्यक जटिलता कम करना।
  - » जटिल खतरों के प्रति तीव्र एवं समन्वित प्रतिक्रिया को सक्षम बनाना।
  - » परिचालन दक्षता और रणनीतिक सुसंगतता में सुधार।
- भारत के लिए, जोकि विविध सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, ये सिद्धांत राष्ट्रीय रक्षा को मजबूत करने तथा सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच तालमेल बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

साइबरस्पेस:

- साइबरस्पेस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रणालियों का वैश्विक डोमेन है जो डिजिटल डेटा को संसाधित, संग्रहीत और प्रसारित करता है, चाहे वे इंटरनेट से जुड़े हों या नहीं। यह आधुनिक सेनाओं के लिए थल, वायु, जल और अंतरिक्ष के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण परिचालन डोमेन बन गया है।
- **साइबरस्पेस संचालन के सैन्य लाभ:**

» वास्तविक समय में खुफिया जानकारी एकत्र करना ताकि स्थितिजन्य जागरूकता (Situational Awareness) बनी रहे।
» प्रभावी संचार और समन्वय को सुनिश्चित करना।
» सिग्नल इंटेलिजेंस के माध्यम से डेटा को अवरोधित (Intercept) कर उसका विश्लेषण करना।
» आक्रामक और रक्षात्मक साइबर ऑपरेशनों का संचालन, जिससे शत्रु नेटवर्क बाधित हों और राष्ट्रीय प्रणालियों की सुरक्षा हो सके।
» सामरिक, परिचालन और रणनीतिक स्तरों पर त्वरित व सटीक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना।

- **साइबरस्पेस की कमजोरियाँ:**
  » साइबर युद्ध सैन्य और नागरिक नेटवर्क को निष्क्रिय कर सकता है।
  » ऊर्जा, परिवहन या स्वास्थ्य सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में व्यवधान।
  » वर्गीकृत डेटा की चोरी या हेरफेर।
  » आर्थिक और वित्तीय प्रणालियों को पंगु बनाने की क्षमता , समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की भूमिका:

- सुब्रह्मण्यम समिति की रिपोर्ट पर आधारित 2001 के मंत्रिसमूह की सिफारिशों के बाद, 2019 में सीडीएस का पद सृजित किया गया था।
  » सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख।
  » चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
  » रक्षा मंत्रालय को त्रि-सेवा और परमाणु मामलों पर सलाह देना।
  » अंतर-सेवा अधिग्रहण और योजना का समन्वय करता है।
  » सेवा प्रमुखों पर प्रत्यक्ष आदेश का प्रयोग नहीं करता है।

निष्कर्ष:

साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत का गोपनीयता-मुक्त होना भारत की सैन्य सोच के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास है। जैसे-जैसे साइबर खतरे जटिलता और पैमाने में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, यह सिद्धांत डिजिटल क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा हेतु एक संरचित, एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण प्रदान करता है। सभी सैन्य सेवाओं में साइबर क्षमताओं के एकीकरण और अंतर-संचालनीयता को बढ़ावा देकर, भारत सूचना युग में अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और सामरिक बढ़त को सुदृढ़ करने की स्थिति में है।

एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण

संदर्भ:

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने देश में विकसित एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) का पहला सफल उड़ान परीक्षण ओडिशा के तट पर किया। यह परीक्षण भारत की वायु रक्षा क्षमताओं के स्वदेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है।

एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली क्या है?

- एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) एक बहु-स्तरीय, लचीली एवं स्वदेश में विकसित वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (UAV), लड़ाकू विमान एवं क्रूज़ मिसाइल जैसे विविध हवाई खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- **इसमें तीन उन्नत घटक शामिल हैं:**
  » त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (क्यूआरएसएएम)
  » अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (वीएसएचओआरएडीएस) मिसाइलें
  » लेज़र-आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार (डीईडब्ल्यू)
- इन हथियार प्रणालियों का प्रबंधन रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL), हैदराबाद द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र के माध्यम से किया जाता है।

एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली के प्रमुख घटक:

- **त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल**
  » **विकासकर्ता:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
  » **उद्देश्य:** दुश्मन के हवाई हमलों से गतिशील बख्तरबंद संरचनाओं की रक्षा करना।
  » **मारक सीमा:** 3 से 30 किलोमीटर
  » **मुख्य विशेषताएँ:**
    ➢ 360 डिग्री निगरानी एवं लक्ष्य ट्रैकिंग क्षमता
    ➢ मोबाइल लॉन्चर और रडार प्रणाली
    ➢ "मूव-एंड-शूट" क्षमता
- **अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS)**
  » **विकासकर्ता:** अनुसंधान केंद्र इमारत (RCI), हैदराबाद

» **प्रकार:** चौथी पीढ़ी की MANPAD (मानव-संचालित वायु रक्षा प्रणाली)

» **मारक सीमा:** 300 मीटर से 6 किलोमीटर

» **लक्ष्य:** UAVs, हेलीकॉप्टर, एवं कम ऊँचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमान

» **सेवाओं में उपयोग:** थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना द्वारा

- **निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली (DEW):**

» **विकासकर्ता:** उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र (CHESS), हैदराबाद

» **प्रणाली:** लेज़र-आधारित DEW Mk-II(A), वाहन-आधारित प्लेटफ़ॉर्म

» **प्रभावी रेंज:** 3 किलोमीटर से कम

» **हालिया प्रदर्शन:** अप्रैल 2025 में UAVs और ड्रोन स्वार्म के विरुद्ध प्रत्यक्ष ऊर्जा लक्ष्यीकरण द्वारा सफल परीक्षण।

» **महत्त्व:** भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास परिचालन-योग्य निर्देशित ऊर्जा हथियार तकनीक उपलब्ध है।

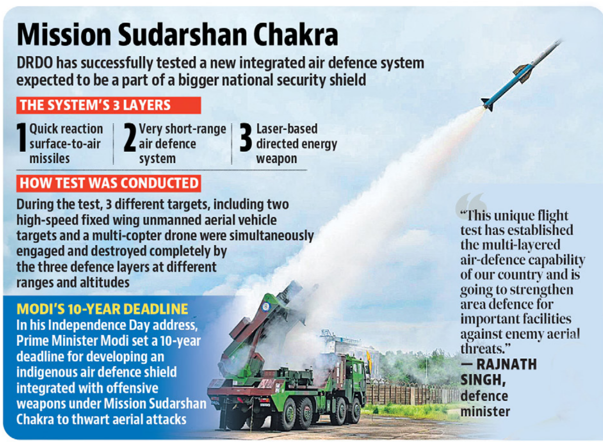

रणनीतिक महत्व:

- **बहु-स्तरीय रक्षा कवच:**

» यह प्रणाली अति लघु, लघु एवं बिंदु-रक्षा सीमाओं को प्रभावी रूप से कवर करती है।

» ड्रोन, क्रूज़ मिसाइलें और लड़ाकू विमानों जैसे विविध हवाई खतरों के विरुद्ध लचीली और त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करती है।

- **स्वदेशी क्षमता:**

» IADWS को DRDO एवं इसकी संबद्ध रक्षा प्रयोगशालाओं द्वारा पूर्णतः भारत में विकसित किया गया है।

» यह 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप कार्य करते हुए विदेशी वायु रक्षा प्रणालियों पर निर्भरता को कम करता है।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण:**

» यह प्रणाली महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं सीमावर्ती अग्रिम चौकियों की रक्षा को और अधिक सशक्त बनाती है।

» मिशन सुदर्शन चक्र के तहत यह भारत के समग्र वायु रक्षा तंत्र की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में:

- IADWS, मिशन सुदर्शन चक्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य एक पूर्णतः एकीकृत एवं बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली की स्थापना करना है।
- **इसके अंतर्गत शामिल प्रमुख घटक:**

» निगरानी प्रणाली

» साइबर सुरक्षा उपाय

» गतिज (kinetic) एवं गैर-गतिज (non-kinetic) वायु रक्षा तंत्र

- इसका लक्ष्य देश की रणनीतिक परिसंपत्तियों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा निम्नलिखित खतरों से करना है:

» लंबी दूरी की मिसाइलें

» ड्रोन एवं UAVs

» दुश्मन के लड़ाकू विमान

निष्कर्ष:

IADWS का सफल परीक्षण भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसकी तैनाती से भारत की रणनीतिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा उभरते हवाई खतरों के प्रति त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी। यह परीक्षण न केवल भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को दर्शाता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ करता है।

आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि

संदर्भ:

26 अगस्त, 2025 को, भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में दो नीलगिरि

श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि को नौसेना में शामिल किया। यह एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि यह पहली बार था जब दो अलग-अलग भारतीय शिपयार्ड में निर्मित दो बड़े युद्धपोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया था।

प्रोजेक्ट 17A और नीलगिरि-क्लास के बारे में:

- दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा हैं, जो नीलगिरि-क्लास स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना है। ये जहाज पहले के शिवालिक-क्लास (प्रोजेक्ट 17) का उन्नत संस्करण हैं।
  - » **आईएनएस उदयगिरि**: प्रोजेक्ट 17A का दूसरा जहाज, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), मुंबई द्वारा निर्मित।
  - » **आईएनएस हिमगिरि:** गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता द्वारा निर्मित पहला प्रोजेक्ट 17A जहाज।
- आईएनएस उदयगिरि नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया 100वाँ जहाज भी है, जो भारत की अपनी डिज़ाइन क्षमता की ताकत को दर्शाता है।
- कुल मिलाकर, सात नीलगिरि श्रेणी के फ्रिगेट होंगे: चार (नीलगिरि, उदयगिरि, तारागिरि, महेंद्रगिरि) एमडीएल द्वारा और तीन (हिमगिरि, दूनागिरि, विंध्यगिरि) जीआरएसई द्वारा निर्मित। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 75% उपकरण ऑर्डर भारतीय कंपनियों को मिले हैं, जिनमें 200 से अधिक एमएसएमई शामिल हैं, और लगभग 4,000 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित हुए हैं।

नीलगिरि श्रेणी के फ्रिगेट की प्रमुख विशेषताएँ:

- नीलगिरि श्रेणी के फ्रिगेट कई भूमिकाओं के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और खुले समुद्र में पारंपरिक और नए, दोनों तरह के सुरक्षा खतरों का सामना कर सकते हैं।
  - » **सतह से हवा में मार करने वाले हथियार:** लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (एलआरएसएएम)।
  - » **सतह से सतह पर मार करने वाले हथियार:** आठ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलें (ऊर्ध्वाधर रूप से प्रक्षेपित)।
  - » **पनडुब्बी रोधी प्रणालियाँ:** हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर (आईआरएल), हम्सा (एनजी) सोनार।
  - » **तोपखाना:** 127 मिमी मुख्य तोप, दो एके-630 रैपिड-फायर बंदूकें।
  - » **निगरानी और युद्ध:** मल्टी-मिशन निगरानी रडार, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, हवाई प्रारंभिक चेतावनी रडार और सतह निगरानी रडार।

तकनीकी विवरण:

- **लंबाई:** 149 मीटर
- **विस्थापन:** लगभग 6,670 टन
- **प्रणोदन:** संयुक्त डीज़ल या गैस (CODOG)
- **गति:** 28 समुद्री मील
- **क्षमता:** 5,500 समुद्री मील (किफ़ायती), 1,000 समुद्री मील (अधिकतम गति)
- **चालक दल:** लगभग 225 कर्मी
- **डिज़ाइन:** शिवालिक-श्रेणी की तुलना में 4.54% बड़ा पतवार, लेकिन बेहतर स्टेल्थ के लिए कम रडार सिग्नेचर के साथ।

नामों की विरासत:

- नीलगिरि-श्रेणी के जहाज़ उन पुराने जहाजों के नामों को जारी रखते हैं जिन्होंने सम्मान के साथ सेवा की।
  - » **आईएनएस उदयगिरि:** आंध्र प्रदेश की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया। इससे पहले उदयगिरि (1976-2007) ने ऑपरेशन पवन (1987), ऑपरेशन डॉल्फिन और ऑपरेशन कैक्टस (1988), ऑपरेशन मदद (1991) और ऑपरेशन कैस्टर (2005) में भाग लिया था।
  - » **आईएनएस हिमगिरि:** इसका नाम बर्फ से ढके हिमालय के नाम पर रखा गया है। इससे पहले हिमगिरि (1974-2005) ने बॉम्बे हाई तेल क्षेत्रों की रक्षा की, ऑपरेशन कैक्टस (1988) में भाग लिया और गुजरात भूकंप (2001) के दौरान राहत प्रदान की।
- नया आईएनएस उदयगिरि पूर्वी नौसेना कमान के अधीन और आईएनएस हिमगिरि पश्चिमी नौसेना कमान के अधीन कार्य करेगा। इनके आदर्श वाक्य हैं:
  - » **उदयगिरि:** संयुक्ताः परमजयः ("एकजुटता में महान विजय है")
  - » **हिमगिरि:** अदृश्यम् अजायम् ("अदृश्य और अजेय")।

निष्कर्ष:

अब तीन नीलगिरि श्रेणी के फ्रिगेट नौसेना में शामिल हो चुके हैं। अन्य चार अगले डेढ़ वर्षों में नौसेना में शामिल हो जाएँगे। भविष्य की ओर देखते हुए, नौसेना प्रोजेक्ट 17 ब्रावो (पी-17बी) की योजना बना रही है, जिसके तहत बेहतर हथियारों, नियंत्रण प्रणालियों और भारतीय प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग के साथ सात और भी उन्नत फ्रिगेट बनाए जाएंगे।

पावर पैक्ड न्यूज

एफआईडीई विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा गोवा

- अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) ने 26 अगस्त को घोषणा की कि एफआईडीई विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत का गोवा करेगा। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आयोजित होगा। इसमें 90 से अधिक देशों के 206 खिलाड़ी भाग लेंगे और 20 लाख डॉलर (लगभग 17.5 करोड़ रुपये) की पुरस्कार राशि के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। साथ ही, 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में तीन क्वालीफाइंग स्थान भी दांव पर होंगे। शीर्ष 50 खिलाड़ी सीधे दूसरे राउंड से शुरुआत करेंगे।
- प्रत्येक मुकाबले में दो क्लासिकल गेम होंगे और आवश्यकता पड़ने पर रैपिड तथा ब्लिट्ज़ टाई-ब्रेक खेले जाएंगे। गोवा को उसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक आकर्षण के कारण चुना गया है, जिससे प्रतिभागियों और दर्शकों को एक जीवंत अनुभव मिलेगा। शतरंज में भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और लोकप्रियता ने इस आयोजन की मेजबानी के लिए भारत के दावे को और मजबूत किया। यह टूर्नामेंट शतरंज इतिहास के सबसे अधिक देखे जाने वाले आयोजनों में शामिल होगा।

प्रोजेक्ट आरोहण

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल प्लाज़ा कर्मचारियों के परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए "प्रोजेक्ट आरोहण" शुरू किया है। यह पहल विशेष रूप से निम्न-आय वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। परियोजना के तहत कक्षा 11 से स्नातक स्तर तक के 500 छात्रों को 2025-26 में ₹12,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- इसके अलावा, स्नातकोत्तर या उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने वाले 50 उत्कृष्ट छात्रों को प्रत्येक को ₹50,000 की सहायता मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिसके लिए छात्रों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। एनएचएआई अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने कहा कि यह पहल युवा प्रतिभाओं के पोषण और देश के विकास में योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अनीश दयाल सिंह बने उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

- पूर्व सीआरपीएफ और आईटीबीपी महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को आंतरिक मामलों की ज़िम्मेदारी के साथ उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त किया गया है। वे 1988 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त हुए। अपने लंबे करियर में उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगभग तीन दशक तक सेवा दी। इसके अलावा, वे भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और बाद में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का नेतृत्व भी कर चुके हैं।
- उप एनएसए के रूप में उनका दायित्व आंतरिक सुरक्षा मामलों से जुड़ा होगा, जिसमें जम्मू-कश्मीर, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर का उग्रवाद शामिल है। उन्होंने 2024 लोकसभा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। वर्तमान में, पूर्व रॉ प्रमुख राजिंदर खन्ना अतिरिक्त एनएसए हैं, जबकि टी.वी. रविचंद्रन और पवन कपूर भी उप एनएसए के पद पर कार्यरत हैं।

केरल बना भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य

- केरल ने हाल ही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया

है। यह सफलता स्थानीय स्वशासन विभाग के नेतृत्व में 2021 में शुरू की गई 'डिजी केरल' पहल के माध्यम से संभव हुई। अब तक 21.87 लाख से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल कौशल सीखा है, जिसका उद्देश्य डिजिटल खाई को पाटना और नागरिकों को नई तकनीकों के प्रयोग में सक्षम बनाना है।

- डिजिटल साक्षरता केवल स्मार्टफोन या कंप्यूटर चलाना नहीं है, बल्कि इसमें इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करना, ईमेल और वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद, सरकारी सेवाओं व योजनाओं तक ऑनलाइन पहुँच, डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग तथा साइबर सुरक्षा जागरूकता शामिल है। इस तरह की दक्षताएँ नागरिकों को शासन, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में अधिक सक्रिय भागीदारी के अवसर प्रदान करती हैं।
- डिजी केरल मॉडल की शुरुआत पुल्लमपारा पंचायत से हुई थी, जो देश का पहला डिजिटल रूप से साक्षर स्थानीय निकाय बना। इसके बाद इस अभियान को राज्यभर में लागू किया गया। कार्यक्रम की सफलता सामुदायिक भागीदारी, युवाओं की सक्रिय भूमिका और घर-घर जाकर किए गए प्रशिक्षण पर आधारित रही। यह पहल न केवल डिजिटल अंतर को कम करती है, बल्कि भविष्य की समावेशी और तकनीक-संचालित समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इंगा रुगिनिएन बनीं लिथुआनिया की प्रधानमंत्री

- लिथुआनिया की संसद ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इंगा रुगिनिएन को देश की अगली प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि कर दी है। वर्तमान में वे सामाजिक सुरक्षा और श्रम मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अब उनके पास राष्ट्रपति के परामर्श से 15 दिनों में मंत्रिमंडल की रूपरेखा प्रस्तुत करने का समय है। इसके बाद संसद में मतदान द्वारा नए मंत्रिमंडल को अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक आदेश पर हस्ताक्षर के बाद उनकी नियुक्ति औपचारिक हो जाएगी। रुगिनिएन 2024 में पहली बार लिथुआनियाई संसद के लिए चुनी गई थीं। इससे पहले वे लिथुआनियाई ट्रेड यूनियन परिसंघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इस नियुक्ति को लिथुआनिया की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बाल्टिक सागर के किनारे स्थित लिथुआनिया की राजधानी विनियस है और इसकी मुद्रा यूरो है।

राजीव रंजन बने एनडीबी के उपाध्यक्ष

- भारतीय अर्थशास्त्री राजीव रंजन को न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर पाँच वर्ष तक कार्य करेंगे। उनकी नियुक्ति एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा की गई। एनडीबी की स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों ने बुनियादी ढाँचा और सतत विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के उद्देश्य से की थी। डिल्मा रूसेफ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। राजीव रंजन को केंद्रीय बैंकिंग का 35 वर्षों से अधिक अनुभव है।
- उन्होंने 1989 में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में अपना करियर शुरू किया और मई 2022 से कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वे मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा, 2012 से 2015 तक उन्होंने ओमान के सेंट्रल बैंक में आर्थिक नीति विशेषज्ञ के रूप में काम किया। उनका अनुभव एनडीबी को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विकास परियोजनाओं को मजबूत करने में सहायक होगा।

मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता

- भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कुल 193 किलोग्राम भार उठाया, जिसमें स्नैच में 84 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 109 किलोग्राम शामिल रहे। दोनों प्रदर्शन चैंपियनशिप रिकॉर्ड बने। यह जीत मीराबाई की प्रतिस्पर्धी भारोत्तोलन में मजबूत वापसी का संकेत है। इसके साथ ही उन्होंने

2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधी योग्यता भी हासिल कर ली।

- टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई को भारत की शीर्ष भारोत्तोलकों में गिना जाता है। उनकी इस सफलता ने न केवल भारत की पदक उम्मीदों को मजबूत किया है बल्कि युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया है। यह उपलब्धि भारोत्तोलन खेल में भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति को भी दर्शाती है।

अजय कुमार भल्ला ने नागालैंड के राज्यपाल पद की शपथ ली

- अजय कुमार भल्ला ने 25 अगस्त 2025 को नागालैंड के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने कोहिमा स्थित राजभवन में पद की शपथ दिलाई। इससे पहले वे मणिपुर के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे और 15 अगस्त को राज्यपाल ला गणेशन के निधन के बाद उन्हें नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। शपथ ग्रहण के बाद उन्हें औपचारिक सलामी गारद दी गई और उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल के साथ अपनी पहली बैठक भी की। उनकी नियुक्ति से उम्मीद है कि नागालैंड में शासन-प्रशासन को और मजबूती मिलेगी तथा केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा।

शरवरी शेंडे ने विश्व युवा तीरंदाजी में स्वर्ण जीता

- भारत की शरवरी सोमनाथ शेंडे ने कनाडा के विन्निपेग में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में अंडर-18 महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में दक्षिण कोरिया की किम येवोन को 6-5 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत के साथ वह दीपिका कुमारी और कोमलिका बारी की श्रेणी में शामिल होकर इस वर्ग में विश्व खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गईं।
- इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल आठ पदक (चार स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य) हासिल किए। 17 से 24 अगस्त तक आयोजित यह टूर्नामेंट 1991 से आयोजित होने वाली द्विवार्षिक प्रतियोगिता का 19वाँ संस्करण था, जिसमें 63 देशों के 570 खिलाड़ी शामिल हुए। अगली विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2027 में तुर्की के अंताल्या में होगी।

सीआईएसएफ ने शुरू की पहली महिला कमांडो इकाई

- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई का गठन किया है। इस पहल का उद्देश्य बल में लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। वर्तमान में 30 महिला कर्मी मध्य प्रदेश के बरवाहा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में आठ सप्ताह के गहन प्रशिक्षण से गुजर रही हैं। प्रशिक्षण में शारीरिक सहनशक्ति, हथियार संचालन, गोला-बारूद अभ्यास, रैपलिंग और उत्तरजीविता कौशल पर विशेष जोर दिया गया है। इन महिला कमांडो को विशेष त्वरित प्रतिक्रिया टीमों और उच्च सुरक्षा वाले प्रतिष्ठानों पर तैनात किया जाएगा।
- प्रारंभिक चरण में 100 महिलाओं को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बल में फिलहाल 8% महिला प्रतिनिधित्व है, जिसे बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले वर्ष 2,400 अतिरिक्त महिलाएँ सीआईएसएफ में शामिल होंगी। यह कदम सुरक्षा बलों में महिला भागीदारी को नए स्तर तक ले जाएगा।

लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन

- प्रमुख प्रवासी भारतीय उद्योगपति और परोपकारी लॉर्ड स्वराज पॉल का 94 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ब्रिटेन में उद्योग, दान और जनसेवा में उनके योगदान को सराहा और भारत-ब्रिटेन संबंधों को सुदृढ़ करने में उनकी भूमिका को रेखांकित किया।

- 1931 में पंजाब के जालंधर में जन्मे पॉल 1960 के दशक में अपनी बेटी के इलाज के लिए ब्रिटेन गए थे। उन्होंने कैपेरो ग्रुप के माध्यम से उद्योग जगत में पहचान बनाई और बाद में परोपकार को अपनी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। 1996 में उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स का आजीवन सदस्य बनाया गया। लंदन चिड़ियाघर को बचाने जैसे कार्य उनके समाजसेवी योगदान की मिसाल हैं। उनके निधन से भारतीय प्रवासी समुदाय और ब्रिटेन-भारत संबंधों को अपूरणीय क्षति पहुँची है।

जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर "परशुरामपुरी" करने की मंजूरी दी है। यह निर्णय 20 अगस्त 2025 को लिया गया। यह कस्बा संत परशुराम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है और यहाँ उन्हें समर्पित एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से नाम परिवर्तन का अनुरोध किया था, जिसे जलालाबाद नगरपालिका बोर्ड ने भी पारित किया था।
- केंद्र ने नए नाम को देवनागरी, रोमन और क्षेत्रीय भाषाओं में पंजीकृत करने का निर्देश दिया है। परशुरामपुरी नामकरण से स्थानीय पहचान और धार्मिक महत्व को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की परंपरागत विरासत और धार्मिक आस्था को सम्मान देने वाली नीति को भी दर्शाता है।

यूरेनस के नए चंद्रमा की खोज

- नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने यूरेनस का 29वाँ चंद्रमा खोजा है, जिसे अस्थायी रूप से एस/2025 यू1 नाम दिया गया है। यह खोज साउथवेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (SwRI), कोलोराडो की टीम ने 2 फरवरी 2025 को लंबी-एक्सपोज़र छवियों के विश्लेषण से की। नए खोजे गए इस चंद्रमा का व्यास लगभग 10 किलोमीटर है और यह यूरेनस से 56,000 किलोमीटर दूर लगभग गोलाकार कक्षा में स्थित है।
- यह ओफेलिया और बियांका नामक चंद्रमाओं की कक्षाओं के बीच परिक्रमा करता है। 1986 में वॉयेजर-2 के गुज़रने के समय यह दिखाई नहीं दे सका था। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह चंद्रमा छोटे उपग्रहों की उस जटिल प्रणाली का 14वाँ सदस्य है, जो यूरेनस के बड़े चंद्रमाओं की परिक्रमा करती है। इसके आधिकारिक नाम की मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) द्वारा दी जाएगी।

एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत की सफलता

- कज़ाकिस्तान के श्यामकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत की रश्मिका सहगल ने जूनियर महिला एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 241.9 अंकों के साथ कोरिया की हान सेउंगह्युन को पछाड़ा। क्वालिफिकेशन राउंड में रश्मिका ने 582 अंक बनाए और वंशिका चौधरी व मोहिनी सिंह के साथ टीम स्वर्ण पदक भी जीता। दूसरी ओर, मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता और पलक तथा सुरुचि फोगट के साथ टीम कांस्य भी दिलाया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारत ने कुल पाँच स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक हासिल किए। यह प्रदर्शन भारतीय निशानेबाजी के उभरते स्तर और युवा खिलाड़ियों की क्षमता को दर्शाता है। प्रतियोगिता 16 से 30 अगस्त 2025 तक आयोजित की गयी।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) का दूसरा चरण, जिसे हाल ही में इस्लामाबाद में आयोजित चीन-पाकिस्तान रणनीतिक वार्ता में समीक्षा किया गया, भारत की भू-राजनीतिक चिंताओं को गहरा कर रहा है। 2013 में शुरु हुआ यह गलियारा काशगर (चीन) को ग्वादर

(पाकिस्तान) से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) के रास्ते जोड़ता है। सीपीईसी 2.0 में डिजिटल बुनियादी ढांचा, ऊर्जा गलियारा, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) और अफगानिस्तान को जोड़ने की संभावना शामिल है। अनुमानित निवेश लगभग 62 अरब डॉलर है, जो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) से जुड़ा है।

- भारत के लिए यह कई स्तरों पर चुनौतीपूर्ण है। पहला, यह उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करता है क्योंकि इसका मार्ग पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। दूसरा, ग्वादर बंदरगाह पर चीन की संभावित नौसैनिक मौजूदगी भारत के पश्चिमी तट पर रणनीतिक खतरा पैदा करती है और दोहरे उपयोग वाले सैन्य ढांचे के रूप में काम कर सकती है। तीसरा, अफगानिस्तान को शामिल करने से भारत क्षेत्रीय रूप से घिर सकता है और चीन-पाकिस्तान धुरी और मजबूत होगी।
- भारत इन चुनौतियों का सामना कूटनीतिक और रणनीतिक उपायों से कर रहा है। इसमें बीआरआई का विरोध, चाबहार बंदरगाह और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारे (IMEC) का विकास शामिल है। साथ ही, भारत रुस, अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के साथ सहयोग गहरा कर क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है।

थायुमनवर थिट्टम योजना

- हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) योजना के तहत 21.7 लाख से अधिक वृद्धों और दिव्यांगजनों के घर तक राशन पहुँचाने के लिए 'थायुमनवर थिट्टम' योजना शुरु की। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को राशन प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना और सुविधा एवं सुगम्यता को बढ़ावा देना है।
- यह योजना लाभार्थियों के घरों तक चावल, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का प्रावधान करती है। इस योजना से राज्य भर में लगभग 20.4 लाख वरिष्ठ नागरिकों और 1.3 लाख दिव्यांगजनों को लाभ मिलने की संभावना है।
- यह योजना सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, जिसके अंतर्गत राशन वितरण वाहन प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार और रविवार को लाभार्थियों के घर जाएँगे।
- तमिलनाडु की पीडीएस एक सार्वभौमिक योजना है जो अन्य राज्यों की लक्षित प्रणालियों के विपरीत, सभी परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करती है।
- प्रत्येक परिवार को मासिक 20 किलोग्राम चावल मिलता है, जबकि AAY के तहत परिवारों को 35 किलोग्राम चावल दिया जाता है।
- अन्नपूर्णा योजना पेंशनविहीन वृद्ध व्यक्तियों की सहायता करती है।
- गेहूँ, चीनी और मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक वस्तुएँ भी वितरित की जाती हैं।
- तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम (TNCYCS) खरीद, भंडारण और वितरण का प्रबंधन करता है।

भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक

- हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NIAB) में भारत के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक एवं प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।
- 1.85 करोड़ की लागत से विकसित एवं 9,300 वर्ग फुट में फैली यह सुविधा पुनर्योजी चिकित्सा (Regenerative Medicine), कोशिकीय चिकित्सा (Cell Therapy), ऊतक अभियांत्रिकी (Tissue Engineering), प्रजनन जैव प्रौद्योगिकी तथा पशुधन रोग मॉडलिंग में उन्नत अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगी।
- **इस बायोबैंक की मुख्य विशेषताएँ:**
  - **उन्नत उपकरण:** यह सुविधा अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, जिसमें स्टेम सेल कल्चर यूनिट ,3डी बायोप्रिंटर , बैक्टीरियल कल्चर लैब (Bacterial Culture Lab), क्रायोस्टोरेज , आटोक्लेव रूम और निर्बाध विद्युत बैकअप (Uninterrupted Power Backup) शामिल हैं।

» **अनुसंधान केंद्र:** प्रयोगशाला रोग मॉडलिंग (Disease Modelling), ऊतक अभियांत्रिकी (Tissue Engineering) एवं प्रजनन जैव प्रौद्योगिकी (Reproductive Biotechnology) में अनुसंधान को सुदृढ़ करेगी, जिससे पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में सुधार होगा।
» **जैव बैंकिंग क्षमताएँ:** जैव प्रौद्योगिकी विभाग–BIRAC के राष्ट्रीय जैव औषधि मिशन (NBM) के सहयोग से, यह सुविधा पशु स्टेम कोशिकाओं एवं उनके व्युत्पन्नों की जैव बैंकिंग को सक्षम बनाएगी।

दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एआई कॉरिडोर लॉन्च किया

- दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए नया एआई-संचालित कॉरिडोर शुरु किया है, जो मात्र 14 सेकंड में आव्रजन मंजूरी प्रदान करता है। इस कॉरिडोर से गुजरने के लिए यात्रियों को कोई दस्तावेज़ या पासपोर्ट नहीं दिखाना पड़ता, बल्कि पहले से पंजीकृत बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर चेहरे की पहचान तकनीक उनकी पहचान सत्यापित करती है। एक साथ 10 यात्री इस स्मार्ट कॉरिडोर से गुजर सकते हैं। यह सुविधा वर्तमान में टर्मिनल 3 के प्रथम और बिजनेस क्लास लाउंज में उपलब्ध है। यह प्रणाली 2020 में शुरु हुई स्मार्ट टनल तकनीक पर आधारित है और "ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स" तथा "अनलिमिटेड स्मार्ट ट्रैवल" पहल का हिस्सा है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एआई यात्रा से पहले डेटा जांचता है और संदिग्ध पाए जाने पर विशेषज्ञ समीक्षा करता है। लगातार 11 वर्षों से दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना दुबई एयरपोर्ट अब इस नवाचार को भविष्य की हवाई यात्रा के मॉडल के रूप में पेश कर रहा है।

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

- 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1 अगस्त 2025 को घोषित किया गया, जिन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यह आयोजन देशभर में बनी विविध भाषाओं और शैलियों की फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करता है।
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल में उनके दमदार अभिनय के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। वहीं, रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला।
- 12वीं फेल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता, जबकि सौम्यजीत घोष दस्तीदार निर्देशित फ्लावरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म घोषित किया गया। पीयूष ठाकुर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। वृत्तचित्र श्रेणी में गॉड वल्चर एंड ह्यूमन को चुना गया।
- मनोरंजन श्रेणी में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला, वहीं सैम बहादुर को राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। संगीत क्षेत्र में जीवी प्रकाश कुमार को तमिल फिल्म वाथी के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार दिया गया।
- पार्श्व गायन श्रेणी में शिल्पा राव को जवान और पीवीएन एस रोहित को तेलुगु फिल्म बेबी के लिए सम्मानित किया गया। तकनीकी श्रेणियों में मलयालम फिल्म पूकलम ने सर्वश्रेष्ठ संपादन, मराठी फिल्म नाल 2 ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म और द केरल स्टोरी ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार जीता। फिल्म समीक्षक के रूप में उत्पल दत्ता को सर्वश्रेष्ठ का सम्मान मिला।

लोकसभा ने आईआईएम (संशोधन) विधेयक 2025 पारित किया

- लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी है, जिसमें 2017 के कानून में बदलाव कर असम के गुवाहाटी में एक नया आईआईएम स्थापित करने का प्रावधान शामिल है। यह कदम लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय मांग को पूरा करेगा।
- केंद्र सरकार ने इसके लिए ₹550 करोड़ आवंटित किए हैं। वर्तमान में देशभर में 21 आईआईएम कार्यरत हैं और अब गुवाहाटी इसका 22वां केंद्र बनेगा। इसके साथ ही भारत आईआईएम को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने की तैयारी कर रहा है। दुबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय आईआईएम परिसर अगले महीने से शुरु होगा। भारत के प्रबंधन संस्थान अपने उच्च मानकों और वैश्विक पहचान के लिए प्रसिद्ध हैं।

- गुवाहाटी में नया आईआईएम न केवल पूर्वोत्तर में प्रबंधन शिक्षा का नया केंद्र बनेगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और शैक्षणिक विकास को भी बढ़ावा देगा।

राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा बनीं मिस यूनिवर्स इंडिया 2025

- जयपुर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीत लिया। उन्हें मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, रिया सिंहा ने ताज पहनाया। उत्तर प्रदेश की तान्या शर्मा प्रथम उपविजेता और हरियाणा की महक ढींगरा द्वितीय उपविजेता रहीं। मूल रूप से श्रीगंगानगर (राजस्थान) की रहने वाली मनिका वर्तमान में दिल्ली में रहकर राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रही हैं।
- राष्ट्रीय खिताब से पहले उन्होंने मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब जीता था। अब वे नवंबर में थाईलैंड में होने वाली 74वीं अंतर्राष्ट्रीय मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत का इस मंच पर गौरवशाली इतिहास रहा है – सुष्मिता सेन (1994), लारा दत्ता (2000) और हरनाज़ संधू (2021) यह खिताब जीत चुकी हैं। मनिका की जीत के साथ देश फिर से वैश्विक मंच पर मिस यूनिवर्स ट्रॉफी की उम्मीद जगी है।

एनसीडीसी के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को अनुदान सहायता" नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी, जिसकी कुल लागत ₹2,000 करोड़ है, जिसमें से प्रत्येक वर्ष ₹500 करोड़ आवंटित किए जाएँगे।
  - » इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिए गए ₹2,000 करोड़ के अनुदान की मदद से एनसीडीसी अगले चार वर्षों में ओपन मार्केट से ₹20,000 करोड़ की राशि जुटा सकेगा।
  - » यह जुटाई गई राशि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी समितियों, जैसे- दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, पशुपालन, चीनी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र उद्योग को दी जाएगी। यह सहायता दीर्घकालिक परियोजना ऋण और कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी।
  - » ₹2,000 करोड़ की यह संपूर्ण राशि भारत सरकार के बजट से प्रदान की जाएगी, इसलिए इसे "केंद्रीय क्षेत्र योजना" कहा गया है, अर्थात् यह योजना पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
- **कार्यान्वयन रणनीति:** एनसीडीसी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी, जो ऋणों के वितरण, निगरानी और वसूली का कार्य संभालेगी। एनसीडीसी के वित्तपोषण मानदंडों और सुरक्षा मानदंडों के पालन के आधार पर, पात्र सहकारी समितियों को सीधे या राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।
- **निम्नलिखित के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा:**
  - » नई सहकारी परियोजनाओं की स्थापना
  - » मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण और विस्तार
  - » प्रौद्योगिकी उन्नयन
  - » कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करना
- **प्रमुख अपेक्षित परिणाम:**
  - » ग्रामीण भारत में आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों का निर्माण
  - » सहकारी समितियों के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्धता
  - » रोजगार के अवसरों में वृद्धि, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में
  - » महिलाओं और अविकसित क्षेत्र में मौजूद वर्गों की भागीदारी को बढ़ावा

» संबंधित क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ

भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट

- भारत ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गुजरात के कांडला पोर्ट पर देश का पहला स्वदेशी 1 मेगावाट क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट (GHPP) स्थापित किया है। "राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन" के तहत शुरू किया गया यह संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 140 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकेगा। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों को कार्बन मुक्त बनाना और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना है।
- ग्रीन हाइड्रोजन पानी को इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में उपयोग होने वाली बिजली अक्षय स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा से मिले, तो उत्पादित हाइड्रोजन को "ग्रीन" कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके उपयोग से शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है।
- इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इस्पात उद्योग में कोयले की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग जलवाष्प पैदा करता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। रिफाइनरी और उर्वरक निर्माण में यह जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाता है। परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक भारी वाहनों को शून्य उत्सर्जन वाला विकल्प प्रदान करती है। साथ ही, यह ऊर्जा भंडारण और ग्रिड संतुलन में भी सहायक है।
- ग्रीन हाइड्रोजन से न केवल औद्योगिक प्रक्रियाएँ स्वच्छ बनेंगी, बल्कि यह भारत को सतत विकास और कार्बन न्यूट्रैलिटी के लक्ष्य की ओर भी आगे बढ़ाएगा।

महाराष्ट्र में गणेशोत्सव राज्य उत्सव घोषित

- महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव का दर्जा देते हुए एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य त्योहार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान दिलाना है। इसके तहत भजन मंडलों को 5 करोड़ रुपये तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही आध्यात्मिक नाटक महोत्सव, ड्रोन शो और राज्यव्यापी व्याख्यान श्रृंखला जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे।
- गणेश मंदिरों और प्रमुख सार्वजनिक समारोहों का ऑनलाइन प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू किया जाएगा, वहीं नागरिक अपने घरेलू गणेशोत्सव की तस्वीरें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर साझा कर सकेंगे। जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ गणेशोत्सव मंडलों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा, रील प्रतियोगिता और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से उत्सव को अधिक समावेशी और व्यापक बनाया जाएगा। यह पहल महाराष्ट्र की धार्मिक-सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन

- नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 15 अगस्त को चेन्नई में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ला गणेशन अय्यर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। फरवरी 2023 में उन्हें नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व वह मणिपुर के राज्यपाल रहे और कुछ समय के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला।
- ला गणेशन मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे और संगठनात्मक स्तर पर भाजपा को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर

है। नागालैंड और मणिपुर दोनों राज्यों के नेतृत्व ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने प्रशासनिक कार्यों को सहज और पारदर्शी बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनका निधन उत्तर–पूर्वी क्षेत्र की राजनीति और भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है।

एनएचएआई ने लॉन्च किया फास्टैग वार्षिक पास

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश के 1,150 टोल प्लाज़ा पर 'फास्टैग वार्षिक पास' सुविधा लागू कर दी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, पहले ही दिन शाम 7 बजे तक लगभग 1.40 लाख उपयोगकर्ताओं ने इस पास को खरीदकर सक्रिय कर लिया और उतने ही लेनदेन दर्ज किए गए।
- यह सुविधा 3,000 रुपये के एकमुश्त भुगतान पर उपलब्ध है, जिससे बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। पास की वैधता एक वर्ष या 200 टोल क्रॉसिंग तक रहेगी। यह सुविधा केवल गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू है जिनके पास वैध फास्टैग है।
- सरकार ने प्रत्येक टोल प्लाज़ा पर अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है ताकि यात्रियों को सुगम अनुभव मिल सके। इस कदम को डिजिटल इंडिया और सहज यातायात व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।

यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार

- कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कुंदगोल तालुक के तीर्था गांव स्थित बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को 2025 का यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार मिला है, जिसे जैव विविधता संरक्षण का "नोबेल पुरस्कार" कहा जाता है। यह समूह इस वर्ष यह सम्मान पाने वाला एकमात्र भारतीय संगठन है।
- पुरस्कार की घोषणा 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर की गई। इस वर्ष की थीम थी – "प्रकृति-आधारित जलवायु कार्रवाई के लिए महिला और युवा नेतृत्व"। समूह ने 30 से अधिक गाँवों में बाजरा आधारित मिश्रित कृषि प्रणालियों का पुनर्जीवन किया है। इसके लिए यह प्राकृतिक खेती पद्धतियाँ अपनाता है और किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक बीज बैंक चलाता है।
- समूह बाजरा उत्पादों (जैसे रोटी, सेंवई) का निर्माण करता है और किसान बाज़ारों का आयोजन करता है। इन पहलों ने छोटे व सीमांत कृषक परिवारों, विशेषकर महिलाओं की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ किया है।

सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल निर्माण में भारत की उपलब्धि

- भारत ने सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल निर्माण में 100 गीगावाट की क्षमता हासिल कर ली है। यह उपलब्धि 2014 के मात्र 2.3 गीगावाट से तेज़ वृद्धि को दर्शाती है। यह प्रगति मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (ALMM) योजना के तहत संभव हुई, जिसे 2019 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया था।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बताया, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इसका श्रेय उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) जैसी नीतिगत पहलों को दिया।
- वर्तमान में 100 निर्माता और 123 इकाइयाँ इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जबकि 2021 में केवल 21 कंपनियाँ सक्रिय थीं। इस वृद्धि में स्थापित कंपनियों और नए उद्यमों दोनों का योगदान है, जो उच्च दक्षता वाली तकनीकों और एकीकृत उत्पादन प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं। यह उपलब्धि भारत के 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य को सशक्त समर्थन प्रदान करता है।

"श्रेष्ठ" (राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक) का शुभारंभ

- 12 अगस्त को, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने भारतीय औषधि महानियंत्रक डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी की उपस्थिति में श्रेष्ठ सूचकांक का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। अपनी तरह की यह पहली राष्ट्रीय पहल एक पारदर्शी, आँकड़ों पर आधारित ढाँचे के माध्यम से राज्य औषधि नियामक प्रणालियों को मानकीकृत और सुदृढ़ करेगी।
  - राज्यों को दो श्रेणियों - विनिर्माण राज्य और प्राथमिक वितरण राज्य - में अलग-अलग सूचकांकों के साथ रैंक किया जाएगा।
  - श्रेष्ठ में पाँच प्रमुख विषयों पर विनिर्माण राज्यों के लिए 27 सूचकांक होंगे: मानव संसाधन, बुनियादी ढाँचा, लाइसेंसिंग गतिविधियाँ, निगरानी गतिविधियाँ और जवाबदेही, और मुख्य रूप से वितरण करने वाले राज्यों के लिए 23 सूचकांक होंगे।
  - राज्य पूर्वनिर्धारित मापदंडों पर डेटा सीडीएससीओ को प्रस्तुत करेंगे, जिसे हर महीने की 25 तारीख तक एकत्र किया जाएगा।
  - इन मापदंडों का मूल्यांकन अगले महीने की पहली तारीख को किया जाएगा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाएगा।
  - यह सूचकांक सर्वोत्तम प्रथाओं के पारस्परिक ज्ञान को बढ़ावा देगा और देश भर में नियामक प्रक्रियाओं को मजबूत करेगा।

चुनाव आयोग ने निष्क्रिय राजनीतिक दलों को सूची से हटाया

- भारत के चुनाव आयोग ने 9 अगस्त 2025 को बड़ी कार्रवाई करते हुए 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को अपनी सूची से हटा दिया। ये दल पिछले छह वर्षों में न तो किसी चुनाव में उतरे थे और न ही इनके पास वैध पंजीकृत पते मौजूद थे। इस कदम के बाद भारत में RUPPs की संख्या 2,854 से घटकर 2,520 रह गई है।
- सूची से हटाए गए दल अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी और 29सी के तहत मिलने वाले लाभ के पात्र नहीं होंगे। साथ ही, उन्हें आयकर अधिनियम तथा चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित दल आदेश के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।
- यह प्रक्रिया जून 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सत्यापन से शुरु हुई थी। आयोग ने इसे चुनावी प्रणाली से निष्क्रिय और गैर-जिम्मेदार संस्थाओं को बाहर करने की अपनी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा बताया है।
- वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य स्तरीय दल और 2,520 RUPPs पंजीकृत हैं। 2022 से अब तक आयोग 284 नियम उल्लंघन करने वाले दलों को हटा चुका है और 253 को निष्क्रिय घोषित कर चुका है। यह कदम चुनावी पारदर्शिता और राजनीतिक परिदृश्य को स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वाँ सदस्य बना

- मोल्दोवा को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का 107वाँ सदस्य घोषित किया गया है, जिसकी पुष्टि भारत के विदेश मंत्रालय ने की। नई दिल्ली में आयोजित एक औपचारिक बैठक में मोल्दोवा की राजदूत एना तबान ने ISA के सचिवालय प्रमुख पी.एस. गंगाधर को अनुसमर्थन पत्र सौंपा। ISA की स्थापना भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस COP21 शिखर सम्मेलन के दौरान की थी और अब इसके 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा को एक विश्वसनीय, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा स्रोत के रूप में बढ़ावा देना और वैश्विक ऊर्जा पहुँच और सुरक्षा में सुधार करना है।
- ISA कृषि, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की लागत घटाने और निवेश बढ़ाने के प्रयास करता है। इसके तहत सदस्य देशों को नीति, नियामक ढाँचे और वित्तीय पहुँच में सुधार के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। ईज़ ऑफ डूइंग सोलर कार्यक्रम के माध्यम से देशों को अपने कानून और नियम सौर ऊर्जा के अनुकूल बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- 6 दिसंबर 2017 को 15 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया, जिससे यह भारत मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन बन गया। ISA अल्प विकसित देशों (LDCs) और लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) में सौर ऊर्जा की तैनाती बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों, विकास वित्तीय संस्थाओं और अन्य साझेदारों के साथ सहयोग करता है, जिससे वैश्विक

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में स्थिरता और समावेशिता सुनिश्चित होती है।

खाद्य और शांति के लिए एम. एस. स्वामीनाथन वैश्विक पुरस्कार

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम. एस. स्वामीनाथन की स्मृति में "खाद्य एवं शांति हेतु एम. एस. स्वामीनाथन वैश्विक पुरस्कार" की स्थापना की है। यह पुरस्कार उन वैज्ञानिकों के योगदान को मान्यता देगा जिन्होंने विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
- पहला पुरस्कार नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉ. एरेनारे को नई दिल्ली में आयोजित स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (7-9 अगस्त, 2025) के दौरान प्रदान किया गया। सम्मेलन का विषय था "सदाबहार क्रांति, जैव-खुशी का मार्ग", जो प्रो. स्वामीनाथन के आजीवन प्रयासों और सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- प्रो. स्वामीनाथन, जिनका सितंबर 2023 में निधन हुआ, मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके योगदान को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- स्वामीनाथन ने जैव विविधता के संरक्षण के साथ-साथ 'जैव-खुशी' की दूरदर्शी अवधारणा भी प्रस्तुत की, जो सतत विकास और खाद्य सुरक्षा की दिशा में मार्गदर्शन करती है। यह पुरस्कार वैज्ञानिक समुदाय को प्रेरित करेगा और वैश्विक खाद्य और शांति प्रयासों को बढ़ावा देगा।

बिहार के पुनौरा धाम में देवी सीता मंदिर

- 8 अगस्त 2025 को बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में देवी सीता को समर्पित भव्य मंदिर के निर्माण का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में बनारस और मिथिला के संत, विद्वान और पुरोहित उपस्थित रहे।
- यह मंदिर 50 एकड़ भूमि पर, लगभग ₹883 करोड़ की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा और इसका डिज़ाइन अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित होगा। मंदिर के प्रबंधन और विकास के लिए "श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर न्यास समिति" नामक ट्रस्ट का गठन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाना, तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करना और क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। इसी अवसर पर वर्चुअल माध्यम से सीतामढ़ी-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे राज्य की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी के बीच प्रत्यक्ष रेल संपर्क स्थापित हुआ।
- यह परियोजना न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि स्थानीय रोजगार, सांस्कृतिक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास में भी योगदान करेगी। मंदिर निर्माण के माध्यम से बिहार अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख केंद्र स्थापित करेगा।

असम की 'निजुत मोइना 2.0' योजना

- 6 अगस्त 2025 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में 'मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0' योजना का शुभारंभ किया। यह योजना लड़कियों के उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के उद्देश्य से मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- योजना के तहत उच्चतर माध्यमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। हाई स्कूल प्रथम वर्ष के छात्राओं को 10 महीने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह, स्नातक स्तर पर 1,250 रुपये प्रति माह और पीजी स्तर पर 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे।
- 'निजुत मोइना 2.0' असम सरकार की प्रमुख पहल है, जो लड़कियों की शिक्षा, सशक्तिकरण और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाएगी। इसके माध्यम से राज्य में लैंगिक समानता बढ़ेगी और शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। योजना उच्च शिक्षा को सुलभ बनाकर समाज में समावेशिता और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देती है।

वरिष्ठ आदिवासी नेता शिबू सोरेन का निधन

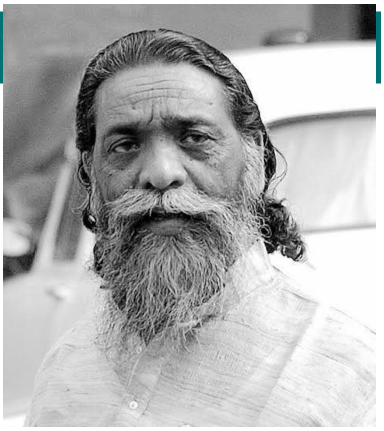

- झारखंड के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ आदिवासी नेता शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को लंबी बीमारी के बाद 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1973 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की स्थापना की और आदिवासी अधिकारों की वकालत करते हुए लंबे राजनीतिक सफर की शुरुआत की।
- तीन बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनका कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं हो सका। शिबू सोरेन का जन्म 1944 में दक्षिणी बिहार में हुआ था और वे झारखंड राज्य गठन की प्रेरक शक्ति के रूप में उभरे। उनके निधन की घोषणा उनके पुत्र और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
- शिबू सोरेन ने झारखंड के आदिवासी समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक संरक्षण और अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका राजनीतिक जीवन संघर्ष और सेवा का प्रतीक रहा, जिसने राज्य की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। सोरेन की विरासत झारखंड की राजनीति, आदिवासी अधिकारों और क्षेत्रीय नेतृत्व में हमेशा स्मरणीय रहेगी।

रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक

- 1993 बैच की आईपीएस अधिकारी सुश्री सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति बल के 143 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी को शीर्ष पद पर आने का अवसर प्रदान करती है। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है और यह अक्टूबर 2026 में उनकी सेवानिवृत्ति तक वैध रहेगी।
- सुश्री मिश्रा के पास 30 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें उन्होंने सीबीआई, बीएसएफ और विभिन्न राज्य तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी प्राप्त है, उन्होंने कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत सेवा दी है। उनकी पिछली जिम्मेदारियों में पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में अतिरिक्त महानिदेशक और मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल में निदेशक की भूमिका शामिल रही है।
- उनके योगदान को देखते हुए उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। सुश्री मिश्रा की यह नियुक्ति न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि भारतीय पुलिस सेवा और आरपीएफ में नेतृत्व क्षमता, अनुभव और उत्कृष्टता की नई मिसाल भी स्थापित करती है। यह कदम महिलाओं को सुरक्षा बलों में उच्चतम पदों तक पहुँचने के लिए प्रेरित करेगा और संगठन में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देगा।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. एनसीडीसी (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
2. इसकी स्थापना 1963 में हुई थी।
3. इसके अधिदेश में व्यक्तिगत किसानों और सहकारी संस्थाओं दोनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: सभी तीन

2. भारत में सहकारी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में विश्व की 27% से अधिक सहकारी समितियाँ हैं।
2. भारत में सबसे अधिक सहकारी समितियाँ महाराष्ट्र में हैं।
3. भारत में सहकारी समितियाँ विशेष रूप से बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 द्वारा शासित होती हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: सभी तीन

3. NISAR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह NASA और ISRO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।
2. इसमें Lबैंड और Sबैंड SAR का उपयोग करते हुए एक दोहरी आवृत्ति वाली रडार प्रणाली है।
3. यह उपग्रह भूस्थिर कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: सभी तीन

4. कांडला बंदरगाह स्थित हरित हाइड्रोजन विद्युत संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र है।
2. यह प्रतिवर्ष लगभग 140 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सक्षम है।
3. इसे राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 3

D: 1, 2 और 3

5. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य भारत को ग्रे हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।
2. इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन करना है।
3. इसका कार्यान्वयन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2 और 3

6. INS हिमगिरि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. यह प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है और नीलगिरि श्रेणी की पनडुब्बियों में से एक है।
2. इसका निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा किया गया था।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: दोनों

D: कोई नहीं

7. 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (2025) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला।
2. रानी मुखर्जी ने 'कथल: ए जैकफ्रूट मिस्ट्री' में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता।
3. सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 12वीं फेल को मिला।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

8. यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विश्व धरोहर सम्मेलन 1972 में अपनाया गया था और इसका उद्देश्य वैश्विक महत्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों को संरक्षित करना है।
2. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, किसी स्थल को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व सहित दस मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा।
3. भारत ने 1975 में विश्व धरोहर सम्मेलन की पुष्टि की।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: 1, 2 और 3

B: केवल 1 और 2

C: केवल 2 और 3

D: उपरोक्त सभी

9. एशियाई विशालकाय कछुए (मनौरिया एमिस) की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए:

1. यह मुख्य भूमि एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय कछुआ है।
2. इसके आहार में पत्ते, फल, मशरूम और सड़ते हुए पौधे शामिल हैं।
3. यह एक निशाचर प्रजाति है और शुष्क जंगलों में रहना पसंद करता है।
4. कछुए का जीवनकाल 10-15 वर्ष होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1, 2 और 3

B: केवल 1 और 2

C: केवल 1 और 4

D: केवल 2 और 4

10. INF संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. INF संधि ने 500 से 5,500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली सभी ज़मीनी बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों पर प्रतिबंध लगा दिया।
2. इस संधि पर 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।
3. यह संधि 2025 तक सभी पक्षों द्वारा प्रभावी और पूर्ण रूप से कार्यान्वित रही।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित भौगोलिक विशेषताओं और उनके स्थानों पर विचार कीजिए:

1. लूज़ोन जलडमरूमध्य - फिलीपींस को ताइवान से अलग करता है
2. मिंडोरो जलडमरूमध्य - लूज़ोन और मिंडोरो द्वीप के बीच स्थित है
3. मायोन ज्वालामुखी - दक्षिण-पूर्वी लूज़ोन में स्थित है
4. सेलेब्स सागर - फिलीपींस के पूर्व में स्थित है

उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं?

A: केवल 1, 2 और 3

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 4

D: केवल 1, 3 और 4

12. ट्रांसजेंडर अधिकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 2014 के NALSA निर्णय ने भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तीसरे जेंडर" के रूप में मान्यता दी।
2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 जेंडर

की बिना शर्त स्व-पहचान की अनुमति देता है।

3. तमिलनाडु उच्च शिक्षा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2 और 3

13. 2019 अधिनियम के अनुसार, ट्रांसजेंडरव्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद निम्नलिखित में से कौन-सा/से कार्य करती है/करते हैं?

1. ट्रांसजेंडर कल्याण नीतियों के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना
2. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना
3. कानूनी कार्यवाही के माध्यम से सीधे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

14. इंद्री लेमूर (इंद्री इंद्री) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सबसे बड़ी जीवित लीमर प्रजाति है।
2. यह मेडागास्कर में स्थानिक है।
3. इसे IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 3

D: 1, 2 और 3

15. RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह छह सदस्यीय समिति है जिसमें RBI और भारत सरकार का समान प्रतिनिधित्व होता है।
2. RBI गवर्नर MPC की अध्यक्षता करते हैं और बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं।
3. MPC की स्थापना मूल RBI अधिनियम, 1934 के तहत की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 3

D: 1, 2 और 3

16. मिशन पोषण 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें आंगनवाड़ी सेवाएँ, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना शामिल हैं।
2. इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
3. यह केवल गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को टेक-होम राशन (THR) प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 1 और 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2 और 3

17. पोषण ट्रैकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे 2021 में आंगनवाड़ी सेवा वितरण की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था।
2. इसमें विकास निगरानी, उपस्थिति और टीएचआर वितरण ट्रैकिंग जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
3. पोषण ट्रैकर के तहत राशन वितरण के लिए 2024 से फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) अनिवार्य कर दिया गया है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

18. भारत में एशियाई शेरों की आबादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 2015 और 2025 के बीच एशियाई शेरों की आबादी में 70% से अधिक की वृद्धि हुई है।
2. वर्तमान में 80% से अधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्र में निवास कर रहे हैं।
3. अमरेली जिले में शेरों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2 और 3

19. वन हेल्थ" दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह समग्र कल्याण के लिए पशु, मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एकीकृत करता है।
2. यह रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) और जूनोटिक रोगों से निपटने के लिए आवश्यक है।
3. यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि में बहुविषयक सहयोग का समर्थन करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

20. "अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए ट्रम्प रूट" क्या है?

A: रूस से काला सागर तक एक पाइपलाइन गलियारा

B: लाल सागर के रास्ते यूरोप और भारत को जोड़ने वाला एक समुद्री मार्ग

C: आर्मेनिया के रास्ते मुख्य भूमि अज़रबैजान को नखचिवन एक्सक्लेव से जोड़ने वाला एक भूमि गलियारा

D: ईरान के रास्ते आर्मेनिया को चीन से जोड़ने वाली एक रेलवे परियोजना

21. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का कुल निर्यात (वस्तुएँ + सेवाएँ) लगभग 820 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
2. सेवाओं का निर्यात कुल निर्यात के आधे से भी कम था।
3. कुल आयात (वस्तुएँ + सेवाएँ) 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2 और 3

22. अलास्का शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. यह 1988 के बाद अमेरिकी धरती पर आयोजित पहला अमेरिका-रूस शिखर सम्मेलन था।
2. रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम समझौते को अंतिम रूप दिया गया।
3. यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यह अमेरिका और रूसी नेताओं के बीच पहली आमने-सामने की बैठक थी।
4. इसके परिणामस्वरूप रूस पर लगे सभी अमेरिकी प्रतिबंध हटा लिए गए।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A: केवल 1 और 3

B: केवल 1, 2 और 4

C: केवल 2 और 4

D: केवल 1, 3 और 4

23. भारत में पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित करने का प्राथमिक कानूनी आधार क्या है?

A: जैविक विविधता अधिनियम, 2002

B: वन अधिकार अधिनियम, 2006

C: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

D: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

24. प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस योजना का लक्ष्य पाँच वर्षों की अवधि में 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है।
2. यह पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
3. यह केवल उन कर्मचारियों को कवर करती है जिनकी मासिक आय ₹50,000 से कम है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: केवल 1 और 3

25. समुद्रयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. समुद्रयान भारत का पहला मानवयुक्त जलमग्न परियोजना है।
2. इस मिशन का उद्देश्य मानव चालक दल के साथ एक पनडुब्बी को 4,000 मीटर की गहराई तक भेजना है।
3. यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए व्यापक गहरे महासागर मिशन का एक हिस्सा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

26. MATSYA 6000 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक मानवयुक्त पनडुब्बी है।
2. इसकी सामान्य परिचालन अवधि 96 घंटे है, जिसे आपात स्थिति में 12 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।
3. यह भारत को गहरे समुद्र में मानवयुक्त पनडुब्बी क्षमताओं वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल करेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 1 और 2

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

27. भारत के डीप ओशन मिशन के निम्नलिखित घटकों पर विचार करें:

1. डीप-सी माइनिंग और रोबोटिक्स
2. अंडरवाटर टूरिज्म को बढ़ावा देना
3. महासागर-आधारित ऊर्जा और मीठे पानी की प्रणालियाँ
4. महासागरीय जलवायु सलाहकार सेवाएँ
5. आर्कटिक महासागर की बर्फ की निगरानी

उपरोक्त में से कौन डीप ओशन मिशन का हिस्सा हैं?

A: केवल 1, 2, 3 और 4

B: केवल 1, 3 और 4

C: केवल 1 और 2

D: उपरोक्त सभी

28. भारतीय बंदरगाह विधेयक,2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह समुद्री शासन को आधुनिक बनाने के लिए भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 का स्थान लेता है।
2. यह विधेयक केंद्र सरकार को प्रमुख और गैर-प्रमुख दोनों बंदरगाहों के प्रबंधन का अधिकार देता है।
3. यह MARPOL जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ पर्यावरणीय अनुपालन को अनिवार्य बनाता है।
4. इस विधेयक के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) का गठन किया जाएगा।

विकल्प:

A: केवल 1

B: केवल 1, 3 और 4

C: केवल 2 और 4

D: सभी चार

29. निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान POCSO अधिनियम, 2012 से सही रूप से संबद्ध हैं?

1. अधिनियम में यह अनिवार्य है कि अपराध की सूचना मिलने के एक महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का प्रावधान करता है।
2. POCSO नियम, 2020 बाल पीड़ितों के लिए सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान करता हैं।
3. अधिनियम प्रत्येक मामले में बाल पीड़ित के बयानों की अनिवार्य ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग का प्रावधान करता है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

30. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को हटाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. सीईसी को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
2. हटाने का आधार सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है।
3. सीईसी को हटाने से पहले न्यायिक जाँच अनिवार्य है।
4. हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।

विकल्प:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 3 और 4

D: केवल 2, 3 और 4

31. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करके सर्वोच्च न्यायालय के अनूप बरनवाल निर्णय का अनुसरण करता है।
2. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सहित एक पैनल की सिफारिश पर की जाती है।
3. अधिनियम चुनाव आयुक्तों के लिए पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित करता है।
4. चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटा सकते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: केवल 3

D: सभी चार

32. खारे पानी के मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पोरोसस) और भारत में इसके संरक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

II. यह भारत भर में मीठे पानी और समुद्री दोनों आवासों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है।

III. भगबतपुर मगरमच्छ परियोजना सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है।

IV. मगरमच्छ संरक्षण परियोजना (1975) विशेष रूप से खारे पानी के मगरमच्छों के संरक्षण के लिए शुरू की गई थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: केवल 3

D: सभी चार

33. निम्नलिखित में से किन खनिजों को महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है?

1. लिथियम
2. कोबाल्ट
3. निकल
4. बॉक्साइट

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें:

A: केवल 1, 2

B: केवल 1, 2 और 3

C: केवल 2, 3

D: केवल 1, 2, 3 और 4

34. ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 के दायरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विधेयक केवल वास्तविक धन से जुड़े जुए के खेलों पर लागू होता है।
2. यह किसी भी प्रकार के मौद्रिक दांव वाले सभी ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाता है।
3. विधेयक के तहत जुए के तत्वों से रहित सामाजिक और कौशल-आधारित खेलों को प्रोत्साहित करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 3

D: 1, 2 और 3

35. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन करने

का प्रयास करता है।

2. यह किसी भी आपराधिक अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने पर किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री को स्वतः हटाने का आदेश देता है।
3. यह केंद्र, राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर लागू होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 3

D: 1, 2 और 3

36. संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत एक स्थायी समिति है।
2. इसका गठन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।
3. इसकी सिफ़ारिशें कुछ मामलों में संसद के लिए बाध्यकारी होती हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 3

D: 1, 2 और 3

37. अग्नि-5 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक दो-चरणीय मिसाइल है जिसमें द्रव प्रणोदन प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
2. इसकी मारक क्षमता 5,000 किमी से अधिक है और यह परमाणु हथियार ले जा सकती है।
3. इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 3

D: 1, 2 और 3

38. फोर्टिफाइड चावल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. फोर्टिफाइड चावल सामान्य चावल है जिसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं।
2. फोर्टिफाइड चावल केवल मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से वितरित किया जाता है।
3. सार्वभौमिक फोर्टिफाइड चावल योजना शुरू में 2019 में 2024 तक के लिए शुरू की गई थी।
4. अब इसे वर्ष 2030 तक बढ़ा दिया गया है।

ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: केवल 3

D: उपरोक्त सभी

39. भारत में अंगदान के कानूनी ढाँचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 जीवित और ब्रेन-स्टेम मृत, दोनों प्रकार के अंगदान की अनुमति देता है।
2. यह अधिनियम नियामक अनुमोदन के साथ वाणिज्यिक अंगदान की अनुमति देता है।
3. ऊतक दान को शामिल करने के लिए अधिनियम में 2011 में संशोधन किया गया था।

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: उपरोक्त सभी

40. भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद, जो पोषण संबंधी अभिसरण की समीक्षा करती है, के अध्यक्ष हैं:

A: भारत के प्रधानमंत्री

B: महिला एवं बाल विकास मंत्री

C: नीति आयोग के उपाध्यक्ष

D: कैबिनेट सचिव

41. सुगौली की संधि (1816) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित हुई थी।
2. इसने महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में निर्धारित

किया।
3. इसने लिपुलेख दर्रे को भारत का हिस्सा माना।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

42. कौन सा भारतीय राज्य पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है?

A: तमिलनाडु
B: कर्नाटक
C: केरल
D: दिल्ली

43. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. केवल संप्रभु राष्ट्र ही WHO के सदस्य बनने के पात्र हैं।
2. WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह दुनिया भर में 6 क्षेत्रीय और 150 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालित होता है।
3. WHO की स्थापना राष्ट्र संघ के स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सार्वजनिक कार्यालय के विलय से हुई थी।
4. WHO के महानिदेशक का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1, 2 और 3
C: केवल 1, 3 और 4
D: केवल 2, 3 और 4

44. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. WMO की स्थापना 1950 में हुई थी।
2. WMO सदस्य देशों के बीच मौसम संबंधी और जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों के अप्रतिबंधित आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
3. WMO के महासचिव का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 वर्षों के गैर-नवीकरणीय कार्यकाल के लिए किया जाता है।
4. WMO संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के अंतर्गत एक विशेष एजेंसी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1, 2 और 4
C: केवल 1, 2 और 3
D: केवल 1, 3 और 4

45. एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह 10 किमी तक की सीमा के भीतर खतरों को बेअसर करने में सक्षम है।
2. इसमें गतिज और गैर-गतिज दोनों वायु रक्षा घटक शामिल हैं।
3. इसे DRDO द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

46. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प IUCN रेड लिस्ट में शामिल बड़ी बिल्ली से सही मेल खाता है?

A: बाघ - संकटग्रस्त
B: हिम तेंदुआ - संकटग्रस्त
C: जगुआर - संकटग्रस्त
D: प्यूमा – संकटग्रस्त

47. निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन बाघ अभयारण्य के पास भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं?

A: गंगा, तीस्ता, मतला
B: हरिनभंगा, रायमंगल, कालिंदी
C: हुगली, सुवर्णरेखा, इच्छामती
D: ब्रह्मपुत्र, बराक, मतला

48. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने वाले प्राथमिक ढांचे हैं।

2. डिजिटल इंडिया अधिनियम, आईटी अधिनियम, 2000 को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करता है।
3. वर्तमान में, भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मध्यस्थ माना जाता है और उन्हें "सेफ हारबर " संरक्षण प्राप्त है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

49. इसरो के चंद्र मॉड्यूल प्रक्षेपण यान (LMLV) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. LMLV की पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में पेलोड क्षमता LVM3 की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक होगी।
2. LMLV अपने पहले दो चरणों में ठोस प्रणोदन और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक प्रणोदन का उपयोग करता है।
3. इसका उद्देश्य मानवयुक्त चंद्र मिशनों और भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन के लिए घटकों के प्रक्षेपण, दोनों में सहायता प्रदान करना है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

50. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. न्यायिक नियुक्तियों में राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह से बाध्य होता है।
2. संविधान का अनुच्छेद 124(2) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रदान करता है।
3. संविधान में कॉलेजियम प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2 और 3

उत्तर

1	A	11	B	21	D	31	C	41	A
2	A	12	B	22	A	32	B	42	C
3	A	13	A	23	C	33	B	43	B
4	C	14	D	24	B	34	B	44	B
5	A	15	A	25	C	35	B	45	C
6	B	16	A	26	A	36	B	46	C
7	C	17	A	27	B	37	B	47	B
8	B	18	A	28	B	38	B	48	C
9	B	19	D	29	A	39	B	49	B
10	A	20	C	30	B	40	C	50	B

UDAAN
A Journey to Success
ध्येयIAS
most trusted since 2003
IAS Olympiad – 2nd Phase
28th September
12th के बाद Graduation के साथ
करें IAS/IPS की तैयारी
Limited Seats
REGISTER
NOW
ALIGANJ: 7570009014
GOMTI NAGAR: 7570009003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003
8853467068,
7459911157
NEW BATCH
IAS & PCS
GENERAL STUDIES
SEPTEMBER
15th
08:30 AM
हिंदी माध्यम
SEPTEMBER
24th
11:30 AM
English Medium
Civil Lines, Prayagraj